Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या 13

सोमवार

दिनांक 7 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 294

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 295

श्री जीतमल जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 296

श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 297

श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 298

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 299

श्री रामकंवार बेरवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 300

श्री भैरूंसिंह गुर्जर। श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 301

श्री हंसराज शर्मा।

स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 302

श्री रंगजी मीणा, श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 303

श्री सुरजाराम टांक।

(अनुपस्थित)

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

बाड़मेर नगर की कृषि उपज मन्डी का नवीन भवन

304. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में कृषि मण्डी भवन बनकर तैयार हुए करीब दो वर्ष का समय हो गया है ?

(2 क्या यह भी सही है कि सरकार व्यापारियों को उक्त कृषि मण्डी में ले जाने में बिल्कुल ही असमर्थ रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त तैयार कृषि मण्डी में व्यापारियों को ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री कृषि (श्री देवेन्द्रसिंह): (1) जी नहीं। कुछ निर्माण कार्य पूरे होने बाकी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, नवीन मण्डी यार्ड में पूर्ण सुविधायें उपलब्ध होने के बाद ही स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मण्डी का काम दो साल से पूर्ण पड़ा है फिर भी व्यापारियों को वहां लाने में क्यों असमर्थ रहे हैं ? कोई भी चीज अधूरी नहीं है. मण्डी के भवन, पानी आदि की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, फिर भी व्यापारी वहां नहीं जा रहे हैं। इसका क्या यह कारण है कि वहां की रेट बहुत ऊंची रखी गई है ? इसका क्या कारण है।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मण्डी में अभी सेनेटरी फिटिंग, पाइप फिटिंग वगैरह का काम बाकी है ? यह काम पूरा नहीं हो जाय तब तक व्यापारी लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। जहां तक रेट का सवाल है, 12 पर्सेन्ट किराया लेते हैं जो सारे राजस्थान में एक जैसा ही है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यह रेट डेजर्ट एरिया के लिए बहुत ऊंची है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने भी आश्वासन दिया है। क्या यह सही है कि क्लासिफिकेशन के अनुसार जहां रेट ज्यादा पड़ती है वहां रेट कम करने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : इस पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में मन्जूरशुदा मण्डी भवन कितने नहीं बन पाये हैं? कुछ तो जवाब दो।

श्री भंवरलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): कृषि उपज मण्डियों में चुनाव कब तक हो जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनकराज मेहता।

झाब–हेमागुड़ा क्षेत्रीय पेयजल योजना

305. श्री कनकराज मेहता (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर क्षेत्र में झाब–हेमागुडा क्षेत्रीय योजना को पेयजल ग्राम देवड़ा से दिया जाता है जो 12 गांवों में जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में दिया जाने वाला पेयजल काफी खारा हो चुका है जो पीने योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो क्या वहां मीठा पानी प्रदाय करने की योजना है ?

(3) क्या इस योजना को ग्राम आकोली के ट्यूब वैल से जोड़ा जा सकता है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री देवेन्द्रसिंह) : (1) जी हां, 19 ग्रामों व 2 ढाणियों को क्षेत्रीय योजना देवड़ा–झाब–हेमागुड़ा द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) ग्राम देवड़ा का पानी पिया जा सकता है इससे ज्यादा मीठे पानी के स्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

(3) आकोली ग्राम में कोई नलकूप नहीं बनाया गया है। अत: जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में डिस्चार्ज पूरा हुआ है, उससे 11 गांवों में पानी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न संख्या 306

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । डा० उजला अरोड़ा ।

स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 307

श्री लालाराम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम ।

बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्ड

308. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) द्वितीय चरण औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में प्लाट्स प्राप्त करने हेतु कुल कितने आवेदन–पत्र किन–किन व्यक्तियों ने किस–किस तारीख को पेश किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि आवंटियों को रोस्टर प्रणाली के अनुसार प्लाट्स आवंटित किये गये ? कृपया आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने तृतीय चरण उद्योग हेतु बालोतरा में भूमि अवाप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक अवाप्त कर ली जायेगी ?

Page No 4

(4)

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह):

(1) बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु कुल 166 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तिथिवार सूची सदन की मेज पर पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "अ")

(2) जी नहीं। रीको के आवंटन नियमों में रोस्टर प्रणाली का प्रवधान नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उद्यमियों को आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "ब")

(3) जी नहीं। तृतीय चरण औद्योगिक क्षेत्र के लिये रीको द्वारा 477 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है और इसकी अवाप्ति प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि महामाया वाश फेक्ट्री और रामदेव वाशिंग फैक्ट्री ने भी फार्म भरे थे उनको आवंटन नहीं करने का क्या कारण है? और जितने भी आदमियों ने फार्म भरे उन सबको आपने दे दिये। इन्होंने दो साल पहले फार्म भरे थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुल 166 आदमियों की लिस्ट है, 221 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये थे। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है अगर वह पहले पूछते तो मैं इसका जवाब दे देता। अब इन्होंने जो पूछा है कि कितने प्लाट आवंटित किये गये, उनकी सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जिनको आवंटन नहीं हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, अगर वह मुझे लिख कर दे दें तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। लिस्ट बहुत लम्बी है। किस कारण से अलाट नहीं हो सका, यह मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय जो लिस्ट दी है इसमें 1976, 1977 1980 और 1981 वालों को अलाट किया गया है, 1979 में जिन्होंने आवेदन पत्र दिये थे उनको प्लाट आवंटित नहीं हुए। वहां पर जिनको प्लाट्स आवंटित हुए हैं वे 5000 रुपये ब्लैक में बेच रहे हैं। जो वास्तव में वहां काम करना चाहते थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनको प्लाटों का आवंटन नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटन का प्रश्न है उसकी सूची मैंने माननीय सदस्य को दे दी है। उसके अन्तर्गत आप देखेंगे कि 13 आदमियों को भू-खण्ड आवंटित किये हैं फिर भी अगर आप महसूस करते हैं कि इन व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरता गया है और ऐसी सूची मुझे दे देंगे तो मैं दोषी व्यक्ति जो होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अमराराम चौधरी : मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बात नहीं कर रहा। मेरा यह कहना है कि बालोतरा के निवासी, जो वहां पर इण्डस्ट्री लगाना चाहते थे, को आवंटन नहीं करके आपने बाहर से आये लोगों को आवंटन किया है। इससे वहां के लोगों में असन्तोष है। क्या उनको अब भू-खण्ड अलाट करवायेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय कोई भू-खण्ड नहीं है। तृतीय चरण के बाद उनको प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी : जिन लोगों ने आवंटन लिया, लोगों ने कब्जा ले लिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को भू खण्ड आवंटित किये गये हैं उन लोगों ने कब्जा ले लिया और बड़ी संख्या में वह कार्यरत है।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, कोई कब्जा नहीं हुआ है। वह लोग अपने प्लाट्स का ब्लैक करने में लगे हुए हैं। उनकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिन लोगों को प्लाट्स नहीं दिये गये, उनको रीजन देकर कोई सूचना दी जाती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : तृतीय चरण में भू खण्ड के लिए 166 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, भू-खण्ड केवल 121 थे अत: सभी को भूमि देना सम्भव नहीं था। फिर एस. सी. और एस. टी. के लोगों, जिन्होंने आवेदन किया को आवंटन किया गया है। द्वितीय चरण के तहत 166 एप्लीकेशंस आई थीं, 121 भूखण्ड उपलब्ध थे। वह सभी को दिये गये हैं। इनका आरोप यह है कि जिनकी पहले एप्लीकेशंस आई थीं, उनको न देकर बाद में जो आये थे, उनको प्लाट्स आवंटित किये गये। दूसरा आरोप यह है कि जिन लोगों को आवंटित किये गये उन्होंने अपने प्लाट्स बेच दिये हैं। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिनको प्लाट्स अलाट नहीं हुए हैं उनको रीजन देकर सूचना देने कोई की कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : आपने फर्माया कि रोस्टर प्रणाली से नहीं देते हैं। तो उन आदमियों, जिन्होंने 4 साल से इण्डस्ट्री लगाने की सोच रखी थी, को अलाटमेंट न देकर दूसरों को दिया और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बारे में माननीय सदस्य मुझे लिख कर दें। केवल यहां कह दिया वह काफी नहीं है। मैं इस आधार पर जांच करवाऊंगा।

श्री अमराराम चौधरी : कितने केश आपके पास पेंडिंग थे, किस को आवंटन किया ? बाद में जिनकी एप्लीकेशंस आई उनको देकर पहले वालों को नहीं दिया। जो वहां रहते थे उनको आवंटन नहीं दिया। आपने किस कारण से उनकी एप्लीकेशंस खारिज कर दीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप भाग (2) में यह देखेंगे कि आपने पूछा है, क्या यह सही है कि आवंटियों को रोस्टर प्रणाली के अनुसार प्लाट्स आवंटित किये गये ? आपका प्रश्न है, आप स्वयं देखें "कृपया आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।" मैंने उत्तर दिया है, जिनको

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्लाट्स प्राप्त हुए हैं, रीको के आवंटन नियमों के अन्तर्गत, उनकी सूची मैंने सदन के पटल पर रख दी है। कितने लोगों को आवंटन किया गया, उनकी सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी। आपका आरोप है कि जिन्होंने 1976 से आवेदन पत्र दिये हुए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर आवंटन नहीं किया गया। मैं इसकी जांच करवाऊंगा जो व्यक्ति इसके दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। बाकी 166 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई, 121 को आवंटन मिला, इसकी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करूंगा।

श्री अमराराम चौधरी : जिन लोगों के आवेदन पत्र आपने खारिज कर दिये हैं, उनको सूचना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, अगर नियमों के तहत सूचना देने का प्रावधान होगा तो सूचना दी होगी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिनको आपने प्लाट नहीं दिये हैं उनको सूचना दीजिये, अगर आपके पास प्लाट्स नहीं हैं तो उनको कहें कि हमारे पास नहीं हैं, वरना उनको कैसे मालूम होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने इसके पूर्व में कहा कि 166 एप्लीकेशंस आई थीं 121 प्लाट्स उपलब्ध थे, उनको इसका आवंटन कर दिया गया। बाकी के बचे हुए लोगों के लिए जो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है उसके अन्तर्गत उनको प्लाट्स का आवंटन किया जायेगा। प्रश्न यह है कि जो अनियमितता हो रही है प्लाट्स आवंटन के अन्दर, मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिनको पहले प्लाट्स नहीं दिये हैं उनको दूसरे चरण में प्राथमिकता देंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : निश्चित तौर से उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अमरा राम चौधरी : बात यह है, अध्यक्ष महोदय, बालोतरा में जो लैण्ड की कीमत है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो वास्तव में वहां काम करना चाहते थे उन लोगों को प्लाट्स आवंटित नहीं किये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि अभी तक वहां कोई कब्जा नहीं हुआ है, इसलिये इस आवंटन को खारिज करके रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन करें तो न्याय होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो, अध्यक्ष महोदय, एक्जामिन करने का विषय है, इस बारे में जांच करने से ही कुछ कहना सम्भव होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहती हूं कि जब प्लाट आवंटित कर दिये जाते हैं तो कितने समय के अन्दर उनको कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए, इसकी अवधि क्या है, ताकि ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सके ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का प्रश्न है, प्लाट्स ट्रांसफर नहीं किये जा सकते। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जिस फर्म या व्यक्ति के नाम प्लाट आवंटित होता है वह दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता। रीको में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : इन नियमों के बावजूद ब्लैक मार्केटिंग होता है या नहीं ? ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का प्रश्न है ब्लैक मार्केटिंग की सिर्फ एक पासिबिलिटी हो सकती है । जिस फार्म के नाम इण्डस्ट्री लगाते हैं, उसके लिए लोन आदि की व्यवस्था बेनामी आदमी प्राप्त नहीं कर सकता । वह प्लाट किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दे, यह नहीं हो सकता । इसलिए ब्लैक मार्केटिंग की सम्भावना इसी स्थिति में रह जाती है कि कोई व्यक्ति इतना धनवान हो कि वह इण्डस्ट्री को स्थापित करने में खुद का पैसा लगा सके । फिर भी यदि कोई ऐसा मामला माननीय सदस्य की नजर में आया है तो मैंने माननीय सदस्य को आमंत्रित किया है, जिस व्यक्ति को प्लाट का आवंटन हुआ है और जिसने ऐसा काम किया है उसका नाम बतायें । उसके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री देवेन्द्र कुमार मीणा ।

सराड़ा क्षेत्र के स्कूल भवनों का निर्माण कार्य

30) **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 के अन्तर्गत पंचायत सामिति, सराड़ा क्षेत्र में माध्यमिक व प्राइमरी स्कूल्स के कितने भवनों के निर्माण पर कितने कितने रुपये खर्च किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस आदिवासी क्षेत्र में अधूरे निर्मित स्कूल भवन कितने हैं। तथा किन-किन गांवों में निर्माण कार्य पर रुपया खर्च किया ?

(3) क्या सरकार अधूरे भवनों को पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) वर्ष 1980-81 में 33 शाला भवनों पर 5,51,244 रुपया व वर्ष 1981-82 में 44 शाला भवनों पर 1,31,005 रुपया व्यय किया गया । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । जैसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन राशि उपलब्ध होगी अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो स्कूलों के भवन हैं वह कब से अधूरे पड़े हुए हैं और उनका कार्य कब से शुरू हुआ था ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न, इन्होंने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया है । बाकी भवन कब से अधूरे पड़े हैं या कब से भवन शुरू हुए थे, यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

कई स्कूलों के भवन अधूरे काफी सालों से पड़े हुए हैं। आप कृपया यह बतावें कि अधूरे भवनों को आप कब तक पूरा कराने का विचार रखते हैं? मन्त्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यह स्कूलों के भवन अधूरे क्यों पड़े हुए हैं और अब आप इनको कब तक पूरा कराने का विचार रखते हैं, इनका काम कब शुरू होगा ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। प्रश्न (1) है, "वर्ष 1980-81 व 1981-82 के अन्तर्गत पंचायत सामेरी, सराड़ा क्षेत्र में माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलस के कितने भवनों के निर्माण पर कितने कितने रुपये खर्च किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। "इसका मैंने उत्तर दे दिया है और सूची भी उनको दे दी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, "इस आदिवासी क्षेत्र में अधूरे निर्मित स्कूल भवन कितने है तथा किन गांवों में निर्माण कार्य पर रुपया खर्च किया गया ?" इसका मैंने जवाब दे दिया और सूची भी सदन के पटल पर रख दी है।

तीसरा, इन्होंने प्रश्न यह पूछा है, "क्या सरकार अधूरे भवनों को पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसका भी मैंने उत्तर दे दिया है, जैसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन राशि उपलब्ध होगी अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: अध्यक्ष महोदय, यह नहीं बताया कि कब तक यह कार्य पूरा हो जावेगा।

श्री शीशराम ओला : यह तो, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, ज्यों ही पैसे उपलब्ध हो जावेंगे, इन भवनों को पूरा कर दिया जायेगा।

श्री सी.पी.जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है उसके अनुसार तो यह अधूरे भवन पूरे नहीं हो सकेंगे क्योंकि जो पैसा दिया जाता है उसका और मेचिंग ग्रान्ट का 60 : 40 का रेश्यो है, इससे तो उदयपुर और आसपास के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर तो यह भवन पूरे नहीं हो सकेंगे। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार मेचिंग ग्रान्ट अधिक दे।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में मेरे पास अभी सूचना नहीं है। यह प्रश्न अलग से है इसकी सही जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर और उसके आस-पास का जो भी आदिवासी इलाका है उसमें स्कूलों के जो भवन अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए कोई नई स्कीम राज्य सरकार तैयार करे वरना राज्य सरकार की नीति के अनुसार तो यह भवन अधूरे ही पड़े रहेंगे। पंचायतों के पास चालीस प्रतिशत पैसा भी देने को नहीं है। अगर आप उनको नई स्कीम बना कर उसके अन्तर्गत पैसा देंगे तो वह पूरे होंगे अन्यथा तो वह अधूरे ही पड़े रहेंगे।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर आगे क्या हो सकता है इसके लिये राज्य सरकार सोचेगी। आगे क्या हो सकता है, उसकी कोशिश करेगी।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो जहां तक मेरी जानकारी है पंचायतों का पैसा लेप्स हो रहा है दूसरी तरफ स्कूलों के भवन अधूरे पड़े हुए हैं, तो यह दोहरी नीति का क्या तरीका है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि पैसा तो एक दूसरी एजेन्सी देती है और काम करवाया जाता है विभाग द्वारा, तो पैसा लेप्स होता है यह बात नहीं है। अगर कहीं पर पैसा लेप्स हुआ है तो आप बतावें। निश्चित रूप से उसके लिये कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति कराने वाली एजेन्सी काम नहीं कराती है और जो काम कराती है वह एजेन्सी दूसरी है तो फिर यह विकास के अधूरे काम पूरे किस तरह से हो सकेंगे। इसके लिये आप कोई कार्यवाही करें।

श्री शीशराम ओला : किस प्रकार यह कार्य पूरे हो सकते हैं इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक लाख रुपया पंचायत समितियों को देती है अनुदान के रूप में। यह सभी पंचायत समितियों को दिया जाता है पर आदिवासी क्षेत्र में एक लाख रुपये से क्या हो सकता है। जबकि शहरी इलाकों में अलवर, जयपुर जिले की पंचायत समितियों को भी उतना ही रुपया दिया जाता है तो क्या राज्य सरकार पर्टीक्यूलरली आदिवासी क्षेत्रों के लिये यह राशि बढ़ाकर एक लाख से दो लाख रुपये करने का विचार करेगी ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अलग से प्रश्न पूछा है उसके बारे में निवेदन है कि जो एक लाख रुपये की मैचिंग ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जाती है पिछले बजट में यह अनुदान की राशि सभी पंचायत समितियों को ग्रान्ट की थी और उसी के अनुसार सभी पंचायत समितियों को दी जा रही है। अब माननीय सदस्य आदिवासी क्षेत्र में एक लाख की जगह दो लाख रुपये की ग्रान्ट प्रत्येक पंचायत समिति को देने की बात कर रहे हैं। यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो इलाके पिछड़े हुए हैं जहां पर कि भवन अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिये क्या सरकार अलग से मैचिंग ग्रान्ट देगी ताकि जो आदिवासी क्षेत्र में स्कूलों के भवन अधूरे पड़े है वह पूरे हो जायं ? आज गांवों में तो स्कूलों के भवन अधूरे पड़े हैं और शहरों में वैसे ही आलीशान मकान बने हुए हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन अधूरे भवनों को पूरा करावे।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको हम मानते हैं। गांवों में जो कमी है उसको महसूस भी करते हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : तो क्यों नहीं आप ट्राइबल एरिया के विकास के लिये स्कूल भवनों को पैसा लेकर पूरा कराते हैं ?

श्री शीशराम ओला : यह अलग से प्रश्न है। इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री जोशी जी ने कहा है, जो मैचिंग ग्रान्ट हर पंचायत समिति को दी जाती है इसमें जो 60 और 40 प्रतिशत का रेश्यो है उसके अनुसार देने को मेरे ख्याल से कोई भी आदिवासी पंचायत समिति सक्षम नहीं है। इससे तो भवन अधूरे ही पड़े रहेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य श्री भैरूं लालजी ने कहा ट्राइबल एरिया के विकास के लिये जो स्कीम्स हैं उनमें से पैसा लेकर अनुदान देकर इन भवनों को पूरा कराया जाय।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है लेकिन मेरा निवेदन यह है, अधूरे भवन कब तक राज्य सरकार पूरा करा देगी, यह नहीं बताया। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह आप कितनी अवधि में निश्चित रूप से पूरा कर देंगे?

श्री कमला भील (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या इन मकानों को बनाने के लिये पहले तखमीना बनाया जाता है कि कितने भवन के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत होनी चाहिये उसके बाद में काम शुरू होता हैं अथवा यों ही हो जाता है?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तखमीना बनता है उसके बाद में काम शुरू होता है। जैसे हाई स्कूल में कमरे कितने बनेंगे, कितने बाई कितने फीट के। किसी में 16 × 20 फीट के कमरे का तखमीना बनता है किसी में 20×25 फीट के कमरे बनेंगे। जैसा स्कूल होता है उसके अनुसार फिक्स्ड है। जैसे हाई स्कूल के कमरों के लिये कितने फीट होगा और मिडिल स्कूल के कितने फीट कमरे होंगे। जो साइज होती है उसी के अनुसार धनराशि स्वीकृत होती है।

इसके अलावा आपने पूछा कि यह पैसा कम क्यों दिया जाता है, ज्यादा क्यों नहीं दिया जाता और पिछले काम अधूरे पड़े हैं उनके लिये विभाग कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके लिए कमेटी बनी हुई है उसमें, माननीय सदस्य, आप भी मेम्बर होंगे। उसमें विधायक होता है, एम.पी. भी होता है। उस प्रकार से प्रत्येक जिले की एक व्यवस्था है वहां यह पैसा मंजूर होता है और वह पंचायत के माध्यम से सरपंच करवाता है। इसलिए इसका विकास विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। एन.आर.डी सी. यह सीधे कलेक्टर के यहां भेजती है। कलेक्टर मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में पैसा मंजूर होता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न,

एक माननीय सदस्य: जब भवन के लिए तखमीने बन जाते हैं और उसकी मंजूरी दी जाती है तो भवन कैसे अधूरे रहते हैं?

श्री शीशराम ओला: इसका तो मैं क्या कह सकता हूं। इसके कई कारण हो सकते हैं। वहां भवन बनना इसलिये मुश्किल हो सकता है क्योंकि ज्यादा मजदूरी हो नहीं तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि तखमीने में नहीं बने। फिर भी ऐसे कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं उसमें कमी रहती है तो उसकी रिवाइज्ड स्कीम जाती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितने भवन आदिवासी क्षेत्र में अधूरे पड़े हैं और पूरे नहीं हुए हैं उनको पूरा करने की मंशा सरकार रखती है ?

श्री शीशराम ओला: अध्यक्ष जी, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि ग्रामीण विकास योजना में पैसा बढ़ाकर पंचायतों के माध्यम से काम होता है। पंचायत को निश्चित रूप से जितना पैसा मिलेगा उसमें निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तखमीने ओवरसियर द्वारा बनाये जाते हैं वह फिर भवन अधूरे रहने का क्या कारण है ? मंत्री जी कहते हैं उसके एस्टीमेट्स नहीं बनाते।

श्री शीशराम ओला: मैंने, अध्यक्ष जी, निवेदन किया कि उसके एस्टीमेट्स बनते हैं। तखमीने बनाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फिर यह सारा प्रश्न जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री जी से संबंध रखता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 310

श्री नाथूसिंह !

स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 311

श्री बहादुरसिंह !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 312

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री तेजपाल यादव !

राज्य कृषि उद्योग निगम

313. श्री तेजपाल यादव (चौमू): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना से आज तक इस संस्थान ने कुल कितनी राशि का व्यापार किया तथा कितना शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम की स्थापना के बाद आज तक अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों, अन्य खर्च वाहन एवं भवन किराये आदि पर कुल कितना खर्चा किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह): (1) निगम की स्थापना वर्ष 1969-70 से वर्ष 1981-82 तक विभिन्न प्रकार के व्यापार तथा उससे होने वाले लाभ हानि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) निगम की स्थापना से लेकर वर्ष 1981-82 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, मकान किराया, वाहन खर्च आदि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री तेजपाल यादव : सूची प्राप्त नहीं हुई है। इसमें घाटा होने का क्या कारण है ? दूसरा प्रश्न, निगम के पास कितने बुलडोज़र रखे हैं और वह कहां कहां काम कर रहे हैं ? तीसरा प्रश्न, जो फैक्ट्री लगी हुई है कृषि औज़ारों की उसमें कुल कितनी कीमत के औजार बनाये गये हैं और उनकी बिक्री की क्या व्यवस्था है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निगम के मुख्य तौर से चार तरह के काम हैं, कृषि उपकरण यंत्रालय, व्यापार, बुलडोजर्स तथा कम्पोस्ट उत्पादन।

बीज वितरण का कार्य इस निगम ने वर्ष 75-76 से 78-79 तक किया व फार्म के कार्य-कलाप को भी वर्ष 76-77 से वर्ष 81-82 तक संपादित किया।

निगम को 81-82 तक कुल संचित हानि 153.88 लाख है इसमें कुछ वर्षों में लाभ है एवं अधिक वर्षों में हानि है। इनके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:--

1. वेतन एव भत्तों में वृद्धि – समय समय राज्य सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किश्तों में वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं 1-1-74 एवं 1-9-76 में वेतनमानों का पुन: निर्धारण होना है।

2. इसी प्रकार कीमतों में वृद्धि के कारण प्रशासनिक व्ययों में जैसे किराया वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव, यात्रा-व्यय, छपाई एवं लेखन सामग्री में वृद्धि होना है।

3. 1980-81 में नये बुलडोजर्स की खरीद के कारण देय ब्याज की राशि एवं ह्रास में वृद्धि होना है।

4. कम्पोस्ट प्लान्ट-जयपुर एवं जोधपुर में कम्पोस्ट की बिक्री में कठिनाई के कारण वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

5. बुलडोजर्स को भी उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलने के कारण उनकी आय में कमी होने से भी हानि में वृद्धि हुई है।

6. फार्म्स जो, भी इस विभाग को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 में स्थानान्तरित किये गये थे एवं राज्य सरकार को पुन: जून, 1982 को वापस लिये गये, के कार्य कलाप भी फायदेमंद नहीं रहे और उनकी वजह से निगम को 34.35 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

7. यंत्रालय की पूर्ण कार्य क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि एच.एम.टी से ट्रैक्टर कम्पोनेन्ट्स व वन विभाग से फेंसिग पोल की बिक्री के आदेशों का कम प्राप्त होना है। एवं निरंतर बिजली की कटौती होना है। यंत्रालय को लघु उद्योगों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है जिनके कि ऊपरी खर्चे (ओवरहैड) यंत्रालय की तुलना में कम होते हैं। निगम द्वारा जो निविदायें भरी जाती हैं इसके पेटे निगम को क्रय आदेश प्राप्त हो पाते हैं एवं राज्य सरकार द्वारा कोई प्राइज प्रिफरेन्स भी नहीं दिया जाता।

8. बुलडोजर्स एवं ट्रैक्टर्स, जो कि काफी पुराने हो गये हैं, के रखरखाव पर भी अधिक व्यय होने लगा है।

9. व्यापारिक गतिविधियों में भी मोनोपोलाइज व्यवसाय नहीं होने की वजह से

(श्री देवेन्द्रसिंह)

एवं खुली प्रतिस्पर्धा के कारण निगम को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाया है एवं बिक्री को प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। राज्यों के विभाग भी ट्रेक्टर्स निगम से नहीं खरीद कर दूसरे विभागों से खरीदते हैं। टायर एवं ट्यूब भी निर्माण कम्पनियां सीधे ही बिक्री विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्रतिष्ठानों को करने लगी है।

यह कारण है कि जिनकी वजह से हमारे एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को घाटा हुआ है और सरकार इसके लिए सक्रिय है।

श्री अध्यक्ष : आप चैयरमेन हैं इसलिए कृपया नहीं पूछें।

श्री देवेन्द्रसिंह : हमारा यह मानना है कि जिन चीजों की एजेन्सी एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के पास है सरकार से संबंधित विभाग उन चीजों को इसी संस्थान से क्रय करें लेकिन सरकार उनसे नहीं लेकर ओपन टैन्डर्स इन्वाइट करके मार्केट से लेती है इसलिए यह कम्पीट नहीं कर पाती है। हमने निवेदन किया है कि सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस निगम ने जो भी काम किये उनमें घाटा ही घाटा है, तब इसको चलाने की क्या जरूरत है ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : इसको भीलवाड़ा ट्रान्सफर कर दो।

श्री देवेन्द्रसिंह : यह तो भैरूंलाल जी भारद्वाज से पूछें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आप कुर्सी छोड़कर उनको बैठा दें तो उनसे पूछ लेंगे।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो प्रश्न और पूछना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि बुलडोजर्स को काम नहीं मिलता है तो राजस्थान कैनाल भी सरकार का ही विभाग है वहां काफी काम है बुलडोजर्स का तो वहां उनको काम में क्यों नहीं लाया जाता ? जब कि दूसरे स्टेट्स से बुलडोजर्स ले रहे हैं तो यहां से क्यों नहीं ले रहे हैं ? यह सरकारी एजेन्सी है इससे नहीं लेकर दूसरी स्टेट से क्यों ले रहे हैं ?

दूसरे, जो आप इम्पलीमेन्ट्स बनाते हैं सरकार ही खरीदे और हैंड पम्प भी इनसे ही लगवाये। सरकार खरीदे तो यह मुनाफे में परिवर्तित हो सकता है। यह क्या बात है। एक सरकारी एजेन्सी से नहीं खरीदकर प्राइवेट फर्म से खरीदे जाते हैं, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष, महोदय, यही बात मैंने निवेदन की है। इस संबंध में आज ही मीटिंग बुलाई है। डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड से चीफ सैक्रेटरी साहब जानकारी कर रहे हैं कि बाहर से क्यों खरीदते हैं जब तक पाबन्दी नहीं करेंगे, ओपन मार्केट से कम्पीट नहीं कर सकते। इस बात को एग्जामिन कर रहे हैं।

जहां तक बुलडोजर्स का सवाल है एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन पर आवर के हिसाब से उपलब्ध करता है जो डिपार्टमेंट लेते हैं उनका कहना है पर ओवर चार्ज करते हैं इसलिये डिपार्टमेंट को नुकसान होता है। फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से रिक्वेस्ट की है अगर

(श्री देवेन्द्रसिंह)

बुलडोजर्स की आवश्यकता हो तो एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के बुलडोजर्स का उपयोग कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि यन्त्र इस तरह के बनाये जायें जो राजस्थान के लिये उपयोगी हों । चाहे बुआई के हों, चाहे सिंचाई के हो, चाहे अन्य कृषि कार्यों के हों, कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग धन्धे हों, वह इस तरह के बनाये जायें, उसमें, सफलता मिली है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : हैण्ड पम्प एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन बना रहा है । किन्तु ओपन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा है । गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं । आई.एस.आई. मार्क मिला हुआ है । मार्केट में कम्पीटीशन इतना हो गया है कि कम्पीट नहीं कर पा रहा है । इस संबंध में सी. एस. ने मीटिंग बुलाई है । जब तक पाबन्दी नहीं लगायेंगे तब तक मुश्किल है । ओपन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री तेज पाल यादव : फैक्ट्री का लोहे का सामान धीरे धीरे चोरी होकर बाहर गया है. ऐसी भी घटना हुई है, मंत्री महोदय को पता है या नहीं ? आमेर थाने में चोरी की जांच चल रही है, जांच दबा दी गई है । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय के कहने का यह मतलब निकलता है....

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के कथन से यह साफ हो गया कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ है क्या यह नुकसान होता ही रहेगा ? दूसरा मेरा कहना यह है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन से यन्त्रों की आवश्यकता है, कोटा में कौन से यन्त्रों की आवश्यकता है, जोधपुर डिवीजन में कौन-से यन्त्रों की आवश्यकता है, सारे राजस्थान के लिये एक से यन्त्र बना रहे हैं । क्या आपने यह ध्यान किया है किस धरती पर कौन-सा ओजार काम में आता है ? क्या इस पर दुबारा विचार करेंगे ?

श्री देवेन्द्रसिंह : मूल में जो यन्त्र बना रहे हैं वे ही नहीं बिक रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके के बनाने का अभी सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : फर्सी और कुल्हाड़ी बनाओगे तो भी चलेगी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि जो यन्त्र बनाये जा रहे हैं वह महंगे भी हैं और क्वालिटी भी उनकी पूअर है चद्दर पतली है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री देवेन्द्रसिंह : मैंने यह कहा कि म्युनिसिपैलिटी जो खरीदती है कोई न कोई कारण बता कर रिजेक्ट कर देती है । इसलिए हम गवर्नमेंट से पाबन्दी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्पोरेशन में जो ओजार अवेलेबल हैं उन्हीं को खरीदा जाये । अभी ओपन मार्केट से खरीदते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय का मतलब यह है कि माल खराब बना है फिर भी सरकार अंकुश लगाये कि खराब माल महंगी दर से खरीदो ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) माल घटिया बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पारीक।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, निगम बहुत घाटे में है। इस घाटे के बारे में पहले भी कई एक प्रश्न रखे हैं। यह जो बीज देते हैं वह भी घटिया है, सारे किसान रो रहे हैं। वास्तव में घाटा है तो क्या आप इसको बन्द कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह था।

श्री देवेन्द्रसिंह : इसको बन्द नहीं कर रहे हैं सुधारेंगे।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : मंत्री महोदय ने बार बार कहा ओपन मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। इनके पास जो तकनीकी आदमी हैं क्या वे मार्केट की दर पर सामान उपलब्ध नहीं कर सकते? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपका बीज है वह अच्छा नहीं है। अच्छा बीज बोते हैं तो ज्यादा पैदावार होती है। क्या आपके बीज के अन्दर गड़बड़ और घोटाला है?

श्री देवेन्द्रसिंह : नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं है। ओपन मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। कार्पोरेशन के ओवर हैड चार्जेज हैं।

प्रश्न संख्या 314

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नंदलाल मीणा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 315

अगला प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 316

अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 317

अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन।

स्थगित किया गया

प्रश्न संख्या 318

अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी :

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 319

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 320

अगला प्रश्न। श्री ईश्वरलाल सैनी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 321

अगला प्रश्न। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 322

Page No 16

(16)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न । श्री जेठमल बरबड़ ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 323

अगला प्रश्न । श्री रामसिंह बिश्नोई ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 324

अगला प्रश्न । श्री चन्द्रवीर सिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 325

अगला प्रश्न । श्री बंशीलाल पटवा ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 326

अगला प्रश्न । श्री समर्थलाल ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 327

अगला प्रश्न । श्री परसराम मोरदिया ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

स्थगित प्रश्न संख्या 174

(दिनांक 28 फरवरी, 1983)

अगला प्रश्न । सुश्री पुष्पा जैन ।

स्थगन की प्रार्थना की है । स्थगित किया गया ।

स्थगित प्रश्न संख्या 195

(दिनांक 28 फरवरी, 1983)

अगला प्रश्न । श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी ।

स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 294

श्री हरीश शर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 295

श्री जीतमल जैन ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 296

श्रीमती विद्या पाठक ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 297

श्री कैलाश मेघवाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 298

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 299

श्री राम कंवार बैरवा ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर । श्री दीपेन्द्र सिंह ।

ग्लाइडिंग प्रशिक्षण व्यवस्था

300. श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) व श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्लाइडिंग द्वारा उड़ान प्रशिक्षण की व्यवस्था कब से शुरू हुई और क्यों ?

(2) राज्य में कितने स्थानों पर ऐसी सुविधा उपलब्ध है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान फ्लाइंग स्कूल के प्रिन्सिपल ने ग्लाइडिंग प्रभाग को बन्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या विचार है ?

(4) क्या सरकार एयरो क्लब ऑफ इन्डिया के विकास के अनुसार नये ग्लाइडिंग स्कूल खोलना चाहती है ?

राज्य मंत्री, खेलकूद (श्री रामकिशन वर्मा): (1) राजस्थान में ग्लाइडिंग द्वारा उड़ान प्रशिक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम एन.सी.सी. विभाग द्वारा सन् 1958 में जयपुर में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को विशेष रूप से युवा पीढ़ी को हवाई उड़ान के प्रति रुझान पैदा करना था।

(2) केवल जयपुर में ही राज्य सरकार द्वारा यह सुविधा उपलब्ध है।

(3) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) फिलहाल यह योजना वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं तक ही सीमित रखी गई है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल राज्य मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गत वर्ष आपको इस योजना के तहत किसी प्रकार का घाटा हुआ है ? नम्बर-1, नम्बर-2, क्या केन्द्र सरकार आपको इस योजना के लिए किसी प्रकार की ऐड देती है ? यदि हां, तो कितनी और विगत दिनों इसका कितना फायदा उठाया गया ?

श्री राम किशन वर्मा : केन्द्र सरकार ऐड देती है। अभी ऐवियेशन की जो रेट है वह 23/- रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी है, वह महंगी है। पहले प्रति प्रशिक्षणार्थी 4/- रु. प्रति उड़ान के हिसाब से दिया करता था। यह रेट बढ़ाकर 12/- रुपये कर दी है इसलिये स्वेच्छा से विद्यार्थी इस महंगाई के जमाने में नहीं आते हैं। इस वजह से इसको देखा जा रहा है कि वास्तव में इसको चालू रखा जाय या नहीं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : क्या इसमें घाटा हुआ है ? नम्बर-1। नम्बर-2, क्या केन्द्र सरकार से ऐड मिलती है ? विगत दिनों किसी प्रकार की ऐड उठाई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशन वर्मा : घाटा तो अपने आप ही चलता है जब रेट बढ़ा दी। स्वेच्छिक उड़ान का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से पूरी लागत के हिसाब से चालू नहीं करना चाहते हैं। जो चालू है उसे बन्द करने का इरादा नहीं है। यह अभी विचाराधीन है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : चलो, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐड के बारे में पता नहीं

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
हैं। आप यह बता दें क्या सरकार और विमान किंग–90 खरीदना चाहती है? यदि हां, तो कहां से और क्या वह विमान हिन्दुस्तान में उपलब्ध है?

श्री रामकिशन वर्मा : ग्लाइडिंग विमान कब खरीदा जायगा, यह दूसरा प्रश्न है। इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस उड़ान का फायदा कौनसा वर्ग उठा रहा है?

श्री रामकिशन वर्मा : जो स्वेच्छिक रूप से आते हैं, उनके लिए है। किसी वर्ग के लिये कम्पलसरी नहीं है। आप भी आकर फायदा उठा सकते हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस उड़ान का गरीब, मजदूर या किसान वर्ग के लोगों ने फायदा उठाया है या किसी अन्य वर्ग ने फायदा उठाया है? केवल धनिक वर्ग या बड़े बड़े उच्च श्रेणी के लोगों के जो बालक है वे फायदा उठा रहे हैं। मेरा मतलब है किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग या गरीब लोग फायदा उठा रहे हैं या नहीं?

श्री रामकिशन वर्मा : यह सभी के लिये खुला है, जो भी प्रशिक्षण लेना चाहें वे आ सकते हैं। किसी के लिये रुकावट नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा मतलब है आम जनता को क्या फायदा है? विगत पांच साल से अकाल पड़ रहा है उसमें भी कोई फायदा है या नहीं?

श्री रामकिशन वर्मा : अकाल की बात तो मैं नहीं करता हूं। प्रशिक्षणार्थियों की जब अनइच्छा हो गई है तो फायदा नहीं उठा पा रहे है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या ग्लाइडिंग उड़ान विलासिता की आवश्यकता समझ रहे हैं या अनिवार्य आवश्यकता समझते हैं? किस प्रकार की है यह?

श्री रामकिशन वर्मा : यह तो स्वेच्छिक है, जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, अपनी फीस दे और अपना नाम एनरोल कराये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : क्या इस योजना के प्रिन्सिपल महानुभाव को अमेरिका भेजा जा रहा है और एक इंजीनियर महानुभाव को हटा दिया गया है?

श्री राम किशन वर्मा : ग्लाइडिंग के लिये किसी को अमेरिका नहीं भेजा जा रहा है। किसी और पर्पज से जा रहा हो तो मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अमेरिका जा रहा है और आपको जानकारी नहीं है। अगर जायेंगे तो आप रोकेंगे क्या उनको?

श्री रामकिशन वर्मा : ग्लाइडिंग के लिये जा रहे हैं तो अवश्य रोकेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों ग्लाइडिंग की उड़ान में क्या कोई क्षति हुई थी दुर्घटना से? जो कार्यवाही की अब तक का उसका नतीजा बताने की कृपा करें।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक दुर्घटना जरूर हुई थी लेकिन पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास अभी।

श्री मंगलसिंह गुर्जर : दुर्घटना हुई उसकी मंत्री महोदय पूरी जानकारी नहीं देंगे तो हमारे प्रश्न पूछने का मतलब ही खतम हो गया।

श्री रामकिशन वर्मा : एक लड़की दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।

श्री मंगलसिंह गुर्जर : किसकी थी वह?

श्री रामकिशन वर्मा : यह आपकी जानकारी में होगी, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मंगलसिंह गुर्जर : इसको बन्द करने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है वह क्या है और इसको बन्द करना क्या आवश्यक है?

श्री रामकिशन वर्मा : बन्द करने का प्रस्ताव ही नहीं है। अभी इस योजना को बन्द नहीं करेंगे। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिये इसको फिलहाल रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 302

श्री रंगा जी मीणा। श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न : श्री सुरजा राम।

बीकानेर जिले की दुग्ध उत्पादक उरमूल डेयरी

303. श्री सुरजा राम टाक (नोखा) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले की दुग्ध उत्पादक उरमूल डेयरी में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में औसतन माहवार कितना दूध इकट्ठा किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस दूध को उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा एकत्रित करने में औसतन माहवार ट्रकों को कितना कितना किराया दिया गया तथा प्रति लीटर दूध एकत्रित करने पर कितना खर्चा हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उरमूल डेयरी योजना के तहत पिछले दो सालों में ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध रूट के तहत किन किन पक्की सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कितना कितना पोषाहार एवं गायों का चारा वितरित किया गया एवं किस किस अनुपात में चारे का वितरण हुआ? औसतन माहवार चारा के वितरण की सूचना कृपया सदन की मेज पर रखें। क्या यह खुराक पशुधन गायों के लिये पर्याप्त है?

राज्य मंत्री, डेयरी विकास (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बीकानेर द्वारा सहकारी वर्ष 1981-82 व 1982-83 में औसतन माहवार संकलित दूध की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., बीकानेर द्वारा

Page No 20

(20)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सहकारी वर्ष 1981–82 व 1982–83 में दूध संकलन हेतु माहवार दिये गये ट्रक किराये एवं प्रति लीटर यातायात व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस योजना के तहत गत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध मार्गों पर पक्की सड़क बनाने हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

(4) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., बीकानेर द्वारा सहकारी वर्ष 1981-82 व 1982-83 (जनवरी-तक) में क्रमशः 12,273 व 5,889 मै. टन सन्तुलित पशु आहार वितरित किया गया। इस संघ द्वारा चारे का वितरण नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री सुरजा राम टाक : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो उरमूल डेयरी में वर्ष 1982-83 में जो दूध एकत्रित हुआ है उस डेयरी की केपेसिटी से अधिक हो रहा है। जब कि वहां का संयंत्र एक लाख लीटर की केपेसिटी का है और दो लाख टन एकत्रित हो रहा है। 6 महीने से प्रपोजल चल रहे हैं कि इसकी केपेसिटी बढ़ाई जाय। दूध की क्षमता दो लाख टन है और रेकार्ड उत्पादन हो रहा है किन्तु फिर भी आज उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। डेयरी की जो क्षमता है उसको लाने के लिये अलग अलग रेट पर टकर दिये गये हैं वह आये दिन खराब हो जाते है। इसमें बड़ी लापरवाही बरती जाती है, मान्यवर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जो सूची सदन के पटल पर रखी है उसको देख लेंगे तो मालूम होगा कि राहत दी जा रही है। या तो माननीय सदस्य ने जो मैंने उत्तर दिया उसको सुना नहीं और सूची सदन के पटल पर रखा है, वह शायद पढ़ी नहीं है। निश्चित रूप से पशु पालकों को राहत दी जा रही है। पशु आहार उनको वितरित किया गया है। चारे की व्यवस्था उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति द्वारा नहीं की जाती है।

जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बहुत ज्यादा दूध एकत्रित हो रहा है, यह बात सही है। दूध हम दे रहे है और उसको हम आगे भी भेज रहे हैं। अगर माननीय सदस्य और जानकारी देंगे कि कहां दूध टैंकरों की वजह से खराब हो गया है तो मै और व्यवस्था कर दूंगा।

श्री सुरजाराम टाक : मान्यवर, दूध के टैंकर आये दिन खराब हो जाते है। दो लाख टन दूध इकट्ठा हो रहा है फिर भी दुग्ध उत्पादकों को राहत नहीं दी जा रही है। राहत की बराबर मांग की जा रही है लेकिन दुग्ध उत्पादकों को राहत देने की कोई योजना नहीं है सरदारशहर अकेले में 30 लाख लीटर दूध इकट्ठा हो रहा है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे दूध उत्पादकों का दूध बढ़ा है हम बार बार निवेदन कर रहे है कि आप ज्यादा से ज्यादा दूध लें। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने का मंत्री महोदय आश्वासन दे ताकि ज्यादा दूध इकट्ठा जो हो रहा है उसको काम में ले सकें।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, सर्दी मे दूध काफी आता है और गर्मी में दूध में कमी होती है। फिर भी हमने यह प्रयत्न किया है, निश्चित रूप से हम अधिकारपूर्वक आपके समक्ष यह बात निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सहकारी समितियों से सम्बन्धित जितने पशु पालक हैं, उनका दूध लिया जा रहा है। मै माननीय सदस्य से भी इस बारे में निवेदन करूंगा कि वह और अधिक सहकारी समितियों में इस कार्य को बढ़ाने की कृपा करें ताकि अवशीतन इकाई लगाई जा सके। अवशीतन कार्य एक दिन का काम नहीं है लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर हमें निरन्तर दूध प्राप्त होता रहे तो इसके लिए राज्य सरकार सोचेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री सुरजाराम टांक: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, 5 लाख का नुकसान हुआ है। आप यह जानकारी करिये कि 5 लाख रुपये का नुकसान कैसे हो गया मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे है, क्या व्यवस्था कर रहे है?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

श्री सुरजाराम टांक: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इसके लिए व्यवस्था की जाय। मान्यवर अध्यक्ष महोदय दुग्ध उत्पादकों का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि उनके प्रश्न संख्या 306 और 310 को स्थगित किया जाय, उनको स्थगित किया गया।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाजदी (रामगंज मंडी) नदी का सिंचाई हेतु सर्वेक्षण

294. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी तहसील में बहने वाली पाजदी नदी का सिंचाई हेतु सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो इस योजना से किस-किस गांव की कुल कितने बीघा भूमि की सिंचाई हो सकेगी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस योजना को तकनीकी, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक प्रदान कर देगी?

(3) क्या यह सही है कि सर्वेक्षण में जुल्मी गांव के पास इस नदी पर बांध बांधने की योजना है? यदि हां, तो इस बांध के से 6000 बीघा के लगभग उपजाऊ भूमि डूब में आयेगी?

(4) क्या यह सही है कि यह बांध रेलवे पुलिया के ऊपर की साइड पर बांधा जाये तो डूब में केवल-पड़त व रेतीली भूमि ही आती है?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा जिले में पाजदी नदी पर बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात् ही सिंचित होने वाले गांवों की सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

(2) अभी यह बताना संभव नहीं है।

(उत्तर)

(3) सम्भावित बांध स्थलों का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। अतः बांध की सही स्थिति बताना सम्भव नहीं है जल ग्रहण क्षेत्र से पानी की उपलब्धि के अनुमानों के अनुसार इस योजना से लगभग 2940 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना है।

(4) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही इस विषय पर जानकारी देना सम्भव होगा।

अलवर नगर परिषद सीमा में स्थित मदिरालय

295. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर परिषद् की सीमा में देशी शराब की दुकानें कहां-कहां पर स्थित हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों में से कौन-कौन सी दुकानें, स्कूल, मन्दिर, सार्वजनिक नल व कुएं एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर से कम की दूरी पर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नागरिकों द्वारा कुछ स्थानों से दुकानें हटाये जाने की मांग की गई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) आठ दुकानें हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) रामलीला रंगमंच के पास वाली दुकान को छोड़ कर कोई अन्य दुकान 100 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं है। इस दुकान के बारे में प्रशासन द्वारा निर्णय किया हुआ है कि रामलीला के दिनों में यह रात्रि के आठ बजे बन्द कर दी जावे।

(3) जी हां, चालू वित्तीय वर्ष में दुकान मोटर स्टैण्ड (रामानन्द अग्रवाल मार्केट) को हटाने के लिए कुछ लोगों ने धरना दिया था। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर व जिलाधीश अलवर के साथ विचार विमर्श हुआ था और जिलाधीश अलवर ने इस दुकान को परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। यह दुकान वहीं चल रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा

296. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा कब से प्रारम्भ की गई व किन नियमों के आधार पर? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सुविधा बंद कर दी गई? यदि हां, तो इसको बंद किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सुविधा को पुन: चालू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

Page No 23

(23)

उत्तर

(1) राज्य के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की योजना दिनांक 15 मई, 1982 से प्रारंभ की गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं, उसका असाधारण गजट नोटीफिकेशन पार्ट IV (सी) (11) दिनांक 19-11-81 को प्रकाशित किया गया था। जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(नोटिफिकेशन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण के समय गठित राव समिति

297. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भूतपूर्व अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण के समय विभिन्न विषयों के बारे में सिफारिश करने हेतु गठित राव समिति की सिफारिशें क्या थीं और क्या उनका पालन किया गया है? कृपया राव समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राव समिति की सिफारिशें निम्न थीं :—

1. जयपुर से राजधानी नहीं हटाई जावे।

2. हाई कोर्ट की प्रिन्सिपल सीट जोधपुर में ही बनाई रखी जावे।

3. हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया जावे और हाई कोर्ट की कोई बेंच नहीं रखी जानी चाहिये।

4. लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्व मण्डल को अजमेर स्थानान्तरित कर दिया जावे।

जी हां। समिति की रिपोर्ट दिनांक 14-3-1958 को ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

जिला झुंझुनू में कार्यरत विकास अधिकारी

298. **श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह** (गुढ़ा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले में विकास अधिकारी के पदों पर अन्य कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कब-कब से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इनके स्थान पर अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति कब तक लगा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विशेष चयन पद्धति द्वारा विकास अधिकारियों के चयन के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं। आर. ए. एस. अधिकारियों का भी विकास अधिकारी के पदों पर पदस्थापन विचाराधीन है। विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति विशेष चयन पद्धति

(उत्तर)

द्वारा चयनित अधिकारियों एवं ग्रार.ए. एस. अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर कर दी जावेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

आयुर्वेदिक औषधालय

299. **श्री रामकंवार बेरवा** (फागी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक औषधालय विद्यमान हैं ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फागी कस्बे में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं। 196 तहसील मुख्यालयों में से 93 तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां ग्राम फागी में एलोपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आयुर्वेदिक औषधालय प्रायः उन्हीं स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो तथा ग्रामवासियों द्वारा पर्याप्त निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती हो।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सिर पर मैला उठाने की कुप्रथा

302. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार राज्य के विभिन्न नगरों में सफाई कर्मचारियों को शौचालयों से सिर पर मैला उठाने के कष्ट से मुक्ति दिलाने हेतु त्वरित गति से कोई सघन कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व किस रूप में ?

(2) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1982-83 से इस कार्यक्रम पर कितना खर्चा किया है और इससे कितने सफाई कर्मचारियों को राहत मिली है।

(3) राज्य में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा से कब तक मुक्ति दिला दी जायेगी?

उत्तर

(1) राज्य की नगर पालिकाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारी शौचालयों से सिर पर मैला नहीं उठाते, उनके लिए विभिन्न प्रकार के वाहन/ उपकरणों की वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। निजी आवास गृहों के शुष्क शौचालयों को फ्लश/सस्ते सुलभ शौचालय में परिवर्तित किए जाने का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया हुआ है तथा इस प्रकार का कार्यक्रम पूर्व से ही प्रारम्भ किया हुआ है और सूखे टट्टियों को फ्लश एवं सस्ते सुलभ शौचालयों में

उत्तर

परिवर्तित किये जाने हेतु ऋण की सुविधा एवं यथासम्भव अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(2) वर्ष 1982-83 में माह जनवरी, 1983 तक नगरपालिकाओं द्वारा रु. 2,73 900/- फ्लश तहारतों के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये दिये गये हैं एवं केन्द्र सरकार से 8.55 लाख रुपये अपेक्षित हैं।

(3) सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रयास जारी है।

झुंझनूं जिले के चिकित्सालय

307. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला झुंझुनूं में कुल कितने चिकित्सालय हैं और उनमें कुल कितना स्टाफ है?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालयों, विशेष तौर से जो गांवों में स्थित हैं, में स्टाफ की कमी होनेसे ग्रामीणों की उचित चिकित्सा नहीं हो पाती?

(3) क्या सरकार स्टाफ की कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में कुल 9 चिकित्सालय हैं और 30 डिस्पेन्सरीज हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के कुल 409 पद स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। कुछ स्थानों पर स्टाफ की कमी है।

(3) जी हां। काफी स्टाफ की पूर्ति 1983-84 में कर दी जावेगी।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को पेड़ लगाने हेतु सहायता

311. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विभाग द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को पेड़ लगाने के लिये कोई सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो यह राशि किस प्रकार के पेड़ लगाने के लिए प्रति किसान को एक मुश्त अथवा किश्तों में किस प्रकार वितरित की जाती है?

(2) गत 5 वर्षों में कितनी राशि किन-किन जिलों में किसानों को दी गई है? कृपया अलग-अलग रेन्जवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग द्वारा कृषि वानिकी के अन्तर्गत 11 मरुस्थलीय जिलों में तथा वृक्षों की खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जाति क्षेत्रों में चयनित कृषकों को विभाग द्वारा वितरित फलदार, छायादार ईंधन एवं चारा उपलब्ध कराने वाले पौधे लगाने एवं उन्हें जीवित रखने हेतु अनुदान

उत्तर

राशि वितरित की जाती है। यह राशि योजनावार अलग-अलग किश्तों में देय होती है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

चम्पा बाग उदयपुर की भूमि

312. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चम्पा बाग, उदयपुर की अवाप्ति की कार्यवाही नगर न्यास ने कब–कब की एवं उसमें तुरन्त कार्यवाही हेतु कब–कब सम्बन्धित अधिकारी को पत्र लिखे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि को अवाप्त करने हेतु अधिसूचना जारी कर चुकी है ?

(3) क्या चम्पाबाग के सब डिविजन की स्वीकृति हेतु जी.टी.एन्टरप्राइज ने कोई प्लान न्यास में पेश कर रखा है ? यदि हां, तो कब से एवं अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या अवाप्ति की कार्यवाही के साथ ही सब डिवीजन की कार्यवाही निरस्त कर देनी चाहिये थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) चम्पा बाग की भूमि के संबंध में न्यास ने दिनांक 8–12–80 की बैठक में निर्णय लिया था और न्यास ने पत्र दिनांक 20–12–80 व पत्र दिनांक 29–1–81 के द्वारा राज्य सरकार से भूमि अवाप्ति बाबत निर्णय चाहा था।

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी नहीं की गई।

(3) जी.टी. एन्टरप्राइज के नाम से उप विभाजन के प्लान न्यास को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) चम्पा बाग नामी भूमि का उप-विभाजन न्यास द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

लघु परियोजना, गोविन्दगढ़ (चौमूं)

314. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लघु सिंचाई परियोजना गोविन्दगढ़ (चौमूं) एवं शाहपुरा के समाप्त होने पर कार्यालय का सामान चार्ज लिस्ट के अनुसार वर्तमान में किसके पास है ? क्या यह माल पूरा विधिवत स्टॉक रजिस्टर में जमा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के सामान को बाजार में बेच दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग की कोई भी लघु सिंचाई परियोजना गोविन्दगढ़ (चौमूं) एवं शाहपुरा में न तो प्रारम्भ की गई अतः

उत्तर

समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता अतः कार्यालय के समाप्त होने अथवा सामान का चार्ज देने व सामान की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मदिरापान से हुई मृत्यु

315. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत एक वर्ष में राज्य में दूषित शराब पीने से कुल कितने व्यक्ति मारे गये?

(2) इस प्रकार की दूषित (नकली) शराब बनाने या बेचने वाले ऐसे अपराधी व्यक्तियों के नाम मय पते, जिले के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अपराधियों में से कौन-कौन पकड़े गए, कितनों के खिलाफ न्यायालय में चालान दर्ज किये गए तथा वर्तमान में राज्य की किन किन अदालतों में कब कब से उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं ?

(4) क्या इन हत्याओं के कारण किसी अपराधी को अब तक कोई सजा दी गयी ? यदि हां, तो किस किस को कितनी सजा हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में दूषित शराब पीने से 8 व्यक्तियों की एवं थिनर (वार्निश) पीने से 2 व्यक्तियों की, कुल 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । सूचना सदन के पटल पर रख दी गई ।

(2) देशी मदिरा मनोहरपुरा के अनुज्ञाधारी विषैली मदिरा बेचने एवं इसके फलस्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु होने बाबत थाना शाहपुरा में अभियोग संख्या 259/82 तथा 260/82 पंजीकृत किये गये हैं। अभियोग में अनुज्ञाधिकारी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लल्लुलाल व रामसहाय के अतिरिक्त सेल्समैन माधोसिंह, खाजुखां व मदनलाल गिरफ्तार हो चुके हैं तथा हिरासत में है । अभियोग अभी जेर तफतीश है ।

(3) थिनर बेचने वालों श्री मोहनदास पुत्र सावनदास के विरुद्ध भा. द. स. धारा 304 एवं एक्साइज एक्ट 54–56 के तहत दिनांक 28-4-82 को कोर्ट में अभियोग का चालान किया गया जो जेर तजवीज अदालत है ।

(4) वर्तमान में कार्यवाही चल रही है केसेज का फैसला अभी नहीं हुआ है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सवाई माधोपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना

316. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय नहीं होने के कारण जिले के लोगों को करौली आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय

(श्री चुन्नीलाल)

को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। उक्त कार्यालय को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जिला बीकानेर में चरागाह विकास

318. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में भेड़ों की कुल कितनी संख्या है ? कृपया भेड़ों की संख्या तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के तहत बीकानेर जिले में कहां-कहां भूखण्डों पर चरागाह विकसित किये गये हैं ? इन पर कितना कितना व्यय विभाग द्वारा किया गया है ? वर्ष 1981-82 व 1982-83 में किये गये कार्यों के प्राप्त टेन्डर्स स्पेसिफिकेशन, जी-शिड्यूल, वर्क आर्डर की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्थानों का निर्माण कार्य व तारबन्दी सही स्थिति में है ? यदि नहीं, तो क्यों व किन-किन स्थानों पर टूट-फूट हुई ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल भेड़ों की संख्या 7,97,374 है। तहसीलवार भेड़ों की संख्या परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के तहत बीकानेर जिले में जयमलसर, सालासर प्रथम, सालासर द्वितीय और सूरासर में भूखण्डों पर चरागाह विकसित किये गये हैं। इन पर व्यय एवं वर्ष 81-82 तथा 82-83 में किये गये कार्यों के प्राप्त टेण्डर, स्पेसिफिकेशन, जी-शिड्यूल, वर्क आर्डर की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) जी नहीं। गांव जयमलसर के चरागाह में गांव की तरफ की ओर कुछ तारबन्दी गांव वालों द्वारा तोड़ दी गई है, जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा की जा रही है।

(सूची व आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर-जैसलमेर में वृक्षारोपण योजना

319. श्री अमीन खां (शिव): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में डिफेन्स रोड, राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारे पर पेड़ लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले में स्थानीय पेड़ों को महत्व देने के बारे में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय

उत्तर

उच्च मार्गों एवं डिफेन्स रोड्स पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 82-83 तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 15 पर जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में क्रमशः 48 कि.मी. व 142 कि.मी. में सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाये जा चुके हैं। राहत कार्यों के तहत भी बाड़मेर जिले में हरसानी से गिराब (6 कि.मी.) व गडरा रोड से तामेल (6 कि.मी.) डिफेन्स रोड पर 1983 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में स्थानीय पेड़ जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर आदि के पौधे भी रोपित किये जा रहे हैं।

ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर में भू-खण्ड पर अनधिकृत कब्जा

320. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1975 में ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर में करीब 44000 वर्ग गज भू-खण्ड का कब्जा बगैर पैसा लिये जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन को दे दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवंटन का प्रावधान नगर विकास न्यास भू-खण्ड आवंटन नियम या राजस्थान सरकार के भू-आवंटन नियमों में नहीं है ?

(3) क्या उपरोक्त नियम विरुद्ध आवंटन की राज्य सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का इरादा है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त अनियमित आवंटन के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट ग्रहणार्थ स्वीकार करके स्थगन आदेश दिया है जिसकी वजह से समस्त कार्य रुका हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 22-4-1980 को श्री एस. एल. खुराना की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि उच्च न्यायालय में रिट कर्ता श्री राम अवतार गुप्ता को भू-खंड देकर उपरोक्त रिट याचिका को निरस्त करवाया जाकर ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य पूर्ण करवाया जाये ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवंटन की शर्तों की अनुपालना जयपुर ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स एसोसिएशन ने समय पर नहीं की है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त भू-खंड व उस पर बनी हुई संपत्ति पर जयपुर विकास प्राधिकरण कब्जा करने का अधिकारी है ? यदि हां, तो कब इस अधिकार का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 31466.7 वर्ग गज भू-खण्ड का कब्जा दिनांक 31-8-75 को एसोसिएशन को बगैर पैसा लिये दिया गया था तथा 11,900 वर्ग गज भू-खंड का कब्जा दिनांक 30-9-75 को आंशिक भुगतान प्राप्त कर दिया गया।

उत्तर

(2) जी हां।

(3) आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति से किया गया था। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट ग्रहणार्थ स्वीकार करके अग्रिम आवंटन व निर्माण स्वीकृति जारी करने पर स्थगन आदेश दे रखा है।

(5) पत्रावली पर ऐसा कोई निर्णय होना पाया नहीं जाता है।

(6) चूंकि आवंटन का मामला उच्च न्यायालय के विचारार्थ है, अतः न्यायालय के फैसले के पश्चात् ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

एस. पी. वी. 245 ज्वार के बीज की अंकुरण क्षमता

321. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत खरीफ में एस. पी. वी. 245 ज्वार के कितने उन्नत ज्वार प्रचार प्रदर्शन लगाये गये व इनमें से कितने प्रदर्शन सफल हुए ?

(2) क्या इस बीज की अंकुरण क्षमता की जांच की गई थी ? यदि हां, तो अंकुरण प्रतिशत क्या था ?

उत्तर

(1) गत खरीफ, 1982 में ज्वार की उन्नत किस्म एस. पी. वी. 245 के 36517 प्रदर्शन लगाए गए उनमें से 9379 प्रदर्शन सफल रहे।

(2) उम्मेदगंज फार्म, कोटा जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है, के द्वारा उक्त बीज विभाग को देने से पूर्व उसकी अंकुरण क्षमता की जांच करवायी थी जो 85 प्रतिशत बतायी गयी थी।

नर्सिंग कॉलेज, जयपुर

322. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एकमात्र नर्सिंग कालेज, जयपुर में ही है जिसमें लड़के व लड़कियों को प्रवेश दिया जाता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालेज में गत 2 वर्ष से लड़कों को प्रवेश दिया जाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब सरकार लड़कों के प्रवेश के बारे में क्या इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1976 से 1978 तक बी.एस.सी. (नर्सिंग) में लड़के एवं लड़कियों को नर्सिंग कॉलेज, जयपुर में प्रवेश दिया गया था।

(2) जी हां, वर्ष 1979 से इस कालेज में बी.एस.सी. (नर्सिंग) में लड़कों के

Page No 31

(31)

उत्तर

प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 1979 से पूर्व लड़कियां प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती थीं। अब से प्रवेश संख्या से कहीं अधिक प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं, नर्सिंग सेवा में आने के लिए इच्छुक लड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए फिलहाल बी. एस. सी. (नर्सिंग) में लड़कों को प्रवेश दिये जाने का इरादा नहीं है।

जोधपुर संभाग में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

323. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर संभाग में वर्ष 1979 में आई भयंकर बाढ़ से कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए ? उनमें से कितने बांधों की मरम्मत हुई व कितने बांधों की मरम्मत होनी शेष है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन बांधों की मरम्मत होनी शेष है उनकी आज तक मरम्मत नहीं कराई जाने का क्या कारण है ? ये बांध अब कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिसलपुर बांध व बेनण एनीकट की आज दिन तक मरम्मत नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो अब कब तक करा दी जायेगी और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979 में आई बाढ़ से जोधपुर वृत के अन्तर्गत जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, एवं सिरोही जिलों के 81 सिंचाई बांध क्षतिग्रस्त हुए थे। 74 बांधों की मरम्मत कर दी गई है। चार बांधों की मरम्मत लाभप्रद नहीं है। तीन कार्यों की मरम्मत का कार्य शेष है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम 3 में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। बेनण एनीकट की नदी के बहाव में परिवर्तन तथा तट बंध के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत लाभप्रद नहीं है। बिसलपुर बांध के मुख्य बांध के मुआवजे पर निर्णय न होने के कारण इसकी मरम्मत नहीं की जा सकी है। इस कार्य के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 62.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। मुआवजे के सम्बन्ध में निर्णय होने एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

राज्य सरकार का वायुयान

324. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार के हवाई जहाज के रख-रखाव पर मार्च, 1982 से जनवरी, 1983 तक कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(2) मार्च, 1982 से जनवरी, 1983

(32)

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

तक इस हवाई जहाज का किन किन मंत्रियों द्वारा उपयोग किया गया व किस किस जगह यात्रा की गई ? उक्त यात्राओं में कितनी धन राशि व्यय की गई ? कृपया यात्रा वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के हवाई जहाज के रख-रखाव पर मार्च, 1982 से जनवरी, 1983 तक कुल 5 77,975.21 रुपये का धनराशि खर्च हुई।

(2) मार्च, 82 से जनवरी, 83 तक माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय परसरामजी मदेरणा, माननीय श्री छोगालाल कंवरिया एवं माननीय श्रीमती कमला ने देहली, जोधपुर, जसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, आगरा उत्तरलाई एवं कोटा को यात्राएं की थीं। इनकी यात्राओं पर लगभग 3,27-000 रु. की धनराशि खर्च हुई थी। इनकी यात्रावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें,)

भीलवाड़ा जिले में गरीब को छप्पर योजना के तहत प्रदत्त ऋण

325. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किन किन पंचायतों में गरीब को छप्पर संकल्प के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को कितनी–कितनी-आर्थिक सहायता दी गई ?

(2) इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको छप्पर के अतिरिक्त पक्के घर बनाने का कर्ज दिया गया ? क्या उसमें निर्माण कार्य हुआ है यह सुनिश्चित करने हेतु मौके पर जाकर जांच की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इनमें से 192 ऐसे परिवार हैं जिनको छप्पर के अतिरिक्त पक्के घर बनाने के लिए कर्ज दिया गया था। दिये गये कर्ज का उपयोग होने के संबंध में विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूचना व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अलवर जिले में घटित अपराध

326. **श्री समरथलाल** (राजगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पिछले दो वर्षों में अलवर जिले में कितनी डकैती चोरी व नकबजनी हुई तथा इनमें से कितनी बरामद हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित सूचना सदन के पटल पर रखदी गई हैं

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

चेयरमैन, नगरपालिका बगड़ कलां को आवंटित भू-खण्ड

327. **श्री परसराम मोरदिया**(लक्ष्मणगढ़):

(श्री परसराम मोरदिया)

क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में अनुसूचित जाति के परिवारों की जमीन पर चेयरमैन, नगरपालिका, बगरू कलां को नन्दवाना पैट्रोल पम्प के नाम से भू-खण्ड आवंटित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम फागी के अनुसूचित जाति के लोगों का उक्त जमीन के पास पुराना सबूत तथा कब्जा है ?

(3) क्या सरकार उक्त भू-खण्ड नन्दवाना पैट्रोल पम्प के स्थान पर अनुसूचित जाति के परिवारों को देने से सहमत है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 3902 में 15 बिस्वा भूमि पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवंटित की गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें

302. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीगंगानगर एवं बांसवाड़ा मय उपकरणों सहित मौजूद हैं एवं एक साल से कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों है एवं भविष्य में इनको चलाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

(2) राजस्थान में कितनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं एवं इनके कार्य की प्रगति क्या है ? ये प्रयोगशालायें केवल पंचायत समिति हैडक्वाटर तक ही क्यों सीमित हैं तथा किसानों को लाभान्वित करने के लिये ये गांवों में जाकर कार्य क्यों नहीं करतीं ?

उत्तर

(1) इस समय गंगानगर में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है इस भ्रमणशील प्रयोगशाला के लिए अभी स्टाफ की स्वीकृति होनी है। बांसवाड़ा में यह प्रयोगशाला आर्थिक कटौती के कारण 1-3-82 से बन्द कर दी गयी है।

(2) राजस्थान में इस समय 3 प्रयोगशालायें निम्नलिखित स्थानों पर हैं और इनके द्वारा मिट्टी के नमूनों की विश्लेषण के आधार पर उर्वरकों की फसलों के अनुसार दी गयी सिफारिशें निम्न प्रकार है :

नाम क्षेत्र	वर्ष 1981-82	1982-83 जनवरी तक
1. दुर्गापुरा (जयपुर)	8036	8080
2. सीकर	6703	7447
3. पाली	5334	7519

उपरोक्त प्रयोगशालाओं के उपकरण बिजली से चल पाते हैं और ऐसी सूरत में

Page No 34

(उत्तर)

प्रायः पंचायत समिति मुख्यालय तक ही इनको सीमित रखा गया है परन्तु जहां बिजली उपलब्ध है और आवागमन के साधन सुलभ हैं तथा उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने का डर नहीं है: वहां भी भिजवायी जाती है।

रेनवाल-कुचामन मार्ग पर बालक की मृत्यु

303. **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-11-81 को रेनवाल से कुचामन जाने वाली यात्री वाहन आर.जे.वी. 2644 से शेखावतों की ढाणी के पास एक्सीडेंट में श्री दौलाराम जाट के एक 8 साल के लड़के की मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वाहन का ड्राइवर लाइसेंस शुदा नहीं था ? क्या इस दुर्घटना की बेनामी ओनर श्री इस्माइल खां मिलगर पुत्र श्री नूर मोहम्मद, नि. दांता ने तथा वाहन चालक मुमताज पुत्र श्री अहमद मनियार, नि. दांता ने कुचामन सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट की है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटना में मरे बालक की जांच करने हेतु एस. पी. नागौर, डीवाई. एस. पी. मकराना, जिलाधीश नागौर, आई.जी.पी. जयपुर को पत्र प्राप्त हुये थे ? अगर हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई, और नहीं तो क्यों ? इस मामले में अब क्या किया जा रहा है ? सदन के सामने पूर्ण विवरण रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आर. जे. वी. 2644 यात्री वाहन से घटित दुर्घटना में मरे बालक के बाद उसकी एम. आई. द्वारा आज तक जांच नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मामले में गृह राज्य मंत्रीजी को भी शिकायतें की गई हैं ? अगर हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बस नम्बर आर.जे.वी. 2644 का ड्राइवर श्री मुमताज, जो इस समय ईराक में है, के पास लाइसेंस था या नहीं, मालूम नहीं हो सका। श्री इस्माइल खां व मुमताज द्वारा थाना कुचामन सिटी में कोई रिपोर्ट दर्ज कराना जांच से नहीं पाया गया।

(3) जी हां। रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस बारे में उप पुलिस अधीक्षक, मकराना से जांच करवाई जा चुकी है।

(4) जी हां। अब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो एम. आई. द्वारा जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) जी हां। इसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक; मकराना द्वारा करवाई जा चुकी है।

जयपुर कारागृह से प्रहरी का लापता होना

304. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1982 में जयपुर से कारागार प्रहरी

(श्रीमती विद्या पाठक)

श्री जगदीश प्रसाद के लापता होने की सूचना राज्य सरकार को है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में माह मार्च, 1982 में श्री भंवर सिंह के लापता होने की सूचना थाना नोखा में दर्ज कराई गई थी ?

(3) यदि, हां, तो उपरोक्त दोनों लापता व्यक्तियों के केसों में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री जगदीश प्रसाद प्रहरी के लापता होने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री भंवर सिंह के लापता होने के सम्बन्ध में अपराध संख्या 36 दिनांक 16-3-82 धारा 302,34,201 ता.हि. थाना नोखा पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण उपरान्त भंवरसिंह की हत्या का जुर्म सिद्ध पाये जाने पर मुलजिम श्री गहनाराम विश्नोई व रतनसिंह के विरुद्ध दिनांक 17-7-82 को धारा 302/201 में चालान अदालत में पेश किया जा चुका है।

जयपुर शहर में सड़क दुर्घटनायें

305. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर शहर में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई व भविष्य में इन्हें रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

वर्ष 1980-81 में जयपुर नगर में कुल 767 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। वर्ष 1981-82 में जयपुर नगर में कुल 371 दुर्घटनाएं घटित हुई। भविष्य में दुर्घटनाएं रोकने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, नगर पालिका व पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्था सुधारने की योजनाएं विचाराधीन हैं।

पुलिसकर्मियों को सुविधाएं

306. **श्री भंवरसिंह गुर्जर** (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पुलिसकर्मियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

(2) क्या पुलिसकर्मियों के कार्य देखते हुए इनकी ये सुविधायें पर्याप्त हैं ?

यदि नहीं, तो सरकार इन्हें और क्या क्या सुविधाएं देने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पुलिसकर्मियों [अराजपत्रित] को निम्नानुसार विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं :—

1. वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन

2. कठिन और श्रमसाध्य कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के समय स्वल्पाहार भत्ता दिया जाता है, जिसकी दर पद-अनुसार 3/-रुपये से 5/- रुपये प्रति दिन है।

Page No 36

(36)

(उत्तर)

3. मैस भत्ता जिसकी दर भिन्न वर्गों के लिए 65/-रुपये से 80/- रुपये प्रति-माह है।

4. कांस्टेबल से लगाकर उप-निरीक्षक के पद तक के सभी पुलिस कर्मचारियों को उपलब्धतानुसार निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की हुई है।

5. पुलिस बेनोवलेन्ट फण्ड से। जिसमें राज्य सरकार प्रतिवर्ष बराबर का अनुदान देती है, पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।

6. वर्ष में 10 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश।

7. पुलिस लाइन व पुलिस स्टेशनों पर भोजन तैयार करने हेतु रखे लांगरी को सर-कारी कोष से भत्ता।

(2) पुलिसकर्मियों को आवश्यक व उचित सुविधाएं देने की निरन्तर प्रक्रिया है। राज्य की वित्तीय सीमाओं के भीतर नः सुविधाओं के संबंध में बराबर विचार होता रहता है। इसी उद्देश्य से राज्य सर-कार ने अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को पुलिस वैलफेयर के कार्य की देखरेख के लिए लगाया है।

प्रदेश में जहरीली शराब से मृत्यु

308. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1982 से लेकर 31 जनवरी, 1983 तक प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु किस-किस स्थान पर हुई ?

(2) उक्त काण्ड के सम्बन्ध में कितने मुकदमें दर्ज हुए तथा कितने लोगों को गिर फ्तार किया गया ? कृपया आंकड़े सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक के समकक्ष वेतन निर्धारण

309. **श्री रामकिशोर मीणा**(सिकराय): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री भवानीमल माथुर को 26 जुलाई, 1982 से महानिदेशक तथा पुलिस महा-निरीक्षक के समकक्ष वेतन देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो भूतलक्षी निर्णय का क्या आधार है ?

उत्तर

जी हां।

श्री भवानीमल माथुर को दिनांक 26.7.82 से अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पद पर नियुक्त किया गया था। यह पद एक्स कैडर पद है और राज्य सरकार को आई.पी.एस., वेतन, नियम 1954 के नियम 9 [1] के तहत पद के भरे जाने की तिथि से ही एक्स कैडर पद को किसी कैडर पद के समकक्ष घोषित करना पड़ता है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन रहा और दिनांक 27.1.83 को इस संबंध में निर्णय लिया गया तथा

(उत्तर)

श्री भवानीमल माथुर की वरिष्ठता को देखते हुए इसे महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस के समकक्ष घोषित किया गया।

इसी प्रकार अन्य दो आई. पी. एस. अधिकारी सर्वश्री डी. पी. गुप्ता एवं भागीरथ राय विश्नोई, जो कि क्रमशः महासमादेष्टा गृह रक्षा दल एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान तथा निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान के एक्स कैडर पदों पर पदस्थापित हैं, को भी उनकी वरिष्ठता को देखते हुए क्रमशः दिनांक 28.1.83 एवं 21.1.83 से महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस के पद के समकक्ष घोषित किया जाकर रु. 3000/-प्रति माह का नियत वेतन आदेश दिनांक 28.2.83 द्वारा दिया गया है।

जिला जैसलमेर व बाड़मेर में तस्करी के मामले

310. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में सन् 1981-82, 82-83 में कितने तस्करी के मामले पकड़े गये व तस्करी का कितना माल बरामद किया गया?

(2) उक्त मामलों में कितने पाकिस्तानी और कितने स्वदेशी तस्कर पकड़े गये और उनमें से कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वर्ष 1981-82, 82-83 में 36 तस्करी के मामले पकड़े गये जिनमें तस्करी का 11,31,795 रुपये का माल बरामद किया गया। जिला बाड़मेर में उक्त समय में 106 तस्करी के मामले पकड़े गये जिनमें 14,26,155 रुपये का माल बरामद किया गया।

(2) उक्त मामलों में 101 स्वदेशी व 5 पाकिस्तानी तस्कर पकड़े गये। इन सभी के विरुद्ध कस्टम एक्ट व फारेनर्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में भू-आवंटन योजना में परिवर्तन

311. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा भूमि आवंटन के समय प्रस्तुत योजना के अनुसार भूमि आवंटन होने के पश्चात् दी गई योजना में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की सूची मय मालिक या पार्टनर के नाम, मूल योजना व परिवर्तित योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला स्तरीय भूमि आवंटन समिति की बैठक दिनांक 2-9-82 में सम्बन्धित पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में इकाइयों द्वारा भूमि-आवंटन के समय

(उत्तर)

प्रस्तुत योजना के अनुसार भूमि आवंटन के पश्चात् दी गई योजना में परिवर्तन स्वीकृत किया गया है। यह एक नियमानुसार प्रक्रिया है। इकाइयों की सूची मय मालिक के नाम या भागीदार के नाम, मूल स्कीम एवं परिवर्तित योजना की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट "अ")

(2) यह सही है कि जिला आवंटन समिति की बैठक दिनांक 2.9.82 को हुई थी। इस बैठक में 16 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से 6 पार्टियां न तो स्वयं ही उपस्थित हुई तथा न ही उनका कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ। उपस्थित प्रतिनिधियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(प्रतिलिपि व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति

312. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान वित्त निगम में अन्य विभागों अथवा संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को निगम द्वारा पदोन्नति दी जाती है? यदि हां, तो क्या निगम के सेवा नियमों एवं सेवायोजन में ऐसे प्रावधान हैं?

(2) क्या राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत 5 वर्षों में निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों व कर्मचारियों में से किसी को निगम में पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो निम्नानुसार विवरण तालिका सदन की मेज पर रखें:—

क्र.सं., नाम अधिकारी/ कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर आये पद का नाम व तारीख, निगम में कब पदोन्नति की गई, वर्तमान पद व स्थान, योग्यता।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर जिले में भू-जल सर्वेक्षण

313. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने लिए नागौर जिले में भू-जल विभाग ने कोई सर्वे कराया है? यदि हां, तो कब और किन-किन तहसीलों का कराया गया है?

(2) क्या राज्य सरकार ने नागौर जिले का भूमिगत जल का सर्वेक्षण कराने के लिये सर्वे डिविजन स्थानान्तरण किया है? यदि हां, तो क्या इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है? यदि नहीं किया, तो क्यों और अब काम कब शुरू कर दिया जायेगा?

(3) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अवलोकन (एक्सप्लोरिटरी) नल कूप व पिजोमिटर भी बनाये जाते हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति मूण्डवा एवं पंचायत

(श्री महाराम चौधरी)

समिति नागौर के क्षेत्र में कितने नल कूपों के निर्माणार्थ स्थानों का चयन किया है? कृपया स्थानों का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले की जिन पंचायत समितियों में सर्वेक्षण किया गया, उन की वर्षवार सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अगले वित्तीय वर्ष में सर्वे डिविजन स्थानान्तरण कराने का विचार है जिससे विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा सके।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

धार्मिक स्थल रामदेवरा (जैसलमेर)

314. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामदेवरा, जिला जैसलमेर का प्रमुख धार्मिक स्थल है? यदि हाँ, तो यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जल वितरण व्यवस्था के लिये वहां पर कोई ओवर हैड टैंक नहीं होने के कारण जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार रामदेवरा में ओवर हैड टैंक बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मेले के दिनों में आवश्यकतानुसार जल वितरण की विशेष व्यवस्था की जाती है। टंकी का निर्माण धन उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा।

भूमिगत सीवरेज

315. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्तमान युग में बड़े नगरों को स्वच्छ रखने का एकमात्र साधन भूमिगत सीवरेज है? यदि हां, तो कोटा, अजमेर व जोधपुर में इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने की योजना विचाराधीन है और यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

उत्तर

जी हां। कोटा शहर के लिए 158 लाख रु. की योजना का कार्य प्रगति पर है। जोधपुर शहर के लिए 332.60 लाख रुपये की सीवरेज योजना स्वीकृत की गई है। कोटा शहर में चल रहा सीवरेज कार्य वर्ष 83-84 एवं जोधपुर का कार्य वर्ष 84-85 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अजमेर शहर के लिए सीवरेज योजना बनाई जा रही है। धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत कर क्रियान्विति की जा सकेगी।

जैतपुरा बांध (मांडलगढ़) का निर्माण

316. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भील-

(श्री रंगजी मीणा)

वाड़ा की तहसील माण्डलगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा जैतपुरा बांध का निर्माण कराया गया ?

(2) इस बांध का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ तथा इसकी मूल प्राक्कलित लागत क्या थी और वास्तविक लागत कितनी आई ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के 'सिंचाई' वृत्त द्वारा प्रारंभ कराया गया और कालान्तर में "निर्माण" वृत्त को स्थानान्तरण किया गया और उसके द्वारा निर्माण पूरा हुआ ? इस स्थानान्तरण के क्या कारण रहे ?

(4) इस बांध के निर्माण प्रारंभ होने व पूर्ण होने के बीच किन-किन मुद्दों पर किस-किस ने जांच की और उन जांचों के क्या निष्कर्ष रहे ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि इस बांध से सम्बद्ध नहरें बनते ही प्रथम वर्ष में टूट गयीं ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस बांध के निर्माण में पोली चुनाई की गयी थी ? उसका क्या इलाज किया गया, उस पर कितना खर्चा आया और उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(7) क्या यह भी सही है कि इस बांध व उससे सम्बद्ध नहरों के निर्माण में एक ही कार्य के लिये दो-दो बार चुकारा (ओवरलेपिंग पेमेन्ट) होना पाया गया है ? यदि हां, तो कितना था, उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस बांध का निर्माण कार्य सन् 1969 में प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 1977 में पूर्ण किया गया । मूल अनुमानित लागत 34.02 लाख रु. 1961 की बी.एस.आर. के आधार पर थी । बांध को पूर्ण करने पर वास्तविक व्यय 166.89 लाख रु. है ।

(3) इस बांध का निर्माण प्रारंभ में सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा, जो कि सिंचाई वृत्त उदयपुर के अधीन था, द्वारा किया गया था । कालान्तर में सन् 1974 में सिंचाई खंड में कार्यभार अधिक होने एवं मेजा फीडर खंड में कम होने से इसका स्थानान्तरण सिंचाई मेजा फीडर खंड, जो कि निर्माण वृत्त उदयपुर के अधीन था, कर दिया गया एवं इस खंड द्वारा ही कार्य पूर्ण करवाया गया ।

(4) बांध के निर्माण से सम्बधित निम्नलिखित मुद्दों पर श्री पी.सी.इंदोलिया तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त भीलवाड़ा एवं श्री एस. कश्यप, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उदयपुर द्वारा प्रारंभिक जांच की गयी । प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार विभागीय जांच की जानी है, अतः प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

1. नगर की पटरियों पर मिट्टी के कन्डोलियेशन ।

2. मिट्टी के कन्डोलियेशन किये बिना नहर लाइनिंग के सम्बन्ध ।

(5) नहरों में प्रथम बार सन् 1977 में रबी की पिलाई हेतु पानी चला था, इस वर्ष नहर कहीं भी नहीं टूटी थी। सन् 1978

उत्तर

में नहर कुछ स्थानों पर टूटी थी। नियमानुसार विभागीय जांच की जाने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही बताना संभव होगा।

(6) जी नहीं।

(7) बांध एवं सम्बद्ध नहर के निर्माण में एक ही कार्य के लिये दो दो बार चुकारा करने संबंधी कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है।

अधीक्षण अभियन्ता (उदयपुर) का स्थानान्तरण

317. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर वहां पर कब से कार्यरत हैं और उनके स्थानान्तरण कब कब, किस-किस कारण से किये जाकर निरस्त क्यों किये गये?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता के कार्यकाल के दौरान उन्हीं के क्षेत्राधिकार में नाथद्वारा आर. सी.सी. टैंक के निर्माण में स्टील आदि को ब्लैक में बेचे जाने से सम्बन्धित एक प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस अनुसन्धान एवं जांच के स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता को गत दिनांक 8-12-81 को बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था? यदि हां, तो वहां से कार्यमुक्त हो जाने व नये अधीक्षण अभियन्ता के कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात् यह स्थानान्तरण क्यों निरस्त किया गया?

उत्तर

(1) श्री आर.एम. भण्डारी, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदयपुर के पद पर दिनांक 1-3-78 से पदस्थापित हैं। श्री भण्डारी का प्रथम बार दिनांक 11-9-79 को, दूसरी बार दिनांक 12-10-79 को एवं तीसरी बार दिनांक 4-12-81 को सामान्य तौर पर स्थानान्तरण किये गये थे किन्तु प्रशासनिक कारणों से ये स्थानान्तरण निरस्त किये गये।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। स्थानान्तरण इन कारणों से नहीं किया गया था। सामान्य विभागीय स्थानान्तरणों के साथ साधारण रूप से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-12-81 द्वारा श्री आर.एम. भण्डारी अधीक्षण अभियन्ता उदयपुर का स्थानान्तरण बीकानेर किया गया था।

कुछ प्रशासनिक कारणों से श्री भण्डारी का स्थानान्तरण वापिस उदयपुर सर्किल में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22-12-81 के द्वारा करना पड़ा।

बाड़मेर डिविजन में रिक्त पद

318. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के बाड़मेर डिविजन में विभाग के अन्तर्गत कितने पद कितने

(श्री अमीन खां)

समय से रिक्त हैं ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी पेयजल योजना पर काफी समय से काफी रिक्त पद होने से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायगी ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) कार्यरत कर्मचारियों से पेयजल योजनाओं को व्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

नलकूप योजना के मापदण्ड

319. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांवों में नलकूप योजना प्रारंभ करने के क्या आधार हैं, कितनी जनसंख्या वाले ग्रामों में यह योजना लागू की जाती है ?

(2) बांसवाड़ा जिले में कुल कितनी नलकूप योजनाएं इस समय प्रगति पर हैं अथवा प्रस्तावित हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गढ़ी पंचायत समिति के तहत ग्राम मोटी वस्सी, जो कि लगभग 4000 की आबादी वाला है, में क्या कोई नलकूप योजना स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो पिछड़े इलाके के इतने बड़े आबादी वाले गांव में यह योजना लागू नहीं करने के क्या कारण हैं और अब कब लागू कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) गांवों में नलकूप योजना का आधार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। जहां जमीन में पानी मीठा है वहां हैण्ड पम्प लगाया जाता है। अगर पानी की आवश्यकता प्रति घन्टा ज्यादा हो तो बिजली या डीजल का पम्प लगाया जाता है अन्यथा 150 फीट तक हैण्ड पम्प ही लगाये जाते हैं। लागत व तकनीकी आधार पर साधारणतया 1500 की आबादी वाले ग्रामों के लिये हैण्ड पम्प योजनायें बनाई जाती हैं।

(2) बांसवाड़ा जिले में 317 गांवों में हैण्ड पम्प लगाना प्रस्तावित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जनगणना पुस्तिका 1971 के अनुसार ग्राम का नाम मोटी वस्सी न होकर बस्सी बड़ी है व इस ग्राम को परम्परागत योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान आबादी के अनुसार योजना का संवर्द्धन धन की उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

जिला टोंक में सिंचाई साधनों का निर्माण

320. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले

(श्री महावीर प्रसाद)

में औसत वर्षा के ठीक होने के बाद भी सिचाई के पर्याप्त संख्या में साधन नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या सिचाई आधुनिकीकरण खण्ड टोंक की स्थापना का भी उद्देश्य जिले की एक-एक बूंद पानी का उपयोग करने के लिए सिचाई साधनों का निर्माण करना था ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग ने सर्वे कार्य, नये बान्धों का निर्माण, छोटे बान्धों को बड़े बान्धों में परिवर्तित करने एवं कच्ची नहरों को पक्की बनाने में आशा एवं क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया है ?

(4) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी हैं तथा अब आगे की क्या योजना है ? कृपया अब तक की सर्वे रिपोर्ट एवं कब-कब कौन-कौन सा कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है, की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आधुनिकीकरण खण्ड टोंक की स्थापना टोंक जिले में स्थित सिचाई कार्य की देखभाल एवं सिचाई हेतु सतही जल स्रोतों के विकास कार्य हेतु की गई थी।

(3) जी नहीं।

(4) विभाग द्वारा किये गये सर्वे के कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। इन योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ करने की तिथि योजनाओं की उपादेयता एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

चितलवाना (सांचौर) में बांध निर्माण

321. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र में चितलवाना में स्थित लालपुरा (रामपुरा) बांध की भारी महत्ता है, क्योंकि इसके न बांधने से नदी का सारा पानी बाहर निकल जाता है जिससे काश्तकारों को भारी क्षति होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसको बांधने के लिए सांचौर क्षेत्र के सभी काश्तकारों का आग्रह व पंचायत समिति में भी प्रस्ताव पारित हो चुके हैं ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक शुरू हो जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि सांचरो क्षेत्र में अकाल से बने कई बांध अधूरे पड़े हैं जिसमें वर्षा का पानी नहीं ठहर पाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने बांध इस आने वाली वर्षा से पूर्व पूर्ण हो जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सांचौर क्षेत्र की यह एक महत्वपूर्ण योजना है, किन्तु नदी के दोनों ओर के समतल धरातल को देखते हुए यहां पानी की कुल आवक को बांध बनाकर रोकना संभव नहीं है। रामपुरा ब्राश बांध से कुल आवक के थोड़े से अंश को ही रोक पाना संभव होगा, जिससे करीब 550 हैक्टेअर भूमि में अतिरिक्त सिचाई सुविधा (पेटाकाश्त) उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उत्तर

(2) जी हां। इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(3) सांचोर क्षेत्र में पिछले अकाल के वर्षों में बने अधूरे बांधों को पूर्ण करने के कार्य इस वर्ष सम्वत 2039 में अकाल राहत के तहत प्रगति पर हैं। कुल अधूरे कार्यों की संख्या 6 है। जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से एक कार्य टेट्रोल कास बांध बन्द पड़ा है, क्योंकि गांव वाले उक्त कार्य को करवाना नहीं चाहते हैं। टेट्रोल कास बांध के अतिरिक्त सभी बांधों को आगामी वर्षा से पूर्व पूर्ण किये जाने की संभावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला पाली में विद्युत की कमी से पेयजल समस्या

322. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले में बिजली की कमी के कारण कई रीजनल जल प्रदाय योजनाओं से काफी संख्या में गांवों मे पानी नहीं पहुंच सकता ? यदि हां, तो इस व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या सरकार विद्युत का सीधा फीडर लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

उत्तर

जी हां। विद्युत के लिए सीधा फीडर लगाने हेतु क्षेत्रीय योजना गुन्दोज-सान्देराव बीलावास के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

गोगुन्दा व कोटड़ा तहसीलों में हैण्ड पम्प्स

323. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा व कोटड़ा तहसील में अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कितने कार्यरत हैं, कितनों में पानी नहीं आया है और कितने खराब पड़े हैं तथा कितने हैण्ड पम्प में पूरे पाइप नहीं उतारे गये हैं जिनसे पानी नहीं निकलता ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1981-82 में स्वीकृत हैण्ड पम्प अब तक ड्रिल नहीं किये गये हैं और कब तक इनका ड्रिलिंग कार्य पूरा कर दिया जायेगा ? स्वीकृत शुदा हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा व कोटड़ा तहसील में क्रमशः 199 व 8 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। सभी स्थापित हैण्ड पम्प चालू हालत में सम्बन्धित पंचायत को सुपुर्द कर दिये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जा सकेगा। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

केसरीसिंहपुर क्षेत्र में जल प्रदाय योजना

324. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र (सु.) केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत किन-किन गांवों में जलदाय योजना स्वीकृत की जा चुकी है और उक्त योजना के तहत कहां-कहां किन-किन गांवों में कार्य चल रहा है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में इस क्षेत्र मे नई जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के 168 ग्रामों की पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 65 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है व 16 ग्रामों के लिए जल योजनाएं निर्माणाधीन है। विवरण संलग्न है।

(2) धन की उपलब्धि व तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार नई पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा सकेंगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र में तालाबों का निर्माण

325. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में अब तक सिंचाई के कितने तालाब बनाये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सिंचाई के तालाबों से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ? कृपया तालाब का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में बने तालाबों की नहरें अधूरी हैं ? यदि हां, तो किन-किन की और क्यों।

(4) क्या यह भी सही है कि ठेकेदारों द्वारा नहरों का काम करवाया गया जिसमें सरकारी अधिकारी की मिली-भगत से अधूरी नहरों का कार्य पूर्ण दिखाकर रकम उठा ली गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि नागदा तालाब की नहर सीमेन्ट के बजाय चूने में बनाई जा रही है ?

(6) क्या गोयका प्रसाद तालाब की नहर का ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया वह काम छोड़ कर चला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही कर विभाग द्वारा कार्य पूरा करायेगी?

(7) क्या टाडी चोटिया तालाब की नहर अधूरी होने से पानी खेतों में चलता रहता है ? जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है क्या सरकार दोनों नहरों के कार्य को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग ने बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र में 21 तालाबों का निर्माण कराया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

उत्तर

(2) इन 21 तालाबों से कुल 5182 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। तालाबवार विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम संख्या 3 में दर्शाया गया है।

(3) इन 21 तालाबों में से 16 की नहरें पूरी बन चुकी हैं। शेष 5 तालाब-नागदा, खानापाड़ा सारन, पटेल का नाका, चतुराखटा एवं गोयका प्रसाद की नहरें अभी अधूरी हैं। नागदा, चतुरखटा व गोयका प्रसाद की नहरों के कार्य प्रगति पर हैं। खानापाड़ा की नहर एवं गोयका प्रसाद तालाब की माइनर के कार्य ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़ दिये गये हैं तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। सारन पटेल का नाका की नहर का कार्य समयाभाव के कारण अधूरा है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, हां। गोयका प्रसाद तालाब की नहर (माइनर) के ठेकेदार श्री अनिलचन्द ने कार्य बंद कर दिया है। विभाग द्वारा ठेकेदार को नियमानुसार अन्तिम नोटिस दिया जा रहा है एवं उस पर निर्णय लिया जाकर कार्य पूरा करवाने का शीघ्र प्रयत्न किया जावेगा।

(7) जी, नहीं। टाडी चोटिया तालाब की नहरों का निर्माण स्वीकृत आंकड़ों के अनुसार पूरा किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

पंचायत समिति बांदीकुई में हुडको योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

326. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हुडको योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बांदीकुई में अब तक कितने लोगों को मकान व कुओं के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कितने कार्यों का निर्माण हो चुका है व कितने बाकी हैं?

उत्तर

(1) हुडको योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बांदीकुई को ऋण राशि अभी प्राप्त न होने से किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया गया।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राज्य में भूमि व भवन कर से आय

327. **श्री जीतमल जैन** (अलवर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (31 जनवरी, 1983 तक) में भूमि एवं भवन कर से राज्य को कितनी आय हुई एवं इसकी वसूली में कितना खर्च आया? वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

भूमि एवं भवन कर से वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (31 जनवरी 83 तक) में राज्य को जो आय हुई

उत्तर

तथा इसकी वसूली में जो खर्चा हुआ उसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	आय (रुपये लाखों में)	व्यय (लाखों में)	प्रतिशत
1980–81	116.41	26.19	22.49
1981–82	109 31	30.51	27.91
1982–83 (31 जनवरी, 83 तक)	115.00	21.66	18.83

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा में महिला चिकित्सक का पदस्थापन

328. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनू जिले में कितने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं व उनमें से कितने केन्द्रों में महिला चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा में काफी समय से महिला चिकित्सक के स्थान पर पुरुष चिकित्सक का पदस्थापन किया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सक के खिलाफ स्थानीय जनता द्वारा कई बार शिकायतें की गई थीं और उसी के आधार पर उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया था। यदि हां, तो फिर उनका स्थानान्तरण आदेश बाद में किस आधार पर निरस्त किया गया ?

(4) क्या सरकार उक्त केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद स्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में 9 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं। चार केन्द्रों में महिला चिकित्सक व चार केन्द्रों पर पुरुष चिकित्सक कार्यरत हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्थानान्तरण आदेश पुनः स्थानीय मांग पर दिनांक 10-1-83 के द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया।

(4) जी हां। महिला चिकित्सक के उपलब्ध होने पर पदस्थापित करना संभव हो सकेगा।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष लाना

329. श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष लाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, और इस में कितना खर्चा आयेगा।

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोटा जिले में डाक्टरों की कमी

330. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी):

Page No 48

(48)

(श्री हरीश शर्मा)

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले एवं कोटा शहर में डॉक्टरों के कुल कितने पद रिक्त हैं? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भर देगी?

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ग्राम मण्डाना में भी डॉक्टर का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों और इसे कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कोटा शहर में 8 तथा जिले में 19 कुल 27 डाक्टरों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(2) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सवाईमाधोपुर जिले के उप-स्वास्थ्य केन्द्र

331. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

(2) क्या उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र चालू हैं? यदि हां, तो कितने और शेष उप केन्द्रों को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में 204 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) 125 उप केन्द्र चालू हैं तथा शेष 79 को प्रशिक्षित प्रसाविकाओं के उपलब्ध होते ही चालू कर दिया जावेगा।

नगर पालिका मंडावा में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति

332. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की किन-किन नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारियों के पद कब से रिक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका मण्डावा (झुन्झुनूं) में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से?

(3) वर्तमान में उक्त नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के पद का कार्य किस के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है और उस व्यक्ति की क्या शैक्षणिक योग्यता है? क्या वह व्यक्ति अधिशासी अधिकारी के पद के लिए योग्य है?

(4) उक्त नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी का पद लम्बे समय से रिक्त रहने का क्या कारण है? सरकार द्वारा अब कब तक अधिशासी अधिकारी का पदस्थापन कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 1-7-82 से रिक्त है।

(उत्तर)

(3) नगरपालिका के वरिष्ठतम कर्मचारी द्वारा अधिशासी अधिकारी के पद का सामान्य कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उसकी शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी पास है। जी नहीं।

(4) लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अधिशासी अधिकारियों की कमी से पद रिक्त रहा है। अब शीघ्र ही इस पद पर अधिशासी अधिकारी पदस्थापित कर दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

बीकानेर के मास्टर प्लान में तब्दीलियां

333. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) व श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बीकानेर नगर विकास न्यास क्षेत्र में स्वीकृत आवासीय योजनाओं के नक्शों में स्वीकृति के बाद कोई तब्दीलियां की गई हैं? यदि हां, तो क्या और क्यों?

(2) स्वीकृत योजनाओं में तब्दीलियां करने के क्या कारण रहे हैं?

(3) क्या बीकानेर के मास्टर प्लान में अब तक किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कृपया बीकानेर के मास्टर प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

शहरी भूमि की कीमतों को रोकने के प्रयास

334. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार शहरी भूमि की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिये कोई कारगर कदम उठाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार बड़े शहरों के आसपास भूमि की कीमत कम करने के लिये कृषि भूमि को टुकड़ों में रजिस्ट्री कराने की छूट देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शहरी भूमि की बढ़ती कीमतों को रोकने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठाये हैं जैसे योजनाओं के समस्त आवासीय भूखण्ड केवल आवंटन द्वारा ही दिये जायेंगे नीलामी द्वारा नहीं।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार ने शहरी भूमि की कीमत कम करने के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों की प्रति संलग्न है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा

335. **श्री रामकंवार बेरवा** (फागी) व **श्री बालचन्द आर्य** (डग):-क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि का किसानों को प्रति एकड़ क्या मूल्य दिया जा रहा है ?

(2) क्या दिया जाने वाला मुआवजा बहुत कम है ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अभी किसी भूमि की अवाप्ति कार्यवाही नहीं की गई है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है । भंग न्यास के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गई अवाप्ति में प्रति एकड़ दरों का निर्धारण निश्चित नहीं किया गया है । खातेदारों/हितधारियों द्वारा प्रस्तुत दावों एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों को देखते हुए एवं उभय पक्षों को सुनने के बाद नियमानुसार दरें निश्चित की जाती हैं ।

(2) मुआवजा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है जिसे अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

टोंक नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था

336. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक):-क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक शहर कितने किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है तथा यहां की आबादी क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि स्टाफ पैटर्न के अनुसार टोंक शहर की सफाई के लिए जितने कर्मचारी नगरपालिका में होने चाहिये उतने नहीं हैं ? यदि हां, तो शहर की सफाई व्यवस्था को मद्दे नजर रखते हुए कर्मचारियों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) टोंक शहर का क्षेत्रफल 14.5 किलोमीटर है तथा 1981 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 77653 है ।

(2) जी हां । परिषद् की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारी रखे जावेंगे ।

अजमेर नगर के मास्टर प्लान में आई भूमि पर अतिक्रमण

337. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम):-क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अजमेर नगर के मास्टर प्लान में रीजनल कालेज, पुष्कर रोड पर अजमेर विश्वविद्यालय के लिये भूमि अंकित की गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अतिक्रमण हो चुका है या होने की आशंका है, तो अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा ।

उत्तर

जी हां । अजमेर नगर के मास्टर प्लान में रीजनल कॉलेज के पास विश्वविद्यालय के लिए भूमि अंकित की गई है ।

(उत्तर)

इस भूमि में जनवरी, 1981 से पूर्व 11 पक्के मकान बन चुके हैं जिनके मामले विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त मैसर्स दी अजमेर नर्सरी द्वारा 3.12.0 भूमि पर तारबन्दी कर कब्जा किया गया है एवं इसमें एक कमरे का निर्माण भी कर लिया है। न्यायालय सहायक जिलाधीश द्वारा इस निर्माण के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है कि न्यास द्वारा अग्रिम आदेश तक यथा स्थिति बनाई रखी जाये। निषेधाज्ञा हटने के पश्चात ही इस कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की गतिविधियां

338. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था प्रदेश में किस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध की जाकर कब से कार्यरत है? कृपया संस्था के विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था की साधारण सभा के सदस्य कौन-कौन हैं ? कृपया वर्तमान सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं एवं इस वर्ष चुनाव कौन सी तिथि को हुआ ? मतदाता कौन-कौन थे एवं पदाधिकारी कौन-कौन चुने गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान स्वायत्त संस्था की अन्य गतिविधियां कौन-कौन सी हैं एवं राज्य से इस संस्था को कितना अनुदान मिलता है ? पिछले 6 वर्षों में अनुदान कितना मिला ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था किन-किन सेवाओं के लिये प्रशिक्षण देती है एवं इसके लिए क्या शुल्क लेती है ?

(6) उक्त संस्था द्वारा एक सत्र में कितने व्यक्तियों को किन-किन सेवाओं में प्रशिक्षित किया जाता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा 1955 से कार्यरत है। संस्था के विधान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संस्था के साधारण सदस्य समस्त नगर पालिका/मण्डल/परिषद्; सचिव, स्वायत्त शासन विभाग; निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग; अध्यक्ष, राजस्थान नगर पालिका सेवा परिषद्; मंत्री, राजस्थान नगरपालिका सेवा परिषद एवं दो संस्थापक सदस्य सर्वश्री गोविन्दनारायण, श्रीसत्यनारायण हैं। वर्तमान में सदस्यों को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव चार वर्ष में होता है। इस वर्ष चुनाव 29 जनवरी, 1983 को हुआ है। वर्तमान सदस्य ही मतदाता थे। श्री गोविन्दनारायण अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नागौर नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उत्तर)

(4) इस संस्था की अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं :—

(क) जन शिक्षण
(ख) प्रशिक्षण
(ग) संगोष्ठियां, सम्मेलन आयोजन
(घ) सर्वेक्षण
(ङ) शोध
(च) अध्ययन
(छ) परियोजना प्रतिवेदन बनाना
(ज) प्रकाशन
(झ) विकास कार्य, निर्माण ।'

राज्य सरकार से इस संस्था को कोई अनुदान नहीं मिलता है ।

(5) स्वायत्त शासन संस्था द्वारा जिन सवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है एवं जो शुल्क लिया जाता है, वह निम्नानुसार है:—

(क)	लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा	शुल्क रु. 315/- 6 माह के पूरे सत्र के परीक्षा शुल्क सहित ।
(ख)	सैनेटरी इंसपेक्टर	शुल्क रु. 515/- 12 मास के सत्र के परीक्षा शुल्क सहित ।
(ग)	कर निर्धारक	शुल्क रु. 50/- 1 मास के सत्र के परीक्षा शुल्क सहित

(6) संस्था द्वारा एक साथ में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यह निश्चित नहीं है ।

(विधान की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

उदयपुर नगर परिषद द्वारा स्व. श्री मोहन लाल सुखाड़िया की समाधि पर व्यय

339. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि स्व. श्री माणिक्य लाल वर्मा की समाधि, उदयपुर पर नगर परिषद ने कुछ भवन निर्माण कार्य पर व्यय किया है ? यदि हां, तो कितना ? वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या नगर परिषद्, उदयपुर स्व. श्री मोहन लाल सुखाड़िया की समाधि पर भी व्यय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या नगर परिषद् आदिवासी नेता श्री मोतीलाल तेजावत की समाधि पर भी कुछ खर्च कर चुकी है ? यदि हां, तो कितना व यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) परिषद् द्वारा उक्त प्रकार के खर्च का आधार क्या है ? इसकी स्वीकृति कौन देता है? क्या उक्त खर्च करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को है ? यदि हां, तो उन्होंने कब प्रस्ताव पास किया ? यदि नहीं, तो खर्च करने का औचित्य क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 28-2-83 तक कुल 2,19,296.86 रु. व्यय हुआ है । वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(उत्तर)

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। स्व. श्री मोतीलाल तेजावत की कोई समाधि नहीं है।

(4) इस प्रकार खर्च करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नगर परिषद् उसके औचित्य आदि को ध्यान में रखते हुए खर्च करने में स्वयं सक्षम है। श्री माणिक्यलाल वर्मा की समाधि के निर्माण का प्रस्ताव दि. 18.7.72 को पास किया गया था।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के वाहनों का मरम्मत खर्च

340. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अजमेर के वाहनों, टैंकर, ट्रेक्टर, जीपों आदि पर संघ की स्थापना से दि- 30-6-79 तक लाखों रुपयों का व्यय मरम्मत कराने में किया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक वाहन की मरम्मत पर इस काल खण्ड में प्रतिवर्ष कितना-कितना खर्च हुआ ? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मरम्मत करवाने एवं पुर्जे बदलवाने का न तो कोई रेट कान्ट्रेक्ट था, न कोई कोटेशन आमन्त्रित किये गये और न ही कभी एस्टिमेट बनवाकर टेन्डर आमन्त्रित किये गये ? यदि हां, तो यह कार्य किन-किन फर्मों से किस-किस आधार पर कराया जाकर उन्हें कितना-कितना चुकारा किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर द्वारा वाहनों की मरम्मत पर स्थापना वर्ष 1972-73 से 30-6-79 तक 6, 51, 150 रुपये का व्यय हुआ। वर्षवार विवरण संलग्न है।

(2) वाहनों की मेजर मरम्मत आथोराइज्ड डीलर्स से पार्ट्स क्रय कर पूर्व अनुमानों के आधार पर करवाई गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ में पशु पालकों को उपलब्ध सेवायें

341. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1981-82 एवं दिसम्बर, 1982 तक कितने पशु पालकों को कृत्रिम गर्भाधान एवं संकर प्रजनन सेवायें उपलब्ध करवाई गई और इसमें कितने आदिवासियों को लाभान्वित किया गया ? कृपया पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम आधार योजना प्रतापगढ़ में वर्ष 1981-82 में 1024 पशु पालकों को कृत्रिम गर्भाधान एवं संकर प्रजनन से लाभान्वित किया गया है, जिसमें 924 आदिवासी

(उत्तर)

सम्मिलित हैं। अप्रेल, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक 261 पशुपालकों को अनुरूप सुविधा से लाभान्वित किया गया जिसमें 235 आदिवासी सम्मिलित हैं।

पंचायत समितिवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ब्यौरा योजनावार रखा जाता है।

आयुर्वेद निदेशक के कृत्य

342. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद निदेशक के पद पर कौन व्यक्ति कार्यरत है?

(2) क्या यह सही है कि विभाग में नियुक्तियां, पदावनतियों व परिवर्तनों का इन्हें अधिकार नहीं है? यदि हां, तो किन-किन को हैं?

(3) क्या यह सही है कि विभाग में उनसे नीचे के अधिकारी उक्त कृत्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और किस नियम अथवा आदेश के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) निदेशक, आयुर्वेद के पद का कार्य अपने पद के अतिरिक्त श्री प्रहलाद राय देराश्री कर रहे हैं।

(2) जी हां।

नियुक्तियों के लिए विभिन्न स्तर के नियुक्ति अधिकारी अधिकृत हैं, जो विभिन्न स्तरीय चयन समितियों के माध्यम से नियुक्ति आदेश जारी करते हैं:—

1. **राज्य सरकार :—**

वैद्य/हकीम/होम्योपैथिक डाक्टर ग्रेड I एवं इनसे ऊपर के समस्त राजपत्रित पदों के नियुक्ति अधिकारी।

2. **अतिरिक्त निदेशक :—**

उपरोक्त के अतिरिक्त वैद्य/हकीम/होम्योपैथिक डाक्टर ग्रेड-2 एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी।

3. **समस्त कार्यालयाध्यक्ष :—**

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी।

पदावनति/परिवर्तन के अधिकार भी उपरोक्तानुसार नियुक्ति अधिकारियों को हैं। ग्रेड-I वैद्यों/हकीमों/होम्योपैथिक डाक्टर के परिवर्तन अधिकार अतिरिक्त निदेशक को अतिरिक्त दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

सवाईमाधोपुर जिले में औषधियों का वितरण

343. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाईमाधोपुर के औषधालयों में दवाइयां सरकार द्वारा दी जाती हैं? यदि हां, तो जिले के अ श्रेणी के औषधालयों में वर्ष 1981-82 में औषधियां कब-कब दी गयीं?

(2) क्या यह भी सही है कि दवाइयों की पूर्ति का आधार औषधालयों में एक साल के मरीजों की आमद का मापदण्ड है? यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में कितने रोगी आये हैं तथा जो बजट जिले के औषधालयों में निर्धारित किया गया उसका प्रति व्यक्ति अनुपात क्या रहा?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में एक चलता फिरता औषधालय सरकार द्वारा चालू किया गया है ? यदि हां, तो कब से और उक्त में दवाइयों का वार्षिक बजट कितना है तथा उस पर कर्मचारियों, वाहनों उनके रख-रखाव आदि पर सरकार को अब तक कितना खर्चा करना पड़ा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

करौली एवं सवाई माधोपुर में संचालित "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय को वर्ष 1981-82 में दी गई औषधियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम चिकित्सालय	माह जब औषधियां दी गई
1. सवाई माधोपुर	नवम्बर, 81, फरवरी, 82 व, मार्च, 82.
2. करौली	अगस्त, 81, नवम्बर, 81 व फरवरी, 82.

(2) जी हां। औषध बजट, औषधालय/चिकित्सालय की पिछले एक वर्ष की रोगी संख्या के आधार पर स्वीकृत किया जाता है तथा स्वीकृति का मापदण्ड निम्न प्रकार है :—

अन्तरंग रोगियों हेतु	2/— रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन
बहिरंग रोगियों हेतु	30 पैसे प्रति रोगी प्रतिदिन

सवाई माधोपुर जिले के औषधालयों में वर्ष 1981–82 में 23,56,078 बहिरंग रोगी, 3074 अन्तरंग रोगी आये तथा वर्ष 1981–82 का स्वीकृत औषध बजट 5,68,550.00 रुपये था (जो 79–80 को रोगी संख्या पर आधारित है). इस प्रकार प्रति व्यक्ति अनुपात 24 पैसे रहा।

(3) जी हां।

जिला सवाई माधोपुर के लिये "माडा" योजनान्तर्गत एक चल चिकित्सा यूनिट वर्ष 1981-82 से स्वीकृत है (वाहन दिनांक 16-1-82 को जिला आयुर्वेद) अधिकारी को दी गई) वर्ष 1981-82 में 11,170-00 रुपये की औषधियां क्रय की गई तथा वर्ष 1982-83 के लिये औषध बजट 7500-00रु. है। चल चिकित्सा यूनिट के रख-रखाव, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, वाहन क्रय, बॉडी निर्माण आदि पर अब तक 1,76,409.53 रुपया खर्च किया गया है।

ग्राम रामपुरिया (पिड़ावा) में हरे वृक्षों की कटाई

344. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की तहसील पिड़ावा के ग्राम रामपुरिया में पिड़ावा के कुछ असामाजिक तत्व वहां गये और वहां के हरे वृक्ष काटने लगे तथा ग्रामवासियों के मना करने पर ग्राम वालों के साथ मारपीट भी की ?

(2) क्या यह भी सही है कि, वहां के रेन्ज अधिकारी वृक्षों की रक्षा करने में असक्षम है ? वहां रेन्ज अधिकारी कौन है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(3) क्या ऐसे निष्क्रिय अधिकारी की जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रश्न में संदर्भित समय का कोई उल्लेख नहीं है, अतः कुछ भी कहना संभव नहीं है ।

(2) रेंज पिड़ावा में श्री खाजू खां अंसारी क्षेत्रीय वन अधिकारी पदस्थापित हैं तथा वे वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सक्षम है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

वन पालों की पदोन्नतियां

345. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार वनपालों को पदोन्नति दे रही है ? यदि हां, तो वनपालों की पदोन्नति व स्थाईकरण के क्या आधार हैं ?

(2) क्या वनपालों की वरिष्ठता एवं स्थाईकरण सूची प्रत्येक वनमण्डल में भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक वनपाल को इस सूची से अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) योग्यता प्राप्त वनपालों की भविष्य में पदोन्नति कब तक होगी ? इसका आधार क्या होगा ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत वनपालों का स्थाईकरण उपलब्ध स्थाई रिक्त पद वरिष्ठता व संतोषप्रद कार्य के आधार पर किया जाता है और उप क्षेत्रीय के पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति करने का प्रावधान है ।

(2) जी हां । स्थाई वनपालों की वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा 23-11-81 को जारी की गई थी और समस्त वन अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस सूची से समस्त सम्बन्धित वनपालों को सूचित करें।

(3) जनवरी, 1983 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्य वनपालों को चयनित कर पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं ।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति

346. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार प्रति दो पंचायत पर एक-एक ग्राम सेवक नियुक्त करने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर-दूर गांवों में एक-एक ग्राम सेवक के पास सात-सात पंचायतें होने से ग्राम पंचायत का कार्य अवरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है ?

(3) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में ग्राम सेवकों के कितने पद रिक्त हैं और कब से हैं ? और राजस्थान के अन्य जिलों में कितने पद रिक्त हैं ? प्रत्येक पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) जिला बाड़मेर की पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के 60 एवं जैसलमेर

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर जिन पंचायतों की आबादी 4000 अथवा इससे अधिक है, उन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक एवं 4000 से कम आबादी की दो पंचायतों पर एक तथा जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामसेवक पदेन पंचायत सचिव के हिसाब से दिनांक 11-8-82 के आदेश द्वारा आवश्यक पद सृजित कर दिये हैं और पद भरने की कार्यवाही जारी है। रिवर्स डेपुटेशन से वापसी के कारण सरप्लस/सेवामुक्त हुए ग्रामसेवकों से शीघ्र ही पद भर लिये जायेंगे।

(2) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव व धोरीमन्ना में एक ग्रामसेवक के पास लगभग 6 से 7 ग्राम पंचायतों का काम है जब कि जिला जैसलमेर की पंचायत समितियों में एक ग्रामसेवक के पास लगभग 3 पंचायतों का कार्य है। इन जिलों की पंचायत समितियों में ग्रामसेवकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही की जा रही है जैसा कि उक्त प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में कहा गया है।

(3) जिला बाड़मेर की पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के 60 एवं जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों में ग्रामसेवकों के 64 पद माह अगस्त, 82 से नवीन सृजित हुए पद रिक्त हैं। कृषि विस्तार कार्यक्रम के ज़िलों में रिवर्स डेपुटेशन से वापिस आये 950 ग्रामसेवकों के कारण काफी संख्या में ग्रामसेवक सरप्लस हुए हैं व कुछ की सेवामुक्ति हुई है। इनसे रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है।

राजस्थान के अन्य जिलों में ग्रामसेवकों के 346 पद रिक्त हैं। पंचायत समिति वाइज रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

पंचायत समिति सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक

347. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा प्रधान की पूर्व अनुमति के बगैर दिनांक 23.1.1983 को समिति की बैठक बुलाई गई? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बैठक की सूचना प्रधान तथा स्थानीय विधायक को नहीं दी गई? यदि हां, तो क्या बैठक वैधानिक थी? उक्त जन प्रतिनिधियों को बैठक की सूचना नहीं देने व नियम विरुद्ध बैठक बुलाने हेतु विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जांच करवाई जा रही है।

(2) जांच करवाई जा रही है।

ग्राम पंचायत पुर (जालौर) के सरपंच द्वारा गबन

348. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जालौर जिले की ग्राम पंचायत पुर के सरपंच के विरुद्ध गरीबी की रेखा से नीचे

(श्रीमती विद्या पाठक)

के चयनित लोगों को मिलने वाली सबसीडी की रकम में से दो लाख रुपया हड़प करने की शिकायत जिलाधीश जालौर को प्राप्त हुई व जिलाधीश जालौर ने वह शिकायत बाद जांच सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां, जालौर जिले की ग्राम पंचायत पुर के सरपंच के विरुद्ध "गरीबी की रेखा से नीचे" चयनित लोगों को मिलने वाली सबसीडी की रकम में से दो लाख रुपये हड़पने की शिकायत जिलाधीश, जालौर को दिनांक 25-1-1983 को प्राप्त हुई थी। जिलाधीश ने उपरोक्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 3-2-1983 को पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को भेजी गई। जांच अभी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत ढूंढिया (मावली) द्वारा खर्च की गई राशि

349. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) ग्राम पंचायत ढूंढिया तहसील मावली जिला उदयपुर को वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में कुल कितनी राशि विभिन्न मदों में खर्च करने हेतु दी गयी ?

(2) उक्त राशि में से ग्राम पंचायत द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में खर्च की गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा कई कार्य नहीं करवाये गये और अनियमित तरीके से भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की क्या सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 व 82-83 में ग्राम पंचायत ढूंढिया पंचायत समिति मावली को 42,798/- रु. की राशि विभिन्न कार्यों पर व्यय करने हेतु दी गई थी।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

राज्य में खेल निदेशालय की स्थापना

350. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खेल विभाग का गठन कर दिया गया है और खेल निदेशालय नहीं बनाया गया है ?

(2) क्या खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल निदेशालय की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में खेल विभाग सृजित किये जाने की घोषणा कर दी गई है। खेल निदेशालय का मामला विचाराधीन है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य की शिक्षण संस्थाओं में खेलों को बढ़ावा

351. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खेल-कूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में स्कूलों एवं कालेजों में छात्राओं के लिए उपयोगी खेलों को बढ़ावा देने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के स्कूलों में छात्राओं के लिए कक्षा 1 से 11 तक खेलकूद की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर नियमित रूप से की जाती है। खेलकूद प्रतियोगिताएं भी प्रति वर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाती हैं। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण हेतु भी कोचिंग केम्पस का प्रति वर्ष विभाग द्वारा आयोजन किया जाता है। खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था भी है।

महिला महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न व्यवस्था की हुई है:—

(1) छात्राओं को खिलाने हेतु प्रशिक्षित व्यायाम प्रशिक्षक की नियुक्ति हर महाविद्यालयों में की हुई है।

(2) महाविद्यालयों के खेलकूद शुल्क हेतु रु. 12/- प्रति वर्ष के हिसाब से प्रत्येक छात्रा से लिया जाता है वो खेलकूद के सामान खरीदने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं।

(3) राज्य सरकार भी प्रति वर्ष 25-30 हजार रुपये महाविद्यालय में खेलकूद सामग्री हेतु सात कन्या महाविद्यालय हेतु खर्च करती है।

(4) छात्राओं के लिए महाविद्यालय द्वारा अन्तर्राज्यीय खेलकूद प्रतियोगिता हर वर्ष कराई जाती है, जिनमें छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है तथा व्यय महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है।

निर्वाचन क्षेत्र केशरीसिंहपुरा में सड़कों का निर्माण

352. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र (सु.) केसरीसिंहपुरा (गंगानगर) की निम्न सड़कें अधूरी पड़ी हैं ?

(i) ग्राम कोठा से ग्राम खखां तक।

(ii) ग्राम ढींगावाली राठान से ढींगावाली जाटान व धाले वाली।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम कोठा से ग्राम खखां की सड़क के निर्माण का मामला विचाराधीन है। ग्राम ढींगावाली राठान से ढींगावाली जाटान व धालेवाली सड़क अगस्त, 83 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

कृषि उपज मण्डी रामगंज मण्डी की गौण मण्डी यार्ड का निर्माण

353. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कृषि उपज मण्डी रामगंज मण्डी के गौण मण्डी यार्ड चेचट की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कब तथा उक्त यार्ड का अब तक कितना कार्य हुआ एवं कब तक बनकर तैयार हो जावेगा ?

(2) सरकार ने इस गौण मण्डी यार्ड हेतु कितना अनुदान दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 22-5-79 को चेचट को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया जा चुका है। इस गौण मण्डी में ग्रामीण हाट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 26-3-82 को दी गई है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(2) अभी तक ग्रामीण हाट वास्ते 1.0 लाख रुपये का अनुदान, जो कि भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, मण्डी समिति को भेजा जा चुका है।

नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा प्रचार हेतु व्यय

354. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा नवम्बर, 1982 "आवंटन योजना" के भूखण्ड बिक्री हेतु प्रचार पर कितनी राशि किस-किस माध्यम से खर्च की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि न्यास की किसी भी बैठक में उक्त खर्च की स्वीकृति नहीं की गई ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा नवम्बर, 1982 आवंटन योजना के भू-खण्डों की बिक्री हेतु प्रचार विभिन्न अखबारों के माध्यम से कुल 46,813.06 एवं आकाशवाणी पर प्रचार करने के 4,663.00 कुल 51,476.06 का व्यय किया गया।

(2) उक्त खर्च की पुष्टि न्यास द्वारा बैठक दिनांक 28–2–83 से स्वीकृत बजट में प्रावधान किया जा चुका है जो स्वीकृत हो चुका है।

राज्य में होटल निर्माण अवधि में बढ़ोतरी

355. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वित्त (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3 (342) नं. प्र./76 दिनांक 29–4–78 तत्पश्चात आदेश संख्या 18/18/वित्त/ग्रुप दिनांक 7–5–80 द्वारा संशोधित शर्त संख्या 1 में वर्णित होटल के निर्माण की अवधि बढ़ाई गई थी ?

(2) यदि हां, तो यह अवधि कब बढ़ाई गई ? इस होटल निर्माण की अवधि बढ़ाने के क्या कारण रहे हैं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या अवधि बढ़ाने के आदेश की शर्त के अनुसार होटल निर्माण के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त होते रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 30-11-82 को उक्त अवधि बढ़ाई गई क्योंकि निर्धारित अवधि में उक्त होटल का निर्माण कार्य पार्टियों के बीच चल रहे दीवानी मुकदमों में स्टे आर्डर जारी होने के कारण तथा रीको से ऋण प्राप्त न होने के कारण पूरा नहीं हो सका।

(3) आदेश क्रमांक प. 18 (18) वित्त/ग्रुप—4/79 दिनांक 30-11-82 की शर्त के अनुसार तिमाही निर्माण प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होना चाहिये। इस आदेशानुसार प्रथम तिमाही प्रतिवेदन दिनांक 28-2-83 तक प्राप्त हो जाना चाहिये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1983)

ग्राम पंचायत कोलिया के सरपंच द्वारा सामान की खरीद

201. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर ने पांच सौ रुपये खर्च कर एक गद्दा, मसनद एवं चान्दनी सन् 1977 से 1979 के बीच किसी महीने में बनवायी ?

(2) अगर हां, तो कब कब ? क्या उक्त चीजों के बनवाने का कोई प्रस्ताव एवं खर्च करने की स्वीकृति पंचायत बैठक में ली गयी ? अगर हां, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या भूतपूर्व सरपंच ने उक्त सामानों को आने वाले सरपंच को सम्भला दिया है? अगर नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या राज्य सरकार पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 12-2-78 को ग्राम पंचायत कोलिया की बैठक में चान्दनी, मसनद एवं गद्दे की खरीद एवं खर्च की स्वीकृति प्रस्ताव सं० 8 द्वारा ली गई थी। प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) पूर्व सरपंच ने चार्ज जब नवनिर्वाचित सरपंच को सम्भला दिया था तो, फिर चांदनी, मसनद एवं गद्दे के नहीं सम्भलाने का साधारणतया प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु अब इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर भूतपूर्व सरपंच को गद्दा, मसनद एवं चांदनी नवनिर्वाचित सरपंच को सम्भलवाने हेतु उप जिला विकास अधिकारी नागौर द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। यदि पूर्व सरपंच ने नोटिस की तामील नहीं की तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

घना पक्षी विहार, भरतपुर में गोली काण्ड

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : प्वान ए पाइण्ट ग्राफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं आयेगा।

श्री नाथू सिंह : भरतपुर के मामले में उस रोज मुख्य मन्त्री जी ने यहां·······

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर गोलीकाण्ड का मामला अधूरा पड़ा है। आपने आश्वासन दिया कि सरकार से बात करके हम जवाब देंगे। हत्यारे वहां पर पड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां हत्या करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में आपके चेम्बर में सब विपक्षी सदस्यों ने शांति पूर्वक आपसे बातचीत की थी। आपने आश्वासन दिया था कि मैं सरकार से बात करके आपको सोमवार को उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हत्यारे वहीं बैठे हुए हैं। कोई रेलेवेन्सी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से बात करके विभिन्न पक्ष के नेताओं को निवेदन उसी वक्त कर दिया था। लोग बाद में पधार गये थे···

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उन्होंने कहा था कि जो हत्यारे हैं वह हत्यारे वहीं रहेंगे तो जांच सही नहीं हो पायेगी। उनको निलम्बित किया जाय, वहां से हटाया जाए तभी जांच हो पायेगी।

श्री यदुनाथसिंह : इस बात का कोई मतलब नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, परसों विधान सभा के लगभग सभी पक्षों ने इस बात की मांग की थी कि इस मामले से सम्बन्धित जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को निलम्बित किया जाय, स्थानान्तरित किया जाय, यह सब कुछ हो। गवर्नमेन्ट की ओर से जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की गयी। विरोध पक्ष के सदस्य इस बात के प्रतिरोध में कि इन सरकारी अधिकारियों को वहां से हटाया नहीं जा रहा है आपके कक्ष में जाकर वह बैठे और आपसे बातचीत की। आपने कृपापूर्वक सरकार से बातचीत की और यह बताया कि सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी ही कुछ करेगी। इस सम्बन्ध में हमने जानकारी की है सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। न किसी जज की जांच करने के नियुक्ति की गयी, उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई।

दूसरा, प्रश्न, अधिकारियों को परसों के दिन जब यह जानकारी मिली कि सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है तो उन्होंने यह कार्यवाही शुरू कर दी कि रिकार्ड को किस प्रकार से टेम्पर विथ किया जाय, गवाह कौन कौन हो सकते हैं, उनको धमकाना शुरू कर दिया। तो परसों की स्थिति में और आज की स्थिति में काफी परिवर्तन है। जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करने के बाद जो माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी वह आशंका सही सिद्ध हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है आपके माध्यम से सरकार से कि उस जुडिशियल इन्क्वायरी के संदर्भ में जिन लोगों को भी दोषी माननीय सदस्यों ने, लगभग सारे माननीय सदस्यों ने माना है, उनको तुरन्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हटायी जाय। साथ ही जुडिशियल इन्क्वायरी कौन जज करेंगे, क्या टर्म्स एण्ड रेफरेन्स होंगी, वह तुरन्त हाउस की मेज पर रखी जायें। बोलो बोलो खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा है····

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : नेता मेहता नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नेता, विपक्ष के नेता हैं। सदन के नेता नहीं है। विपक्ष के नेता हैं।

श्री मेघराज तावड़ : आपने मेहता, कहा। मेहता नहीं नेता हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेहता मैंने नहीं कहा। आपके कान में ठेक ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी अभी आ रहे हैं, कोई भारत सरकार के सैक्रेटरी आये हुए हैं, उनसे बात करके अभी आ रहे हैं, जो विरोधी दल के नेता ने आशंका व्यक्त की उसके बारे में वह स्पष्टीकरण देंगे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह काफी नहीं है। जब इतना गंभीर मामला चल रहा है अव्वल तो मुख्य मंत्री जी को जाना नहीं चाहिए था, उनको यहां आना चाहिए था। वह चले गये, यह कहां तक····

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां उठाया गया, माननीय सदस्य। मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। शुक्रवार के दिन विपक्ष के विविध पक्षों के नेतागण मुझसे मिले थे। मैंने तत्काल ही मुख्य मंत्री जी से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया। उसके पश्चात वह दौरे पर चले गये थे। अब जब मुख्य सचेतक महोदय ने सदन को यह निवेदन कर दिया है कि मुख्य मंत्री जी आकर कुछ घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उनको आने दीजिए। अब उसमें कौन सी बाधा खड़ी हो गयी···

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता के साथ, विनम्रता के साथ, बहुत अदब के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कि मामला अनिर्णीत था, कोई फसला नहीं हो पाया था, उनका कोई आश्वासन नहीं आया था। जो मुख्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप इन्क्वायरी बिठला दीजिए, इन्क्वायरी बिठलाने के बाद आप दोषी मान लीजिए, सजा भी दे दीजिए। लेकिन 4 हजार परिवार और 10 हजार मवेशियों का जब तक इन्तजाम नहीं होगा तब तक वह मामला अधूरा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा मामला उठा रहे हैं। उस प्रश्न के साथ और प्रश्न जोड़ रहे हैं।

श्री राजबहादुर : दोनों प्रश्न जुड़े हुए है। मैं इस पर जोर देता हूं। मेरी भावना की आप कद्र करें। सवाल यह नहीं है····

श्री अध्यक्ष : यह विचारणीय विषय नहीं था। मैं समझता हूं कि इस बात को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री राजबहादुर : हजारों वर्षों का राइट छीना गया है, उसका सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मुख्य सचेतक ने कहा, मुख्य मंत्री जी जब आयेंगे तब किसी वक्त स्थिति को स्पष्ट करेंगे । मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है ।

श्री मेघराज तावड़ : समय तय कर दिया जाय कि कितने बजे आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थगित किया गया । समय न लें ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, वह आये ही नहीं तो क्या होगा ।

श्री राजबहादुर : प्रिंसीपली यह बात स्थापित है कि सदन बड़ा है पार्लियामेन्ट्री डैमोक्रेसी में, बाकी सब काम छोटे हैं ।

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंन्ट्री डैमोक्रेसी में तो यह है कि उसकी चर्चा हो गयी, गवर्नमेन्ट ने कुछ आश्वासन दे दिये । कृपया थोड़ा धैर्य बरतिये, आगे क्या स्थिति बनती है ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है । उस दिन भी आश्वासन नहीं दिया तो आज उनका क्या भरोसा है कि हमारे लिए टाइम निकाल कर यहां आयेंगे ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री अनंग कुमार जैन व श्री बाल चन्द्र आर्यवीर–झालावाड़ जिले में लगाये गये हैण्ड पम्पों में से आधे से अधिक हैण्ड पम्प खराब होने के विषय में,

(2) श्री नन्दलाल मीणा–कृषि उद्योग निगम बनने के बाद कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरणों का लगभग 300 टन लोहा निगम के चार्ज में देने में होने वाली गड़बड़ियों के विषय में,

(3) श्री देवीसिंह भाटी–बीकानेर की तहसील कोलायत के कई गांवों में गत 5-6 माह से गेहूं, चीनी व कैरोसीन तेल का वितरण न होने के विषय में,

(4) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी–श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल–बूंदी जिले के नैनवा नगरपालिका क्षेत्र में 3 मार्च की रात्रि को हुई साम्प्रदायिक घटना के विषय में ।

(5) श्री कैलाश मेघवाल–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के वितरण हेतु दवाइयों की खरीद के लिए रेट कांट्रैक्ट का अनुबन्ध करने हेतु टेण्डर मांगने की तारीख खिसकाने के विषय में,

(6) डॉ० उजला अरोड़ा व श्री घनश्याम तिवाड़ी-जयपुर विकास प्राधिकरण की मुरलीपुरा व विद्याधर बस्तियों में बनाये गये मकानों की क्वालिटी ठीक न होने के बावजूद उनकी कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी करने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं या अस्पष्ट हैं और माननीय सदस्य इन विषयों पर अन्य अवसरों पर चर्चा कर सकते हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :-

(7) सर्वश्री हंसराज शर्मा, चुन्नीलाल जेलिया व कुंजीलाल-जिला सवाई माधोपुर में 220 ग्रामों में पेयजल की कमी के विषय में,

(8) श्री रामकंवार बैरवा-राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने तथा अन्य विषय खोलने में फागी विधान सभा क्षेत्र को वंचित रखने के विषय में,

(9) श्री छीतरलाल आर्य-पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत मेंहन्दवास के ग्राम घुघालिया में वर्ष 1975 से हरिजनों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाने के विषय में

(10) श्री बंशीलाल पटवा- राजस्व अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाने के विषय में,

(11) श्री गुलाबचन्द कटारिया- उदयपुर तथा जयपुर में पुलिस द्वारा निर्दोष. लोगों व पत्रकारों की पिटाई के विषय में,

(12) श्री महाराम चौधरी- कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों का वितरण न होने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और इस पर चर्चा की भी कोई अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो गई है :—

श्री देवीसिंह भाटी-बीकानेर में राज्य परिवहन निगम के वर्तमान बस अड्डे के क्षतिपूर्ण होने के कारण उससे दुर्घटनाएं होने की आशंका के विषय में।

राज्य सरकार ने बताया है कि वर्तमान बस स्टेंड के विषय में प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया है और न ही इस स्थान को खतरनाक घोषित किया गया है, फिर भी अन्य स्थान का चयन कर लिया गया है।

अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अन्य कुछ स्थगन प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। उनका अध्ययन किया जा रहा है और इन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

अब जिन माननीय सदस्यों का मैं नाम पुकारूं वह कृपया अपनी बात संक्षेप में कहने की कृपा करें।

श्री रामकुमार बैरवा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पोइन्ट आफ आर्डर...

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मन्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवा में साम्प्रदायिक दंगा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जिनको इजाजत दी है वे ही बोलें। एक एक करके बोलें, माननीय सदस्य। श्री त्रिलोकसिंह।

(৩৫)

श्री त्रिलोकसिंह : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। सीकर, शेखावाटी में कैरोसिन न मिलने की बाबत मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अब ऐसा है कि जो अपनी कार्य सूची होती है प्रातः उठते ही पहला काम कृपा करके यह किया करें कि आज कौन सी कार्यवाही होगी यह देख लें। सभी देखते ही हैं लेकिन फिर भी भूल से देखने से रह जाती है। कैरोसिन पर आज ही सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जा रहा है।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवा में यह तीसरी बार दंगा होने की स्थिति आई है। पहले भी दो बार दंगा हो चुका है मै खुद नैनवा होकर आया हूं। पहली बार ही स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि आठ दिन में तो पूरे जिले में लहर फैल जायेगी। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि गृह मंत्री और बृजसुन्दर जी शर्मा, वित्त मंत्री जी दोनों नैनवां होकर आये हैं। तो वहां की स्थिति को क्यों नहीं यहां बताया जावे। वहां कर्फ्यू लगा हुआ है...

श्री अध्यक्ष: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री हरीश शर्मा : वहां पर मर रहे हैं लोग। मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दल मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मुसलमान गुण्डा है तो उनको गुण्डा एक्ट में क्यों नहीं लेते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया ऐसी विवादास्पद बात नहीं कहें। अवसर आने पर यदि प्रस्ताव उसी रूप में सदन में आए तो आप बोलें। कृपया बैठ जावें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं गुण्डा हूं तो मुझे गुण्डा कहें। जो दोषी हैं उनको सजा दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी लेने के लिए भेजा है। कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : मैं बैठ जाऊंगा; माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर....

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है....

श्री हरीश शर्मा : वहां आग लगी हुई है। बन्दूकें चली हैं, तलवारें चली हैं...

श्री अध्यक्ष: सरकार से जानकारी मंगाई है, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं भी कल होकर आया हूं वहां आप स्वयं होकर आये हैं। सारी सिचुएशन देख कर आये हैं। वहां ऐसी स्थिति हो गई है। एस.डी.एम. जब तक रहेंगे वहां दंगे और होते रहेंगे। आप तुरन्त वक्तव्य दीजिए। आप उन एस. डी एम. को वहां से हटाइये। वह लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। चार पांच जगह दंगे करा दिए पिछले छः महीने में। प्रशासन ने उन एस. डी एम. साहब को दो महीने तक यहां बिठाया, उसके बाद फिर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भेज दिया। आठ दिन पहले भेज दिया। फिर दंगा हो गया। क्या कर रहे हैं आप ? आप वक्तव्य क्यों नहीं देते ? आप स्वयं होकर आये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि कठिनाई क्या हो रही है ? आप वक्तव्य दीजिए। सरकार जाग्रत है, सरकार जागरूक है तो आपको संकोच क्यों हो रहा है। सब सिचुएशन आपने देखी है, मैंने देखी है। सदन के सामने आ जाये ताकि हम उसके अनुसार एतिहात कर सकें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। ऐसा है कि सरकार वक्तव्य जब आसन अनुमति देगा उसके बाद देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी अनुमति मांगी या नहीं ? हम भी यह कह रहे हैं कि आपकी अनुमति मांगें।

श्री अध्यक्ष: मैं स्वयं भी उनसे पूछ लेता या उनको आदेश दे देता कि उनको वक्तव्य देना चाहिये। मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आया है। मैं जल्दी ही सूचना मंगवा लेता हूं, उसके बाद मैं इस पर कुछ व्यवस्था की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा: वहां के एस.डी.एम. को क्यों नहीं हटा देते ? खुद दंगे करवा रहा है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि 1 और 2 तारीख के बीच में घटना हुई···

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा): माननीय मंत्री महोदय स्वयं गये हैं वहां पर, घटना से परिचित हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जावें।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक): वहां पर भयंकर लड़ाई की तैयारी हो रही है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जावें। आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जावें।···

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन: मैं स्वयं जाकर आया हूं, भयंकर दंगा होने का अंदेशा है···

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें...

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, वहां पर भयंकर दंगा होने का अंदेशा है मंत्री महोदय स्वयं जाकर आये हैं··

श्री हरीश शर्मा: मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इस संबंध में सरकार से बात कर लूंगा। लेकिन कोई विषय आए उसका उसी वक्त सरकार वक्तव्य।····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार तो मौन है, अध्यक्ष महोदय । सरकार है कहां ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इतनी भयंकर स्थिति हो॰॰

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : XXX

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य । समय ले रहे हैं व्यर्थ में ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । आर्डर प्लीज ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां मंत्री महोदय होकर आये हैं । मुझे डर है कि वहां पर कागजातों को बदला जाएगा, वक्तव्य बदला जाएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं॰॰

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है । कृपया नियमों का ध्यान रखिए । अपने यहां पर परम्परा यह रही है कि जब कभी इस तरह के साम्प्रदायिक दंगे वगैरह हो जावें तो उसमें ऐतिहात बरतते हैं । इस संबन्ध में मैं सरकार से बात करूंगा, आपसे बात करूंगा उसके बाद में यदि उचित होगा तो वक्तव्य दिलवाऊंगा । माननीय सदस्य, धैर्य रखिये ।

श्री बाऊदयाल जोशी : एस.डी.एम. ने तीन बार दंगे करवाये हैं । चौथी बार फिर दंगा होने की आशंका है॰॰॰

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जायं । समय ना लें, माननीय सदस्य । इजाजत नहीं दूंगा इस पर ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : हमारा इतना निवेदन है पुलिस और कलेक्टर की मौजूदगी में सारा कांड हुआ है, सारी घटना एस.पी. और कलेक्टर की मौजूदगी में हुई है ।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा धीरे बोलें, ताकि हम सुन सकें । आप धैर्य से बात कीजिये ना ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन है कि आप सरकार से वक्तव्य दिलायें॰॰॰

श्री अध्यक्ष : दिलायेंगे, मैंने 'नहीं' कहां कहा है । मैने कहा, मैं सरकार से जानकारी लूंगा ।

श्री गोपाल पचेरवाल : हमारा यह निवेदन है मंत्री महोदय वहां होकर आये हैं । गृह राज्य मंत्री वहां होकर आये हैं । तीन तारीख को जिलाधीश बूंदी, एस-पी. बूंदी

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में धारा 144 लगाने के बाद सारी घटना घटी। यह हमारे जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री की योग्यता...

श्री अध्यक्ष : यह सभी तथ्य सामने आ जायेंगे, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज भी वहां से मुसलमान भाग कर बाहर निकल रहे हैं। टोंक और उनियारा भाग गये हैं। उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है? वे गरीब लोग हैं जिनको तंग किया जा रहा है। जिला प्रशासन पंडित जी के निर्देश पर उन लोगों को तंग कर रहा है। जिला प्रभारी मंत्री सारे राजनीतिक हथकंडे वहां अपना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : ये वहां गये हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया इस तरह से समय ना लें। आर्डर प्लीज। बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के इशारे पर हो रहा है यह वहां।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं कुछ माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव कई तरह के दिये हैं। यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूं वरना अगली कार्यवाही शुरू करूंगा मैं।

श्री नाथूसिंह : आप इजाजत देंगे?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। इस तरह से समय नहीं लिया जाय सदन का, माननीय सदस्य, मैं इस पर कुछ नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्य, पहले आपका स्थगन प्रस्ताव आ गया, मैं जल्दी से जल्दी इस पर सरकार से जानकारी लूंगा। उसके बाद अलग-अलग पक्ष के नेतागणों से बात करूंगा। माननीय सदस्य, इसमें इस तरह से समय नहीं लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर।

श्री नाथूसिंह : स्थगन प्रस्ताव पर जैसे सूचना मंगाते हैं, उस तरह से आप जानकारी करा लें, मंगा लें। लेकिन एक नाजुक विषय है, जारी है वह मामला, दंगे जारी हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कैसे मान कर चलते हैं कि जिस तरह से हमेशा मंगाते हैं वैसे मंगा रहे हैं। जब जल्दी मंगानी होती है उस वक्त जल्दी मंगवा लेते हैं। इसमें क्या बात है। आर्डर-आर्डर...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यदि इन स्थगन प्रस्तावों पर बोलना चाहें तो तो मैं इजाजत दे दूं। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार अखबारों में पढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय ना लें। आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर।

पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि स्थगन प्रस्ताव जब कभी आता है सारे हाउस की प्रापर्टी हो जाता है। यह साम्प्रदायिक दंगा, खून खराबा····

श्री अध्यक्ष : यह प्रापर्टी अभी तो आसन का हुआ है। आसन जब अनुमति देगा तब हाउस की प्रापर्टी हो जायगा।

श्री राजबहादुर : जब आपने पढ़ दिया, रेफर कर दिया तो हाउस की प्रापर्टी हो गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप नियम अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री राजबहादुर : मैं जानता हूं तब ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नियमों की सीधी व्याख्या की जाये। वह चूंकि आ गया···

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : एडजार्नमेंट मोशन है। साम्प्रदायिक दंगा, फसाद और खून-खराबे से ज्यादा और बड़ी गम्भीर स्थिति क्या हो सकती है। जब दोनों मंत्री वहां हो आये···

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव सभी एक ही नियम के अनुसार आते हैं, माननीय सदस्य। आप और हम सब इस नियम को जानते हैं।

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय दोनों हो आये फिर वक्तव्य देने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। ठीक है, माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। मैं, इस मामले में आपने जो व्यवस्था दी कि सरकार से बात करेंगे उसके बाद वक्तव्य की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जरा भी कोई प्रतिक्रिया तो हो, वह इसके ऊपर वक्तव्य देंगे या नहीं देंगे। यह तो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आदेश दे दूंगा तो वक्तव्य दे देंगे वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा हुआ है, आपने भी आदेश दिया और सरकार तैयार नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : ऐसा हुआ नहीं आज तक।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 71

(71)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : अभी तक हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा सरकार भी तो कहे, आपके माध्यम से कहे हाउस में जब सब मैम्बर्स···

श्री अध्यक्ष : मैं जब पूछूंगा तब सरकार कहेगी। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में सरकार से और अलग-अलग पक्ष के नेताओं से अलग से बात करूंगा। इस प्रश्न को एकदम अपन यहां पर तय नहीं कर सकते हैं। कृपया···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार तो···

श्री अध्यक्ष : सरकार कह देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विषय में।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव मिडिल स्कूल, जो 230 राजस्थान में खोले गये हैं, के बारे में है। आपने इसको अस्वीकृत कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपने भी इसको बहुत जरूरी नहीं समझा। सरकार ने तो स्कूल खोलने में भेदभाव किया ही है, आपने भी मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत हल्का बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जो हायर सैकण्डरी स्कूल्स पूरे राजस्थान में 200 खोले गये, जब से मैं विधान सभा सदस्य चुन कर आया हूं तब से मैं बराबर चाकसू के लिए मांग करता आ रहा हूं। सैकण्डरी स्कूल चाकसू में बहुत पुराना है। चाकसू की आबादी सब कस्बों से बहुत ज्यादा है, नगर पालिका क्षेत्र है। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। माननीय राज्यपाल महोदय जब निवाई दौरे पर गये, चाकसू के छात्रों ने राज्यपाल महोदय की घेराबन्दी की। माननीय लीडर आफ अपोजिशन उस वक्त मौजूद नहीं होते तो छात्र बड़े उत्तेजित थे वह शान्त नहीं होते। बालक बालिकाओं को, वहां के लोगों को आन्दोलन करना पड़ा और सरकार को अपनी हार मान कर आंदोलन के बाद स्कूल खोलना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, विकास कार्य हो, या स्कूल का मामला हो, औषधालय हो या दवाखाना हो वह खोलते समय जहां से अपोजिशन के मैम्बर चुन कर आते हैं, उस क्षेत्र के साथ सरकार भेदभाव करती है। यह एक निकम्मी सरकार है। वहां के नागरिकों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार करके सरकार अपने ऊपर लांछन साबित करती है। एक और निवेदन करूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में अनुसूचित जाति की घनी आबादी है। ऐसे क्षेत्र में वर्तमान में सरकार का बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। उसके अन्तर्गत लाखों करोड़ों रुपया गरीबी की रेखा से नीचे वालों को बांट रहे हैं। अगर शिक्षा में आप भेदभाव पूर्ण नीति करोगे तो यह आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार बैरवा : इस पर लांछन और कलंक होगा मेरा निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक जन

(72)

(श्री रामकंवार बैरवा)

जाति क्षेत्र और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस में दो मिडिल स्कूल खोले जावें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य। पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत मेहन्दवास के ग्राम धुआलिया में वर्ष 1975 से हरिजनों को आंवटित भूमि का कब्जा न दिलाने के विषय में।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलाटशुदा जमीनों के कब्जे और उन पर काश्त अधिकार के लिये हरिजन तड़प रहे हैं। ग्राम पंचायत मेहन्दवास में ग्राम धुआलिया में सन् 1975 से हरिजनों को जमीन अलाट की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन गांवों की ओर, कार्यक्रम में हरिजनों की जमीन, जिस पर लोगों ने, बड़े किसानों ने अतिक्रमण कर रखा है, का कब्जा नहीं दिलाया गया। उनके प्रार्थना पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार ने जो प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम चलाया, मुझे लगता नहीं है कि यह कोई अच्छा कार्यक्रम है। यह भ्रष्टाचार गांवों की ओर कार्यक्रम जैसा साबित हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसके मैं कुछ आपको प्रूफ या सबूत पेश करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र अटरू में पंचायत बलंवा कैम्प के अन्दर जो अवैध भू आवंटन किया है उसके संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। 24-1-83 को ग्राम बलंवा में कैम्प लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां एक लक्ष्मी नारायण चौधरी 4 बजे आये, जब कि उनको 10 बजे या 11 बजे आना चाहिये था। उसके बावजूद चार बजे आये। आने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के हरिजनों ने अपने प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. को दिये। एक बृज मोहन हरिजन और दूसरा जगमोहन, इन्होंने अपने आवेदन पत्र दिये तो उठाकर फेंक दिये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त कीजिये। इस पर अन्य किसी तरीके से चर्चा कर सकते हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रथम निवेदन तो आपसे यही है कि हरिजनों की जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाया जाय और हरिजनों को कब्जा दिलाया जाय। दूसरा, मेरे क्षेत्र में एस.डी-ओ. ने अनियमितताएं की हैं, हरिजनों पर अत्याचार किये हैं, उनके बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी और भू-राजस्व मंत्री जी का पत्र लिखें कि एस.डी.ओ. ने शराब पीकर किस प्रकार से लोगों के साथ अनियमितताएं की, किस प्रकार से घोटाला किया है, उसकी तुरन्त जांच करवाई जाय और उसको निलंबित किया जाय। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बालचद्र आर्यवीर (डग) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कुछ प्रकाश डाल दूं।

यह केस फागी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेहन्दवास के धुंआलिया गांव का

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् 1975 में वहां पर हरिजनों को जमीन आवंटित हुई थी । सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हमने हरिजनों के लिये यह किया, वह किया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 1975 में जमीन अलाट हुई और अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया । तो आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि धुंआलिया गांव में हरिजनों को जो जमीन आवंटित की गई उन्हें उनका कब्जा दिलाया जाय और अन्य लोग जो काबिज हैं उनको हटाया जाय । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा, राजस्व अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाये जाने के विषय में । वैसे यह अस्पष्ट है । कोई उदाहरण आपने दिया नहीं, सारे राजस्थान में हुआ, नहीं हुआ इसका क्या लेखा जोखा है ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में जिले की दृष्टि से लिखा है । अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी का क्वोट किया है । मुख्य मन्त्रीजी का जिला है नाम चाहो तो फरमा दूं ।

श्री अध्यक्ष : समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर दीजिये, नाम-वाम कुछ नहीं ।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे बोलने तो दो, हुक्म; बोलने के पहले ही टोक रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में राजस्व अभियान जो चलाया गया, मैं दीगर स्थानों की बात नहीं करता हूं लेकिन भीलवाड़ा जिले में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां जहां हरिजन, बलाई, रेगर, भील और नायक अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं उनको जमीन अलाट की गई । मैंने अपने समक्ष आदेश दिलाये । उसके बाद भी जहां जहां से समाचार आये हैं, मैं स्वयं अभी घूम कर आया हूं । मांगरोप में रत्ता भील, मांगू नायक हैं इनको 5-5 बीघा जमीन कमेटी ने अलाट की लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया । इसी तरह से कांदा में हुआ । गोंदरा में हुआ । दीगर स्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को जमीन अलाट की गई मगर अभी तक उनका कब्जा नहीं दिलाया गया बल्कि कलेक्टर ने स्टे किया । एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे हुआ । इसी तरह से सारे जिले में स्कूलों के लिये जमीन अलाट कर दी । 20 सूत्री कार्यक्रम, राजस्व अभियान, पिछड़े को पहले, जंगल में मंगल और पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम पैदा कर दिये लेकिन अनुसूचित जाति के जिन लोगों को जमीन आवंटित की गई उनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया । इस तरह की दयनीय स्थिति है । मुख्य मन्त्री जी के जिले और उनके क्षेत्र में इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो राजस्थान के आंकड़े किस प्रकार से सही होंगे । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि या तो इस प्रकार के ढोंग बन्द करायें या जिन लोगों को जमीन आवंटित की गई है उनकी सूची मंगायें उन की जानकारी मंगायें और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं चाहे नीचे के लेवल पर या आफिसर लेवल पर उनको कुछ न कुछ ताड़ना, सजा दें । यदि गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, यदि वास्तव में उनका हित चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवे-

(श्री बंशीलाल पटवा)

दन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के फिगर मंगा लीजिये। जिनसे मालूम हो सके कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें सत्यता है या नहीं? अगर सत्यता है तो जो आप कह रहे हैं गरीबों को पहले की बात, तो फिर उनको जो जमीन अलाट की गई है उनका कब्जा क्यों नहीं दिला रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस प्रकार की इरेगुलेरिटीज हो रही है। जो लोग दोषी है उनको सजा दी जाय और गरीब अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनको अलाट की गई जमीन का कब्जा दिलाया जाय अन्यथा आंदोलन होगा और यह जो ढकोसला है इसकी पोल खुल जायेगी। मुख्य मंत्री जी के जिले में इस तरह की स्थिति हो रही है। आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उनको कब्जा दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। बीकानेर में राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान बस अड्डे के बारे में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बीकानेर केन्द्रीय बस अड्डे के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपको यह सूचना दी गई है यातायात विभाग के द्वारा कि वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन ने ऐसा कोई एतराज लिख कर नहीं दिया है कि बस अड्डे से कोई खतरा है, कोई बस गिरने की संभावना है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, आप यातायात विभाग से दरयाफ्त करें कि आज से पांच महीने पहले रोडवेज बस का एक हिस्सा खाई में चला गया था। उस वक्त बाहर से फोर्स बुला कर बड़ी मुश्किल से यात्रियों को बचाया और बस से बाहर निकाला। क्या यह सत्य नहीं है कि अगस्त, 1981 में खाई में एक मेटाडोर गिर गई थी? अध्यक्ष महोदय, यह कैसा उत्तर देते हैं? अगर इसकी सत्यता की जांच करायें, मौके का मुआयना करायें तो मालूम होगा, अध्यक्ष महोदय, खाई की स्थिति ऐसी खराब है कि वहां पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सिर्फ 500 गज के दायरे में बस अड्डा बना हुआ है जो कि पूरे का पूरा हिस्सा जूनागढ़ की खाई से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति को भी यातायात विभाग लाइटली लेता है तो मुझे तो विश्वास नहीं यह मैं तो नहीं मानता कि हमारे यातायात मंत्री जयकृष्ण जी सब को एक आंख से देखते हैं, अध्यक्ष महोदय, बार-बार हम लिख कर देते हैं। जिला प्रशासन के सामने यह बात आई और मीटिंग में भी हमने लिख कर दिया इसके उपरान्त इस प्रकार की सूचना देते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, कृपया इसकी जांच करायें। बिलकुल गलत सूचना दी है। जिला प्रशासन ने लिख कर दिया है, पत्र व्यवहार हुआ है और फिर भी कह रहे हैं, स्थानान्तरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर प्लान में इसको दर्शाया हुआ है, ईयर मार्क किया हुआ है। सिर्फ राजनैतिक कारणों से बस अड्डे का स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, शायद आप पिछले दिनों पधारे होंगे, आपने मौके पर देखा होगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव तो दिया 28 तारीख को, इसका तो सात दिन में जवाब आ गया लेकिन मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था 24 तारीख को कि बीकानेर के नोखा थाने के अन्तर्गत भारत प्रसिद्ध मुकाम मेले के अन्तर्गत

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिस प्रकार से थानेदार ने जुल्म ढाया जिसके कारण आज के दिन भी उत्तेजक स्थिति बनी हुई है, उसकी अब तक सरकार से जानकारी नहीं आई। हमने आसन से बार बार नम्र निवेदन किया है कि सरकार से ऐसे गंभीर मामले पर जल्दी जवाब आये ...

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : वातावरण ऐसा उत्तेजक बना हुआ है कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो जाय। इसलिये निवेदन करूंगा कि ऐसे गंभीर विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया इसकी सूचना जल्दी से जल्दी मंगाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : वह सामान्य तरीके का था उस पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री महाराम चौधरी : कृषि उत्पादन में तारामीरा और राइडा की फसल को ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इस प्रकार से समय न लें। कृपया बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सूर्य कुमार सदस्य, राजस्थान विधान सभा को दिनांक 1 मार्च, 1983 से 14 मार्च, 1983 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सूर्य कुमार विभाजन संख्या 168, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 1-3-83 से 14-3-83 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग का तीसवां प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक) ज्ञापन सहित।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग का इक्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन व राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1980 तक की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है इसमें विलम्ब होने का क्या कारण है? दूसरी मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो 31-वां प्रतिवेदन 1980-81 आपने प्रस्तुत किया है इसके साथ में ज्ञापन नहीं है। इसका क्या कारण है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो प्रस्तुत कर दिया। यह तो मुख्य मंत्री महोदय से ताल्लुक···

श्री अध्यक्ष : ज्ञापन क्या आवश्यक है। कौनसा नियम और संविधान का अनुच्छेद है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यक है। कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट होती है उस पर गवर्नमेन्ट का रि-एक्शन क्या है वह इसके साथ निश्चित रूप से ज्ञापन के रूप में आता है। ज्ञापन में कई बार विलम्ब हो जाता है। जो पी.एस.सी. की रिकमण्डेशन हैं उनमें से कौनसी रिकमण्डेशन सरकार ने स्वीकार की है और कौन सी रिकमण्डेशन अस्वीकार की है, उसका एक ज्ञापन आता है।···

श्री अध्यक्ष : क्या इसके साथ देना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : वह बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, पर सरकार भी कुछ बोले।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कौनसा नियम है जिसके अनुसार इसके साथ ही पेश होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम नहीं है। संविधान के अनुसार ही पेश होना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप आर्टिकल बता दीजिये कि इसके साथ ही पेश करना आवश्यक है। हम पेश कर देंगे आवश्यकता होगी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है 323, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई ज्ञापन इसमें लिखा है। कान्स्टीट्यूशन की किताब नहीं है क्या करें।

श्री अध्यक्ष : आर्टिकल कौनसा है?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो संविधान के पंडित हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सरकार में भगदड़।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनकी नीची निगाह कह रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये धारा 323 पढ़ कर सुनाता हूं, माननीय सदस्यों को बताता हूं, इसमें लिखा है...

श्री अध्यक्ष : आपका एतराज ठीक है। बाद में दे देंगे। आपने प्रस्तुत करने पर एतराज किया है। बाद में दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इसको विदड्रा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ने आदेश दे दिया है। ज्ञापन हम प्रस्तुत कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह तो पता लग गया कि ज्ञापन पेश करना आवश्यक है ? पता लगा या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पता लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्ञापन आवश्यक है। ज्ञापन पेश नहीं किया। ज्ञापन के बिना आप रिपोर्ट हाउस में पेश नहीं कर सकते। आप वापस ले लें। यह इज्जत का सवाल नहीं है। संविधान की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : संविधान की प्रतिष्ठा रखते हुए कार्यवाही की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वापस ले लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, वापस नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हम डाइरेक्शन दे देते हैं कि मेमोरेन्डम पेश करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डाइरेक्शन का प्रश्न नहीं है। यह तो कान्स्टीट्यूशन की कम्पलायेन्स का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। डाइरेक्शन का सवाल नहीं है। आप वर्ड्स देख लीजिये...

श्री अध्यक्ष : यह मैंने देखे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the....

श्री अध्यक्ष : सब क्लाज 2

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a joint commission to present annually to the Governor of each of the states...

श्री अध्यक्ष : कमीशन की राय नहीं मानी हो तो ? क्या पता इन्होंने राय मानी हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे कह दें कमीशन की राय मान ली।

श्री अध्यक्ष : सात दिन की इसमें मोहलत दे देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह वापस ले लें। दिक्कत क्या है। यह कान्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। यह तो वापस ले लीजिये। लॉ मिनिस्टर महोदय, आप फर्माइये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा एतराज यह है कि 1982 की रिपोर्ट इन्होंने अभी तक पेश नहीं की है। 1982 की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है। इस रिपोर्ट को क्यों रोका? यह हाउस की मेज पर क्यों नहीं रखी गयी है? पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअली अपनी रिपोर्ट देता है। 1981-82 का वर्ष समाप्त हो गया। 1982 की रिपोर्ट इस सरकार को मिल गयी। वह रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई मियाद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मियाद है। इसमें मियाद है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इस सदन की कई बार व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। एनुअल रिपोर्ट सरकार को मिले, सरकार अपना ज्ञापन तैयार करे। ज्ञापन के साथ जो पहला सत्र हो विधान सभा का उसमें पेश कर दी जाये। इस आसन से कई बार इस सम्बन्ध में व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख लेता हूं। कल इस पर निर्णय दूंगा।

परिवहन राज्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हाउस का अपमान है। क्या कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप से आज्ञा लेकर।

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मंत्रीजी के स्थान पर। ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35 ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। खेतसिंह जी प्रस्तुत करें या अन्य कोई मंत्री प्रस्तुत करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। कोई भी प्रस्तुत कर सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय जब कहें उस समय सरकार का कोई मंत्री तैयार न हो ..

श्री अध्यक्ष : थोड़ी सी, एक सैकण्ड की देरी हुई है। सूचित भी कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था कर दें। जिस मंत्री का नाम लिस्ट आफ बिजनेस में लिखा हुआ हो वह अनुपस्थित रहे तो वह आपकी अनुमति ले, आपको लिखित में इस बात की सूचना दे कि मेरे नाम पर जो बिजनेस लिखा हुआ है, मैं किसी कारण से अनुपस्थित रहूंगा इसलिये माननीय फलां फलां मंत्री इसको सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, अभी तक कह देते हैं और लिखित में भी देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आज का मुझे ध्यान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान नहीं है। इस सरकार को कब तक बचाते रहेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हम तो कहते ही नहीं, पत्र भी लिखते हैं। मैं अनुपस्थित था तो मैंने पत्र लिखा कि मैं फलां फलां दिन उपस्थित नहीं रह सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : साधारणतया मंत्री गण मुझे सूचित करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आज तो नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा हम को ताड़ना देते हैं। कभी कभी उस पक्ष को भी आप ताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपको ताड़ना कब देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार नाराज हो जाते हैं। आप उधर भी थोड़ी नाराजगी प्रकट करिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं विरोधी दल के माननीय नेता महोदय से सहमत हूं कि कोई भी मंत्री अगर बाहर जाये तो पहले उसको आपकी आज्ञा लेनी चाहिए।

अब मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं करनी चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : जो पेपर हाउस की टेबल पर ले किया जाता है उस समय यदि कोई मंत्री अनुपस्थित हो तो दूसरा मंत्री उसको ले कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसमें कोई एतराज नहीं किया है। माननीय खेतसिंह जी कह रहे थे कि अगर कोई मंत्री अनुपस्थित रहे तो कम से कम अध्यक्ष महोदय को सूचना मिलनी चाहिए ताकि वे सस्पेंस में न रहें कि कोई मंत्री है या नहीं है। आज तो स्वयं खेतसिंह जी ही सस्पेंस में थे, उनको ही पता नहीं था। वेक्यूम क्रियेट नहीं हो इसलिये वे खड़े हो गये थे। वह चीफ व्हिप हैं फिर भी उनको खुद यह जानकारी नहीं थी। इसलिये उन्होंने स्वयं ने कहा है। शायद यह पहली बार है हिन्दुस्तान के इतिहास में कि किसी चीफ व्हिप को शिकायत हो कि कोई मंत्री जाये तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर जाये। इससे साबित होता है कि मुख्य सचेतक को भी पता नहीं था कि वे कहां गये हैं। जब उन्होंने देखा कि वेक्यूम क्रियेट हो रहा है तो वे खड़े हो गये क्योंकि यह उनकी ड्यूटी है। मुख्य सचेतक को जितना विजीलेंट रहना चाहिए उतने विजीलेंट थे वे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : मैं उपस्थित था। मैंने खेतसिंह जी से कहा कि मैं कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ही कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न तो आपको पता था कि मैटर क्या है और न ही खेतसिंह जी को पता था कि मैटर क्या है इसलिये मैं कर दूं, मैं कर दूं कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि रिपोर्ट ले होनी है। अध्यक्ष महोदय, कृपा करके इस पर व्यवस्था फरमावें, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आम तौर से मंत्रीगण बाहर जाते हैं तो पहले सूचित कर देते हैं। यदा-कदा ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूचित नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति आज सामने आयी है। इस सम्बन्ध में जो बात कहनी चाहिए, मुख्य सचेतक और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के

(श्री अध्यक्ष)

जो मंत्री हैं उन्होंने कह दी। उसका मैंने कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं किया। इसका मतलब मेरी स्वीकृति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब ताड़ना हुई ना ?

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले में अकाल पीड़ित परिवारों के छात्रों को स्कूल फीस, पुस्तकें व ड्रेस आदि में सहायता

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा, बाड़मेर जिले में अकाल-ग्रस्त परिवारों के छात्रों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस आदि में सहायता देने की आवश्यकता की ओर राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ा मालानी): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के अन्दर पिछले पांच साल से लगातार अकाल के कारण किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गयी है कि उनको स्वयं का पेट भरने में भी बहुत मुश्किल होती है। आज किसानों के लिये स्वयं का पेट भी भरना मुश्किल है। ये अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकते हैं, उनको दिन में एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। क्या ऐसी परिस्थिति में वह अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की फीस, किताब-कापियों और उनके कपड़ों तथा खाने-पीने की व्यवस्था कर सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्य सरकार अकाल राहत से प्रभावित लोगों को मदद देने के लिये प्रति वर्ष करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करती है उसी तरह से अकाल से प्रभावित परिवारों के जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिये जाना होता है और जिनके स्कूल की फीस, कपड़े और किताबों के लिए पैसे देने की स्थिति में किसान नहीं हैं उनको अकाल राहत के नाम से कुछ छात्रवृत्ति नहीं देंगे तो उनकी शिक्षा के ऊपर बहुत भारी असर पड़ेगा। बाड़मेर जिले में किसानों की यह स्थिति है कि आज किसान लोगों को एक समय भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से आज हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 18 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको अकाल राहत काम पर नहीं लगाया जाता है। यदि वे पढ़ाई बंद कर दें तो भी उनको किसी प्रकार के काम पर नहीं लिया जाता है, जिससे वे रोजगार से भी वंचित हो गये हैं। एक ओर तो उनको 18 वर्ष का न होने के कारण कोई काम

(12.55 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन)

पर नहीं लगाया जाता है और दूसरी ओर उसको पढ़ाई के नाम से कोई सहायता नहीं दी जाती है, यह उनके साथ बहुत भारी अन्याय है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप अकाल राहत के नाम पर लाखों की तादाद में मजदूर लगाते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आप पीने के पानी और चारे के नाम से भी पैसा खर्च करते हैं। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिनका भविष्य खराब हो रहा है, की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगर वे पढ़ाई नहीं कर पायेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? सभापति महोदय, जब कि लगातार पांच साल से अकाल पड़ा है, किसान के घर में एक पैसे की आमदनी नहीं है, स्वयं का और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती है? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उनकी तरफ और उनके भविष्य की तरफ ध्यान दे।

सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में सबसे कम है। जिले में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिक्षा है, साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है...

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : नागौर का पश्चिम का हिस्सा भी इसमें है।

श्री हेमाराम चौधरी : अगर आप विद्यार्थियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वहां की हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी। इसलिए उनको छात्रवृत्ति मंजूर करके उनको शिक्षा की दृष्टि से ऊंचा उठाना होगा।

सभापति महोदय, यही नहीं 18 वर्ष से कम की आयु के युवकों को अकाल राहत पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है इस कारण वह राजस्थान की अन्य जगहों पर ही नहीं हरियाणा और दूसरे प्रान्त, जहां कि उनको मजदूरी मिल सकती है, में जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो क्या स्थिति होगी।

सभापति महोदय, आज शहरों के युवक हैं जो कुछ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुली वगैरह का काम करते हैं। उनको पैसा कमाने के लिये यह सब करना पड़ता है जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। वह पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा के नतीजे खराब रहते हैं जिससे उनकी शिक्षा का बड़ा भारी नुकसान होता है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अकाल से प्रभावित लोगों की आप अकाल राहत के नाम से इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं परन्तु आपका ध्यान विद्यार्थी की तरफ कभी नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थी की तरफ भी ध्यान दें। जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको अकाल राहत कार्य की तरह से अकाल राहत छात्रवृत्ति देकर सहायता दी जा सकती है, उनकी मदद की जा सकती है। आप एस. सी और एस.टी. के छात्रों को छात्रवृत्तियां देते हैं, गरीब विद्यार्थियों को मैरिट कम नीड

(श्री हेमाराम चौधरी)

छात्रवृत्ति देते हो उसी तरह से अकाल से प्रभावित छात्रों को अकाल राहत छात्रवृत्ति के नाम से छात्रवृत्ति दी जाय, अकाल राहत सहायता कोष कायम करके उनकी मदद की जाय ताकि वह शिक्षा से वंचित नहीं रहें।

सभापति महोदय, बाड़मेर में लगातार पांच साल से अकाल है। किसान के लिए स्वयं का पेट भी भरना मुश्किल है। इसके साथ-साथ बाड़मेर में सब प्रकार की सरकारी वसूली ऋण आदि की हो रही है। वह आज पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो वह अपने बच्चों की पढाई की व्यवस्था कैसे कर सकता है। एक तरफ तो सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और डंडा लेकर उनसे ऋण की वसूली कर रही हैं, उन पर दबाव पड़ रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। उसको सरकारी वसूली तो देनी ही होगी क्योंकि सरकार की शक्ति के आगे वह दब जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों की तरफ भी ध्यान दें। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनके परिवार वाले भी उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं, उनको सहायता नहीं दे सकते हैं जिसकी वजह से उनकी शिक्षा का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आन्ध्र प्रदेश में जब कि साधारण परिस्थिति है किन्तु स्कूल के विद्यार्थियों को एक समय का भोजन दिया जाता है। तो राजस्थान के अन्दर बाड़मेर जिले में जब लगातार पांच साल से अकाल की स्थिति है तो उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? विद्यार्थियों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इसलिए सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। ऐसी स्थिति में उनकी पूरी व्यवस्था नहीं हुई तो किसान परिवारों की स्थिति विषम हो जायेगी। पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होने की वजह से उन्होंने अपना पशुधन छोड़ दिया। वह पाकिस्तान जा रहा है। सभापति महोदय, किसान परिवारों के जो बच्चे गांवों में पढ़ते हैं अगर उनको किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं देंगे, तो आखिर समय ऐसा आयेगा कि बच्चों को भी स्कूल छोड़ना पड़ेगा। सभापति महोदय, वह स्थिति पैदा न हो, इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दें और जिस तरह से जो कुछ भी कर सकें वह करें। उनके स्कूल की फीस है, किताबें हैं, ड्रेस है और खाने की व्यवस्था है उसके लिए कुछ न कुछ सहायता देने की अवश्य घोषणा करें। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा, यदि आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां के विद्यार्थी, जो आज मारे मारे भटक रहे हैं, में भारी रोष पैदा होगा। उनके लिए तो सरकार किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर रही है, सभापति महोदय, किन्तु अकाल के नाम से करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है। अकाल राहत कार्यों पर अकालग्रस्त लोगों को रोजगार दे रही है, उन से भी ज्यादा विद्यार्थियों को सहायता देने की आवश्यकता है, वह लोग तो अपना पेट बाहर जाकर भी पाल सकते हैं लेकिन एक विद्यार्थी जो स्कूल के अन्दर पढ़ रहा है, को अपने परिवार की तरफ से यदि सहायता नहीं मिले और आप किसी तरह की सहायता नही दो, तो वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जायगा। मैं यह समझता हूं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

दी जा रही है, बाकी अकाल राहत के नाम से पैसा खर्च हो रहा है और लोगों को अकाल सहायता उपलब्ध करवा रही है। अकाल प्रभावित जो लोग हैं उनमें से सब से ज्यादा विद्यार्थी को सहायता दी जाये तो सबसे ज्यादा उपयोगी होगी क्योंकि जो विद्यार्थी स्कूल के अन्दर पढ़ता है उसके लिये न तो कोई रोजगार है, न किसी तरह से वह कमा सकता है। आज फेमिन रिलीफ अकाल राहत कार्यों में जो मजदूर लगते हैं, अकाल राहत कार्य पर काम करने वाले मजदूर, जिनको कि 3-4-2 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है, अपना खुद का पेट अपनी औरत का और छोटे बच्चे, जो स्कूल नहीं जाते हैं, का पेट पालकर जो बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है उसके लिये पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी विकट स्थिति हमारे जिले के अन्दर पैदा हो गई है कि बच्चों की हालत बहुत खराब है। बाड़मेर जिले के अन्दर जब भी मैं स्कूलों के अन्दर गया हूं तो मैंने देखा है, बच्चों की हालत बहुत खराब है। यही नहीं, सभापति महोदय, गांवों के अन्दर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल हैं; उनमें पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है फिर भी उनको किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह अकाल सहायता के नाम से छात्रवृत्ति के लिए कोष कायम करके

(1.04 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष; पदासीन)

अकाल प्रभावित विद्यार्थी, जो लगातार 5 साल से अकाल से प्रभावित हैं, को सहायता देने की कृपा करें। सब परिवार 5 साल से अकाल से प्रभावित हैं। उनकी आमदनी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जो किसान कैसी भी आर्थिक स्थिति में था, आज उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके पास विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, किताबें, फीस, ड्रेस की व्यवस्था करने के लिये और खाने के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि सरकार उनकी मदद करे ताकि विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित नहीं रहें और समय पर पढ़ाई कर सकें। नहीं तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ मजदूरी करनी पड़ती है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आपने सब कठिनाइयां बता दीं।

श्री हेमाराम चौधरी : उनकी हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। गांवों के साधारण लोगों को आप रोजगार देकर मदद करते हो तो मैं समझता हूं विद्यार्थियों की मदद करना सरकार का पहला दायित्व है क्योंकि वह हमारे देश की भावी पीढ़ी है, उसी पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करेगा। हमारी भावी पीढ़ी यदि अनपढ़ रह जायेगी, शिक्षा से वंचित रह जायेगी तो देश बहुत पीछे रह जायेगा। यदि आप विद्यार्थियों की मदद करेंगे तो बाड़मेर जिला के लोग हमेशा आपको दुआयें देते रहेंगे। अंत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिए व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोद

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

श्री माननीय सदस्य श्री हेमाराम जी चौधरी ने बाड़मेर जिले में उत्पन्न स्थिति के कारण छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था में कठिनाइयां उत्पन्न होने और उसके निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रयत्न करने का एक प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अकाल राहत विभाग का प्रश्न है, उसकी अपनी कुछ सीमायें हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेन्ट जनरेशन का सवाल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। पीने के पानी की कोई समस्या है, उसके लिए हम कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, पशुओं के चारे और दाने की व्यवस्था का सवाल है, उसके लिए हम पैसा खर्च कर सकते हैं। यह सारा पैसा केन्द्र सरकार से अलग अलग मदों के रूप में हमें प्राप्त होता है। मेरी मान्यता है, छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था करना या उसके लिये साधन जुटाना अभी तक परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, माता-पिता, उनकी सहायता पर हमेशा निर्भर रहता है। इसी दृष्टि से बाड़मेर जिले की जो स्थिति है, उसको देखते हुए अकाल राहत कार्यों पर जितने अधिकतम श्रमिकों को लगाया जा सकता है, उतने लगाने का प्रयत्न किया गया है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा। सन् 1981 में फरवरी महीने में 34 702 श्रमिक बाड़मेर में कार्यरत थे। 1982 में 30160 श्रमिक कार्यरत थे। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि 1983 में 37,100, मतलब, गये तीन सालों के कम्पेरीजन में अधिक श्रमिक इस समय कार्य में लगे हुए हैं। यह सब इसीलिए ··

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : पापुलेशन क्या है जिले की ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद आप बात कर लें···

श्री नंदलाल मीणा : पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इससे भी कम हो सकता है। मैं तो तीन सालों की जो स्थिति है, उसका चित्रण कर रहा हूं, जो प्रश्न इस बार उठाया गया है, यही स्थिति गये दो सालों के अन्दर भी थी, उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं। इतने परिवारों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे निवेदन कर दूं, जहां तक पुस्तकों की व्यवस्था का सवाल है, कपड़ों की व्यवस्था का सवाल है, फीस की व्यवस्था का सवाल है

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलती है···

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह प्रश्न केवल पढ़ाई की दृष्टि से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां तक सीमित है। बाकी अकाल राहत का विषय 19 तारीख को है, उस दिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। आज आप मुझसे सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अकाल राहत कार्यों के बारे में जानकारी चाहेंगे, तो क्षमा करें, मैं देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, इसके लिए तो राहत विभाग द्वारा कोई साधन उपलब्ध करवाना कठिन है। अलबत्ता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत हमको करीब 90 हजार बच्चों के लिए कुछ मिला है, मैं आपसे इतना कह सकता हूं, बाड़मेर जिले के अन्दर करीब 15 हजार लोगों को पोषाहार कार्यक्रम के अन्दर लें, उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जहां तक उसका सवाल है, मैंने आपको बता दिया है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर),

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जहां तक कक्षा एक से आठ तक का सवाल है, उसके लिए किसी तरह की ट्यूशन फीस नहीं है, सारे राजस्थान में नहीं है। तो कक्षा एक से आठ तक की स्थिति आप से निवेदन कर दी। माननीय सदस्य ने बहुत मजेदार बात कह दी; अकाल का बड़ा प्रभाव है, उसकी वजह से कई कठिनाइयां हो रही हैं, विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ कर जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, गये साल प्राथमिक विद्यालय में करीब 41,584 छात्र बाड़मेर जिले में थे और इस बार 48 हजार ...

श्री महाराम चौधरी : आबादी का कितना पर्सेन्ट है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मेहरबानी करिये।

41 हजार के मुकाबले इस साल 48 हजार छात्रों ने प्रवेश लिया। माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, 22,880 ...

श्री अध्यक्ष : दूसरे कोई काम नहीं है, इसलिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, करीब 22 हजार के मुकाबले 27 हजार छात्रों ने प्रवेश लिया है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि अकाल की परिस्थितियों के कारण उनके पास में साधन उपलब्ध नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़कर जा रहे हैं, मैं समझता हूं यह स्थिति तो वास्तविकता के आधार पर मुझे नहीं लगती।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि छोटे बालकों को भी हम रोजगार पर लगा दें। जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को तोड़कर इस तरह की नीति निर्धारित हो कि जो आयु निर्धारित है इससे नीचे के लोगों को हम काम पर लगायें, मैं समझता हूं कि मेरे लिये संभव नहीं है और न मैं इसे उचित मानकर चलता हूं, यह भी मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा।

संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के सम्बन्ध में अलग से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता यह सारे राज्य से सम्बन्धित नीति का प्रश्न है। अकालग्रस्त जो आदिवासी क्षेत्र हमारा है उस क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बात हो, बाड़मेर के लिये कोई बात हो, जालौर के लिये कोई बात हो, धौलपुर के लिये कोई बात हो, यह तो इतना बड़ा प्रश्न है कि मैं समझता हूं सरकार के लिये करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पुस्तकों के लिये, फीस के लिये या कपड़े के लिये हम कोई व्यवस्था अकाल राहत विभाग से कर पायें, यह संभव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

इस पर कोई बहस नहीं होगी। आर्डर प्लीज। आर्डर। आसन पैरों पर है ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा नहीं होगी। अंकित न हो।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बेकार समय ले रहे हैं । अंकित नहीं हो रहा है । आसन पैरों पर है । मैं कुछ कहना चाहता हूं । कृपया विराज जायं । अंकित न हो...

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायं । अंकित नहीं हो रहा है । कृपया, माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मेरा नम्र निवेदन है कि एक नीति सम्बन्धी प्रश्न था जिसका सम्बन्ध केवल बाड़मेर जिले से था । आप चाहते हैं कि तमाम जितने अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं उनसे यह प्रश्न सम्बन्ध रखता है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की पुस्तकें, ट्यूशन फीस, उनके कपड़े आदि के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रबन्ध किया जाय । इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी सरकार की नीति नहीं है और सरकार सहायता देने की स्थिति में नहीं है । माननीय सदस्य, जो कोई भी स्थगन-प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आसन के सामने आते हैं उनमें से जिनको महत्वपूर्ण समझा जाता है, उनमें से किन्हीं में तथ्यों का प्रश्न होता है, किन्हीं में नीतियों का प्रश्न होता है, कई तरह के प्रश्न होते हैं । यह प्रश्न ऐसा था जिसको मैंने महत्वपूर्ण समझा । लेकिन सरकार की तरफ से यह उत्तर आ गया कि हम इस तरह की सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं, न हमारी नीति है, तो उसके बाद में कितनी ही जोरदार ढंग से बहस की जाय, कोई परिणाम नहीं निकल सकता है । यह नीति सम्बन्धी मामला है । सरकार ने कह दिया । इसके बाद भी सदन और सदन के माननीय सदस्य इसको आवश्यक समझते हैं तो इस मसले पर जब अकाल की बहस हो, शिक्षा के सम्बन्ध में जब वाद-विवाद इस सदन के अन्दर हो तब अथवा किसी तरीके से अपने विचार रख सकते हैं । सत्तारूढ़ दल है वह भी अपनी नीतियां कई तरह से बनाता है । यह प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में क्या नीति है, क्या स्थिति है । वह आपके सामने आ गई है । सहायता भी बहुत आवश्यक है पर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब कुछ धन की उपलब्धि पर, राज्य सरकार के निर्णय लेने पर निर्भर करता है । तो इसमें आगे वाद-विवाद से कोई हल नहीं निकलेगा । इसलिए इसमें समय नहीं लेना चाहिये ।

यह महत्वपूर्ण विषय है । आप समझते हैं कि शिक्षा के बिना हानि होती है, सैकड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो जाती है या अन्य कोई मामला है जो आज सदन के

XXXXमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

समक्ष पहली बार यहां आया है। इस पर चर्चा करें, इसके बारे में मत बनायें, हो सकता है कि इसको सरकार कबूल कर ले। मैं माननीय सदस्यों से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि हमें यथा-संभव समय की बचत करनी चाहिये। जब आसन की ओर से निश्चित तौर पर यह व्यवस्था हो जाय कि हम दूसरा विषय लेना चाहते हैं तो, माननीय सदस्य, आपके सहयोग के बगैर हम दूसरा विषय ले नहीं सकते, सदन को चला नहीं सकते। बहुत से प्रश्न आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको मैं अपने विवेक से सदन के समक्ष रख देता हूं, थोड़े समय के लिये चर्चा हो जाती है। लेकिन उस चर्चा को अपन को समय में बांधना पड़ेगा, अनिश्चित काल के लिए या लम्बे समय के लिये यहां उन पर चर्चा नहीं हो सकती है। मुख्य जो विचारणीय विषय आय - व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद इसके पश्चात्।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई प्रश्न नहीं होगा।

माननीय सदस्य को यह तसल्ली हो कि एक पूरक प्रश्न पूछने पर मंत्री महोदय उसका जवाब दे देंगे तो मैं 50 प्रश्न इसके ऊपर पूछने की इजाजत दे सकता हूं। लेकिन तसल्ली नहीं होने वाली है, इसलिये . . .

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, कृपया नियमों का उल्लंघन नहीं करें। अब समस्या का हल नहीं निकल सकता। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया नियमों को देख लिया करें, पढ़ कर आया करें। उसके अनुसार बहस कर लें तो अपना बहुत सा समय बच जायेगा। बाद में, माननीय सदस्य . . .

(व्यवधान)

कृपया जब आसन पैरों पर हो तो बीच में न बोला करें और न प्रवेश करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

राज्य सरकार आखिर में तय करेगी, जिस तरह की नीति होगी राज्य सरकार की उसके अनुसार तय करेगी। आपकी भावना तो मंत्रीजी तक पहुंच गई है। जिन माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा उन्होंने बहुत ही कारगर ढंग से और मार्मिक ढंग से उसको रखा है। इसका सोच विचार कर मंत्री महोदय ने जवाब दिया। अब यह प्रश्न समाप्त किया जाता है।

शासकीय वक्तव्य
विभिन्न नगरों तथा राजधानी में मिट्टी के तेल की उपलब्धि में कठिनाई

एक अन्य जो वक्तव्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, वह है राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की उपलब्धि में कठिनाई के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा, श्री त्रिलोकसिंह और श्री मेघराज तावड़ ने

(श्री अध्यक्ष)

दी है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने रखा है। माननीय सदस्य, कई तरह के विषय होते हैं, कई तरह के प्रस्ताव होते हैं आसन उन सब को एकत्र कर लेता है। क्योंकि मिट्टी का तेल हर गांव, हर क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है अतः अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी तकलीफ रखें इस उद्देश्य से इसको नहीं रखा है, केवल इस उद्देश्य से रखा है कि कुछ कीमतों में हेरा-फेरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है। कोई नई नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पहले सरकार की तरफ से वक्तव्य होगा। फिर जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कह देंगे। अगर यह कहने लग जायं कि सभी क्षेत्र के अन्दर नहीं है, फलां गांव के अन्दर नहीं है, फलां क्षेत्र में नहीं है तो बहुत लम्बी चर्चा हो जायेगी। मैं अधिक से अधिक आधे घंटे का समय देता हूं, वरना जो मुख्य विषय है उसके लिये समय बहुत कम रहेगा। इसलिये पहले मंत्रीजी वक्तव्य देंगे उसके बाद में जिन 4 माननीय सदस्यों के मैंने नाम पुकारे हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कह देंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री मंत्री जी।

श्री घासीराम यादव (राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15-2-1983 से भारत सरकार द्वारा कैरोसिन तेल वितरण की नयी घोषित नीति के अनुसार नयी प्रणाली लागू की गई है। इस नई प्रणाली में रियायती दर से कैरोसिन तेल की 70 पर्सेन्ट मात्रा रखी गई है जो कि कमजोर वर्ग के लोगों को सुलभ कराई जायगी जो कि घरेलू उपयोग के लिए रखी गई है। शेष 30 पर्सेंट कैरोसिन जो रखा गया है गैर रियायती दर से गैर घरेलू उपयोग हेतु सुलभ हो सकेगा। जब तक ऐसे व्यक्तियों अथवा परिवारों का वर्गीकरण नहीं हो जाता जिनको रियायती दर से कैरोसिन तेल दिया जायगा, तब तक कैरोसिन तेल केवल राशन कार्डों अथवा परिचय पत्रों पर ही शहरों व गांवों में दिया जायगा। प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति माह कितनी मात्रा में कैरोसिन उपलब्ध करवाया जाय इसका निर्धारण जिलाधीश पूर्व के उपभोग पैटर्न व मांग को देखते हुये एवं जिले की आंशिक मात्रा को सामने रखते हुये प्रत्येक राशन कार्ड, प्रति माह निर्धारित करेंगे।

गैर घरेलू उपभोक्ताओं को गैर रियायती दर वाला कैरोसिन उपलब्ध होगा। घरेलू कार्य हेतु कैरोसिन उपभोक्ता यदि अतिरिक्त कैरोसिन की मात्रा चाहें तो गैर रियायती दर वाला कैरोसिन प्राप्त कर सकता है। जिस हेतु जिलाधीश द्वारा माहवारी मात्रा तय की जायगी। ऐसा वितरण भी राशन कार्ड पर दर्ज किया जायगा। शहरी क्षेत्र में रियायती दर और गैर रियायती दर के वितरण केन्द्र अलग-अलग होंगे। जिलाधीश इनकी अलग-अलग संख्या अपनी आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षित कर सकेगा ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। हर एक शहरी क्षेत्र में कम से कम एक गैर-रियायती दर वाला वितरण केन्द्र अवश्य रहेगा। सभी जिलों को मार्च, 1983 का आवंटन रियायती व गैर रियायती दर से प्राप्त होने वाले कोटा के अनुसार प्रसारित किया जा चुका है। अब सभी जिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे पूर्ण तत्परता से कैरोसिन की नई वितरण नीति क्रियान्वित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह। संक्षेप में।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, केरोसिन एक ऐसी चीज है जिसको गरीब से गरीब तबका काम में लेता है। खास तौर से गांव, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, के काश्तकार अपने घर का काम छोड़कर, कुए का काम छोड़कर, फसल का काम छोड़कर दस मील चलकर शहर आते हैं। जब वह शहर में आते हैं तो हमने देखा है कि दुकानदार दुकान बन्द करके चला जाता है। हमने कलेक्टर और राशन अधिकारियों से संपर्क कर कहा, यह क्या है, कब तक गांव के लोगों को परेशान करेंगे ? उन्होंने कहा जल्दी व्यवस्था हो जायगी। हम नहीं समझे इस बात को जल्दी कब व्यवस्था हो जायगी। शहर में लोगों के घरों में हर तरह के साधन हैं, बिजली है, बहुत से लोगों के जनरेटर हैं पर गांव का गरीब आदमी जो चिमनी जलाता है, अपनी झोंपड़ी में एक चिमनी जलाता है उसको चिमनी के लिए भी तेल नहीं मिलता, 35 साल की आजादी के बाद आज भी नहीं मिलता तो क्या करेगा वह आजादी का ? यह सरकार जैसे हर मामले में निकम्मी है, तेल के मामले में हद दर्जे की निकम्मी है तेल नहीं है इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं इस मसले को लेकर कोई बड़ा दंगा नहीं हो, वक्त रहते हुए सरकार व्यवस्था करे, हम ख्वामोख्वाह लोगों को यह नहीं कहना चाहते कि तेल के मामले को लेकर कुछ करो। तेल उनके लिए बहुत जरूरी है। अरे गांवों में तो स्टोव भी नहीं जलता, खाना पकाने में भी तेल काम में नहीं आता, खाली रोशनी के लिए काम में आता है, और वह भी कभी-कभी यदा-कदा, पर गांव के आदमियों को केरोसिन नहीं मिलता, वह निराश होकर जाते हैं। मैं मेरे जिले की बात कहता हूं, सीकर जिला राजस्थान में एक मशहूर जिला है, जागरूक जिला है, अभी अभी मैं ढाई-तीन दिन सीकर रहा, कम से कम पचास गांवों में गया मीटिंग लेने। सारे गांवों में एक ही सवाल था, तेल का क्या हुआ ? तेल की कब व्यवस्था होगी ? सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गांव के लोगों को शहरों की गरीब बस्तियों को केरोसिन तेल सप्लाई किया जाय, वह भी ठीक मात्रा में सप्लाई किया जाय। कम से कम भी अगर तेल उनको दिया जाय तो पांच लीटर दिया जाय। मैंने देखा है खाली एक लीटर तेल दिया जाता है। गांव से 15 मील चल कर किसान शहर आयेगा। पूरा दिन खराब करके जायगा, आने जाने में दस रुपये खर्च होंगे फिर भी एक लीटर मिले भी तो वह एक लीटर तेल का क्या करेगा। मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय, जो गांवों की हालत को जानते हैं, किसान के बेटे हैं, माकूल व्यवस्था करें। इस मांग के साथ मैं मेरी बात खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़। संक्षेप में कोई प्रश्न हो तो। नीति संबंधी उन्होंने घोषणा की है। कोई सुझाव हो तो दें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मैं एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है। मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया और व्यवस्था की बात भी कह दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहां कहां, क्या क्या कमजोरियां रहती हैं, मैं मन्त्री जी का ध्यान

(श्री मेघराज तावड़)

उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गांव के गरीब आदमी के लिये आज भी बड़े डीलर्स को तेल देते हैं। जो डीलर है वह तेल जहां देना चाहिये वहां नहीं दे करके ब्लेक कर देते हैं और फिर कहते हैं कि गाड़ी नहीं आई। वह तेल उन गरीबों तक नहीं पहुंचा सकते। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पंचायतवाइज सहकारी समितियों के जरिये वितरण करवावें ताकि आम लोगों को कैरोसिन मिल सके। मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बड़े डीलर हैं एजेन्सी जिनके पास हैं उनका पांच लीटर दस लीटर का जो नाप है आप कभी भी अचानक जाकर जांच करें वह सही नहीं होता है। उदयपुर में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, केस भी दर्ज हुए लेकिन आपके इंसपेक्टर वगैरह हैं उनसे मिलकर कुछ ले देकर उनको छोड़ देते हैं। मन्त्रीजी यह बहुत अहम बात है कि पांच लीटर या दस लीटर का जो नाप है उसमें साढ़े चार लीटर, या चार लीटर से ज्यादा तेल नहीं निकलता है। ज्यादा से ज्यादा निकलना है तो चार लीटर निकलता है क्योंकि उसके पेंदे में, मतलब कुछ है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ यह कहना चाहूंगा पंचायतवाइज...

(1.28 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी सभापति, पदासीन)

सहकारी समितियों से वितरण करावें। शहरों में भी आज पान की दुकान पर या कहीं पर जायं तो लोग यही कहते हैं कि तेल की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग बड़े परेशान हैं। इसकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है। बहुत से लोग तेल केवल रोशनी के लिये जलाते हैं। उनके पास इसके अलावा रोशनी के लिये कुछ नहीं है। शहरों में रहने वाले लोग स्टोव जला करके अपना खाना बनाते हैं। खुद भी 10 दिन तक कोशिश करता रहा लेकिन पांच लीटर कैरोसिन नहीं मिला। तेल की ठीक व्यवस्था नहीं होने की वजह से केवल गरीब आदमियों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आप अन्दाज लगाइये, आम आदमी को कैरोसिन नहीं मिले तो वह कैसे रोशनी की व्यवस्था कर पायेगा, कैसे खाना पकायेगा। इसलिए इसकी पूरी व्यवस्था करें और इस बात का पूरा ध्यान रखें, इन्सपेक्टर्स को इस तरह के आदेश दें कि कोई भी केस पकड़ में आ जाय तो दबावें नहीं। मेरा यही कहना है।

श्री सभापति: माननीय श्री चतुर्वेदी जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा)): माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने तो दोहरी नीति लगा दी है वह चर्चा का विषय नहीं इसलिए मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा किन्तु माननीय मन्त्री महोदय ने जिस नीति का उल्लेख किया है वह इतनी अस्पष्ट है कि राजस्थान के पूरे परिवेश में राज्य सरकार कितना तेल प्रति यूनिट या प्रति राशन कार्ड देगी यह निश्चित उन्होंने नहीं किया है। आपने अपने वक्तव्य में यह सारा काम जिलों पर छोड़ दिया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं इसके कारण पिछले दिनों में एक अभाव की स्थिति का निर्माण हो गया है इस कारण भयंकर भ्रष्टाचार शुरू हो गया है वांछित लोगों को तेल नहीं मिल रहा है और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अवांछित लोग अनाप-शनाप तेल ले रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं दो तरह की रेट हो गई हैं 1.79 रु. 3.30 रु. की। एनहान्स्ड रेट 3.30 तीस पर्सेन्ट लोगों के लिये तीस प्रतिशत जो तेल है उसकी है, 70 पर्सेन्ट तेल, जिसको राशन कार्ड पर वितरित करवा रहे हैं उसकी 1.79 रु. है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राशन कार्ड की स्थिति शहरों में, गांवों में और कई स्थानों पर इस प्रकार की है कि कई लोगों के पास ठीक से राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, कई जिलों में दूसरे राशन कार्ड बनाने की आपकी अस्पष्ट नीति के कारण प्रथा चल पड़ी है। इस कारण से जो तेल खरीदने गया उसको कहा कि नया राशन कार्ड बनेगा। राशन कार्ड बदलेंगे। यह जो चर्चा शुरू हो गई है इसके कारण उपभोक्ता को उन स्थानों से तेल राशन कार्ड के कारण नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जो तेल बेचने वाले लोग हैं, उनके पास सामान्य व्यक्ति जाता है वह कहता है राशन कार्ड है। वह कहता है, इस प्रकार का नहीं दूसरा राशन कार्ड बन रहा है। 2.20 या 2.50 रुपये लीटर तेल ले जाओ। मैं आपके सामने स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि कोटा में केन्द्रों, जो राशन की दुकानों के हैं, के द्वारा राशन कार्ड का अभाव होने के कारण, गुम होने के कारण, नये बनने की व्यवस्था नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। दूसरी मैं कोटा नगर की बताता हूं. माननीय सभापति महोदय, वहां स्थिति क्या है 188 डीलर्स हैं, जो पहले तेल बेचते थे बाकी और भी तेल बेचने वाले लोग हैं, सस्ती दर की दुकानें हैं उन्होंने 1974 में कह दिया था कि हम तेल नहीं बेचेंगे। तो तेल का हिसाब लगा कर 188 लोगों को घासलेट का तेल बेचने का अधिकार दे दिया था। अब क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है तो फिर वही सस्ती दर की दुकानों को कह दिया कि तेल ले लो। उनको 70 प्रतिशत तेल मिला, 30 प्रतिशत तेल 188 डीलर्स को दिया। वह भी 22 दिन के बाद तेल मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दरियाफ्त करिये, मेरी कल रात आफिसर्स से बात हुई, 22 दिन के बाद तेल मिला परमिट वालों को। 30 पर्सेन्ट तेल बेचने वालों को एनहान्स्ड रेट पर तेल बेचना है, बढ़ी हुई कीमत पर तेल बेचना है. फिर राशन कार्ड की जरूरत क्या है। बढ़ी कीमत पर वही लेगा आदमी जिसकी सामान्य पूर्ति नहीं होगी, जिसकी राशन कार्ड से मिलने वाले तेल से पूर्ति नहीं होगी। अभी राशन कार्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री महोदय, आपने चर्चा की है, कल तक तो कोटा में चर्चा थी कि हम परमिट देंगे। आपके जिलाधिकारी वह परमिट देंगे एनहान्स्ड रेट वाले डीलर्स, जो 188 हैं, पिछले 22 दिन से भूखे मर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि मरीज के लिए डाक्टर नहीं और डाक्टर के लिए मरीज नहीं। जिनको चाहिए उनको तेल नहीं मिल रहा और जो तेल बेचने वाले हैं उनको 22 दिन में तेल मिला। मिला भी तो उनसे कहा गया कि आप पहले परमिट लाओ जिलाधिकारी से तब तुम्हें हम तेल देंगे। सभापति महोदय, यह ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या दोनों प्रकार की रेट का तेल एक ही दुकान पर मिलता है?

Page No 92

(92)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं जो सस्ती दर की दुकानें थीं, जिन्होंने 1974 में तेल लेने से मना किया था। 188 नये दुकानदार थे जिनको 1974 से लाइसेंस दे रखा है। आपने मिट्टी का तेल जो दस चीजें बेच रहे हैं, उनको ही क्यों दिया, इनको क्यों नहीं, बेचारों को जो लगातार इसका व्यापार कर रहे हैं? व्यापार करने वाले भी कठिनाई में आ गये। उनको एनहांस रेट, 3.30 रु. प्रति लीटर बेचने का जो 30 पर्सेन्ट है वह भी 22 दिन के बाद मिला है। क्या आप इसके विरुद्ध इन्क्वायरी करेंगे? आज तो आप राशन कार्ड की बात करते हैं, पहले उन्ह कहा, परमिट हम जब तक नहीं दें तब तक तेल मत दो। कौन लेगा बढ़ी कीमत का तेल? वह लेगा जिसकी पूर्ति उससे नहीं होती। लोग दर-दर फिर रहे हैं। आवश्यकता थी, राशन-कार्ड खो गये। नये राशन-कार्ड बनने की चर्चा है। गरीब आदमी नहीं ला सकता। वह जाता है उसके पास, वह कहता है कि परमिट लाओ आप उसके बिना मैं तेल नहीं दे सकता। ऐसी घोर अव्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो नीति विषयक आपने स्टेटमेंट दिया है इसमें स्पेसिफिक होइये, जिलों पर मत छोड़िये। राजस्थान में जितने तेल की प्राप्ति होती है उसके अनुसार एक सीमा गांवों के लिए, शहरों के लिए यहां से स्पष्ट बना कर दीजिये। स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण जिले-जिले में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा कमाने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, जिनको तेल चाहिए उनको तेल नहीं मिल रहा है, लोगों में हाहाकार मच रहा है। यदि आपकी स्पष्ट नीति होती तो समस्या का समाधान हो जाता। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपसे कि जिस नीति का उल्लेख आपने किया है और जिलों पर इस बात को छोड़ दिया है, अवेलेबिलिटी आफ ऑयल वहां की आवश्यकता को देखकर करें। सारे प्रदेश की जनसंख्या का आपको पता है गरीब लोगों का पता है। राशन-कार्ड का पता है तो उनके आधार पर कितना तेल मुहैया होना चाहिए, एक परमिट पर इतना होगा, एक व्यक्ति का इतना होगा, यह तय करिये ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अगर नये राशन-कार्ड की चर्चा कर रहे हैं वह नहीं बनाये तब तक उनके स्थान पर पुराने कार्ड को चलने दीजिये। इस चर्चा से घोटाला हो रहा है। कमाने वाले लोग बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, अधिकारी रास्ते निकाल रहे हैं, सस्ती दुकानों वाले रास्ता निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार हो रहा है और जिनको तेल चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, हाहाकार सारे प्रदेश में मचा हुआ है। भगवान की दया से केन्द्र सरकार ने दोहरी नीति बना दी, चीनी की बनाई, उसमें यह हुआ, तेल की बना दी उसमें यह हुआ। यह चर्चा का विषय नहीं है, किन्तु जो नीति बनाई है उसमें आप स्पष्ट नीति विषयक उल्लेख कीजिए, ऐसी गाइडेंस लोगों को भेजिए। सारे जिलों के अधिकारी उसका पालन करें। जनता के सामने भी वह नीति स्पष्ट हो कि प्रति यूनिट और प्रत्येक राशन कार्ड पर उनको कितना तेल मिलेगा। यह जिलों पर मत छोड़िये, इससे बहुत गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपसे कि कैरोसिन की सारी व्यवस्था को देखकर, स्पष्ट रूप से नीति को परिचालन प्रदेश भर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में करायें और प्रदेश के लोगों को केरोसिन के अभाव की स्थिति में न फेंके। गरीब, व्यक्तियों को न फेंके। मुनाफाखोर जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, वह न करें।

कोटा के विषय में मैं कहूंगा कि आप जरा ध्यान दें। 188 डीलर्स हैं उनको काम मिले, सस्ती दर की दुकानें जो पहले थीं उन्हें दें वरना वह बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करें, ऐसा मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैंने स्पीकर साहब से चर्चा की थी जयपुर के बारे में, उनसे बोलने की अनुमति चाही थी, उन्होंने मुझे अनुमति दी थी। जयपुर के मामले में श्री भंवरलाल शर्मा ने भी रखा था, वह चले गये हैं। मुझे स्पीकर साहब से अनुमति मिल गई है।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): मुझे, सभापति महोदय, दो मिनट का मौका दें। केरोसिन की दोहरी नीति हो गई है इस कारण यह बड़ा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को आप अनुमति दें।

श्री सभापति : मैं दो माननीय सदस्य को आज्ञा दे सकता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : यह ग्रामीण क्षेत्र का मामला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय उजला जी के बाद आपको अनुमति दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं तो वितरण व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। जयपुर में 219 दुकानों को आपने वितरण व्यवस्था के लिए परमिट दिया है। इनमें से 140 दुकानों को जो लेवी का केरोसिन है वह भी और जो फ्री सेल का है वह भी, दोनों तरह का दिया है, हमने महसूस किया कि फ्री सेल की दुकानें जो खुली हैं, जो लेवी का है वह बंद करके बैठे हैं, अर्थात् वह अधिक पैसे से बेच रहे हैं। उन पर नियंत्रण आपको करना है।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहां पर जनसंख्या के अनुसार 10 लाख यूनिट होने चाहिये थे। 1981 की जनसंख्या के अनुसार, गये साल भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन जो यहां पर फर्जी यूनिट बढ़ाये गये चार लाख, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह दुकानदार फर्जी यूनिट्स चढ़ाकर ब्लैक मार्केट से तेल बेच रहे हैं, और लोगों को तंग कर रहे हैं। चार लाख यूनिट फर्जी हैं।

दूसरा मैं कहना चाहूंगी आपने छात्रों के लिए, पुलिस लाइन वालों के लिए और अन्य जो लालटेन वगैरह से काम करते हैं, उनके लिए यहां पर कहा कि फ्री सेल में ही लेना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कितनी दिक्कत आयेगी। बंद कर दिये हैं राशन कार्ड। तो राशन कार्ड बन्द कर दिये, उस अवस्था में जो छात्र रह रहे हैं, छात्रावास में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो परिचय-पत्र से दे देंगे लेकिन जहां उनको पढ़ने के लिए केरोसिन की जरूरत है और अन्य कामों के लिए केरोसिन की जरूरत है उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। पुलिस लाइन वाले मेरे सामने डी.एस.ओ. के दफ्तर में कह रहे थे कि हमको फ्री सेल का भी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगी मंत्री महोदय, आपने कहा कि एक दुकान फ्री सेल की खोली जायेगी। सिर्फ एक दुकान। आपने कोयला का डिपो खोल रखा है। आप लोगों को कितना परेशान करना चाहते हैं ? जवाहर नगर के आदमियों को झोटवाड़ा आना पड़ता है। उस पर एक दुकान होगी, आप इसमे संशोधन करें। दूसरी बात जो मैं 'सभापति' महोदय, निवेदन करना चाहती हूं वह यह है कि···

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संक्षेप में ही कहूंगी, सभापति महोदय।

तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने पुरानी पर्चियों वालों को माल नहीं दिया। नयी पर्चियां लेकर जो आते हैं उनको आप माल देते हैं जब कि पुरानी पर्ची वालों की एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कम से कम 79 परमिट इश्यू करने के लिये पुराने लोगों ने एप्लाई किया है। उनको परमिट देने में क्या दिक्कत थी आपको ? आपने इतनी गलती की है कि आपके यहां जो चपरासी हैं उन्होंने लाइसेन्स ले लिया है। मैं आपको नाम बता सकती हूं। एक चिरन्जीलाल नाम का चपरासी है उसके भाई, जो राम किशोर है, को आपने लाइसेन्स दिया है वह लाइसेन्स होल्डर है। इसी तरह मिट्टी का तेल बेचने वाले को चार-चार दुकानें मिट्टी के तेल की दे रखी है। आपने लोगों को बहुत तंग किया है। आपकी वितरण व्यवस्था बहुत ही गलत है। जब शहर में 24 लाख लीटर मिट्टी का तेल आता था दिसम्बर में तब तो आपके यहां पर मिट्टी के तेल की किल्लत नहीं थी और अब, सभापति महोदय, आपके यहां पर 27 लाख लीटर मिट्टी का तेल आता है तो आपके यहां मिट्टी के तेल की दिक्कत आयेगी। यह तो आपके ही द्वारा कृत्रिम अभाव मिट्टी के तेल का हो रहा है। जब आपको 27 लाख लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध है तो आप अगर लेवी का और दूसरा तेल मिला कर दें तो भी आम लोगों को तेल दे सकते हैं लेकिन आप जनता को परेशान करना चाहते हैं। आप हिसाब से दे तो एक आदमी को आठ लीटर मिट्टी का तेल दे सकते हैं। आप अगर जयपुर में 20 लाख लीटर मिट्टी का तेल देते हैं और बाकी 20 प्रतिशत तेल गांवों में देते हैं तो आपके द्वारा गांवों में लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कोटपूतली में तो सबसे ज्यादा मिट्टी का तेल गांवों में दिया जाता है बाकी सभी जगह गांवों में कम दिया जाता है। मैं, सभापति महोदय, आपको नियम 289 के तहत यह आदेश प्रस्तुत करना चाहूंगी। डी.एस.ओ. एक कागज पर दस्तखत करता है दूसरे कागज पर दूसरे व्यक्ति के नाम अन्य विभागीय अधिकारी के द्वारा दस्तखत किये हुए हैं। यह किस तरह के परवाने आप लोगों को दे रहे हैं। आप इस तरह से बात करते हैं आदेश किसी के नाम और दूसरा आदेश दूसरे व्यक्ति के नाम।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप संक्षेप में कहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रही हूं।

एक में रामचन्द्र महेन्द्रकुमार के नाम आदेश दे रहे हैं दूसरे में आप महेशकुमार के नाम आदेश कर रहे हैं। डी. एस. ओ. तो करता है श्री रामचन्द्र महेन्द्रकुमार के नाम और आपके ए.डी.एस. ओ. और एन्फोर्समेंट आफिसर महेशकुमार के नाम आदेश निकाल रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है, मंत्री महोदय, इस तरह की आपकी जो गलत वितरण व्यवस्था है उसमें सुधार कीजिये ताकि लोगों को राहत मिले। इसके अलावा जो आपके यहां पर धान्धली हो रही है उसको आप समाप्त कीजिये।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या, अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रही हूं। यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो फ्री सेल के लिये कहा कि राशन कार्ड पर जो वितरण होगा वह छोटे आदमियों को होगा, ऊंचे आदमियों को आप फ्री सेल में लेने की बात कह रहे हैं तो आपने इसके लिये क्या पैमाना रखा है? मैं इनकम टैक्स देती हूं और हरिश इनकम टैक्स नहीं देता है तो उसको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? तो आपके पास क्या पैमाना है? यह आपकी धांधलेबाजी है। आप धांधली करके जो केरोसिन के वितरण में प्रायमिकता होनी चाहिये उसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। आज यह स्थिति है कि हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास घर में जलाने के लिये लकड़ी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है और अब आप मिट्टी के तेल की समस्या पैदा कर रहे हैं। आपने इसी तरह चीनी के कन्ट्रोल में दोहरी नीति अपना कर लोगों के लिये दिक्कत पैदा की। आपने फ्री सेल की चीनी के लिये राशन कार्ड की जरूरत नहीं रखी। अब मिट्टी के तेल के लिये राशन कार्ड की आवश्यकता बता रहे हैं यह किस तरह की पाबन्दी आप आज लगा रहे हैं। आज मिट्टी के तेल के लिये हमें दूसरे के हाथों खेलना पड़ेगा। इस तरह आप हमारी रोटी छीन रहे हैं। आपने घरों की औरतों को दुखी किया है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह वितरण व्यवस्था में सुधार करें और जो गलत व्यवस्था कर रहे हैं उसको दूर करें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं नियम 289 के तहत कुछ निवेदन करना चाहती हूं...

श्री सभापति : आप समाप्त करें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में मिट्टी के तेल की व्यवस्था में सुधार के बारे में मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं नियम 289 के तहत यह डाक्यूमेंट अगर आप अनुमति दें तो सदन की मेज पर रखना चाहती हूं। यह सरकार गलत काम कर रही है इसके कारण इससे भ्रष्टाचार की सम्भावना है। मैं नियम 289 के तहत यह डाक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहती हूं।

श्री सभापति : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं नियमों के तहत अनुमति चाहती हूं।

श्री सभापति : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अनंग कुमार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो फिर व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार होगा ?

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से सिर्फ दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, कृपया उनके उत्तर दें :

सभापति महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार का सीधा रास्ता खोल दिया है। जब फ्री सैल में केरोसिन मिलता था। उस वक्त भी हमारे झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार बहुत होता था तो अब तो आपने दोहरी नीति करके और ज्यादा भ्रष्टाचार का रास्ता उन अधिकारियों के लिये खोल दिया है। आपने कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की है और जिले के अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और सप्लाई विभाग के दूसरे अधिकारी पहले से ही भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हैं। डी.एस.ओ. रात दिन भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहता है। वह अब और ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। मैं आपको, सभापति महोदय, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे वित्त मन्त्री जी बृजसुन्दर जी शर्मा दिनांक 9-2-83 को जब झालावाड़ पधारे थे तो उनको जिला परिषद की मीटिंग में ए. डी. एम. और कलेक्टर साहब ने यह कहा था कि हमारे यहां पर जो डी. एस. ओ है वह बहुत भ्रष्ट है वह पैसा खाकर गाड़ियां इधर उधर कर देता है। ऐसी स्थिति में आपने जिला अधिकारियों पर यह फैसला छोड़ दिया तो वहां पर निश्चित रूप से गलती होगी और भ्रष्टाचार होगा। आप जब इस बात का उत्तर दें तो इसका उत्तर भी दें। आप राजस्थान लेवल पर क्या स्पष्ट नीति मिट्टी के तेल के लिये लागू करने जा रहे हैं ? लोगों को जिला स्तर पर और ग्रामीण अंचल में किस तरह से मिट्टी का तेल मिलेगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि ग्रामीण अंचल में मिट्टी का तेल अच्छी तरह से ग्रामीण जनता को मिले उसके लिये आप विशेष रूप से व्यवस्था करें। अभी मेरे से पूर्व जो भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने शहरों की समस्या के बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। किन्तु मैं ग्रामीण अंचल में लोगों की समस्या का किस प्रकार से हल होगा उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जब फ्री सैल में मिट्टी का तेल

(श्री अनंग कुमार जैन)

मिलता था उस वक्त 1 रुपया 79 पैसा मिट्टी के तेल की बोतल के लगते थे। उस वक्त भी बेचारे गांव वाले चार चार और पांच पांच रुपये में मिट्टी के तेल की बोतल खरीद कर लाते थे। अब आपने एक बोतल का भाव 3 रुपया 30 पैसा कर दिया तो अब मिट्टी के तेल की बोतल कम से कम सात या आठ रुपये में मिलेगी। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी से जल्दी लोगों को सही कीमत पर तेल मिले इसकी आप व्यवस्था करावें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अब आप इस डिस्कशन को तो समाप्त कीजिये। चूंकि यह नीति संबंधी प्रश्न है अतः इसका मन्त्री महोदय जवाब देंगे। अब आप इसको समाप्त करावें क्योंकि यह बहुत लम्बा हो गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्र का मामला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, वहां पर केरोसिन की बहुत ही कमी है। जो डी. एस. ओ. है वह बिलकुल ही अक्षम और भ्रष्ट है। उससे यह इन्तजाम नहीं होगा। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप स्पष्ट नीति निर्धारित करें और जिलाधीश को डाइरेक्शन दें कि वह ग्रामीण अंचल में लोगों को पूरा मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को समय पर तेल मिल सके।

श्री सभापति : श्री मन्त्री जी।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में गांवों में लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। वहां वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में मिट्टी के तेल में बहुत भारी घोटाला हो रहा है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सभापति महोदय, यह ग्रामीण अंचल का मामला है।

(व्यवधान)

श्री चाव खां : सभापति महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप मुझे अनुमति दें।

श्री सभापति : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान पैदा न करें।

आर्डर आर्डर,
श्री मन्त्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप यह तो बता दें कि आप कार्ड कब तक बनवा देंगे? आप वितरण के लिये लोगों को कार्ड तो बना कर दे देंगे समय पर?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। मन्त्रीजी का उत्तर आ रहा है उसमें सब बातें आ जायेंगी। आप ध्यान से सुनें।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें मैंने उनको बड़े गौर से सुना। माननीय सदस्य श्री त्रिलोकसिंह जी, जो कि फतेहपुर से आते हैं, ने यह सुझाव दिया कि गांवों में मिट्टी के तेल की व्यवस्था बिलकुल खराब है और गांवों में लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। यह बात सही है कि गांवों में वितरण पॉइन्ट नहीं हैं इसलिए गांवों में मिट्टी का तेल नहीं पहुंचता है। जहां-जहां भी जरूरत होती है वहां पर मिट्टी का तेल नहीं पहुंच पाता है। वैसे तो गांवों में लोग मिट्टी के तेल को काम में ही नहीं लेते है लेकिन अगर कोई गांव में मिट्टी का तेल लेने जावे तो उसे कम से कम सही दर पर सही मात्रा में तेल मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं पूरा विचार करूंगा और आवश्यक निर्देश भी दूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपके पास गांव वालों की शिकायत आई क्या? आप गांवों में गये क्या?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हम तो इनके काले कारनामे खोल रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : तो, सभापति महोदय, वहां पर 20-30 किलोमीटर तक लोगों को तेल लेने जाना पड़ता है। इस पर हम विचार करेंगे क्योंकि वहां पर हमारा कोई पॉइन्ट नहीं है वितरण का और कोई आउटलेट नहीं है लेकिन कोई लेना चाहे तो मैं लाइसेन्स देने के लिए तैयार हूं। बहुत सी जगह की मेरी पर्सनल जानकारी है। गांवों में 20-30 किलोमीटर तक दुकान

(व्यवधान)

नहीं है। अभी जैसा कि श्री तावड़ साहब ने कहा, सहकारिता के माध्यम से वहां पर तेल दिलाया जाय। असल में बात यह है कि भारत सरकार की यह नीति है कि सस्ता तेल कमजोर वर्ग के लोगों को मिले। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि कमजोर वर्ग में कौन आता है और कौन नहीं आता है। नये राशन कार्ड बनेंगे तब यह पता लगेगा। वैसे जो भी डिजर्व करते है कमजोर वर्ग के उन सभी लोगों को मिलेगा। हरएक आदमी को नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सरकार की यह नीति सही है। यह नीति सही है। माननीय सदस्य भी कहते रहते हैं हमेशा कि राशन का गेहूं गलत आदमी ले जाते हैं। तो जो आदमी गरीब हैं, जिनको जरूरत है उनको तो रियायती दर

(श्री घासीराम यादव)

पर गेहूं मिलेगा और जिनकी आमदनी ज्यादा है जो कमजोर वर्ग में नहीं आते, उनको नहीं मिलेगा। वह खरीदें तो मार्केट से खरीदें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, इसी से तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना। मैं तो कहता हूं कल और परसों अजमेर में डीलर्स ठेलों पर 3 रुपया 30 पैसे में एक लीटर ···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया मंत्री महोदय को सुनें पहले।

(व्यवधान)

आप मंत्री महोदय को पहले सुन लीजिए।

श्री छोतरलाल आर्य (अटरू) : गांव के लोगों को एक लीटर भी नहीं मिलता और शहर के लोगों को पांच-पांच लीटर मिलता है······

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : यह बात सही है कि आज के दिन हम सबको दे रहे हैं। कमजोर वर्ग और निर्बल वर्ग की छंटनी नहीं हुई है। जब इनकी छंटनी हो जायेगी कि कौन कमजोर और कौन निर्बल वर्ग में हैं तो उनको तेल मिलेगा। आज सब ले रहे हैं और राशनकार्ड पर ले रहे हैं···

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : हालांकि मंत्री महोदय ने कहा और आपने स्वीकार किया है कि वास्तव में गांव के रहने वाले गरीबों को हम तेल मुहैय्या नहीं करा पा रहे हैं···

श्री घासीराम यादव : यह मैंने नहीं कहा। आप अपनी भाषा में कुछ भी कहें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : गांव वालों के लिये क्या करेंगे ? गांव वालों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं आप।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आप पहले मंत्री महोदय की सुनिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

बाद में इस पर विचार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय को पहले सुन लें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं आपकी अनुमति से यह सुझाव दे रहा हूं कि गांव में काश्तकारों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों को आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उन ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से आप गांवों में पर्याप्त मात्रा में तेल दे सकते हैं। आप गांव वालों को दें।

(व्यवधान)

Page No 100

(124)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। पहले आप मंत्री महोदय की सुन लें।

श्री घासीराम यादव : इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

हमारे माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी साहब, जो कोटा से आते हैं, ने एक बात यह उठाई कि पहले 188 आदमी ऐसे थे जो पुराने लाइसेंसधारी थे उनको 30 पर्सेन्ट तेल दिया और 70 पर्सेंट फेयर प्राइस शाप पर दिया है। यह बात सही है। अब हमने नयी नीति अपनाई है कि जब राशन कार्ड पर देंगे तो पुराने लाइसेंसधारियों को कैसे देंगे। राशन कार्डों का हिसाब तो फेयर प्राइस शाप पर है। इसलिए यह बात सही है कि 30 पर्सेंट उनको देंगे और 70 पर्सेंट उनको देंगे। यह बात सही भी है कि वह बेरोजगार होंगे तो अब नहीं होंगे तो धीरे धीरे होंगे। जब सारा ही राशन कार्ड पर चलायेंगे तो पुराने लाइसेंसधारी हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा और फेयर प्राइस शाप पर देंगे। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वह भी फेयर प्राइस शाप की दुकानें लें तो उनकी बात भी कन्सीडर की जायेगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है।

नये राशन कार्ड्स के लिए माननीय चतुर्वेदी जी ने फर्माया कि नये राशन कार्ड बनाकर दे रहे हैं। कोटा में पुराने राशन कार्ड, हो सकते हैं किसी के पास होंगे। उन पर 15 फरवरी तक मिल गया, इसके आने से पहले 28 फरवरी तक मिल गया। अब नहीं मिलेगा। यह तो लोगों में शोर मच गया कि तेल नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा लेकिन आज उतना ही तेल मिल रहा है। सस्ते गल्ले की दुकानों ने नहीं लिया, यह भी कहा लेकिन बाद में उन्होंने ले लिया लाइसेंस। यह तो ठीक है कि पहले नहीं लिया था लेकिन अब लाइसेंस ले लिया।

अब माननीय सदस्य कहते हैं कि सहकारी समितियों से बंटवाओ तो सहकारी समिति फेयर प्राइस शॉप का ही काम करती हैं। अकेले काम करने वालों को तो इससे जाना पड़ेगा और वह फेयर प्राइस शाप लेंगे तो उस पर सरकार विचार करेगी।

माननीय उजला जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यह तो इनके दिमाग में था कि एक दुकान जयपुर में नहीं चली। जैसा इन्होंने कहा हमने 10 पर्सेंट दुकानें रखी हैं। एक दुकान तो कम से कम सारे राजस्थान में, हर कस्बे और शहर में रहेगी, यह मैंने कहा। यहां 10 पर्सेन्ट में 22 दुकानें आती हैं जहां गैर-रियायती भाव का तेल मिलेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि एक दुकान से कैसे काम चलेगा? अधिक दाम पर कोई बेच रहा है तो आप शिकायत भिजवायेंगी तो उसको हम देखेंगे। हर दुकानदार तो अधिक पैसे में नहीं बेच रहा है। कोई स्पेसिफिक कम्पलेन्ट कीजिये तो देखेंगे। यह बात आपने अच्छी कही है कि 4 लाख राशन कार्ड आबादी से ज्यादा हैं और घोटाले होते हैं, ब्लैक भी होता है और गड़बड़ियां भी होती हैं। सरकार इस बात का प्रयत्न पूरा करेगी कि जल्दी से जल्दी फोर्ज्ड राशन कार्डों को खतम किया जाये। सही राशनकार्ड वालों को और गरीब लोगों को नये राशनकार्ड पर देंगे यह सरकार की मंशा है जिससे गरीब लोगों को भी फायदा मिले, वह हम करेंगे।

श्री सभापति : अगला कार्यक्रम ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या कि एक व्यक्ति को कितना तेल मिलेगा ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय का वक्तव्य हो चुका है। माननीय सदस्य, बिराज जायें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है माननीय सदस्य…

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह जी।

समिति का गठन

जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (क), प्राक्कलन समिति (ख) व राजकीय उपक्रम समिति, 1983-84 के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : सभापति महोदय, मैं जनलेखा समिति 1983-84, प्राक्कलन समिति (क) 1983-84, प्राक्कलन समिति (ख) 1983-84 और राजकीय उपक्रम समिति, 1983-84 के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

जन लेखा समिति, 1983-84 :

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1983-84 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।"

प्राक्कलन समिति (क) 1983-84 :

2. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 1983-84 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।"

प्राक्कलन समिति (ख) 1983-84

3. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1983-84 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।"

राजकीय उपक्रम समिति, 1983-84

4. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233 (ख) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1983-84 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

घना पक्षी विहार, भरतपुर गोली-काण्ड के संबंध में वक्तव्य

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, सुबह माननीय खेतसिंह जी, मुख्य सचेतक जी ने सदन में यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आते ही भरतपुर काण्ड के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। वह कब देंगे ? फिर बजट पर चर्चा शुरू हो जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष के अन्दर विपक्ष के नेता, सदन के नेता और सिंचाई मंत्री जी, आपके उप नेता और राजबहादुर जी वगैरह सब बैठे हुए इसी बात पर मन्त्रणा कर रहे हैं। हाउस में आने के बाद हो जायेगा। तब तक वाद-विवाद तो जारी रखिये।

सूचना

आयुर्वेद चिकित्सकों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री वाड़ दयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति जी, मैंने आज प्रातःकाल 127 के तहत एक विशेष चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अनुमति चाही थी। मेरा निवेदन करना यह है कि आज सारे राजस्थान भर के वैद्य, तीन हजार वैद्य और आयुर्वेद के पांचों कालेज के वैद्य इतिहास में पहली बार राजस्थान विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिये आये हैं। मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान के इन वैद्यों के वेतनमानों की असमानता का प्रश्न लगातार पिछले 10 साल से चल रहा है। आज से 13 वर्ष पहले जो वैद्यों के लिये वेतनमान तय किया था 640 से लेकर 1180, आज तक इनका वेतनमान उसी प्रकार से बना हुआ है। सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज जो विशाल प्रदर्शन राजस्थान विधान सभा पर कार्मिक बुद्धिजीवियों का आया है, सहायक चिकित्सकों का आया है, शारीरिक चिकित्सकों का आया है राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी तुरन्त वहां जाकर या अपने चेम्बर में उनको बुलाकर तुरन्त उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं का तुरन्त निराकरण करें। माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न को लेकर गत सत्र में भी चर्चा हुई थी। मेरा निवेदन करना यह है, मेरे एक वक्तव्य पर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही बेरी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जायेंगी, इन वैद्यों के वेतनमानों को सुधारा जायेगा। बहुत ही दुःख और आश्चर्य का विषय है कि बेरी आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, उसने वैद्यों का वेतनमान 800 से 1600 और ए श्रेणी के वैद्यों के वेतनमान 900 से 1700 की सिफारिश की थी लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आपने उन वेतनमानों की सिफारिशों को लागू नहीं किया और 13 साल पहले का जो वेतनमान था वह आज भी यथावत चालू है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने लिखित में दिया है

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने 127 के अन्दर प्रस्ताव किया है ...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री महोदय से एक मिनट में बात कह सकते हैं, the time of the House is not to be squandered away like this.

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने विशेष चर्चा के लिये प्रस्ताव किया है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न को रिजर्व रखा था। इस सम्बन्ध में व्यवस्था अध्यक्ष महोदय देंगे।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : पशुपालन मंत्री जी ...

एक माननीय सदस्य : आजकल चपरासी को 500 रुपया मिलता है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : आयुर्वेद की बात करो, पशुपालन की बात कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इनका जानवरों के चिकित्सकों के बराबर भी वेतनमान नहीं है। राजस्थान में जानवरों के चिकित्सकों को 800 रुपया ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : जानवरों का बहुत बड़ा महत्व है हुजूर ...

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद का नहीं है? मसखरी कर रहे हैं। आयुर्वेद का उतना महत्व नहीं है? आप आयुर्वेद के हितैषी नहीं हैं? बाहर निकलो आप जरा ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : ... संस्कृति में विश्वास करते हो। आपकी दृष्टि में जानवरों के चिकित्सकों का महत्व बहुत ज्यादा है आयुर्वेद के चिकित्सकों का नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज की तारीख में ...

श्री सभापति : व्यवस्था हो चुकी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार से निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद के वैद्यों के वेतनमानों को तुरन्त सुधारा जाये। राजस्थान के कोने कोने से आये हुए वैद्यों की बात को सुनें। आयुर्वेद के पांचों आयुर्वेदिक कॉलेज लगातार 63 दिन से बन्द पड़े हुए हैं, उन पर ताले लगे हुए हैं, माननीय सभापति महोदय ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सरकार आयुर्वेद की उपेक्षा कर रही है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। बजट पर सामान्य वाद विवाद माननीय भारद्वाज जी बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर। व्यवस्था कायम रखिये। कृपया बैठ जायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, इस प्रश्न पर मैंने भी सूचना दी है, मैंने अपना नाम दे रखा है। इस चीज को इतने साधारण रूप से लेकर, माननीय मंत्री महोदय जैसी उपेक्षा से बात कर रहे हैं, मैं आपसे और आसन से निवेदन करना चाहता हूं आखिर लोगों को अपनी बात कहने का रास्ता क्या है ?

श्री सभापति : इस विषय पर पहले व्यवस्था दे चुके हैं, वह रिजर्व रखी हुई है। अध्यक्ष महोदय आकर फिर इस पर निर्णय देंगे। आप धैर्य रखियेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है उसमें···

(व्यवधान)

जब एक बार चर्चा प्रारम्भ हो गई तो क्या वापस उस पर दुबारा चर्चा होगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : आप आयुर्वेद के समर्थक हैं, सभापति महोदय, बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ खड़ी है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं आपने जिन्हें पुकारा है उनको इसी विषय पर चर्चा के लिये पुकारा है ?

श्री सभापति : नहीं, इस विषय पर चर्चा के लिये नहीं, सामान्य वाद विवाद जो चल रहा है····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं तो क्या इस विषय पर दुबारा व्यवस्था होगी ?

श्री सभापति : इसको रिजर्व रखा गया है। अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था देंगे।

माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दुबारा व्यवस्था होगी न इस पर ?

श्री सभापति : अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो होगी ही।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप आयुर्वेद की बात करें······

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कलंकित करते हैं तो आप मत बोलिये······

श्री सभापति : किसी के बोलने पर अंकुश नहीं है······

(व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आप बोलने दो अब।

आदरणीय सभापति महोदय, जैसा निवेदन कर रहा था सरकार ने जो बजट

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पेश किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। लोगों के मन में कई आशंका थीं, न मालूम सरकार कितना घना टैक्स लगाकर लोगों पर बोझ डालेगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राजस्थान सरकार ने लोगों पर टैक्स न डालकर उनको काफी राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी इस बजट के बारे में मैं कुछ मूलभूत बातें कहना चाहूंगा। एक तो मेरा निवेदन यह है कि हम अरबों रुपयों का बजट प्रशासन को चलाने पर खर्च करते हैं उसको चलाने वाली मशीनरी का जो प्रशासनिक तौर तरीका है मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता। मैं इस संबंध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जो सेवायें हैं उसका पुराना तौर तरीका है, लगाने और हटाने का और कर्मचारियों का जो व्यवहार है वह बिलकुल पुराने तौर तरीके का है और वह किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सेवाओं के ऊपर जिम्मेदारी काम की डाली जाये, उनसे जिम्मेदारी से काम लिया जाये। मेरा यही मानना है कि सेवाओं के बारे में लोगों के दिमाग में आज यह है कि एक बार सरकार में घुस जायें उसके बाद काम करें या ना करें, अच्छा करें या बुरा करें, महीने के महीने वेतन मिलेगा भत्ता मिलेगा और लगातार 30–35 साल तक सेवाओं में व्यवधान पैदा नहीं होगा। इस तौर तरीके की वजह से जो बहुत ही भले आदमी होते हैं वे तो जरूर कुछ काम करते हैं, नहीं तो मौजूदा व्यवस्था और मौजूदा नियमों के तहत उनसे काम लिया जाना सम्भव नहीं है। बल्कि लोग यह कहते हैं प्रजातन्त्र के चुने हुए नुमाइन्दे, चाहे वे किसी भी पार्टी के चुने हुए हों, के बारे में आम धारणा है सर्विसेज की कि ये कच्चे नौकर हैं, आज आये हैं और अधिक से अधिक पांच साल बाद वापस चले जायेंगे। हम पक्के नौकर हैं और राज्य में घुस गये हैं इसलिये लगातार 35 साल तक कोई छेड़ नहीं सकता। इस प्रकार की सेवाओं की भावना प्रजातन्त्र के बिलकुल विपरीत है। मैं समझता हूं कि इस मामले में न केवल सरकारी पार्टी को बल्कि विरोधी पार्टियों के चुने हुए लोगों को भी बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये। किसी भी सरकार के पास अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने के लिये केवल मात्र सेवाओं का साधन है। यह उसका एक इन्स्ट्रूमेंट है। जिसका औजार गलत होगा उसका काम सही हो ही नहीं सकता है। मगर इस औजार को ठीक करने के लिये हमको राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिये। कई बार यह देखने में आता है कि सेवाओं की गलत बातों को जो भी विरोधी पक्ष होता है वह नाजायज प्रोत्साहन देता है और सरकारी पक्ष के ऊपर तोहमद लगाने की कोशिश करता है। वे यह भूल जाते हैं कि कभी हम भी इस सरकार में थे और जनता चाहे तो कभी दुबारा सरकार में आ सकते हैं। उस समय वे क्या सोचेंगे? यह बात हमेशा जनतन्त्र के हित में सोचकर चलना चाहिये। मेरा निवेदन है जो आज का नौकर है उसको जिम्मेदारी दे करके आप नियमों के तहत उससे काम करायें। आज का नौकर अपने आपको नौकर नहीं ठाकुर समझता है इसलिये उसको नौकरी करने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती है। बिना नौकरी किये 30 तारीख को जैसा एक नियम बना हुआ है, पेड होता है, 1 तारीख को तनख्वाह का पेमेन्ट

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

होता है। सामान्य तौर पर कोई भी आदमी किसी नौकर को रखता है तो तनख्वाह देने से पहले उसका हिसाब लगाता है कि उसने कितना काम किया है। कोई किसान अपना हाली रखता है, कोई दुकानदार अपना मुनीम रखता है, कोई कारखाने वाला अपना कामगर रखता है तो निश्चित रूप से उसको वेतन देने से पहले इस बात का हिसाब लगाता कि उसने इस महीने में कितना काम किया और उसके अनुसार कितना दाम बनता है। लेकिन सरकारी सेवाओं में नियमों के तहत यह पूछ-ताछ की जरूरत नहीं है कि कुछ काम भी किया है या नहीं, अगले ने हाजिरी भी दी या नहीं या अगले पर जो जिम्मेदारी डाली गई है वह पूरी भी की या नहीं। इसकी कोई जरूरत आपके नियमों के तहत नहीं है। पे बिल बनता है और आराम से एक तारीख को उसका पेमेन्ट होता है। इसलिये उसकी कार्य क्षमता का ह्रास हुआ है। आज स्थिति यह है कि दफ्तर के अन्दर बड़े से बड़े अधिकारी और आफिसर, जिनको बहुत ऊंची तनख्वाह देते हैं, भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।

आज कोई शिकायत आती है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती है। मेरा निवेदन है जिस जिले में जिस सरकारी कार्यक्रम को लागू नहीं किया उसकी जवाबदारी उस जिले के जिलाधीश की होनी चाहिए। जिस विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वह काफी जिम्मेदार आफिसर होते हैं। उन पर जिम्मेदारी डाली जाय और यदि वह जिम्मेदारी को पूरा नहीं करें तो उनकी जवाबदारी होनी चाहिये। मेरा निवेदन है, इस प्रकार के नियम होने चाहिये : जो सरकार नियुक्ति देती है उसको मुक्ति का पूरा अधिकार होना चाहिये। एक जगह लिखा भी है जो नियुक्ति देने वाला दाता है वह उसकी छुट्टी भी कर सकता है लेकिन व्यवहार में देखने में आता है छुट्टी करना तो दर किनार साधारण तौर पर उसका स्थानान्तरण नहीं कर सकते हैं, डांट-डपट नहीं कर सकते हैं। सेवाएं उच्छृंखलता और मन मर्जी से चल रही है इसलिए प्रशासन में सारा व्यवधान पैदा हो गया है। मेरा यह सुझाव है कि नियमों में यह बात दाखिल की जानी चाहिये, आदमी का काम और दाम, दोनों को साथ जोड़ना चाहिये। मेरा इतना निवेदन है कि काम के साथ जो आप दाम को जोड़ देते हैं कि जितना काम करोगे उतना दाम मिलेगा तो दाम देने से पहले हर महीने हिसाब होना चाहिये कि कितना काम किया है और उसी हिसाब से दाम देने चाहिये। पूरा काम किया है, पूरा दाम दीजिये। आधा काम किया है तो आधे दाम दीजिये। लक्ष्यों की पूर्ति में अगर 10 प्रतिशत की है तो 10 प्रतिशत वेतन लीजिये। पूरा काम नहीं किया है तो पूरा वेतन किस प्रकार लेते हैं। इसलिए काम और दाम को जोड़ना बहुत जरूरी है अगर यह नहीं किया गया तो इससे बड़ा नुकसान होगा।

मैं मौजूदा न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं आज लाखों फौजदारी, दीवानी और रेवेन्यू के मुकद्दमे अदालतों में पेन्डिंग पड़े हैं उनके निपटारे का कोई सूना नजर नहीं आता है। इसके सम्बन्ध में इतनी चर्चा होते हुए भी आज छोटे छोटे कामों के अन्दर कोर्ट उलझी रहती है और जो मुकद्दमे वास्तव में न्यायिक हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पटवारी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वैद्य और क्लर्क के स्थानान्तरण होने पर आदमी सीधा कोर्ट पहुंचता है और ट्रान्सफर पर भी कोर्ट फौरन स्टे दे देता है और नये मुकद्दमे पैदा करता है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रशासनिक कामों में व्यवधान पैदा होता है। कोई भी आदमी जो सरकार की नौकरी में है वह सीधा कोर्ट पहुंचता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि फिर सरकार की नौकरी है क्या? आपका प्रशासन क्या है? आपका नौकर आपसे बिना पूछे, संवैधानिक बातें होते हुए ट्रान्सफर के मामले में कोर्ट में पहुंच जाय और वे सुनने लग जायं। हजारों मुकद्दमे पेन्डिंग पड़े हैं– दीवानी, फौजदारी और रेवेन्यू के, उसको कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन रोजाना ट्रान्सफर, नियुक्तियों के मामले कोर्ट का सारा टाइम खा जाते हैं। गांवों का किसान बेचारा न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता है। एक साधारण से मुकद्दमे की भी 10 साल तक सुनवाई नहीं होती है। मेरा सुझाव है, यह सीमा बान्धनी चाहिये कि कौन मजिस्ट्रेट एक महीने में कितने मुकद्दमों का फैसला करेगा, कौन जज महीने में मुकद्दमों को किस प्रकार देखेगा।

एक बड़ा तमाशा है, एक कानून जाना हुआ आदमी कानून के तहत एक चोर को सजा देता है और दूसरा आदमी उसी कानून के तहत उसको बरी करता है। आखिर जिस आदमी ने सजा दी है, उसका विवेचन होना चाहिये अपील के अन्दर। चोर को अगर सजा देना जरूरी नहीं था तो कैसे सजा दी गई। न्यायिक सेवाओं में न्यायिक विवेचन होना चाहिये चाहे वह हाई कोर्ट के स्तर पर हो। यह विवेचना बहुत जरूरी है। यह एक मन मर्जी की बात हो गई कि कोई मजिस्ट्रेट, कोई जज एक फैसला दे और दूसरा, दूसरा फैसला दे देता है। आखिर उचित और अनुचित की सीमा तो होनी चाहिये। इससे बड़ा नुक्सान होता है, बल्कि मैं तो यह भी कहता हूं इससे कई अनियमितताएं पैदा होती हैं। कोर्ट में आप जानते हैं जरा सी तारीख बदलवाने में, नकलें लेने में और छोटी छोटी बातों में भी कितना भयानक भ्रष्टाचार है। एक गरीब आदमी किस तरह कोर्ट, जिसको हम न्याय का मन्दिर कहते हैं, में जाकर अपनी जेब कटवाता है। वहां बिना पैसों के एक कागज भी इधर से उधर नहीं होता है। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि केवल यह कह कर जबान बन्द करना उचित नहीं है कि प्रजातन्त्र में न्यायालयों के खिलाफ मत बोलिये। आज जनता का राज्य है। जनता यह चाहती है कि जो उसके साथ गड़बड़ी करे, अन्याय करे उसको फौरन दूर किया जाय। न्यायालय 10-10, 15-15 साल न्याय नहीं दे पाते हैं इसलिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए।

एक मेरा सुझाव यह है कि आपको जन-अदालतों की स्थापना करनी पड़ेगी। प्रजातन्त्र में जन-अदालतों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। जनता को जब राज्य बनाने जैसी जिम्मेदारी हमने दे रखी है तो वह न्याय क्यों नहीं कर पायेगी। यह जिम्मेदारी हम उसको क्यों नहीं देना चाहते हैं। मेरा सुझाव है जल्दी से जल्दी हमको जन-अदालतों की स्थापना करनी चाहिए ताकि जो छोटे छोटे झगड़ों को लेकर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं उनको उससे मुक्ति मिल सके और जन-अदालतों के माध्यम से हम जनता को, गरीबों को न्याय दिला सकें...

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। क्या न्यायालयों के खिलाफ यहां बोल सकते हैं। माननीय सदस्य क्या यहां क्रिटिसाइज कर सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : नियमों में प्रावधान है। न्याय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : व्यवस्था दीजिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। न्यायालयों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ग्राप कार्यवाही मंगा कर देख लीजिये। इन्होंने कहा है न्यायालयों में भ्रष्टाचार होता है, इसका मतलब है मजिस्ट्रेट ग्रौर जज करते हैं; हम ग्रौर ग्राप थोड़े ही करते हैं; सभापति महोदय।

श्री सभापति : निरस्त किया जाता है। विराजिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, जिन मतदाताओं ने आपसे आशा लगायी है न्याय की, न्यायालय का उनके प्रति क्या रुख है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। क्या आप इससे आंख मूंदे बैठे हैं? मतदाताग्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आप न्यायालय और न्याय की हिमायत करके गरीबों को कब तक चक्कर में रखना चाहते हैं। प्रजातन्त्र में यह नहीं चल सकता...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो ..

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह जनता और गरीबों के हित में होनी चाहिए। इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को आवाज बुलन्द करनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सर्वसम्मति से आवाज उठानी चाहिए ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जन अदालतें होंगी, वह निश्चित ही 80 प्रतिशत मुकदमों को वहां के वहां निपटाएंगी, वाजिब न्याय देंगी और बिना खर्च के सस्ता और सुलभ न्याय दे सकेंगी। तो, माननीय सभापति, जन अदालतों वाली बात आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। मौजूदा अदालतों के अन्दर जजों और कोर्टों में वृद्धि के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा क्योंकि मौजूदा तरीके से तो हम मुकद्दमों का अम्बार ही लगाते रहेंगे ग्रौर मुकदमों को निपटा नहीं सकेंगे ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का अभाव है। आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : दो मिनट में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, हमारी शिक्षा की जड़ है। इसके प्रति हमारी उपेक्षापूर्ण नीति बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के बजट का आनुपातिक दृष्टि से बहुत कम हिस्सा हम प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। एक प्राथमिक छात्र पर हम क्या पैसा खर्च करते हैं और अन्य ऊंची शिक्षा पर हम कितना खर्च करते हैं। यह विचारणीय विषय है और तो और प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। अपने बजट में 3 हजार अध्यापक बढ़ाने की बात आयी है जबकि प्राथमिक स्कूल में 49 पर एक के हिसाब से 10 हजार अध्यापकों की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, 10 हजार अध्यापकों के बजाय हम केवल 3 हजार अध्यापक देने जा रहे हैं। इससे आप समझिये कि प्राथमिक स्कूलों का क्या हाल होगा। जहां पर सौ-सौ डेढ़-डेढ़ सौ लड़के हैं, वहां पर भी एक अध्यापक हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल का एक तरह से भेड़ बकरियों के बाड़े का सा रूप हो रहा है, बच्चों को अनुशासित रखना भी मुश्किल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे किसी दूसरे मद में से पैसा काटा जाय लेकिन जो अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में लगाने वाली व्यवस्था है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अधिक शिक्षक लगाने चाहियें।

जहां तक डिस्पेन्सरीज का सवाल है, बजट में बहुत कम डिस्पेन्सरीज का प्रावधान रखा गया है। 13 डिस्पेन्सरी खोलने की बात है। आप समझिये राजस्थान में बहुत से ऐसे हिस्से हैं, जहां पर 30-30 मील तक एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है। जमवारामगढ़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके अन्दर 25-25 मील तक एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है। मेरा सुझाव है कि जिस जगह पर डिस्पेन्सरी नहीं है, वहां डिस्पेन्सरी खोली जाय। डिस्पेन्सरियों की संख्या बढ़ाकर पिछड़े इलाकों को राहत दी जानी चाहिये।

जहां तक पशु चिकित्सालयों का सवाल है, ऐसी जगह है जहां बिलकुल व्यवस्था नहीं है। मैं आपको अपने क्षेत्र का उदाहरण पेश करता हूं दो लाख की आबादी है 200 गांव हैं और 5 लाख पशु है लेकिन उसमें एक भी पशु चिकित्सालय जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में नहीं है। इसी प्रकार बहुत से और भी चुनाव क्षेत्र हो सकते हैं। आज हम पशुओं के लिए इतना रुपया खर्च करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : लेकिन हम पशुओं के लिए डिस्पेन्सरी नहीं खोलते हैं। माननीय सभापति, मेरा सुझाव है कि कम से कम...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सौ के बजाय 200 डिस्पेन्सरी होनी चाहिये ताकि कम से कम एक चुनाव क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय खोला जा सके, मेरा केवल यही निवेदन है।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मैं पंचायत राज के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत को आपको एक सचिव देना चाहिये। पंचायत राज मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब तक आप पंचायतों को एक सचिव नहीं देंगे तब तक रेगुलर फंक्शन नहीं करेंगी। यदि उसका रेगुलर फंक्शन नहीं होगा तो आप उससे क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं।

सहकारिता मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है आपके मार्फत, वह एक पंचायत की एक सहकारी समिति बनाने ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत संक्षेप में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बहुत जरूरी है। जो 2-3, 3-3 पंचायतों की सहकारी समितियां बनायी गयी हैं, इससे काम में बड़ा डिस्टर्बेन्स हुआ है और इससे नुकसान हुआ है गांव वालों को। इसलिये एक पंचायत की एक सहकारी समिति बनायी जानी चाहिए और उसमें एक व्यवस्थापक की नियुक्ति की जानी चाहिए, मेरा यह निवेदन है।

इसके अलावा मैं यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम जो गांव के अन्दर विकास कर रहे हैं, वह शहरों के अनुपात से कम है। मुझे इस बात की बड़ी पुरजोर शिकायत है कि नगरों के अन्दर चाहे आप कोई हास्पिटल बिल्डिंग बताइये, चाहे कोई कालेज और स्कूलों की बिल्डिंग बताइये, उस सब काम में पैसा सरकार देती है। किन्तु बड़े अफसोस की बात है कि गांवों में जहां पैसे की किल्लत है, जहां गांव में रोजगार की कमी है, जहां गांव में किसान और मजदूर गरीब आदमी बसते हैं, वहां कोई भी बात आती है तो पहले हम उनसे मकान की और सारी सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। माननीय सभापति जी, यह दृष्टिकोण उन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जो ज्यादातर शहरी लोग होते हैं। हिन्दुस्तान के अधिकांश मतदाता, 82 और 84 प्रतिशत मतदाता गांवों में रहते हैं। ऐसी सूरत में हमारे सारे बजट का अधिकांश हिस्सा गांवों की सुविधा के बजाय शहरों की सुविधा के लिए खर्च होता है, यह बात उचित बात नहीं है। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांवों के अन्दर सुविधाएं जो हजारों साल से नहीं मिली हैं, वह सुविधायें गांवों में उपलब्ध कराई जाय, बढ़ाई जायं शहरों के मुकाबले।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेद के सम्बन्ध में। बिल्कुल यह सही बात है कि आयुर्वेद हमारे देश की... ..

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हमारे देश के वातावरण के अनुकूल पद्धति है। उसको हम एलोपैथी के मुकाबले में तरजीह नहीं दे रहे हैं। आयुर्वेद का छात्र मेडिकल छात्र के समान उतने ही वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करता है। वह क्योंकि संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है इसलिए आपने उसके वेतनमान कम कर रखे हैं और अंग्रेजी भाषा में जो उतने ही साल में शिक्षा ग्रहण करता है, आपने उसके वेतनमान बढ़ा रखे हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि हरिदेव जोशी मन्त्रिमण्डल ने जो निर्णय किये थे,

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

हमारी सरकार ने उन सबको लागू किया है लेकिन यह एक ऐसा निर्णय है, जो हरिदेव जोशी मन्त्रिमण्डल ने भी लिया था कि वैद्यों के कम से कम पशु चिकित्सकों के बराबर तो वेतन निर्धारित किये जायं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको अव्वल तो मेडिकल डाक्टरों के बराबर जब उनका कोर्स है, उनका काम बराबर का है तो उनको बराबर का वेतन दिया जाना चाहिए। अगर उससे आर्थिक तंगी हो तो पशु चिकित्सकों के बराबर वैद्यों का वेतन करना बहुत जरूरी है। मैं यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : माननीय देवेन्द्र कुमार जी मीणा। माननीय त्रिलोक सिंह। ठहरियेगा, माननीय सदस्य मौजूद हैं।

(व्यवधान)

दो नामों के बाद आपका नाम आगे लूंगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, तीन इधर के और एक उधर का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। शान्ति से सुनियेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, 1983-84 का जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और...

(व्यवधान)

बैठूं कि अभी तो आपको पुकारेंगे।

सभापति महोदय, इस बजट को मैंने ध्यान से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने यह महसूस किया कि यह गरीबों और आदिवासियों, गरीब कौम और किसानों का बजट है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगा है और न लगाया गया है। यह बड़े गौरव की बात है। इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के जिस गति से काम किये गये हैं जिस भावना से किसानों का ध्यान रखा गया उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन में बहुत सा क्षेत्र पहाड़ी है। उस पहाड़ी क्षेत्र में छोटे-छोटे नाले बहते हैं। हमारे आदिवासी पहाड़ों के बीच में रहते हैं। मैंने पूर्व में भी सरकार से निवेदन किया था कि यदि छोटे-छोटे टुकड़ों को सिंचित करना है तो सरकार को सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट, कुए बनाना जरूरी है। साथ ही उनको बिजली देना जरूरी है। मैं सिंचाई के बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पेयजल की व्यवस्था का प्रश्न है इस वक्त मेरे क्षेत्र के लिये मैं कह सकता हूं कि सराड़ा ऐसा क्षेत्र है, जहां पर पीने के पानी की बहुत कठिनाई है। इसका बहुत बड़ा कारण है। सभापति महोदय, एक कारण यह है कि उस क्षेत्र में पहाड़ियां होने से रोड्स नहीं हैं। आवागमन के साधन नहीं हैं। वहां पर भारी वाहन नहीं जा सकते इसलिए हम उस क्षेत्र में हैण्ड पम्प नहीं लगा पाते हैं। इस कारण हमें साफ, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, जिससे हम लोगों

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

की तन्दुरुस्ती ठीक होती, हम लोगों को फायदा मिलता। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे टुकड़ों को मिलाने की बात, रोड निकालने की बात जो इस बजट में है, वह जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र में ज्यादा रुपया लगा करके सबसे पहले रोड्स को ठीक किया जाय ताकि हम कुओं की, पेयजल की व्यवस्था कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उदयपुर जिला शिक्षा की दृष्टि से सदियों से पिछड़ा हुआ है। पहाड़ों के बीच में है। उस क्षेत्र में हमें शिक्षा की बहुत जरूरत है। आज हम देखते हैं कि दुनिया शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारा आदिवासी भाई अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में कमजोर है। इसका कारण यह है कि आजादी के बाद शिक्षा की दृष्टि से हमारे बच्चों ने विकास तो किया है लेकिन जितनी रफ्तार से करना चाहिए और हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उस दृष्टि से बढ़ने के लिए हमारे सामने कई तरह की दिक्कतें हैं बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भवन बहुत कम हैं, वहां पर हमारे स्कूल भवन अधूरे हैं। पिछले चार सालों से भयंकर अकाल पड़ रहा है, इससे हम अपने गांव की समस्या की पूर्ति नहीं कर सके।

(2.33 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

हम चन्दा नहीं दे सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण हमारे कई स्कूलों के भवन अधूरे हैं। वहां मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक उस क्षेत्र की कमी को पूरा किया जाय, जो भवन अधूरे हैं वह पूरे किये जावें ताकि हमारे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो सके।

अध्यक्ष महोदय मैंने गत साल भी यह कहा था कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हाई स्कूल का जो हैड मास्टर है या वहां का स्टाफ है उनके रहने की बड़ी असुविधा है। हमारे यहां छोटे-छोटे खपरैल होते हैं और उन मकानों में उनके रहने की उतनी गुंजाइश नहीं रहती है। तो स्कूल का जो स्टाफ है उनके लिए स्टाफ क्वार्टर बनाना जरूरी है ताकि हैडमास्टर व स्टाफ वहीं रह सके। वहां रह कर स्कूल टाइम पर सम्भाल सकते हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी कर सकते हैं।

मैं इसी के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में अधिकतर जंगल हैं। बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं हमारे वन मंत्रीजी को कि वे नसीराबाद की साइड में लगने वाले बबूल देख सकते हैं लेकिन अच्छे-अच्छे वृक्ष नहीं देख सकते। मेरा आरोप है इस बात का कि अधिकारियों के द्वारा पेड़ कटाए जाते हैं और आदिवासियों पर जुल्म किए जाते हैं। ये दूसरों को पेड़ बेचते हैं, यह मेरा इन पर आरोप है। इन वृक्षों की रखवाली हम करते हैं, हम वनों के बीच में रहते हैं और हमारा यह काम है कि हम जंगल की रक्षा करें। हमारा प्यारा जंगल है, देश की अमानत है, इसलिए हम लोग जंगल बर्बाद नहीं करते हैं। उसकी कटाई नहीं करते हैं। लेकिन यह अधिकारी ठेकेदारों को दे करके नाजायज फायदा उठाते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। पकड़ा किसको जात

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

है, जो कि एक बोरी लकड़ी ले करके कहीं अपनी रोजी-रोटी की बात करता है, उसको पकड़ा जाता है। जो ट्रक भर कर ले जाता है उसको पकड़ने की इनकी गुंजाइश नहीं है। मैं इसके बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आदिवासियों को पांच-पांच बीघे का बीड़ा दे दिया जावे। हमें घास काटनी है तो हम घास के लिए उस जंगल की रखवाली कर सकते हैं और उस जंगल को पनपा सकते हैं।

साथ ही मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी उपयोजना आदिवासियों के विकास के लिए बनाई है। हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आदिवासियों को आगे लाने के लिए उनका पिछड़ापन को दूर करने के लिए ढेर सारे अनेक कार्यक्रम बनाए हैं लेकिन हमारी कुछ लापरवाही रहा है। जो अधिकारी वहां भेजे जाते हैं वे पंखे के नीचे से हिलने की जरूरत नहीं समझते, वे लाइट से बाहर जाने की जरूरत नहीं समझते। वह लोग पहाड़ों के अन्दर नहीं जा सकते और सारे धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह ट्राइब्स के पैसे का बिलकुल वेस्टेज हो रहा है जो पैसा ट्राइब्स के लिए है वह पैसा ट्राइब्स पर नहीं लगता है। आदिवासियों को बिजली की जरूरत है, जनजाति की योजना के अन्तर्गत उनको बिजली दी जानी चाहिए लेकिन उस योजना में पैसे का उपयोग नहीं होता है। कई तरह के काम हैं, स्कूलों की बात है। यदि इस प्रकार की बातों में उस धन का उपयोग नहीं हो सकता तो फिर हमारे राष्ट्र का इतना पैसा इन गरीबों के पीछे खर्च करने की क्या जरूरत है। जरूरत किस बात की है? अधिकारियों को पेट्रोल की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, बंगले की जरूरत है। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि 75 प्रतिशत रुपया हमारा गरीबों का है वह उनके टी. ए., डी. ए. और प्रवास में खर्च होता है। तो फिर हमारा विकास कैसे होगा? मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की योजना है, सरकार का प्लान है, वह आज देश में जो नब्बे प्रतिशत गरीब रह रहे हैं उनको आगे लाने का है लेकिन हमारे अधिकारी या कर्मचारी सिर्फ अपने वेतन के लिए अपना टाइम देखते हैं कि एक तारीख कब आवे। उस टाइम को देखते रहते हैं लेकिन उन गरीबों की तरफ नहीं देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरफ कदम उठाया जावे। उन गरीबों के लिए भारत सरकार जो रुपया दे रही है, राजस्थान सरकार जो हमारा लाखों रुपया खर्च कर रही है उसका उपयोग हो।

साथ ही को-ऑपरेटिव के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बहुत अच्छी बात है। वह गरीबों के लिए हैं, गरीबों की हितैषी हैं। मैं इस वक्त आपकी मार्फत यही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों ने कर्जा कोई ज्यादा नहीं ले रखा है। आदिवासी सिर्फ खाद, बीज का रुपया लेता है। सौ रुपया लेगा तो उसको भरने की हैसियत नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका पुराना कर्जा बहुत है। अभी आपने सब्सिडी देने की बात कही है लेकिन पुराना कर्जा होने से सब्सिडी से वह वंचित रह जाते हैं। वह सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाते। तो मेरा यह निवेदन है कि उनका पुराना कर्जा माफ करिये जो नये सिरे से कर्जा भर सकते हैं, ले सकते हैं, उनको कर्जा दिया जावे। उसका ब्याज

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

क्या है, अध्यक्ष महोदय ? सौ रुपया लेगा तो उसके पीछे चार सौ रुपया ब्याज का है। इसका प्रमाण मेरे पास में है, आप चाहें तो सबूत पेश कर सकता हूं। इस तरह से वह आगे नहीं आ सकता है। आज चाहे उसके ऊपर पत्थर चलाये जा सकते हैं, चाहे उसको सजा दी जा सकती है लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वह अपना कर्जा नहीं भर सकता। तो मैं आपके मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि एक बार दिल खोल कर के आदिवासियों पर जो को-ऑपरेटिव का कर्जा है वह माफ करने की हिम्मत करें तो वह, उदयपुर जिले का आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्र का आदिवासी आपके गुण गायेगा और आपको कहेगा कि हमारी सरकार हितैषी सरकार है। हमारी तरफ ध्यान देने वाली है। इस कांग्रेस सरकार पर उसका विश्वास है और भारी भरोसा है। वह गरीब आज कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस का साथ देने वाले हैं। मैं इस मौके पर यह बात भी आपसे कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर ऐसी पार्टियां भी हैं जो कि गरीबों को भड़काने की बात करती हैं, गरीब को किसी तरह से पिसवाने की बात करती है, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी है, मैं उस पर यह आरोप लगा सकता हूं कि जब गरीबों के बीच में जा करके हम काम खोलने की बात करते हैं तो वह पहले ही जाकर लूट खसोट करने वालों के हिमायतियों को छूट दे देते हैं। जो लोग इस तरह की लूट-खसोट करने वाले हैं, गरीबों का खून चूसने वाले हैं वे इनके मेम्बर हैं। ये गरीबों का खून चूसते हैं। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने टाइम दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : जनता (जेपी) की तरफ से कोई बोले नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन लोगों की ताईद करता हूं जिन्होंने यह कहा है कि यह सरकार गांवों की नहीं शहर के चन्द शोषक लोगों की है। यह हकीकत भी है। 35 साल का इस किताब में नक्शा नहीं है, मुल्क, जो हमारा प्रदेश है, गड़रा से लेकर आगरे तक और पंजाब से लेकर गुजरात तक घर-घर का खेत खेत का नक्शा बताता है। यह कहते हैं, हमने टैक्स नहीं लगाया। तो मैं पूछता हूं, कोई भी आदमी खेती नहीं करेगा, कमायेगा नहीं तो वह घर कैसे चलायेगा ? टैक्स नहीं लगाया तो विकास कैसे होगा, भाई ? टैक्स जरूर लगाना चाहिये था। लेकिन किस पर ? गायत्री पर, टाटा पर, बिड़ला पर, सरमायेदारों पर। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मेरे सीकर शेखावटी में हजारों मन सोना गढ़ा हुआ है। उस अकेली शेखावटी की गोलख से ही गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र को बांधकर गडरा भेजा जा सकता है। अरे, बहुत दूर नहीं, रूस वाले डॉन दरिया को बांधकर पांच हजार मील ले गये और वोलगा दरिया में मिला दी। चीन वाले एक भयंकर नदी बांध कर खेतों में ले गये। आज वह खेतों में पानी देती है, गांव का विनाश नहीं करती। सबसे पहली बात इस बजट भाषण में यह आयी है कि अकाल पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, अकाल का जिम्मेदार कौन है ? अकाल का जिम्मेदार

(श्री त्रिलोक सिंह)

किसको ठहरायें ? अकाल क्यों पड़ता है ? अकाल किसने रखा ? इस अकाल को इस सरकार ने रखा ।

श्री परसराम मदेरणा : अकाल को ?

श्री त्रिलोक सिंह : सुनिये, जब इस मुल्क में पीपुल्स गवर्नमेंट आयेगी, किसानों की सरकार आयेगी तो सबसे पहले उस हुकुमत के लोगों को कठघरे में खड़ा कर एक ही मुतालबा किया जायगा कि 35 साल तक अकाल को यहां बरकरार क्यों रखा ? वह डायलाग आज मैं कहना चाहता हूं, उस डायलाग को मैं आज कहना चाहता हूं जो मुद्दत पहले राजस्थान में कहा जाता था। अकाल की मां ने पूछा बेटा कहां मिलेगा । तो वह कहता था, 'पग पूंगल धड़ मेड़ता, बाहू बाहड़मेर, आतां-जातां बीकपुर, ठांवो जैसलमेर' और आज क्या हुआ उसका ? वह जैसलमेर से आगरे तक चला गया, भरतपुर को भी निगल गया । हमारे 27 जिलों में से 26 जिलों को अकाल निगल गया ।

श्री परसराम मदेरणा : फतेहपुर बच गया ।

श्री त्रिलोक सिंह : यह कबूल किया है, इस किसान ने भी कबूल किया है कि हमारे यहां अकाल रहता है । मैं पूछना चाहता हूं, जब लुहारू में, भिवानी में गंगा यमुना का पानी आ सकता है तो क्या वजह है गंगा-यमुना का पानी धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और जोधपुर को नहीं दिया जा सकता ? जालौर तक जा सकता है । यह कांग्रेसी हुकुमत घोर अपराधी है । यह कांग्रेसी हुकुमत इतनी बड़ी अपराधी है जिसको कभी माफ नहीं किया जायगा । अगर यह गायब हो गई, खुदकशी कर गई तो इनकी औलाद से मुतालबा किया जायगा । अगर औलाद भी गायब हो गई तो इनके श्मशान से हड्डियां निकाल कर हड्डियों पर पीपुल्स कोर्ट बैठाया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : वहां तो जलाते हैं ।

श्री त्रिलोक सिंह : आज अगर कोई अपराधी है राजस्थान में तो वह कांग्रेसी हुकुमत है, मैं दावे से कहता हूं । अरे, मेरा दावा यह जितने लोग हैं दबी हुई जुबान से कबूल करते हैं। कांग्रेसी कबूल करता है । यह हालात कांग्रेसी हुकुमत ने पैदा किये हैं । आये साल अकाल पड़ता है सिंचाई की व्यवस्था नहीं । अब तो कहते हैं सिंचाई के मद में और कमी कर दी गई । अरे, एक साल डेढ़ साल पहले कहते थे 24 हजार गांवों को पेयजल दिया जायगा । आज क्या हालात हैं ? मैं बाड़मेर गया, जैसलमेर गया, गांवों में गया, गडरा गया और उन बड़े-बड़े टीबों में गया । वहां के बन्दे से पूछा क्या हाल है ? क्या चाहिये ? वह एक ही बात कहता है, पानी चाहिये । अगर पानी लाने वह पड़ोस के गांव मे चला जाय तो डाकू जैसा सलूक होता है, उसको मारा जाता है। मैंने दर्ज किया मेरी डायरी में । छमछोपाल के पास एक गांव के दस जवान पड़ोस के गांव पानी लेने चले गये तो पुलिस ने डंडों से मारा । गांव छोड़ कर कैसे आ गये ? मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की हालत नाजी कैम्पों से भी बदतर है । उसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है । यह कहते हैं ब्यूरोक्रेट-हावी हो गया । अरे, जनता का राज—ब्यूरोक्रेट हावी ! ऐसा कभी हमने इतिहास में नहीं पढ़ा । इसकी

(श्री त्रिलोक सिंह)

वजह यह है कि यह सरकार कमजोर है, xxx यह है वजह। असली वजह यह है। इसलिये इन ब्यूरोक्रेट्स को पीपुल्स कोर्ट को दे दीजिये, एक गांव के किसान को सौंप दीजिये, दो दिन के बाद इनकी हालत देखिये, क्या हो जाय। यह सब बात कबूल कर लेंगे और खुद के पाप भी बता देंगे। यह भी कह देंगे कि हम अकेले पापी नहीं है। यह कांग्रेसी वजीर भी पापी हैं। यह सब कबूल कर लेंगे। यह जो बजट की बहस है, जो राज्यपाल के भाषण पर बहस है यह सब मुल्क के साथ मखौल करना है। जो हालत है उससे आगे नहीं निकल सके हैं। यह कहते हैं, हमने दवा की व्यवस्था की है। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। अरे, कहां रखा है? 90 प्रतिशत रोजी कमाने वाला मुल्क के लिये खून देने वाला तो गांवों में बैठा है, वहां उनके लिये ए.पी.सी. की पुड़िया की व्यवस्था नहीं है। उसका बेटा मर सकता है, बेटी मर सकती है, बहू मर सकती है लेकिन दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर किसके लिये व्यवस्था की? चलिये, और तो और, एक दिन मुझे एक कल्चर सुई लगवानी थी, इन्जेक्शन लगवाना था। यहां एक डिस्पेंसरी है, वहां मैं चला गया। डाक्टर कहने लगा, भाई, यहां स्प्रिट नहीं हैं और सुई भी नहीं है. तो मैंने पूछा: कहां जायं? कहने लगा कि नीचे एक डिस्पेंसरी और है। नीचे गया तो वहां डाक्टर बोला: हमारे यहां न तो स्प्रिट है, न सुई है और न रूई है।

श्री परसराम मदेरणा : रूई भी नहीं है।

श्री त्रिलोक सिंह : ना, कतई नहीं है। और सुनिये, यह मजाक की बात नहीं है, शर्म की बात है। यह शर्म की बात है। कोई सुन्दर तरीके से हंस रहा होगा, हकीकत यह है और यह इनके लिये बहुत खतरनाक है। मैं सीकर गया। डाक्टर से जिक्र किया, तो वह बोला कामरेड, आप स्प्रिट की बात करते हैं, सिरिंज की बात करते हैं यहां तो मरीज का नाम लिखते हैं वह पर्ची नहीं है। पर्ची के लिये चन्दा करना पड़ता है। यह हाल है।

अब चलिये, कहते हैं, हमने शिक्षा के बारे में बहुत काम किया। कहां किया? बड़े सेठ का लड़का ब्रितानिया में पढ़ता है और इनके लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। मोटर छोड़ने जाती है वह भी सरकारी कार। इस ख्याल से पढ़ता है कि आगे वह रूलर बनेगा, बृज सुन्दर जी बनेगा, परसरामजी बनेगा। पर वह पागल है, उसको पता नहीं कि जमाना इन्कलाब के दौर से गुजर रहा है, राज करने वालों की लोग कब्र खोद देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो पोशाल में पढ़ा हूं।

श्री त्रिलोक सिंह : ब्रितानिया और पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वालों को बाई आर्डर खेतों में भेज दिया जायेगा, बाई आर्डर नहरें खुदवाई जायेंगी। याद कर लो वह वियतनाम का इन्कलाब। कह दिया कि चावल लोग खा गये और खाकर लाखों मर गये इनके लिये भी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हालत है इस देश की। फिर कितनी बड़ी तारीफ करते हैं कि हमने

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

विरास किया । अरे मैं चैलेन्ज से कहता हूं इस सरकार को कि जो इस देश के असली लाल हैं वह 4-4 साल के बच्चे होटल में नौकरी करते हैं । गांव में गरीब का लड़का हरिजन का लड़का, इन बड़े-बड़े पद वाले चौधरियों और जागीरदारों के ढोर चराता है, स्कूल नहीं जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आप लोगों की जिन्दगी को चलाते हैं, आप लोगों के यहां सफाई करते हैं वह कितने लोग पढ़ गये ? कहते हैं, हमने स्कूल खोल रखे हैं, हैड मास्टर बैठा रखा है। इन्होंने वहां पर 5-10 टूटी फूटी पट्टी धर रखी है और लड़का जाकर आ जाता है । वह घर आकर रोटी मांगता है, रोटी मिलती नहीं, बच्चा स्कूल जाता नहीं । तो जो हालत चौधरी हेमाराम जी ने बताई, वह बिल्कुल हकीकत है । गांव में तो अकाल पड़ गया और आप लोग तालीम की बात करते हो। अरे गांव का बच्चा सुबह उठते ही कहता है—मां रोटी दे । रोटी नसीब नहीं । और आपके लड़के मक्खन खाकर स्कूल जाते हैं । अमूल की पुड़िया ले जाते हैं । पर याद रखो, इन्कलाब का इतिहास बर्लिन टू कंबोडिया का इतिहास मक्खन खाने वालों का क्या हुआ ? उनकी कब्रें नहीं मिलती हैं, उनका निशान नहीं मिलता है । याद रक्खो, यही इस मुल्क में भी होगा, यह कब तक मखौल करोगे ? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 35 साल के अरसे में सिर्फ आपने यह किया कि हैण्ड पम्प लगा दिये। मैं मदेरणा जी को चैलेन्ज देना चाहता हूं कि सीकर जिले में जितने हैण्ड पंप है, सब बेकार पड़े हुए हैं । यही नहीं, पहाड़िया जी की सरकार ने इस बारे में जब मीटिंग हुई, तब मुझे भी बुलाया था और कांग्रेसियों को भी बुलाया था। मेरे झुंझुनूं जिले के कांग्रेसियों चौधरी रामनारायण जी और हम सब ने एक ही राय दी कि सीकर, शेखावाटी, चूरू में हैण्ड पंप काम नहीं आयेंगे । लेकिन नहीं, उनको तो रुपये हड़प करने थे, एक नहीं करोड़ों रुपये हड़प करने थे । इसलिये हैण्ड पम्प लगा दिये । वह सब हैण्ड पम्प बेकार हो गये । यह मेरा इस सरकार पर इल्जाम है, यह हकीकत है ।

और सुनिये, बिजली के बाबत कहना चाहता हूं । अगर किसी जिले में बिजली देने के लिए कोई ठीक आदमी चला जाय, जो किसानों की सेवा करे तो उसको दूसरे दिन बदल देते हैं । जब हम शिकायत करते हैं, मेरे जिले की शिकायत चौधरी परसराम जी को तो कहने लगे की बिजली बोर्ड हमारे कन्ट्रोल में नहीं है । तो मैंने पूछा, क्या पाकिस्तान के कन्ट्रोल में है ? आपके कन्ट्रोल में नहीं है तो किसके कन्ट्रोल में है ? मैंने कहा, जरा हमें दे दीजिये, एक एक पैसा कन्ट्रोल में हो जायेगा । झुंझुनू में एक ऐसा एक्स. ईएन बैठा है, जो दाढ़ी वाला भूत है । जब से वह गया है उसने किसानों से तय कर रखा है अगर दो हजार रुपये दोगे, चार हजार रुपये दोगे तो कनेक्शन देगा, नहीं तो नहीं देगा । मेरे क्षेत्र की ही एक नजीर बता देता हूं । एक रामदेवा बंशीलाल ब्राह्मण 5-6 साल से खेती करता है, उसकी हकूक खातेदारी है उसके खेत में कुआ है, उस कुए का किसी दूसरे के नाम से कनेक्शन दे दिया और चार हजार रुपया खा गया । यह मैं चैलेन्ज से कहता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह कानून बना रखा है कि अगर गांवाई कुएं का कनेक्शन लेना है तो पार्टी पंचायत बनेगी, सरपंच बनेगा । उस गांव की पंचायत ने तय किया कि यह व्यक्तिगत कुआ है

(श्री त्रिलोक सिंह)

व्यक्तिगत खेत में है इसका कनेक्शन नहीं दिया जाय। परन्तु 6 हजार रुपये में वहां कनेक्शन दे दिया। मेरे सीकर में एक पालवास गांव है। अध्यक्ष महोदय, हमने बीस बार फैसला कर लिया कि हरिजनों के कुएं को कनेक्शन दिया जायगा लेकिन इस हुकूमत की औकात नहीं कि हरिजनों के कुएं को कनेक्शन दे दे क्योंकि वहां का चौधरी, वहां का जागीरदार खिलाफ है। मैंने कलेक्टर से कहा कि भाई तू तो हरिजन का लड़का है, हरिजन प्यास मरते हैं। मुझे कहने लगा, मैं लाचार हूं कामरेड साहब।

अब आ जाइये स्कूलों पर। स्कूल बेच कर खा गये। मैं चेलेन्ज से कहता हूं इस हुकूमत से कि यह गांव के स्कूल को बेच कर खा गया। किसी ने सौदा कर लिया 20 हजार देने का, कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार आया वह रुपये खा गया और स्कूल जहां खोलना था वहां नहीं खोला गया और दूसरी जगह खोल दिया गया। मैं पूरी हुकूमत को चल कर बता सकता हूं कि यह कैसे हुआ। यह हालत है गांव में। किसानों को शिक्षित करने की बात करते हैं, इस नाम पर उनसे वोट भी मांगते हैं किताब में भी लिख देते है पर हकीकत क्या है? मेरे जिला हैडक्वार्टर पर 15 लाख किसान हैं लेकिन लड़कियों का एक स्कूल नहीं है एक बोर्डिंग नहीं है उन गांवों की लड़कियां कहां पढेगी, कहां ठहरेगी, यह पूछना चाहता हूं इस हुकूमत से अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में मिनिस्टरों की एक फोज बना रखी हैं। पता नहीं इस विभाग में 8-10 मिनिस्टर हैं। उनको तो लूट करनी है, बांट बांट कर खाना है यही नहीं मेरा गांव राजस्थान में अलमशहूर गांव है। आजादी की लड़ाई में मेरा गांव तबाह हुआ है हमने तांत्या टोपे, शाहजादा फैथ, तुलनबीराम और बालाजी सिन्धिया को पनाह दी। उस जुर्म में अंग्रेजों ने मेरे गांव को तबाह कर दिया। मेरे बुजुर्गों को जेल में रखा और जागीरदारों के जमाने में 28-28 साल की सजा दी। मेरे भाई, मेरे ताऊ के बेटे और अन्य 14 आदमियों को 28-28 साल की सजा हुई। उस गांव के स्कूल के लिए मैंने इस सरकार से कहा। हमने दो लाख रुपया लगा कर स्कूल की बिल्डिंग बनाई लेकिन हमारा स्कूल दूसरी जगह बेच दिया गया। किसी रिश्तेदार ने सौदा कर लिया और अपना मामला फिट कर लिया। यह तय कर दिया। ऐसा हो सकता है।

आप कहते है कि अकाल पीड़ितों की हम सहायता करते हैं। अकाल क्या है—राजस्थान सरकार की दुकान है। हर साल सेन्टर से 10-20 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया ले आते हैं और हड़प कर जाते हैं। जो मिनिस्टर साहब पिछली साल गये, बैदजी महाराज दिखे नहीं। मैंने पूछा, भाई यहां कैसे आये। कहने लगे, अकाल का काम देखने आया हूं। मैंने कहा कि एक जगह तीन सौ हरिजन औरतें तीन महीने से काम कर रही है, मिट्टी डालती हैं उनको पगार नहीं मिली है। मई, जून और जुलाई में उनको पगार नहीं मिली है, डेली वेजज नहीं मिला है। बैदजी महाराज फर्माते हैं यह तफरी करने आती है। तो मैंने कहा, आपकी घरवाली को भेज दो वह भी तफरी कर लेगी। अभी तो आपका राज है अभी नहीं करेंगी तो कब करेंगी। अगले दिन एक मिनिस्टर और आ गया। मुझे भी बुलाया। यह कौन हैं? यह व्यास जी महाराज हैं। मैंने पूछा, व्यास जी महाराज क्यों आये हो?

(श्री त्रिलोक सिंह)

उन्होंने कहा, मैं अकाल का जायजा लेने आया हूं। अकाल का जायजा। मैंने कहा, अकाल तो सावन में पड़ा और व्यासजी आये फागुन में। देखो तमाशा। मैंने कहा, यह बताइये, कितने आदमी को काम देना है। कहने लगे, एक हजार को। सीकर जिले में एक हजार गांव हैं और एक हजार आदमियों को काम देना है। यानी एक गांव के एक आदमी को काम देना है। यह अकाल की बात है। यह हालत है। देश की तरक्की के लिए आप क्या चाहते हैं हमें पता नहीं है लेकिन हम तो एक ही बात चाहते हैं, आप लोग इस प्रदेश का पिण्डा छोड़ दीजिये। आप लोगों से यह राजस्थान बहुत तंग आ गया है। मैं कांग्रेसी दोस्तों से अपील करूंगा कि यह सरकार किसानों की दुश्मन है, यह सरकार मजदूरों की दुश्मन है। यह सरकार बड़े जागीरदारों की है, यह बड़े सरमायेदारों की सरकार है। उद्योगपतियों की सरकार है।

(व्यवधान)

अरे××× भाटी को क्यों घसीटते हो।

(व्यवधान)

यह बात नहीं है। वह लम्बा इतिहास है। अरे देशभक्त गोपा को जेल में केरोसिन डाल कर जला दिया। उसे जलाने वाला एक हवलदार हनुमानसिंह था, कांग्रेसी राज में वह डी. आई. जी. बन गया। देखा आपने, कैसा जनता का राज आया। ऐसा है जनता का राज। इस राज की जितनी तारीफ की जाय उतनी ही थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा मखौल है। अरे, यह कांग्रेसी हुकूमत राजस्थान प्रदेश की जनता के लिये अभिशाप है। हम चाहते हैं कि जनता को अपने हाल पर छोड़ दो। जनता अपना फैसला करेगी नहीं तो याद रखो, आपका वही हाल होगा जो दुनिया में जुल्मी सरकारों का हुआ है। मुझे इस बजट के बारे में यही कहना है कि यह बजट बिल्कुल बेकार है, निकम्मा है और आम लोगों के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वह राजस्थान की विगत वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष में किस प्रकार से हम विभिन्न योजनाओं के जरिये राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के विकास और भलाई के लिये काम करेंगे, मैं समझता हूं, इस दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने समाजवादी चिन्तन, लोक कल्याण की भावना और समाज के निर्बल और कमजोर तबकों के उत्थान की योजना के साथ, राजस्थान की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद जिस बुद्धिमता से बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

यह सही है कि राजस्थान में पिछले 4-5 साल से लगातार अकाल के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। हमारी योजनाओं पर भी इसका कुल

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 120

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मिलाकर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। हम यह मान कर चलते हैं कि इन सब के बावजूद देश की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने घोषणा-पत्र में जो इस बात का वायदा किया है कि समाज के गरीब तबके के लिये रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करनी है, इस सारे बजट का चिन्तन और मनन करने के बाद हम इन सब बातों को इसमें पायेंगे। बहुत से भाई इस बजट में कई प्रकार की कमियां और यह बताते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं रखा है। मैं समझता हूं कि यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा शाब्दिक रूप से हर बजट की बहस के अवसर पर कहे जाते हैं। मगर जब हम वस्तु स्थिति को देखते हैं तो इस राजस्थान में इतने घाटे के बावजूद मध्य कालीन ऋण लेकर हमारी सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम करके अपनी आय के संसाधनों की रचना करके उनका बजट में समावेश किया है। इसका मैं आगे जाकर जिक्र करना चाहूंगा।

मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। अकाल के बावजूद हमारे जो सीमित साधन हैं उसके बावजूद और बहुत सारी बातें होने के बावजूद आज इस बात को हमको मान कर चलना पड़ेगा कि राजस्थान की कृषि आगे बढ़ी है, राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था आगे बढ़ी है और सामाजिक सेवा में विस्तार हुआ है। इस दिशा में कुछ किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान की जो आवश्यकता है और जितनी आज राजस्थान में कमी महसूस की जा रही है उस दृष्टि से आज बहुत कुछ किये जाने की गुंजाइश बराबर नजर आती है। कई सुझाव दिये जाते हैं, सुझाव दिये भी जाने चाहिये। इसका सरकार की ओर से स्वागत होना चाहिये। मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास की दिशा में जितना भी किया जा सकता है उसके लिये प्रत्येक सरकार और सरकार को चलाने वाले सभी लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिये। खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष की जो योजना हमारे सामने आई है वह योजना निश्चित रूप से गत वर्ष के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत से अधिक की योजना है। 416 करोड़ रुपये की है। इस योजना पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो खास तौर से जिन बातों पर ध्यान दिया गया है उसमें सिंचाई के कार्य पर सब से अधिक 216 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सेवाओं में लगभग 85 करोड़ की व्यवस्था है। कृषि पर 72.82 करोड़ की व्यवस्था है। पथ परिवहन व संचार पर 19 करोड़, सहकारिता पर 5.50 करोड़ और अन्य पर 2.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, कुल मिला कर इस योजना का जो वर्गीकरण किया गया है उससे स्पष्ट तौर पर यह कहा जाना चाहिये कि राजस्थान की सरकार किसान विरोधी है और वह राजस्थान की जनता, खास तौर से ग्रामीण जनता के लिये अभिशाप बन गयी है, सही नहीं है। इसका यह जवाब है कि जो योजना है और उसमें जो पैसों का विभाजन किया गया है उससे स्पष्ट तौर पर राजस्थान सरकार की मंशा सामने आती है। मैं आपके समक्ष यह आंकड़े, जो आपको, हमको सबको उपलब्ध होते हैं, के आधार पर कहना चाहता हूं। राज-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थान में जितनी सिंचाई योजनायें चल रही हैं उसका बजट में जिक्र किया गया है। योजनाएं राजस्थान के भविष्य को सुधारने वाली हैं, वह हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने की योजना के रूप में सामने आने वाली हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो लगभग 1985 तक राजस्थान नहर को पूरा करने की बात कही गयी है तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार के सामने दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यह पूरी हो जाये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आप तो हालत देखकर आये हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : जो देखा है वह भी अभी बता दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जितना विलम्ब हो रहा है उतनी ही इसकी लागत बढ़ती जा रही है। जैसा मैं देखकर आया हूं उसकी हालत काफी खराब है। वहां पर काफी दुरुपयोग हो रहा है। इस योजना को जल्दी पूरा करना राजस्थान के लिये वरदान सिद्ध होगा। मैं समझता हूं इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि हम 1985 तक इसको पूरा कर देंगे। मैं चाहता हूं कि पूरी शक्ति से सारे साधनों को लगायें और इस योजना को 1985 में पूरी करके दिखायें। यह राजस्थान की जनता और सबके लिये अच्छी बात होगी। अगर यह नहर पूरी नहीं होती है तो निश्चित ही चिन्ता की बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वित्तीय स्थिति है, उसके बावजूद हमारी प्रति व्यक्ति आय इस साल, मैं समझता हूं, 2 प्रतिशत या इसके आसपास बढ़ी है। उसमें इतनी वृद्धि हुई है। इसी तरह से भावों में स्थिरता आयी है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस साल काफी अच्छे बाजार भाव चल रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि अपराधों में कमी तो हुई है लेकिन अपराधों के बारे में जनता में जो असंतोष है उस असंतोष को यहां पर जो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है उस पर इस सरकार को खासतौर पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमारी जितनी भी योजनायें हैं उनके लिये हम जो जनता के धन, टैक्स से कमाये हुए धन का प्रावधान करते हैं वह रुपया सही ढंग से खर्च होता है या नहीं होता है यह भी देखना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 42 हजार ऐसे परिवारों का चयन किया गया है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। मैं गांव वालों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पैसा गरीबों के विकास के लिये रखा जाता है, उसको जो बैंकों, पंचायत समितियों या किसी अन्य विभाग के जरिये पहुंचाते हैं उसमें निश्चित तौर पर काफी गड़बड़ी होती है। किसान के पास पैसा नहीं पहुंचता है। इसका हमको राजस्व अभियान के समय पता लगा जहां पर इस प्रकार के काफी मामले सामने आये हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी समीक्षा समय-समय पर तहसील स्तर पर जन प्रतिनिधि के साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी करें कि वास्तव में पैसा दिया गया या नहीं दिया गया। 2-2-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वर्ष परिवारों को चयनित किये हो जाते हैं। कागज लेकर, एप्लीकेशन लेकर जो पैसा देने की कार्यवाही होती है उसमें कई स्तरों पर काफी गड़बड़ी होती हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पहले तो जब परिवारों का चयन किया जाता है उस समय गडबड़ी होती है और फिर जब दरख्वास्त देने का समय आता है उस समय गड़बड़ी होती है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आये हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार की जितनी योजनायें चलती हैं, उनमें जितना पैसा खर्च किया जाता है उसका जनता की दृष्टि में अच्छा मूल्यांकन नहीं होता है। पैसा खर्च तो हो जाता है लेकिन खर्च के साथ-साथ लोगों को नहीं मिलता है इसलिये उसको देखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम एक तरह से राजस्थान की जनता के लिये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। हमारी योजना का जो कुल खर्च है उसका 70 प्रतिशत विभिन्न योजनाओं के मार्फत बीस सूत्री कार्यक्रम पर खर्च होता है जो कि राजस्थान के विकास के लिये ही खर्च होता है। 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत ही सुन्दर कार्यक्रम है, इसके जरिये गरीबों का आर्थिक, सामाजिक उत्थान होगा हर दृष्टि से यह कार्यक्रम जनता के लिये उपयोगी है और इसकी जो प्रशंसा की जाती है वह भी हमारे लिये गौरव की बात है। जहां तक कमी की बात है तो हम कुछ भौतिक उपलब्धियां भले ही प्राप्त कर लें लेकिन जिस व्यक्ति के लिये कार्यक्रम है उसको कितना संतोष इससे होता है जब तक यह नहीं पता लगेगा तब तक बेकार है। इसलिये इसको देखने की भी आवश्यकता है। राजस्थान की जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें इसके लिये खासतौर से काफी जोर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जो योजना है उस पर हम अब तक 393.47 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और 194.70 करोड़ रुपया अगले दो-तीन वर्षों में खर्च होगा। उसके बाद राजस्थान की लगभग 96 हैक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि एक तरफ आज चम्बल नदी का पानी, बनास का पानी कोटा के बाद काफी बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ अगर देखें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक सवाई माधोपुर और जयपुर जिले में भी पेयजल की काफी गम्भीर समस्या है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नदियों के पानी का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इसकी कोई बड़ी योजना तैयार करवायें और पानी का उपयोग किया जाय। इसके लिए कोई विशेष योजना बनाई जानी चाहिये जिससे कि राजस्थान के पानी का उपयोग किया जा सके। इसके उपयोग की दृष्टि से मैं कई बार निवेदन करता आ रहा हूं कि, कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाय, राजस्थान में सिंचाई विकास निगम बनाया जाय ताकि एक साथ सारे राजस्थान की योजना बन सके। इस पर तुरन्त ध्यान दें। पानी की योजनाओं को बनाने की किसानों की सबसे बड़ी मांग है। किसानों की मांग और शहरों के लिए पीने के पानी की मांग की जो

(श्री रतनलाल ताम्बी)

समस्या है। वह इससे दूर हो सकेगी। इस पर इस दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले वर्षों से बिजली का संकट भी राजस्थान के विकास में रुकावट बना हुआ है। उद्योग मरणासन्न हालत में हैं। राजस्थान के उद्योगों की हालत खराब है। न तो राजस्थान को अपने हिस्से की बिजली मिल पा रही है और न ही अन्य जो परियोजनायें हो सकती हैं उनसे बिजली मिल पा रही है, मेरा सुझाव है कि कोटा के जल का उपयोग किया जा सकता है, बनास के पानी का भी इस हेतु उपयोग किया जा सकता है। पलाना में जो लिग्नाइट पाया गया है उससे भी बिजली बनाई जा सकती है। इसके लिए पिछली बार 5 करोड़ रुपया दिया गया था परन्तु उसका पूरा उपयोग ही नहीं किया जा सका। मैं समझता हूं कि बिजली हमारे विकास का आधारभूत अंग है। अगर राजस्थान की बिजली की योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान आने वाले वर्षों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ जायेगा। आज से पहले जो राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से आगे था वह वर्षों पीछे आ गया है और आज वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। राजस्थान की ओर प्रवासी उद्योगपति आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनसे 30-35 प्रतिशत के आसपास बिजली लीकेज होती है जो कि कुल मिला कर एक प्रकार से घाटा ही है, अगर उसको रोका जा सके तो काफी बड़ी मात्रा में बिजली को बचाया जा सकता है। अगर आज राजस्थान में 35 प्रतिशत बिजली ज्यादा मिले तो राजस्थान के उद्योगों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लीकेज की ओर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। कई जगह पर विद्युतीकरण नहीं किया गया है कई पंचायत समितियां पूरी की पूरी विद्युतीकृत होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में जहाजपुर और कोटड़ी क्षेत्र में 40—50 गांव ऐसे है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है। वहां के लिए हम बराबर मांग कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। राज्य सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह किसानों में असन्तोष का एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में वोल्टेज के कारण काफी मोटर जल गयी हैं और उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर किसान सर्दी में रात को अपनी पत्नी, बहन के साथ खेत में आते हैं और, अगर बिजली नहीं आती है या थोड़ी देर के लिये आती है तो उनको बहुत पीड़ा होती है। इसलिये इस ओर भी आप ध्यान दें। किसानों और जनता के साथ विद्युत मंडल ने एक तरह की आंख मिचौनी कर रखी है। इससे रबी की फसल पर कई जगह कुप्रभाव पड़ा है, कभी चार घण्टे की घोषणा की जाती है, कभी 7 घण्टे की की जाती है। आप इसका अनुमान लगाकर देख लें, यह भी पूरी तौर से उपलब्ध नहीं हुई। और तो और बूंदी, देवली और हिण्डोली 2-3 जगह से कन्ट्रोल होकर हमारे इलाके में बिजली आती है देवली में बराबर बिजली चल रही है, वहां किसानों को मिल रही है लेकिन जहाजपुर में नहीं मिलती है। जहाजपुर में बच्चे अंधेरे में रहते हैं, शाम के टाइम उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जब कि

Page No 124

(124)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

देवली में बिजली मिल रही है। यह भेदभाव कई जगह होता है। इस बात का बड़ा असन्तोष है। अगर हमारे इलाके में 4 माइल की लाइन मनोहरगढ़ से लुहारी के बीच खींच दी जाती है, तो जो देवली के कन्ट्रोल से हमारा इलाका पीड़ित है, इसकी दयनीय स्थिति समाप्त हो सकती है। इसलिए मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 4 माइल की लाइन खिचवा दें जिससे हमें बिजली मिल सके, जहाजपुर से सीधा सम्बन्ध वहां से हो जायेगा और जो हमारे 150–175 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनको मुक्ति मिलेगी।

अब मैं मोटे तौर से एक निवेदन करना चाहूंगा, हमने घोषणा की थी कि 1500 की जनसंख्या तक के गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। आज इस घोषणा की पालना नहीं हो रही है। कई बड़े बड़े गांव पंचायत केन्द्र आज सम्पर्क सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान देश में 11 वें नम्बर पर सड़क मार्ग की दृष्टि से आता है। यह हमारे राजस्थान के विकास मे सबसे बड़ी बाधा है, इस साल का बजट प्रावधान पढ़ा उसमें सम्पर्क सड़कों का कोई संकेत नहीं दिया। राजस्थान में जो पंचायत केन्द्र और 1500 तक की जनसंख्या के गांवों की बात कही है वह पुरानी पड़ गयी है। अध्यक्ष महोदय एक हजार की जनसंख्या से ऊपर के जितने भी गांव हैं, जितने भी पंचायत केन्द्र हैं उनको सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के लिए इस वर्ष खास तौर से प्राथमिकता देने की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं खनिज और उद्योगों के मामले को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान मेरे ख्याल से देश में खनिज की दृष्टि से आज 10वें नम्बर पर आता है जब कि राजस्थान की अरावली पर्वतमालाएँ खनिज क्षेत्र में दूसरे या तीसरे नम्बर पर हैं। दुर्भाग्य से हमारी सरकार खनिज सर्वेक्षण की दृष्टि से, नये क्षेत्र खोलने की दृष्टि से एक तरह से किनारा काट कर चल रही है। आज राजस्थान में हर तरह का खनिज मौजूद है। यहां पर मार्बल है, सोप स्टोन है, चाइना क्ले है बेरियल है और भी कई प्रकार के खनिज राजस्थान के भूगर्भ मे छिपे पड़े हैं। जिस इलाके से मैं आता हूं उस इलाके में खनिज के भण्डार सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा भण्डार होते हुए भी कहीं जंगलात में जमीन आ गयी तो यह कहते हैं जंगलात वाले एतराज करेंगे। जंगलात वालों से बात करते हैं तो वे कहते है कि हमने कभी एतराज नहीं किया। खनिज विभाग वाले जंगलात वालों को खनन नहीं करने देते हैं। कहीं जी.एस.आई वाले सर्वे करा कर खनिज नाम से सुरक्षित करते हैं और सर्वे करके बरसों तक भूल जाते हैं। वापस अन्य खनिज के नाम से लीज लेना चाहें तो वह नहीं मिलती है। आज भीलवाड़ा जिला खासतौर से खनिज की दृष्टि से राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के नक्शे पर उभरता हुआ जिला है। यहां पर आगूचा में जस्ता-शीशा के बहुत बड़े भण्डार निकले हैं। जिंक सुपर स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगाने वाली बात चलती है तो उसका आगूचा में नाम निश्चित नहीं हो पाता है। इसमें भी कोई राजनीति चलती है। इसमें भी खींचातानी होती है। जहां पर निश्चित रूप से भण्डार मौजूद हैं, वहां

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पर यह प्रोजेक्ट लगाने हैं। आश्चर्य क्यों है? मुझे तकलीफ है, बहाने बताये जाते हैं कि पानी नहीं है। पानी का मैंने रास्ता बताया कि चम्बल में पानी बहुत है बनास में पानी बहुत है उसको लेकर उस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। फिर कभी कहते हैं, उद्योगों के विकास के लिए रीको योजनायें बनायेगा। रीको की योजनायें बहुत महंगी, बहुत खर्चीली होती हैं। किसी जगह तो एक व्यक्ति को जमीन उपलब्ध करा दी जाती है और किसी जगह म्यूनिसिपैलिटी, नगर न्यास, तहसील के एतराज नहीं करने के बावजूद उसको जमीन उपलब्ध नहीं होती है। अगर माइका मिल्स लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो रीको की मार्फत आइये। रीको के छोटे-छोटे प्लाट होते हैं, माइको मिल रीको के जरिये कहां बैठ सकती है। तो ऐसी दुरंगी नीति से नये उद्योग लगाने वाले हतोत्साहित हो जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, उनको तो सारी सुविधा मिल जाती है लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके लिए कई प्रकार की बाधायें खड़ी कर दी जाती हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक विकास की दृष्टि से सुनिश्चित और स्पष्ट नीति होनी चाहिये ताकि नये उद्यमी, नौजवान बेरोजगार इस ओर प्रवृत्त हो सकें, बढ़ सकें। आज 1300 करोड़ रुपए का विनियोजन करके लगभग 213 नई औद्योगिक विकास योजनायें आपने तैयार की हैं। लेकिन वह आपके कागजों में ही तैयार है। लोग उनकी ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। आपकी प्रणाली बहुत कठिन है; बहुत परेशानी की है; बहुत खर्चीली है; इसलिए लोग इस तरफ नहीं बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्रीजी ने बहुत शानदार बजट बनाया। राजस्थान की जनता इसका हार्दिक स्वागत कर रही है। कोई टैक्स नहीं लगाया। बहुत अच्छा किया टैक्स नहीं लगाये, इसके बावजूद विकास का प्रावधान रख दिया। इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में उद्योग-धन्धे ठप्प हो गये; उसके उपरांत आप मध्यम उद्योगों पर 4 पैसा प्रति यूनिट बिजली का बढ़ा रहे हैं और बड़े उद्योगों पर 12 पैसा और लगा रहे हैं। जब उद्योग चल नहीं रहे हैं, पहले उद्योग वाले बेकाम हैं, तो नया टैक्स क्यों लगाया? पण्डितजी, यह कहने के लिए कि टैक्स भी लगा दिया, राजस्थान में यह जो 4 और 12 पैसा यूनिट मध्यम और बड़े उद्योगों पर लगाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं इसको आपको वापस लेना चाहिए। राजस्थान में भविष्य में उद्योगों के विकास की दृष्टि से एक मेरा आपको यह भी सुझाव है।

मैं इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं, आपने इस साल शिक्षा की दृष्टि से कुछ निर्णय किये, बहुत प्रावधान किया। राजस्थान का मेरे हिसाब से देश में शिक्षा में 15 वां स्थान है और राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत 24.5 आता है, देश के नक्शे पर शिक्षा की दृष्टि से हमारा यह स्थान है। मैं समझता हूं किसी भी प्रदेश में जब तक शिक्षा का पर्याप्त विस्तार न हो, वह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी योजनाओं में पिछड़ने का मूल कारण हमारी शिक्षा है। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मन्त्री जी, आपको, इस बात की बधाई देना चाहूंगा, कि औद्योगिक जिला, औद्योगिक नगर भीलवाड़ा में आपने पोलीटेक्निक कालेज खोल-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर भीलवाड़ा जिले की 15 लाख जनता का हृदय जीता है। मैं समझता हूं इसका भीलवाड़ा जिले की जनता ने बहुत स्वागत किया है। पूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने इसकी घोषणा की थी और अभी वाले मुख्य मन्त्रीजी ने भी घोषणा की है। उस घोषणा के 3 वर्ष बाद पोलोटेक्निक कालेज पाकर उस जिले का नौजवान निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करेगा, इसलिये इसका मैं स्वागत करता हूं।

मैं इसके साथ साथ एक और स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में 2 हजार से अधिक छात्र हैं। कॉमर्स कॉलेज की मांग पिछले 5 वर्षों से लगातार होती आ रही है। भीलवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ, बढ़ता हुआ जिला है उसके आसपास के काफी लोग वहां आकर लाभ उठाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 15 लाख की जनता को सरकारी नौकरियां पूरी तौर पर तो दे नहीं सकते लेकिन औद्योगिक दृष्टि से जो भीलवाड़ा राजस्थान का कानपुर बनता चला जा रहा है वहां पर कॉमर्स कॉलेज की महती मांग को क्यों भूल गये ? मुझे याद नहीं कि आपके सामने बजट बनाते समय यह बात नहीं आयी होगी। पिछली सरकार के फायदे भी हैं और जिले की जनता की मांग भी है, इसलिए मैं अपनी ओर से पुरजोर शब्दों में ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): बैक डोर से हो जायेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको तकलीफ क्यों हो रही है। बैकडोर से हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! बातें नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कॉमर्स कॉलेज.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया है, समाप्त करिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : थोड़ा सा और....

श्री अध्यक्ष : 2 मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं 5 मिनट। 3 मिनट आपकी ओर से और।

मैं निवेदन कर रहा था, कॉमर्स कालेज की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव है। वर्तमान में राजस्थान में एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है उसको बढ़ा कर 1250 किया जाय। जो 600 बड़े स्कूल का प्रावधान रखा है उसको बढ़ा कर 750 किया जाय और जो नये विषय 250 स्कूल्स में रखे हैं उसको बढ़ा कर 500 स्कूल में खोलने की बात निवेदन करना चाहूंगा। 438 विद्यालय खोलने का छठी योजना में प्रावधान था उसके बजाय आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 465 खोल पाये, इसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रावधान को हटा कर राजस्थान की बहुत बड़ी अशिक्षित जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि इस साल कम से कम 250 स्कूल सैकण्डरी और हायर सैकेण्डरी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्कूल का प्रावधान रखा जाय ताकि राजस्थान की जनता में शिक्षा की जो कमी है, वह दूर हो सके। विज्ञान और औद्योगिक विभाग आपने खोला है. मैं समझता हूं, यह भी आपने एक उपलब्धि युवकों के लिए इस साल दी है। इससे राजस्थान का युवा वर्ग, खास तौर से जो बेरोजगार समस्या से जकड़ रहे हैं, वह लाभान्वित होंगे।

अब मैं आपका ध्यान केवल 2–3 छोटे बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहूंगा। पेयजल की भयंकर समस्या है। आपने लगभग 3600 ग्रामों को मार्च तक पेयजल सुलभ कराने की बात कही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहीं हैण्ड पम्प खोदकर, कहीं अधूरे, असफल हैण्ड पम्प लगा कर आप केवल आंकड़ेबाजी में फंस गये कि इस प्रकार 3600 ग्रामों को पानी पिला देंगे। वस्तुतः आज जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें 35-40 प्रतिशत बेकार और असफल हैं अथवा उनका पानी सूख गया, खराब पड़े हुए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने यह कह दिया कि हमने यह व्यवस्था सब पंचायतों को सौंप दी है और पंचायतों को रुपये भी दे दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत वाले विभाग पर और विभाग वाले पंचायत पर जिम्मेदारी बता करके राजस्थान की जनता को पेयजल संकट से उभारने की बजाय और ज्यादा संकट में डाल रहे हैं। हैण्ड पम्प किस प्रकार खुद रहे हैं, कितने कैसे कैसे खुदे हैं वह तो एक अलग लम्बी चौड़ी कहानी है, वह समय अभी कहने का नहीं, जब डिमाण्ड होगी तब मैं कहूंगा। हैण्ड पम्प के नाम से राजस्थान में ग्रामीण जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें भी कई बड़े लोग अपने यहां हैण्ड पम्प लगवा लेते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब मोहल्ले उपेक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प नहीं पहुंच रहे हैं। बड़े गांवों में प्रभावशाली लोग अपने हिसाब से लगा लेते हैं। आज गांवों में पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों मौजूद है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प की व्यवस्था को देखने के लिये विभाग सक्षम व्यवस्था करें। आप इस तरह से एक दूसरे पर डाल कर के इस समस्या का समाधान मान कर चल रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर बात है :

नये वन लगाने की बात कही जाती है किन्तु वर्तमान वन काफी उजड़ रहे हैं। और तो और वन विभाग वालों ने आज कल यह स्थिति पैदा कर दी है कि जहां मवेशी चरते हैं, बिला नाम जमीन हैं उनमें कोट लगा करके भयंकर जुर्माना वसूल कर रहे हैं, गांवों की गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं वन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात के स्पष्ट निर्देश दें कि जब जंगलात की जमीन रेवेन्यू में नहीं निकल सकती है, भारत सरकार नहीं निकाल सकती है तब आपका विभाग रेवेन्यू की जमीन बड़ी मात्रा में जबर्दस्ती कब्जा करके, कोट लगा कर, ग्रामीण जनता के अधिकार और हकूकों को छीन कर मवेशियों की चराई की व्यवस्था समाप्त करके क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहा है। मेरे इलाके के झगड़े इस प्रकार के बहुत आ रहे हैं. कृपया इस सम्बन्ध में आप आवश्यक निर्देश देकर व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसी तरह मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल आपने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सौ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की बात कही है। गांवों में चिकित्सा व्यवस्था का सर्वथा अभाव है, इसलिये मेरा निवेदन है कि 500 की बजाय 1000 सब-सेन्टर्स गांवों में खोलें। 25 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र आप खुद खोलने जा रहे हैं, राजस्थान में 27 जिले हैं अत: एक-एक भी हिस्से में नहीं आयेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 100 नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का बजट में प्रावधान करें तब जा करके यह सुविधा होगी, इस साल आपने केवल 860 के आस पास शैयाएं बढ़ायी हैं। साढे तीन करोड़ की जनसंख्या के विशाल राजस्थान में 860 शैयाओं से क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि यह भी आपने न्याय नहीं किया। इसलिये 2 हजार नयी शैयाओं की आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यहां काम नहीं चलने वाला है।

कई वर्ष से पशु चिकित्सालय नहीं खोल सके। राजस्थान में कृषि और पशुपालन पर किसानों की अर्थ-व्यवस्था आधारित है। इस विषय में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 100 पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान किया है। पता नहीं आप कहां कहां खोलेंगे। पश्चिमी राजस्थान वाले कह देंगे कि हमारे यहां बहुत ज्यादा पशुपालन का काम होता है। दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान कई तरह के हिस्से हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि 400 के करीब पशु चिकित्सालय होने चाहिये।

इसी तरह आयुर्वेदिक औषधालय कई वर्षों से नहीं खुल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समय समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर देता हूं।

औषधालय, मैं समझता हूं, 500 किये जाने चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया। माननीय सदस्य, श्री नानूराम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को समय नहीं मिल रहा है। न परसों मिला था··

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है, परसों नहीं मिला था। इनके बाद ····

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों का भी समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का एक मिनट बाकी है।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में ही कह दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का ··

श्री अध्यक्ष : आपका समय बहुत उपयोग हुआ है। अब इनके बाद आपकी पार्टी को समय मिलेगा।

श्री नानूराम (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने 1983-84 का जो बजट प्रस्तुत किया उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। साथ ही माननीय वित्त मंत्रीजी पंडितजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बैठे बैठे लिख रहे हैं वह थोड़ा सुनेंगे ···

एक माननीय सदस्य : वह तो ऊंघ रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं लिख रहा हूं और यह कहते हैं कि मैं ऊंघ रहा हूं। यह बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। इन्हें शर्म आनी चाहिये। उस दिन भी न मालूम क्या क्या कह दिया। आखिर हाउस की मर्यादा का तो खयाल रखें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आदर करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि कम से कम वह व्यवहार तो ठीक रखेंगे।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, इस सारे बजट भाषण को मैंने पढ़ा। मैंने अलग अलग क्रम संख्या और पेज भी देखे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारी विद्युत मंत्री महोदया भी यहां विराजी हुई हैं इसलिये मैं सबसे पहले बिजली के बारे में दो-एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे पंडितजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें राजस्थान में किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया है इसको राजस्थान की सारी जनता ने सराहा है। लेकिन साथ ही हमारे मंत्री महोदय अगर थोड़ा सा किसानों के हित में इसे और कर देते तो राजस्थान की जो 83 पर्सेन्ट आबादी गांवों में रहने वाली है, जो कि किसान है उसका दिल भी वह और जीत लेते।

एक उदाहरण की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने किसानों को बिजली नहीं दी। उस किसान से एग्रीमेन्ट लिखवाया गया कि तुम को एक साल में 5 हार्स पावर की मोटर पर सिर्फ 860/- रुपये जमा कराने होंगे और हम बिजली देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने किसानों को 24 घन्टे बिजली नहीं दी। 24 घन्टे की बजाय 4 घन्टे बिजली दी उसके बावजूद आज किसानों से 860/- रुपये जमा करवाये जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वह अपनी रिप्लाई दें उस समय कम से कम इसके बारे में बतायें। आपने जो टैक्स नहीं लगाये हैं उसके लिये तो हम आपके आभारी है, स्वागत कर रहे हैं लेकिन किसानों के गले में जो यह घंटी लटका रखी है उसको मेहरबानी करके निकाल दीजिये। अगर उसको निकाल देंगे तो राजस्थान के किसान आपका स्वागत करेंगे और अहसान मानेंगे। जो भयंकर अकाल से पीड़ित हैं उससे थोड़ा बहुत छुटकारा पायेंगे। यह मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। दूसरी चीज, एक और निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : वापस मीटर लगा दिया जायगा तो कैसा रहेगा?

श्री नानूराम : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि काश्तकारों के कुओं में राजस्थान में लगातार 4 साल से अकाल होने की वजह से पानी का लेवल नीचे चला गया है और मोटर मुश्किल से 10-15 मिनट एक दिन में चलती है। एक दिन में 15 मिनट यदि मोटर चले तो 2 यूनिट बिजली यूज होती है और एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 60

(श्री नानूराम)

यूनिट उसको यूज कर पाता है । लेकिन इसके बावजूद कृषकों को 860/- रुपये भरने पड़ रहे हैं । तीन हार्स पावर की मोटर पर 640/- रुपये, 5 हार्स पावर पर 860/- रुपये और साढ़े 7 हार्स पावर पर 1140/- रुपये भरने पड़ रहे हैं । इस प्रकार से अलग अलग भार पड़ रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिट के आधार पर किसानों से पैसा वसूल कर लिया जाय....

श्री अध्यक्ष : महंगा पड़ेगा ।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, महंगा नहीं पड़ेगा फ़ायदा रहेगा । इस साल जो मिनिमम चार्जेज जो किसानों पर लगाया गया है यह माफ कर दें तो सरकार पर कोई ज्यादा भार नहीं पड़ेगा । लास्ट ईयर आपने फ्लेट रेट ड्योढ़ी-दुगुनी कर दी, इरिगेशन पर पैसा बढ़ाया । एक काश्तकार कनेक्शन लेता है तो 5 सौ रुपये डिपार्टमेन्ट देता है और करीब 750 रुपये बिजली बोर्ड लेता है । अगर इसको कम कर दिया जाय तो राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी ।

दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तक के क्रम संख्या 57 पेज 11 पर जो लिखा है यह तो ठीक किया किसानों के ऊपर आपने कोई भार नहीं लगाया । इण्डस्ट्रीज के ऊपर कर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें तो लोगों को प्राफिट है लेकिन खेती में कोई प्राफिट नहीं है । इस कर को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा देते और किसानों की तकलीफ अगर दूर कर देते तो, पण्डितजी साहब, आप वाहवाही लूट लेते ।

मैडम, एक बात और मान लो, हमारी बिजली मन्त्री महोदया, यहां बैठी हुई हैं और दोनों विभाग उनके पास हैं । मैं दोनों विभागों के बारे में कहना चाहूंगा । गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है उन जगह पर आर. ई. सी. के तहत आप बिजली पहुंचावें इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी । समय बहुत कम है, इस विषय में, कहना मैं बहुत चाहता था लेकिन मैं दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 6 पर सिंचाई के बारे में जिक्र किया गया है । अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा, लास्ट ईयर मैंने डिमाण्ड के समय भी यह सवाल उठाया था कि जहां जहां पर भी नदियों के ऊपर डेम बन जाते हैं और नीचे जिस साइड पर गांवों में सेजा सूख जाता है उस जगह किसानों को बड़ी तकलीफ होती है सुझाव के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था और आपने भी उस समय आसन से समर्थन दिया था ..

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने ऐसा भाषण भी दिया था यहां सभा में ।

श्री नानूराम : अगर वहां पर छोटे-छोटे एनीकट बना दिये जायं तो इससे किसानों की समस्या काफी हद तक दूर हो जायगी । हमारे अकाल राहत मन्त्री अभी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इन कामों को अगर फेमिन में लिया जाय और जो 40 पर्सेन्ट और 60 पर्सेन्ट, लेबर कम्पोनेन्ट और मैटीरियल कम्पोनेन्ट का हिसाब रखा है उससे अलग हटकर में 80 पर्सेन्ट लेबर कम्पोनेन्ट और 20 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट का हिसाब रख कर उन जगहों पर छोटे एनीकट बना दिये जायं तो

(श्री नानूराम)

किसानों को काफी राहत मिलेगी । यह बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं ।

साथ ही, मेरे क्षेत्र में आज के 24 साल पहले एक खारी डेम बना था । 24 साल के बाद आज दिन तक प्लान का पैसा उस डेम पर नहीं लगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस डेम की अगर मॉडर्नाईजेशन स्कीम लागू कर दी जाय और उस बांध की सब नहरें पक्की कर दी जायं तो उस बांध की जो 1200 एकड़ की क्षमता है वह बढ़ करके उससे 1800 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी । उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है । गवर्नमेंट ने 24 साल तक जो किसानों से पिलाई वसूल की है उस पिलाई को अगर उन नहरों पर खर्च कर दिया जाय तो वहां के किसानों के खेतों में ड्योढ़ी पिलाई हो सकती है । इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जहां जहां पर भी राजस्थान में डेम हैं या बड़े तालाब हैं उनकी नहरें पक्की कर दी जायं ताकि आटोमेटिकली किसानों के खेतों में पानी लगे, किसानों की माली हालत सुधरे और आपकी सिंचाई बढ़े ।

साथ ही, मैं सहकारिता के बारे में दो सुझाव मेरी तरफ से देना चाहूंगा । कोआपरेटिव सेक्टर में जो आपने 5.50 करोड़ रुपया दिया है यह पैसा कोई कम नहीं है लेकिन इस पैसे का अगर यूटिलाइजेशन सही हो जाय तो किसानों-गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार इरिगेशन के माध्यम से, कोआपरेटिव के माध्यम से गरीब को ऊपर उठाना चाहती है । मैंने इस बारे में दो बार क्वेश्चन भी दिये थे, वह क्वेश्चन अभी तक आये नहीं हैं, मैं आज कहना चाहता हूं कि आप एस.टी. लोन और एम.टी. लोन किसानों को देते हैं लेकिन डिपार्टमेंट की लापरवाही इस प्रकार की है अध्यक्ष महोदय, कि किसानों को उनका सही फायदा मिलता नहीं । वह कैसे ? उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं । भीलवाड़ा जिले में एक दांतड़ा सोसायटी है । हम एक व्यवस्थापक को केवल साढ़े तीन सौ, सवा तीन सौ रुपया महीना देते हैं । उस व्यवस्थापक की जिम्मेदारी करोड़ों रुपया सोसायटी के माध्यम से बांटने की बात करते हैं । दांतड़ा सोसायटी के व्यवस्थापक ने, अध्यक्ष महोदय, क्या किया ? 1,03,368/- का तीन महीने में गबन कर दिया । इसमें डिपार्टमेन्ट ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की । मैंने स्वयं लिखकर दिया, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, 68 आदमी ऐसे हैं जिन लोगों के नाम लोन बांट दिया गया, उन किसानों के सिगनेचर करा लिए गये । लेकिन उन किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचा । इस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैंने कई बार लिखा है, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी दिया है । मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सहकारिता के विकास के लिए आपने पैसा तो दे दिया, आप पैसा और दीजिये इससे किसानों को फायदा मिलेगा, मजदूरों को फायदा मिलेगा गरीबों को फायदा मिलेगा लेकिन साथ ही इसके ऊपर अंकुश रखिये । अगर अंकुश नहीं होगा तो मजदूर तक, गरीब तक, किसान तक कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है ।

(श्री नानूराम)

साथ ही, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे बजट को पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते लास्ट में 19 पेज पूरे पढ़ लिये 19 पेज के बाद में ज्यों ही 20 पेज निकला तो पूरा पेज ही खाली मिला राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में भीलवाड़ा जिले में आसीन्द में एक को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल लगाने की घोषणा की थी लेकिन इस बजट में सरकार का शेयर केपिटल का कोई जिक्र नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 5.50 करोड़ जो सहकारिता विभाग को दिया है उसमें से डेढ़ करोड़ रुपया को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल को हिस्सा राशि का दिलाने की आप घोषणा करें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उस कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल का आज से डेढ़ साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, इस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई, तीन लाख रुपये किसानों से शेयर केपिटल के वसूल हो गये। वह सारा पैसा आपके बैंक में जमा है। आपके यहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहुंच चुकी है। केवल पी.आई.बी. की मीटिंग में यह अप्रूव होकर इसका पैसा दिलाना है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जब रिप्लाई दें उस समय इस मिल के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की आप अलग से घोषणा करने की कृपा करें।

साथ ही, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता के ऊपर जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले भारद्वाज जी ने भी कहा कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सहकारी सोसायटी का गठन किया जाय। मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर एक सहकारी सोसायटी का गठन किया जाय ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। साथ साथ सोसायटीज का जो गठन हुआ है शहरों में, तो यह गांवों में राहत मिलने वाली बात और शहरों में राहत मिलने वाली बात में समानता होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय हमारे वित्त मन्त्री जी ने घाटे की पूर्ति के लिए बजट भाषण में आखिर में यह कहा है शहरों में जहां जमीन पर मकान बना लिये हैं हम उस जमीन को बेचकर भूमि रूपान्तरण कर घाटे की पूर्ति करेंगे। इसके बारे में, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे वित्त मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि राजस्थान में खास तौर से जयपुर में कितनी ही भवन निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनमें किस प्रकार का कितना घोटाला है यह भी जानते हैं। लोगों से करोड़ों रुपया लेकर सोसायटी वालों ने खा लिया है उसका आज दिन तक कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब-किताब नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं है। मैंने पिछले सत्र में प्रश्न उठाया था कि जयपुर में माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति में करोड़ों रुपयों का गबन हो गया, उसका हाईकोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने भी सोसायटी का रिकार्ड मंगवाने को कहा लेकिन आज दिन तक पुलिस की ढिलाई की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे गृह राज्य मंत्रीजी भी विराजे हुए हैं, उस समिति की एफ.आई.आर. दर्ज हुई, एक नहीं बल्कि दस-दस एफ.आई.आर. माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री महोदय के नाम पर दर्ज हुई लेकिन आज दिन तक उसके खिलाफ

(श्री नाथूराम)

कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके समय में आपका पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। इसको ठीक किया जाये ताकि जिन गरीब लोगों की ये जेबें काटते हैं उन गरीबों को छुटकारा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में एक हजार प्राइमरी स्कूल और 600 मिडल स्कूलें खोलने की घोषणा की, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा है कि इसको एक हजार की जगह पन्द्रह सौ और छः सौ की जगह आठ सौ कर दिया जाय लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि मैं इसको कम करने कि बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मिडिल स्कूल 600 के बजाय 400 कर दिये जाय और 200 सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जायें वह भी कन्या सैकण्डरी जिसके लिये राजस्थान में लगातार 5 साल से विचार कर रहे हैं कि कन्या सैकण्डरी स्कूल खोले जाएं, तो हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले साल भी आपने पंचायत समिति और हैड क्वार्टर पंचायत समिति जहां हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं थे, वहां हायर सैकण्डरी स्कूल दिये लेकिन गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल कहीं नहीं दिया। इसलिए 600 के बजाय आप 400 मिडिल स्कूल खोलें और 200 गर्ल्स सैकण्डरी खोल दीजिये। यह मेरा ही सुझाव नहीं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी है, शिक्षा मंत्री जी जल्दी कुछ कहते नहीं हैं इसलिए उनकी तरफ से मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे आसीन्द, जो भीलवाड़ा जिले में पिछले 10 साल से सैकण्डरी स्कूल नहीं है वहां 480 बालिकाएं पढ़ रही हैं जिनके भाग्य की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सैकण्डरी स्कूल उनके लिए नहीं है। आज जब कोई हमारी बच्चियों से संबंध करने के लिए लोग आते हैं, तो हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। आज हर आदमी सोचता है कि उसे बच्ची सैकेण्डरी पास मिलेगी, ग्रेजुएट मिलेगी लेकिन वहां केवल मिडिल पास मिलती है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी, जब आप रिप्लाई दें तो हमारे आसीन्द में इस साल सैकण्डरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करें।

पेयजल के बारे में आपने पेज सात क्रम संख्या 24 पर जिक्र किया उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। समय मैंने बहुत ले लिया है। जहां-जहां गांव में हैण्ड पम्प लगाये हैं यह बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन हैण्ड पम्पों को कोई सम्भालने वाला नहीं है। जहां खड्डा खोद दिया वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाने वाला कोई नहीं। अगर पाइप अन्दर डाल दिया तो राड लगा कर पानी निकालने वाला कोई नहीं। अगर यह भी कर दिया और फिर राड खराब हो गई तो वापिस उसे सम्भालने वाला कोई नहीं। इसलिए इसकी व्यवस्था आप कीजिये। गांवों की हालत बहुत खराब है। राजस्थान में लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा है। कुओं का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। गांवों में पीने के पानी की समस्या है। इसलिए जो गांव बच गये हैं उनमें हैण्ड पम्प लगाये जायें और वहां पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाये। इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना

(श्री नाथूराम)

चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है करीब 25 करोड़ रुपये का घोटाला हैण्ड पम्प लगाने में हुआ था, उसके बारे में पिछले सत्र में मैं भी बोला था। उस समय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी इसकी जांच करवाई जायेगी लेकिन आज दिन तक कोई जांच करने वाला नहीं है। हम भी गांवों में घूमते हैं । मेरा निवेदन है, जांच की जाय और जहां-जहां पर गलतियां हुई हैं उसके बारे में, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोषी लोगों को सजा दिलाई जाय ताकि भविष्य में ऐसी गल्तियां न हों ।

आखिर में चिकित्सा के बारे में निवेदन करूंगा । हमारे वित्त मन्त्री जी ने चिकित्सा सुविधा हेतु अपने बजट भाषण में जो कुछ कहा, वह बड़ा ही सराहनीय है। यह लम्बी-चौड़ी बात है. मैं इसको पढूंगा तो घन्टा भर लग जायेगा । लेकिन मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा यह खास तौर से मेरे क्षेत्र आसीन्द की बात है। भीलवाड़ा के पूर्व में माण्डल और बनेडा इधर हमारी मसूदा पंचायत समिति और उधर ब्यावर, भीम और देवगढ़ कहीं पर भी रेफरल हास्पिटल नहीं है। भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र आसीन्द है। पांच छः तहसीलों के बीच में हमारा क्षेत्र है। उसके आस पास 70-70 किलोमीटर में कोई रेफरल हास्पिटल नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जब रिप्लाई दें तो वहां रेफरल हास्पिटल की घोषणा करें। ताकि वहां गरीबों को राहत मिल सके ।

आखिर में एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वह भी किसानों के लिए है। मैंने पूरे भाषण को पढ़ा और देखा, राजस्थान में आपने सीलिंग एक्ट लागू किया, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं आया । गांवों में तो, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग लागू कर दी लेकिन शहरों में कोई सीलिंग लागू नहीं है। जो 85 प्रतिशत गरीब किसान, मजदूर गांव के रहने वाले हैं उनके ऊपर तो सीलिंग कानून है लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जिनके प्लाट की कीमत चार-पांच लाख है उन पर सीलिंग कानून लागू नहीं है। अगर किसान अपनी जमीन बेचे तो 500 रुपये बीघा कीमत मिलेगी और शहरों के अन्दर एक आदमी अपना प्लाट बेचे तो पांच लाख रुपया मिलेगा। गांव में तो आपने सीलिंग कानून कर दिया। शहरों मे उसी जमीन का मूल्य पांच लाख है। लोगों के पास 10-20 प्लाट हैं अगर वह दुकान भी बेचें तो उसकी पगड़ी के 10 लाख रुपये लेते हैं। अन्त में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि शहरों में सीलिंग लागू की जाय ताकि शहरों के लोग गांवों की तरफ बढ़ें और गांवों का विकास हो। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक राजस्थान मे हम तरक्की नहीं कर पायेगें। यही बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो प्रस्तुत किया है, मैं अपने सुझाव देते हुए उसका पुनः हृदय से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। भाषण पर समय सीमा 15 मिनट है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो अपना बजट भाषण यहां पढ़ा उसको

Page No 135

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देखने से ऐसा लगता है कि बजट पेश करते समय वित्त मन्त्रीजी शायद भूल गये कि वह किसी फार्म का आय व्ययक पेश कर रहे हैं या राज्य के वित्त मन्त्री के रूप में राजस्थान का बजट भाषण। उनका भाषण पढ़ने से ऐसा लगा, जैसे एक दुकान या सरकारी दफ्तर का ट्रेजरी आफिस का बाबू लोगों के ट्रेजरी के बिल आये उसमें और उनकी जिस प्रकार से तनख्वाह चुकाता चला जाय और उसमें जो छोटा पड़ जाये उसको कैसे राज्य सरकार से पूरा करे या कोई दूसरे किसी अनुदान से पूरा करे, या कोई फैक्ट्री है वह राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करके उसको पूरा करे, इस प्रकार का बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है। भाषण पढ़ने से यह नहीं लगता यह राज्य के विकास की ओर ले जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य के अन्दर जो पहली हमारी कल्पना है, वह यह है कि सर्व-प्रभुत्ता सम्पन्न राज्य में जिस व्यक्ति में में प्रभुता निहित है, उस व्यक्ति पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं। यह हमारे बजट का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मूल्यांकन किया है उसके हिसाब से राजस्थान की 56 प्रतिशत ग्रामीण जनता, गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। 56 प्रतिशत वह जनता है जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, मैं शहरी क्षेत्र की जनता की इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूं। उस 56 प्रतिशत में यदि 5 परिवार की एक इकाई माना जाय तो राजस्थान के 25 लाख परि-वार ग्रामीण क्षेत्र में हैं इस प्रकार के जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह वह व्यक्ति है जिनकी पर केपिटा मन्थली इनकम 20-30 रुपये से कम है। इस प्रकार के परिवार हैं इनमें अधिकांश लैण्डलैस हैं जो किसी सेवा कार्य में नियोजित नहीं हैं अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई व्यापार-धन्धा नहीं है, इस श्रेणी के व्यक्ति हैं जो खेतिहर मजदूर के रूप में गांवों में काम करते हैं। अगर उनको गांवों के अन्दर काम नहीं मिलता है तो वह शहर में आकर ईट भट्टों पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। या उन लोगों के बच्चे होटलों में कप-प्लेट धोते हैं। इस प्रकार के 25 लाख परिवार राजस्थान में निवास करते हैं। उन ऐसे परिवारों के बारे में इस बजट में किसी प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो यह कहा गया कि आई. आर. डी. पी., एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत इन परिवारों का चयन किया जायेगा और उनको लाभ पहुं-चाया जायगा। पर पिछले दो साल के बजट भाषण और राज्यपाल के अभिभाषण से जो सार निकला वह यह है कि एक लाख 40 व्यक्ति, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं को चयनित किया गया है। उन व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों द्वारा लाभ पहुंचाने की कार्य-वाही की गयी। दुर्भाग्य से मुझे यह निवेदन करना पड़ रहा है, कि अध्यक्ष महोदय, कि आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत जो कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट रूप से यह है कि इन योज-नाओं का जिन लोगों को वास्तव में फायदा पहुंचाना चाहिए उस आम व्यक्ति तक फायदा नहीं पहुंचा और वह पैसा ऊपर का ऊपर चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के जितना बड़ा फर्जी काम आज तक कोई नहीं हुआ है। मैं एक-एक गांव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का उदाहरण देकर आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मशीनरी बन गयी है। वह मशीनरी, जो सब्सिडी का पैसा है वह पूरा का पूरा खा जाती है। न तो लोन दिया जाता है. केवल सब्सिडी खाने का प्रोग्राम उस जगह पर चलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान भी और अन्य कार्यक्रमों में भी 27–27, 30–30 व्यक्तियों की लिस्ट बनायी गयी। लिस्ट बनाकर उन व्यक्तियों को पैसा देने का तय किया गया। लट्ठे पर, ऊंट, पर, बकरी पर पैसा देने का तय किया। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे मैं दो-तीन गांवों के तो आपको नाम लेकर बताना चाहता हूं, जहां 98-98 व्यक्तियों को लोन दिया गया उनमें से 3-4 व्यक्तियों ने भी भैंस नहीं खरीदी, बकरी नहीं खरीदी। गांव के दूसरे व्यक्ति की भैंस, बकरी लायी गयी उसको दिखाया गया और सब्सिडी ली गई। इस प्रकार सब्सिडी देकर काम खत्म कर दिया गया। बकरी वाले को वापस बकरी पहुंच गई और सारा का सारा पैसा खराब गया। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि गरीबी को हटाने में भी काफी राजनीति है। अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने इस बार अपना जो मूल्यांकन किया है, उसमें अन्त्योदय योजना का भी मूल्यांकन किया गया है। उसने अन्त्योदय योजना का मूल्यांकन करते हुए, अध्यक्ष महोदय, क्या कहा है? हिन्दुस्तान में चाहे डेजर्ट डवलपमेंट के प्रोग्राम चले हों, चाहे छोटे किसानों को अलाभकारी जोतों पर छूट देने सम्बन्धी कोई प्रोग्राम चले हों, चाहे कोई भी प्रोग्राम चला हो, इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग पुनर्मूल्यांकन समिति ने रिपोर्ट की है कि हिन्दुस्तान में आज तक कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी, जो गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने के काम में भागीदार बनती। उस समिति ने कोट किया है कि राजस्थान, ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने दो अक्टूबर, 1977 को अन्त्योदय योजना की शुरूआत की और इस योजना के अन्तर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति को जितना लाभ मिला आजतक हिन्दुस्तान में किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी गरीब व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत एक परिवार को इकाई मान कर काम किया गया। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवार का कार्ड बना। उनके रहने की कपड़े पहनने की, खाने की, हर प्रकार की बात को पूरा करने की कोशिश की गई। दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों से कांग्रेस सरकार ने इसको नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, इस सैशन में मैंने सरकार से प्रश्न पूछा, क्यों यह सही है कि योजना आयोग ने अन्त्योदय योजना का मूल्यांकन करते समय यह कहा है कि हिन्दुस्तान में ग्रामीण स्थान की सर्वश्रेष्ठ योजना थी? सरकार ने कहा, जी हां। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आपने इस योजना के तीसरे और चौथे चरण में दैनिक परिवारों को लाभ देने की बात बन्द करदी? सरकार ने कहा, जी हां। तीसरा मैंने यह पूछा, योजना आयोग ने जब यह स्वीकार कर लिया कि इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है और राजस्थान में 98% लोगों को इसका लाभ मिला, नेग्लीजेबल 2 प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने इसका अनुचित लाभ उठाया, तो क्या आप योजना को पुनः चालू करने की सोच रहे हैं। तो सरकार ने यह जवाब दिया, जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़े दुःख की बात क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो सकती है जब सरकार इसे सर्वश्रेष्ठ मानती है, योजना आयोग इसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, 25 लाख परिवार आज राजस्थान में इस प्रकार के हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत कब तक आप उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का सोच रहे हैं ? दो साल में आपने एक लाख परिवारों को लिया। आगे आने वाले 30 के अन्दर क्या वह बैठे रहें, आपका इन्तजार करें कि 30 साल के अन्दर हर साल आप एक लाख व्यक्तियों का चयन करेंगे, परिवारों का नहीं, और आगे आने वाले 30 साल तक वह लोग गरीबी की रेखा के नीचे दबे पड़े रहेंगे और मरे रहेंगे। यह ग्रामीण क्षेत्र की बात है। वह कौन सी बात अपन सोच रहे हैं जो उनको ऊपर उठायेगी ? किस बात का बजट पेश कर रहे हैं ? यह कौन-से लोक कल्याणकारी राज की कल्पना है ? और जिस व्यक्ति में प्रभुता सम्पन्न है, इस संसद की, इस विधान सभा की उस व्यक्ति के बारे में हम क्या सोच रहे हैं ? 25 लाख परिवार आज राजस्थान में ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं आई.आर.डी.पी. उनको ऊपर उठाने का इस बजट में कोई धारणा नहीं है। सिर्फ आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत एक लाख लोगों को अब तक चयनित किया गया, लाभ कितनों को पहुंचा, मैं नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत प्रशासन की ओर से कैम्प लगे थे उसमें बैंक्स नहीं आई। सलेक्शन के लिए हमने लिस्ट बनायी, बैंकों से उनको लाभ नहीं पहुंचा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पहले साल एक लाख 60 हजार परिवारों का चयन किया गया, दूसरे साल में एक लाख चालीस हजार परिवारों का चयन किया गया। चयन ही नहीं किया अपितु इनमें से 2% लोगों को छोड़कर तीन लाख परिवार, साल में तीन लाख परिवारों का चयन किया गया और इस प्रकार अगर एक परिवार में पांच व्यक्तियों की इकाई को मानी है, अर्थात् 15 लाख व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ढाई साल में लाभ पहुंचाया गया। यह और कोई नहीं कहता, यह योजना आयोग की पुनर्मूल्यांकन समिति, जो इन्दिरा गांधी द्वारा नियुक्त है, की जो रिपोर्ट है वह इस बात को कहती है। आपने ढाई साल में क्या किया ? आपने ढाई साल में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत एक लाख 40 हजार लोगों का चयन किया, उसमें परिवार को नहीं व्यक्ति को इकाई मानी। उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर अन्त्योदय प्रोग्राम चलता तो पांच साल में दस लाख परिवारों को इससे लाभ मिलता और जिस प्रकार से उसकी सैकिण्ड स्टेज की बात सोची गई थी एक ढांचा तैयार किया गया था कि पांच सौ की जनसंख्या वाले गांव में दो, एक हजार की जनसंख्या वाले में पांच परिवार और एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले गांव में दस परिवारों का सलेक्शन किया जायेगा। अगर उस हिसाब से काम चलता तो सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते होते राजस्थान के 25 लाख परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, ऊपर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उठाया जा सकता था। लेकिन राजनैतिक द्वेष के कारण, और इस द्वेष के कारण कि जनता पार्टी ने यह योजना चलाई थी, इस योजना को समाप्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना में 187 करोड़ रुपये का प्रावधान था। केन्द्र सरकार ने जो टोटल प्रावधान किया हिन्दुस्तान के लिए, आई.आर.डी.पी. में तीन साल के लिए 197 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। राजस्थान में 187 करोड़ रुपया पांच साल के लिए था जिसमें को-आपरेटिव बैंक्स, सरकार तथा कामर्शियल बैंकों का सारा पैसा शामिल है। केन्द्र सरकार ने 197 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मूल बात जो सोची जानी चाहिए, आखिर अन्त्योदय योजना को आपने क्यों समाप्त किया? माननीय वित्त मन्त्री महोदय, क्या मैं आपसे आशा करूं, क्या आप इसके कारण बता सकेंगे कि गराबों के उत्थान के लिए जो योजना बनायी गयी थी वह समाप्त क्यों की? क्या आप गरीबों के शत्रु हैं? क्या आप नहीं चाहते कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार अपने पैरों पर खड़े हों? क्या आप नहीं चाहते कि वे राष्ट्रीय एकता में सहयोग करें, राष्ट्र के विकास में योगदान करें? क्या आप यह चाहते हैं वे गरीब होटलों में कप-प्लेट धोते रहें? क्या आप चाहते हैं कि वह गांवों में भेड़ और बकरियां चराते रहें? लोगों के खेतों पर बन्धुवा मजदूर की तरह काम करते रहें? उनके विकास की आपके पास योजना हो, अध्यक्ष महोदय, बजट का मतलब यही होता है। प्रजातान्त्रिक सरकार में लोक कल्याणकारी सरकार में लोक की चिन्ता छोड़ दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह लोक की चिन्ता तो भूल गये और तन्त्र की चिन्ता पर आ गये। इनको तन्त्र की चिन्ता है। तन्त्र के लिए इनको संविधान है। तन्त्र की रक्षा के लिए भक्ति है। जहां इनको तन्त्र के लिए जरूरत पड़ती है वहां सब कुछ कर सकते हैं। अन्त्योदय योजना को समाप्त करके चाहे इनको लाखों परिवारों का भविष्य नष्ट करना हो, चाहे आसाम में तन्त्र की रक्षा के लिये लोगों को मारने की बात हो, इनका तो लोक से मतलब निकल गया है, ये तन्त्र के ऊपर आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में लोक तो निकल गया है सिर्फ तन्त्र रह गया।

अध्यक्ष महोदय, जब हमने मुख्यमन्त्री जी से पूछा कि आपके 20 संकल्पों का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि संकल्प तो नये 20 सूत्रों में समाविष्ट हो गये। अध्यक्ष महोदय संकल्प 20 सूत्रों में समाविष्ट नहीं हुए लेकिन संकल्पों के आधार पर वह विकल्पित हो गये। संकल्प क्या थे, मैं निवेदन करूंगा "बढ़िया शिक्षा" इस संकल्प के तहत हमको बड़ा धोखा दिया गया। जिस प्रकार की खरीद की बात कही गई, स्कूलों के चयन की बात कही गई, मैं कहना चाहता हूं बजट में, चिकनी-चुपड़ी किताब में जितना प्रावधान किया था उसका दस प्रतिशत पैसा खर्च नहीं किया। आप जवाब दे दीजिये, दस परसेन्ट पैसा उस पर खर्च नहीं हुआ।

दूसरा गरीब को छप्पर की बात कही। गरीब को छप्पर योजना का जितना मखौल उड़ाया गया, अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी पंचायत समिति का उदाहरण देकर आपको कहना चाहता हूं। पंचायत समिति खेतड़ी में एक भी व्यक्ति को गरीब को छप्पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

योजना के अन्तर्गत पैसा नहीं दिया गया और सब लोगों के नाम पैसे लिख दिये गये। इस समय पचास मुकदमों की पुलिस में रिपोर्ट कराई हुई है। 50 लोगों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 120 गरीब लोगों को 750–750 रुपये की छप्पर देने की बात कही गई थी। 50 लोगों द्वारा बैंकों पर दावे किये गये हैं। उनके फर्जी नाम लिखकर उनके नाम से पैसे चढ़ा दिये गये। गरीबों को छप्पर के बजाय यह गरीब को छप्पर योजना आपकी साबित हुई है।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी, भी कष्ट निवारण और कई प्रकार की बातें आपने चिकनी चुपड़ी किताबें में लिखी थीं, उनका क्या हुआ? आप भूल गये। अब नये बीस सूत्रों की बात आ गई और हमको कहा गया कि संकल्प तो उसमें समाविष्ट हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नये बीस सूत्रों के प्रकाशित होने के बाद ही, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने 20 संकल्प प्रारम्भ किये थे फिर उन 20 संकल्पों का क्या हुआ? आपने बजट में इनका प्रावधान किया था या नहीं किया था या आपने चकमा देकर चिकनी चुपड़ी बात छपाई थी। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी बात है जिसके द्वारा इन्होंने सारे काम किये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपको राजस्थान नहर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान नहर के बारे में कहा कि हम 1984 तक पूरी कर देंगे एक साथ पहले पूरी कर देंगे · · ·

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर कभी देखने गये हैं कि नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, साहिब, पूरी टीम गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर पंडित जी में दिव्य दृष्टि है तो मुझ में भी थोड़ी-थोड़ी दिव्य दृष्टि है।

श्री अध्यक्ष : आप गये हुए ही नहीं हो और राजस्थान नहर की बात करने लग गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जैसा उन्होंने कहा कि राजस्थान नहर को हम 1984 तक पूरा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उन्होंने जो जवाब दिया है उससे स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्थान नहर को 1990 तक भी यह पूरा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक तो मैंने यह पूछा था कि जितनी राशि आवंटित की गई उसमें से कितनी खर्च की गई? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 1980–81 में 31 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी उसमें से 21.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। अध्यक्ष महोदय, फिर 1981–82 में 31.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई और उसमें से 31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। अध्यक्ष महोदय, 1982–83 में 42.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई लेकिन सिर्फ 22.23 करोड़ रुपये जनवरी, फरवरी तक खर्च इन्होंने किये · · ·

श्री अध्यक्ष : अब आयेगा खर्चा तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो 20 करोड़ रुपये एक महीने में खर्च कर देंगे · · ·

श्री अध्यक्ष : वह बिल बाद में आता है ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि फिर यह सारा पैसा लूट में चला जायेगा यानी 11 महीनें में सिर्फ इन्होंने 22 करोड़ रुपया ही खर्च किया और बाकी 23 करोड़ रुपया एक महीने में खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कहते हैं कि हम अपने हिसाब से इसको जल्दी पूरा कर देंगे। इसी प्रकार मैं अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि सीमेंट और कोयले की इनको कितनी आवश्यकता थी और इनको कितना प्राप्त हुआ। यह जो 31 पाइन्ट समथिंग करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और जितना सीमेंट और कोयला इन्होंने मांगा है उतना मिल जाता, जो कि मिलना जरूरी था, तो रुपये की व्यवस्था कहां से होती। लेकिन वह मिला नहीं। अध्यक्ष महोदय, 1979 में 1,23,00 मैट्रिक टन सीमेंट की मांग इन्होंने की, उसमें से 44.432 मैट्रिक टन सीमेंट इनको प्राप्त हुई। 1980-81 में 72,600 मैट्रिक टन सीमेंट की मांग की उसमें से 34.759 मैट्रिक टन सीमेंट इनको प्राप्त हुई। 1981-82 में 98,475 मैट्रिक टन की मांग की और 37.632 मैट्रिक टन सीमेंट इनको मिली यानी जितना इन्होंने मांगी थी उसके आधे से भी कम मात्रा में इनको सीमेंट उपलब्ध हुई।

ठीक है, इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं कोयले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 1980 के अन्दर 90,000 मैट्रिक टन कोयले की मांग की जिसमें से मात्र 6095 मैट्रिक टन कोयला इनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 1981 में 94,000 मैट्रिक टन कोयले की मांग की और 16,797 मैट्रिक टन कोयला इनको प्राप्त हुआ। 1981-82 में 96 हजार मैट्रिक टन कोयले की मांग की और अध्यक्ष महोदय, 42,236 मैट्रिक टन कोयला इनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम 30 किलो मीटर मुख्य नहर और बाकी वितरिकाएं बना लेंगे। मैंने प्रश्न पूछा था तो प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि इस साल में 18 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर तक तो नहर निर्मित हो चुकी है और 2 किलो-मीटर का निर्माण होना बाकी है। मुख्य नहर जो सैकिंड फेज में को 30 किलोमीटर लम्बी बनानी चाहिये थी, वितरिकाओं और अन्य प्रणाली को छोड़कर सिर्फ 12 किलो मीटर ही बनी। इसी प्रकार इस साल का जो उनका लक्ष्य था अब यह कहते हैं केन्द्रीय सरकार से 40 करोड़ रुपये और लिये...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। एक बात और कहूंगा।

तो अध्यक्ष महोदय, जो यह मांग कर रहे थे कि कितना कोयला चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए और कितना इनको खर्च करना है, कितनी नहर और बनानी है इस सूत्र के बारे में मैंने बता दिया।

अध्यक्ष महोदय, 1981 में कोटा थर्मल प्रोजेक्ट प्रारम्भ कर रहे थे उसमें पिछड़ गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनकी पूंगी बजते तीन साल हो गए हैं कि राजस्थान में खाद का कारखाना लगायेंगे। पहाड़ियाजी आये तो वह अपने बजट भाषण में बोल गये, फिर चन्दनमलजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आये तो वह अपने बजट भाषण में बोल गये और अब बृजसुन्दरजी आये तो वह बजट भाषण में बोल गये। तीन सालों से इनकी पूंगी बज रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सवाई माधोपुर में कोई फर्टिलाइजर का कारखाना नहीं लगा पाये। फर्टिलाइजर के तीन कारखाने लगाने की बात कर रहे थे, तो कहां गये वह कारखाने? न तो राक फास्फेट का कारखाना लगा, अध्यक्ष महोदय और न पाइराइट का कारखाना लगा। तीन साल में एक उद्योग आप नहीं लगा सके। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र से तो आप कोई उद्योग ला नहीं सके लेकिन आपके लिए इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती कि 145 आशय पत्र भारत सरकार उद्योगों के लिए जारी किये थे उनमें से सिर्फ 4 को लाइसेंस मिले हैं बाकी 142 लाइसेंस कहां गए? वह उद्योग कौन से प्रान्त में लग गए? राजस्थान में क्यों नहीं लगाये? इसका आपके पास क्या जवाब है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समय ऊपर हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दो मिनट बोलूंगा सिर्फ। एक बात कह कर समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों को इस प्रकार से इन्होंने पूर्णतः नष्ट कर दिया है। एक अन्तिम बात निवेदन करना चाहता हूं, योजना के बारे में। अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह कोई भी काम पूरा नहीं कर सके। छठी पंचवर्षीय योजना का इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। राजस्थान की 2025 करोड़ रुपये की छठी पंचवर्षीय योजना स्वीकृत हुई थी उसमें से 1015 करोड़ रुपया अब तक खर्च होने का अनुमान है। इसके बाद में 1010 करोड़ रुपया अगले दो साल में खर्च करने का इनके पास प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली साल इनको 117 करोड़ रुपये के स्वयं के संसाधन जुटाने थे, वह नहीं जुटा सके। केवल 50 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये हैं। उसके लिए 33 करोड़ रुपये का सूरतगढ़ का कृषि फार्म और राजस्थान के तीन और कृषि फार्मों को बेचा है जिसकी कीमत जगमोहन आयोग ने 245 करोड़ की आंकी है तो यह 245 करोड़ रुपये का राजस्थान का धन आपने 33 करोड़ में बेचा और 210 करोड़ रुपये का धन आपने मिट्टी में मिला दिया। राजस्थान में इससे बड़ा पाप और आप कुछ नहीं कर सकते। संसाधन जुटाने की आप बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में से 346 करोड़ रुपया खर्च करना था, फरवरी तक सिर्फ 245 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये हैं। आगे आने वाले दो सालों में इनको 665 करोड़ रुपये के राजस्थान में स्वयं के साधन जुटाने पड़ेंगे और 102 करोड़ रुपये अग्रिम योजना के अन्तर्गत आ गये हैं। यानी 1010 करोड़ रुपये में से 167 करोड़ रुपये राजस्थान के स्वयं के संसाधनों से जुटाने पड़ेंगे। यह इकट्ठे नहीं कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। राजस्थान के विकास की गति को इन्होंने रोका है, उद्योगों की गति को रोका है, कृषि की गति को रोका है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट नहीं है, यह सिर्फ एक स्टेटमेंट है। एक मिल के मैनेजर का स्टेटमेंट है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें। आसन पैरों पर है। बैठ जायें, कृपया श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बजट पेश किया है इसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आम लोग यह जानते हैं कि चार-पांच साल से राजस्थान में अकाल और बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है। हम तरह-तरह की बातें करते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं। तो कहने की बात और होती है और राजस्थान को चलाने की बात और होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट के अन्दर राजस्थान में सराहनीय कामों के लिए कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से कोई भी असन्तोष की भावना पैदा नहीं हो सकती।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(4.20 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में देवली नगरपालिका के आसपास तीन पंचायतें, काशीर, सांडला और गावड़ी हैं। बनास जलप्रदाय योजना के द्वारा नसीराबाद और अजमेर को पानी जा रहा है। बनास के अन्दर 250 फीट पानी नीचे चला गया है इससे देवली नगरपालिका क्षेत्र और इन तीन पंचायतों में भीषण स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। हमारे कुएं, जो सदियों पुराने है, अलग थलग हो चुके है। वहां का जन जीवन, मनुष्य और पशुधन पीड़ित हैं। सरकार जांच कर ले उनको आबाद करने की आवश्यकता है या नहीं है या अपने आप आबाद हो जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 65 कुओं की वजह से देवली नगरपालिका और इन तीन पंचायतों में भीषण स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिये मैं आपके द्वारा सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भयंकर समस्या, जो देवली नगरपालिका क्षेत्र और तीन पंचायतों में पेयजल की है, का तत्काल समाधान किया जाये। वहां पर भीषण स्थिति पैदा हो चुकी है। अजमेर और नसीराबाद को पानी जा रहा है और इन 65 कुओं के लगने से हमारे यहां अव्यवस्था हो गई है। वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण में विश्वास दिलायें नहीं तो वहां का जन जीवन खतरे में है।

पेयजल के लिये, सभापति महोदय, देवली नगरपालिका में 22 साल पहले की एक टंकी बनी हुई है। उस वक्त देवली नगरपालिका की आबादी 8 हजार थी। वह टंकी सी.आर.पी के लिए बनी थी। उसका पानी शहर को देते हैं। आज शहर की आबादी 15 हजार की हो गई है, उसके अलावा मिलिट्री एरिया की आबादी और है। दो-ढाई हजार आदमी वे न्यारे हैं। वह टंकी 22 साल पहले की बनी हुई है। उसका सारा पानी सी.आर.पी.काम में ले रही है। केवल एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को शहर में पानी देते हैं। आप और हम सोच सकते हैं उस पानी से क्या

(श्री चतुर्भुज)

हो सकता है। इस शहर की दयनीय स्थिति हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाये गये तो पेयजल के बिना देवली नगरपालिका और तीन पंचायतों का जन-जीवन खतरे में पड़ जायेगा। मैं यही निवेदन कर सकता हूं राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टोंक जिले के लिये दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहां जो बनास योजना है वह योजना वर्षों से चली आ रही है। उसका चार बार सर्वे हो चुका है। इस योजना को सरकार शीघ्र हाथ में ले तो पेयजल की समस्या सामने नहीं रहेगी लेकिन बजट में इस योजना के लिये कुछ नहीं कहा गया है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्भवतः 42 की इस स्कीम को यदि हाथ में नहीं लिया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता में बड़ा असंतोष है, हमारे क्षेत्र से पानी जा रहा है, हमारा जन-जीवन पीड़ित हो रहा है। हमारे लिये राज्य सरकार की नीयत में परिवर्तन नहीं हुआ तो वह जनता क्या फैसला करेगी यह आप सोच लें। अगर यह योजना हाथ में नहीं ली गई तो यह हमारे जिले के लिये दुर्भाग्य की बात होगी।

इसके साथ मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली और टोड़ारायसिंह में केवल 8 गांवों में बिजली है। राजस्थान में दो सौ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा जहां केवल 8 गांवों में बिजली हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना लागू करके बिजली की व्यवस्था की जाय इसके लिये आम जनता में असन्तोष है वह इस बात के लिये उत्सुक है और बहुत दिनों से मांग कर रही है। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री बरकत साहब ने भी घोषणा की थी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशीजी ने भी घोषणा की थी इसके बावजूद भी वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। 8 ही गांवों में बिजली दे रखी है। आज का जो युग है, वह औद्योगिक युग है, वैज्ञानिक युग है। टोडाराय सिंह नगरपालिका की आबादी 20 हजार की है उसमें केवल एक कुआं पानी दे रहा है। हमारे क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी से अजमेर और नसीराबाद को पानी दे रहे हैं। पानी का इतना भण्डार होते हुए भी हमको बिजली नहीं मिले, यह दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 200 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा, जहां केवल 8 गांवों में बिजली हो। टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में बिजली आज निल है इसलिये बिजली की व्यवस्था की जाय।

तीसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दो वर्ष पहले की आपकी घोषणा है, आप 15 हजार की आबादी वाले गांवों को रोड से जोड़ना चाहते हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणाएं कम की जायें और काम ज्यादा किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि टोडारायसिंह और देवली तहसील को एक दूसरे से जोड़ दीजिये। आप घोषणाएं करते हैं, मैं यह कहना

(श्री चतुर्भुज)

चाहता हूं कि घोषणा कम की जाये, काम ज्यादा किया जाय। हमारे एक तहसील को दूसरी तहसील से जोड़ दीजिये। 32 लाख रुपया रोडवेज के अलावा प्राइवेट बसों से हमारे यहां से सरकार के पास आया है। टोडारायसिंह से देवली वाली रोड पर चार प्राइवेट बसें जाती हैं। संवत् 46 से वह बसें चल रही हैं। उनसे गवर्नमेंट को 32 लाख रुपये की आय हुई। वह 32 लाख रुपया ही वहां लगा दें, उसी रोड का वह पैसा है। नासर्दा एक कस्बा है जिसकी आबादी 9 हजार है, वहां से केकड़ी जाने का साधन नहीं है, देवली जाने का साधन नहीं है, टोडारायसिंह जाने का साधन नहीं है और आप घोषणा करते हैं कि एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ देंगे। हम यह कहते हैं कि हमारे यहां एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ दीजिये हम वही मान लेंगे। उससे 11 पंचायतें कवर होंगी। टोडारायसिंह से सिर्फ 23 किलोमीटर का एक टुकड़ा है वहां रोड बना दें तो एक तहसील दूसरी तहसील से जुड़ जायेगी। सभापति महोदय, मैं सही बात कहूं, मैं सन् 60 से 72 तक इस तहसील का प्रधान रहा हूं और सन् 72 से विधायक हूं। क्या जवाब दूंगा जनता को, कांग्रेस के प्रति क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी यहां बिराजे हैं, वित्त मन्त्री जी बिराज रहे हैं, नासर्दी रोड को तो आप इसी साल ले लें तो उचित होगा नहीं तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। पिछले साल में 22 लाख रुपये की मन्जूरी दी थी लेकिन काम करने वालों ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई 10, 20 हजार का कांकड़ा लाकर छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नासदी रोड को लेने की आवश्यकता है जिससे एक तहसील दूसरी तहसील से जुड़ जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुआंरिया से मोर रोड के लिये वर्षों से सरकार से जनता की मांग रही है। यह 16 किलोमीटर का टुकड़ा है। यह रोड अजमेर से टोडारायसिंह डामर रोड से जुड़ जायेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इन रोड्स को लेने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं दूसरी बात आपके सामने और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हजारों की तादाद में पुरानी मिसलें पड़ी हैं। उन पुरानी मिसलों को निपटाने का अभियान चलाकर निपटाने की व्यवस्था करें। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, एक बार मेरे क्षेत्र में दो-तीन पंचायतों के तहसील हैडक्वार्टर पर दुबारा जायं और जो पुरानी मिसलें हैं, जिनमें कलेक्टर का फैसला हुआ है उनको दुबारा देखें। हजारों किसान तहसील में रोजाना जाकर हाजरी भर-भर कर वापस लौट आते हैं। उनकी पुरानी मिसलें नहीं मिलती हैं। अगर यह काम आप दुबारा देंगे तो गरीब आदमी आपका शुक्रिया करेगा इसमें बहुत से लोग आपका यश मानेंगे क्योंकि उनके काम सिद्ध होंगे।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : मैं कृषि विभाग के बारे में निवेदन कर दूं। आपको भी मालूम होगा, किताबों में दे दिया कि कृषि विभाग

(श्रीचतुर्भुज)

का फलां-फलां फार्म बन गया। मैं सही रिपोर्ट देता हूं कि कृषि विभाग ने काम तो देखा नहीं और ये सब आंकड़े फालतू दे दिये। एक बात जरूर है, अगर शुद्ध हैं तो उसमें भी गड़बड़ी आने लग जायगी। जितना आंकड़ों का खर्चा है भगवान जाने कहां से लाते हैं। आप ग्राम सेवक से काम तो लीजिये। कोई न कोई काम लेने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं। गरीब किसान के लिए आपने कुछ नहीं किया। आज आपके सामने जो गरीब है, जो अनपढ़ है आज से दो वर्ष पहले भी पटवारी ने बता दिया था···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 25 बीघा से नीचे के जो काश्तकार हैं उनकी पैनल्टी माफ कर दी जाय। आपका शुक्रिया होगा। आप चाहें जितनी सख्ती लगावें वह देने वाले तो हैं नहीं, इसलिये आप ऐसे आदमियों, जिनके पास 25 बीघा से नीचे जमीन है, पैनल्टी माफ कर दीजिये। उनका खाते का सही नम्बर नहीं बताया। उनके नाम जमीन अलाट है किन्तु पट्टा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माफ कीजिये, काफी समय हो गया है।

श्री चतुर्भुज : मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, 25 बीघा से जो नीचे के किसान हैं उन पर पैनल्टी नहीं लगाई जाय।

श्री सभापति : असलम खां।

श्री असलम खां (बाड़ी) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने हमारे राजस्थान के लिये जो बजट दिया, चार साल से लगातार अकाल होते हुए, राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए वह बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा बजट दिया है उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

हम सब इस बजट का स्वागत तो करते ही हैं मगर ये चार साल से जो हमें विरासत में अकाल मिला है इसके लिये कोई स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा। सभापति महोदय, सरकार से कोई तो कहता है यह दैवी प्रकोप है, कोई कहता है प्राकृतिक प्रकोप है मगर मैं तो यह मानता हूं कि हम स्वयं इसके लिये दोषी हैं। हमने किताबों में पढ़ा है कि जहां पर वन होते हैं वहां पर बरसात ज्यादा होती है। माननीय वन मंत्रीजी पधार गये हैं, मैं विशेष तौर से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में 450 लाख पेड़ लगाने की बात कही गई है। लेकिन जो पेड़ लगाये जायेंगे, मेरी मान्यता है कि इससे ज्यादा पेड़ कटेंगे। मेरा निवेदन है इस मामले को किसी तरह रोका जाय। यह एक बहुत गंभीर बात है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों बीघा जमीन पर पेड़ कटे हैं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था उस जमीन पर आप जाकर देखें हजारों पेड़ खड़े थे, आज एक भी पेड़ मौजूद नहीं है। बार-बार शिकायतें करने पर आज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि रेवेन्यू विभाग या वन विभाग वालों को किसी को वहां भेजेंगे। गांव वाली औरतें अपने सिर पर बोझा रख कर जो वनों से लकड़ी लाती हैं और उससे

(श्री असलम खां)

अपना गुजारा करती हैं उनको तो वन विभाग वाले बहुत तंग करते हैं जबकि ट्रक भर-भर कर लकड़ी चली जाती है उसके लिये कुछ नहीं होता है । तो, माननीय सभापति महोदय, इस अकाल की समस्या को दूर करने के लिये मैं वन मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप वनों की रक्षा के लिए कोई कारगर कदम उठायें । मेरा क्षेत्र अरावली के जंगलों से संबंधित है । वहां पर 25 गांव आदिवासियों के हैं । आज जब हम अरावली के जंगलों में जाते हैं तो देखते हैं कि जो हरा-भरा जंगल था वह बराबर कटता जा रहा है । इन सब बातों को देखते हुए अकाल की समस्या कैसे मिटेगी ? यह विरासत में मिला हुआ अकाल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसलिये वनों की रक्षा के लिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा ।

दूसरा, मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं और यह भी मैं अकाल से ही संबंधित मानता हूं । परिवार कल्याण के लिये लोगों को आगे लाने में हम माननीय सदस्यों को बड़ा डर लगता है । अगर परिवार कल्याण कार्यक्रम सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो मैं यह मानता हूं कि यह दूसरी तरह का अकाल है । बढ़ती हुई आबादी के लिये हम सबको सोचना पड़ेगा । मगर हर माननीय सदस्य और मैं खुद भी यह सोचता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को यह बात कहूंगा तो आने वाले समय में मेरे खिलाफ हो जायेगी । यह दूसरी तरह का अकाल है । मेरा विशेष निवेदन है चिकित्सा मंत्रीजी से कि 135) रुपये के बजाय कुछ राशि और बढ़ा दी जाय और राशि बढ़ाने के बजाय, मेरा तो निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जाय, पब्लिसिटी बढ़ाई जाय तो मैं समझता हूं कि जो दूसरे नम्बर पर अकाल है उसकी समस्या हल हो सकती है ।

बिजली के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं उद्योगों के लिये उद्योग निगम ने एक ऐसा प्रावधान रखा है कि छोटे उद्योगों को 50 प्रतिशत अनुदान जनरेटर सैट्स के लिये दिया जाय, तो क्या किसानों के लिये इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि किसानों को भी जनरेटर सैट्स लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिले ?

(4.39 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग से ज्यादा महत्व कृषि को देता हूं । मेरी मान्यता है, हरेक माननीय सदस्य इस बात को जानता है कि बिजली की कितनी भयंकर समस्या है । मेरे खास कहने का मतलब यही है, सब बीमारी की एक दवा है । अगर अकाल की समस्या हल नहीं होगी तो, अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा ही गंभीर होता चला जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, उर्दू के साथ कुछ सौतेला व्यवहार किया गया है । माननीय वित्त मंत्रीजी उर्दू के लिये भी कुछ गौर फरमायेंगे और विशेष तौर से इस मामले में सोचेंगे ।

शिक्षा के क्षेत्र से खेलकूद भी सम्बन्धित है । हमारे खेल मंत्रीजी भी यहां विराज रहे हैं, उनसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि एशियाड होने के बाद हमारे राजस्थान को

(श्री असलम खां)

कुछ सोने के तमगे मिले और कुछ दूसरे तमगे मिले। मगर खेल कूद के लिये हमारा बजट बहुत ही कम है। खिलाड़ियों को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाय, इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा।

पशुपालन के लिए मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, विशेष निवेदन करना चाहूंगा। यह मेरे क्षेत्र की बात है। मेरे क्षेत्र फालना में दूध ठण्डा करने का एक संयंत्र लगाया जा रहा है। करीब तीन साल से उसका काम चालू है। अगर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की तरह कोई दुर्ग बनवाया होता तो शायद वह भी तीन साल में पूरा हो जाता। कई ट्रक सीमेंट वहां आ गयी। अगर उस सीमेंट के थैले ही जमा दिये होते तो वैसी कई फैक्टरियां बन सकती थीं। आज तक हमें यही पता नहीं लग रहा है कि वह अवशीतन संयंत्र कब पूरा होगा और वहां के किसानों को कब उसका फायदा मिलेगा। मेरा तो ऐसा मानना है, वहां एक ऐसा ही केन्द्र है उसमें कुछ थोड़ा बहुत दूध आता है, वह उसके माध्यम से ठण्डा करवा दिया जाता है। उसमें भी बड़े गबन के मामले चल रहे हैं।

मेरे क्षेत्र में एक चल पशु चिकित्सालय है। अध्यक्ष महोदय, करीब दो साल से बन्द पड़ी हैं निवेदन कर रहा हूं, वहां की जीप यहां जयपुर मंगवा ली गयी। मुझे ज्ञात हुआ कि उसको नीलाम भी करवा दिया गया है। आज वहां पर सारा स्टाफ बैठा है मगर आज तक दूसरी जीप नहीं पहुंची। अतः मैं इसके लिये आपसे विशेष निवेदन करूंगा।

हमारे आयुर्वेद मन्त्रीजी भी विराजे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ही एक मामला सामने आया। जोधपुर में एक यूवेरिया तिब्बियां कालेज है, उसमें 10 शैय्याओं का हास्पिटल भी चलता है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उसको हमारी राज्य सरकार की ओर से सिर्फ 3 हजार रुपये ऐड मिलती है। अब आप खुद-अध्यक्ष, महोदय, इस बात का अंदाजा लगाइये आज अगर हम एक चपरासी को तनख्वाह देते हैं तो साल भर के करीब 5 हजार रुपये होते हैं। 3000 रुपये ऐड देकर उस कालेज का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं आयुर्वेद मन्त्री महोदय, और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप गौर फरमायें।

मेरे क्षेत्र का एक और मामला आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। राजकीय उपक्रम के बारे में भी बजट में कुछ बताया गया है। इसमें यह भी है कि परिवहन निगम के लिए विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे जो देखेंगे कि यह घाटा किस तरह से चल रहा है। मैं इस मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे क्षेत्र में जो नेशनलाइज्ड रूट हैं, उन पर हम खुद देखते हैं सरकारी बसों के आगे आगे प्राइवेट बसें, जो कहती हैं कि हमारे पास आल राजस्थान का परमिट है, आल इण्डिया का परमिट है, चलती हैं। इनमें हजारों रुपयों के टैक्स का घपला हो रहा है। सरकार को इसने करोड़ों रुपये का घाटा दिया जा रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आता, हमारे यहां से चैकिंग पार्टियां भी जाती हैं। मगर वह उन ठेकेदारों के वहीं ठहरती है। जब भी हम शिकायत करते हैं तो गरीबों को तंग किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को मद्दे नजर

(श्री असलम खां)

रखते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि बजट तो अच्छा है, खूबसूरत है, मगर अकाल की समस्या के लिए जब तक हम स्थायी हल नहीं निकालेंगे, यह बजट हम आये साल बनाते रहेंगे, किन्तु इससे कोई समाधान नहीं होने वाला है।

मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान की सभी समस्याओं को लेकर बड़ा ही अच्छा बजट रखा। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष . डा. उजला अरोड़ा। समय सीमा 12 मिनट। आपकी पार्टी का काफी समय लिया जा चुका है और अभी नेता महोदय, बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, 12 मिनट में समाप्त कर दूंगी जैसी आज्ञा है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब यहां चर्चा हुई उसमें मैंने भाग नहीं लिया। केवल इसलिए कि देख लूं बजट में कोई नयी बात आती होती। मेरा विचार था कि दोनों पर एक साथ बात करूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ था ही नहीं और इस बजट भाषण में भी कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहती हूं, जैसे प्रगति विवरण होता है, हर साल अलग-अलग डिपार्टमेण्ट्स की बुकलेट आती है, उसी प्रकार आंकड़े और लेखा जोखा है। इसमें कोई दर्शन नहीं है। राजस्थान के बनाने के बारे में कोई दर्शन मुझे इसमें उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने बहुत चिन्तन किया, यह मामला क्या है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान आया गत वर्ष भी मैंने कहा था, आप अपराध मत करो; पाप की ओर मत बढ़ो, शराब मत खोलो। जो आदमी शराब की आय खाता है, शराब पीता है, शराब का उपयोग करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मान्यवर, यह पूरा विवरण, ऐसा लगता है, उसी की छाया में बना है। कोई विकास की दिशा इसमें नहीं है। बल्कि यह कहना चाहूंगी कि गत वर्ष जिन बातों के लिए यहां कहा गया कि उनकी पूर्ति करेंगे, उनका लेखा जोखा भी इस विकास विवरण, जो राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया, में नहीं मिला। गत वर्ष की जो छोटी-छोटी बातें मेरे सामने हैं, वह आपको बता दूं 1981 में बाढ़ आयी और बाढ़ भयंकर रूप से आयी। मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर यह कहा कि बाढ़ वरदान सिद्ध होगी। आप जयपुर में कहीं भी चले जायं, बाढ़ के अवरोध के लिये जो काम किये जाने थे वह नहीं किये गये। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो पैसा दिया जाना था वह अब भी जिलाधीशों के सरकार के खजाने में रखा है। उन गरीब लोगों को सौ रुपया, तीन सौ रुपया और 6 सौ रुपया नहीं दिया ताकि छप्पर डाल लेते, घर में रोटी के लिये अनाज ले लेते या कुछ खाकर अपने बचाव की बात करते। मान्यवर, यहां तक कि मृतकों के परिवारों की राशि इनके यहां जमा पड़ी है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बात कहूं। इन्होंने काम नहीं किये। दूसरी ओर देखें आप। आप अगर अस्पताल के सामने से आयें या मन्त्रियों के बंगले के सामने से आयें तो वहां सड़कों पर डामर पर डामर हो रही है लेकिन बांध टूटे उन पर एक करनी चूना नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगाया गया। जो सड़कें टूटीं, उन पर काम नहीं किया गया। मेरे क्षेत्र में 166 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। अध्यक्ष महोदय, वहां इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इनका कैसे सत्कार किया जाय? जब नया वर्ष लगता है तो हम लोग यह कहते हैं, नया वर्ष मुबारक हो। लेकिन जब यह बजट आता है तो, कहने में लज्जा आती है, दुखदायी होता है। हम बजट का इंतजार करें या सोचें बजट आये ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में मुझे एक बुकलेट मिली उसमें लिखा था, "प्रशासन गांवों की ओर" प्रशासन गांवों की ओर गया। लगा नहीं, गया"

श्री अध्यक्ष : आप गई नहीं होंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जितनी भी मेरी पंचायतें हैं, 13 की 13 में पहुंची हूं, और रात के 11 बजे तक बैठी रही हूं कि अब तो आवंटन होगा। आवंटन नहीं किया गया। जयपुर के 12 मील की परिधि में मेरे एरियों में आ गया। इसलिये उसके लिये यह कह दिया गया कि यहां विकास प्राधिकरण आवंटन करेगा। विकास प्राधिकरण ने यह कहा कि हम तो केवल 165 गांवों में आवंटन करेंगे, 342 गांवों में नहीं करेंगे। वह प्रशासन गांवों की ओर जाकर लौट आया, बाकी गांवों का कोई लेखा जोखा नहीं दिया गया कि किन गांवों में पंचायत काम करेगी या किन गांवों में यह प्रशासन काम करेगा। मान्यवर, कोई काम नहीं किया है। प्रशासन गांवों की ओर एक बार गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, जनता पार्टी की सरकार के समय में मेरे स्वयं के गांव में काम हुए। किसी गांव में 64 काम हुए, किसी गांव में 32 काम हुए। एक बार में तीन-तीन काम हुए। पंचायत के सरपंच को 7-7 हजार के काम करने की अनुमति थी। अनेकों काम हुए। लेकिन आज गांवों में प्रशासन जाकर लौट आया। पंचायतों को सक्षम नहीं किया गया उनको पैसा नहीं दिया गया, उनके अधिकार और छीन लिये गये। मान्यवर, शनिवार के दिन जिलाधीश के यहां मीटिंग थी। उसमें यह कहा गया बी.डी.ओ. लिख दे अगर वहां पर शिक्षक तय करने हैं। मेरा अभिमत नहीं है। पंचायतों को अधिकार था, वह अपने यहां नियुक्ति कर सकती थी लेकिन अब उनका वह अधिकार भी छीन लिये। उनके लिये प्रति व्यक्ति अनुदान बढ़ाने का जो प्रस्ताव जनता पार्टी ने किया था, पंचायतों को सक्षम करने के लिए वह पैसा इन्होंने दिया नहीं और गांवों की ओर प्रशासन जाकर लौट आया। अरे नामांतरण और पेन्शन का काम तो तहसीलदार और सरपंच अपने आप कर लेते हैं। गाड़ियां दौड़ती हैं, पैट्रोल फुंकता है और प्रशासन गांवों में जाकर लौट कर आ जाता है, किन्तु काम नहीं हुआ। यह थोथे नारे देने की यहां क्या आवश्यकता थी।

मान्यवर, अकाल की बात कही गई। लगातार अकाल में काम करेंगे। गये साल अकाल में जो काम तय हुए थे वे अभी तक शुरू नहीं हुए। 16 दिसम्बर से काम शुरू किए जाने की बात कही गई थी। मेरे क्षेत्र में जिलाधीश महोदय ने एक पत्र भेज कर यह कहा कि अकाल में काम किये जाने के लिए प्रस्ताव भिजवायें। मार्च जा रहा है, जून तक अकाल राहत काम समाप्त हो हो जायेंगे। अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

काम नहीं किये गये, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह सरकार चल रही है क्या ? यह इसका प्रगति विवरण है क्या ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रगति विवरण इन विभागों का लेखा जोखा कहां गया ? मंत्री महोदय से पूछूंगी कि शराबबन्दी क्यों नहीं करते ? आपने कहा था कि शराब की आय से हम राजस्थान में विकास के नये आयाम स्थापित करेंगे। मुझे विकास का आयाम दिखाई नहीं दिया. शराब में लोग डूब गए। गरीब बस्तियों में शराब की दुकान, स्कूलों के पास शराब की दुकान, देवस्थान विभाग के मंदिरों के पास शराब की दुकान, यूनिवर्सिटी के पास शराब की दुकान, कच्ची बस्तियों के पास शराब की दुकान, सघन बस्तियों में शराब की दुकान। मान्यवर, इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं ? बिजली की कटौती चल रही है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप बाजार से निकले होंगे तो आप देखते होंगे कि हर शराब की दुकान के आगे लोगों को आकर्षित करने के लिए बिजली की झालर लटकी हुई है। शॉप एक्ट के तहत दस बजे बाजार में दुकानें बन्द हो जाती हैं लेकिन शराब की दुकानें खुली रहती है। दस बजे के बाद यह प्रशासन सोता रहता है। लड़के बिगड़ते हैं सरे आम दारू पीते हैं। इतनी लफंगाई इस दारू ने फैलाई है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। पंडित जी, आप तो शर्म करो। आप जिस जाती से आते हो उसमें तो शराब को त्यागने के लिए कहा गया है। मैं कहना चाहूंगी कि उन जैन साहब ने शराब चालू नहीं की, पंडितजी, आप तो शराब बन्द करो।

श्री यदुनाथ सिंह : दोनों ही पीते होंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पीते देखा नहीं। मैं आरोप नहीं लगाऊंगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिर यह पचास करोड़ कहां से आवे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अरे, मैं बताती हूं आपको, आप शराब बन्द कीजिये। हमारे यहां खनिज के विशाल भण्डार भरे पड़े हैं उनका दोहन कीजिये। उस दोहन से राज्य ही नहीं सारे देश के विकास की क्षमता प्राप्त कर सकते है। विदेशों से आपको राक-फास्फेट नहीं मांगना पड़ेगा। आप यहां पर राक फास्फेट शोधित करने का संयंत्र लगाइये। जो आपके पास यह धन है, उससे आप राजस्थान को जगमगा सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि शराब की दुकान पर तो विद्युत की झालर लटकती है लेकिन आपने बिजली में कटौती करके कारखाने बन्द कर दिये। उन कारखानों के सेंट पर्सेंट मजदूरों को बेकार कर दिया। मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बड़ी दलील दे रहे थे कि हमने प्रवासी राजस्थानियों को बुलाकर इतने कारखाने इस बार लगाये हैं। कारखाने क्या लगाए ? उनका उत्पादन देखिये। आपने तो विकास की गति को अवरुद्ध किया है। आपने उत्पादन को समाप्त किया है। आप ने गरीब से रोजगार छीना है। आपने मजदूरों को बेकार किया है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार उत्पादन घटाने के लिये दोषी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह तो माणक चौक चौपड़ पर कह देना।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह बारह मिनट में यह टाइम शामिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, शास्त्रीजी ने कहा था, 'जय जवान जय किसान'। सीमेंट की फैक्ट्री बन्द पड़ी है। जहां लोहे के सरिये उत्पादित होते हैं, जो राजस्थान नहर ही नहीं अन्य स्थानों पर भी काम आते हैं, वह फैक्ट्री बन्द पड़ी है। मुझे मालूम नहीं, गोटावाला जी की जयपुर रोलर मिल बन्द पड़ी है या खुली है। उन्होंने पेमेंट किया या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि उद्योगों का उत्पादन घटाने का सारा दोषी यह प्रशासन है। कहां से पैसा मिलेगा ? अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो सरकार ने दर ऊंची की है उससे जो चीज उत्पादित होगी वह क्या सस्ती मिल जायेगी। क्या वह कारखानेदार बख्श देगा उन लोगों को, जो कि उसके उपभोक्ता है। मान्यवर, सोचिये, महंगाई लाने की दोषी यह सरकार है, उत्पादन घटाने की दोषी यह सरकार है केवल कारखानों में ही उत्पादन घटाया हो यह बात नहीं है।

: सघन खेती की बात कही जाती है। इन्होंने किसानों की बिजली में कटौती करके उनकी सघन खेती को समाप्त किया है। इस प्रदेश की जो रबी की फसल है, जो आने वाली फसल है उसके लिये बिजली नहीं है। गत वर्ष से घोर अन्धकार मचा रखा है। वह किसान भी इनकी जान को रो रहा है। विधान सभा के सामने धरने पर किसान बैठे हुए हैं। कभी चार घण्टे कभी तीन घण्टे और कभी एक घण्टा बिजली मिलती है। छपछपाती हुई बिजली आती है और चमक दिखाकर लौट जाती है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहती हूं कि इन लोगों के बंगलों के हीटर बन्द नहीं हुए। इन लोगों के बंगलों को गर्म रखने के हीटर बन्द नहीं हुए। इनके यहां पर अनावश्यक रूप से जलती हुई बिजली कम नहीं हुई। इन्होंने बिजली की मितव्ययता नहीं की। और तो और, यहां जयपुर में जिस तरह से प्रदर्शनियां लग रही हैं उनको नहीं रोका गया है। यहां तो हर ओर रोशनी ही रोशनी है। जो गांव का किसान धान पैदा करके देता है जिससे सारे लोग जीवित रहते हैं उनको बिजली नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि यह किसानों का उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि विदेशों से भीख मांग कर लाकर हमको खिलाना चाहते हैं और राजस्थान के ऊंचे सिर को नीचा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि सघन खेती का उत्पादन आप बढ़ाइये।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात कही गई। सिंचाई की बात कही गई। सिंचाई कहां से हो ? मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर में बनास नदी की योजना के लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील रहे लेकिन बनास योजना लागू नहीं की गई। जहां पर नदियां हैं, जहां पर नहरें हैं वहां पर लगान कम है। जयपुर का किसान अपने आप कुएं खोद करके अपनी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खेती का सिंचन करता है वहां लगान ज्यादा है। जब तक जयपुर को बनास योजना से नहीं जोड़ा जायगा तब तक जयपुर का किसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जयपुर के निवासी को पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकता। आज आप देखते हैं, मैं सरकारी बंगलों की बात नहीं करती लेकिन पूरे दबाव से जयपुर में पानी नहीं है। ऊपर टैंक बना दिये गये। जयपुर के कुए खाली होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं और आये दिन सुबह कभी छः बजे, कभी सात बजे पानी बन्द हो जाता है। लोग बाल्टियां लेकर घूमते हैं लेकिन पेयजल उपलब्ध नहीं होता। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बजट में बनास योजना की कोई बात नहीं कही गई। मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर जिले के लिये कुछ सोचा जाना चाहिये था। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां की यू.आई.टी. की ओर से और बाद में विकास प्राधिकरण की ओर से "जयपुर निर्माण का नया दौर" के नाम से किताब निकाली गई। निर्माण के प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, पंडित जी, आपने 23 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर जमा कर लिया लेकिन कृषि भूमि पर बने मकानों को नियमित नहीं किया। आपको तुरन्त कैम्प लगा करके कृषि भूमि पर बने मकानों के निवासियों की समस्या को दूर किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया। बल्कि कर क्या रहे हैं? आज जयपुर में अगर कोई मकान निर्मित है, आबादी में आया हुआ मकान है। जिसको पूरा सब डिवीजन का पैसा जमा कर दिया गया, नियमन का पैसा जमा कर दिया गया, जिसका नक्शा मिल गया, पट्टा मिल गया। उस मकान पर एक करणी सीमेंट भी कोई लगाता है तो आपका कर्मचारी वहां जाकर इसको तोड़ देता है। मैंने यह तोड़ने की बात कही, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका यहां पर जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न सीमित दायरे का था। उसमें कच्ची बस्ती की बात कही गई थी। कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों को तीन रुपये वर्ग गज के हिसाब से 110 वर्गगज जमीन देने की बात बरकत साहब ने स्वीकार की थी। मैं स्वर्गीय बरकत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी लेकिन उनकी भावनाओं की इन्होंने कद्र नहीं की और, अध्यक्ष महोदय, पांच रुपये से पचास रुपये वर्ग गज तक लोगों को जमीन कर दी जो बहुत गरीब लोग थे, जिनके पास रहने की जमीन थी। मुझे उत्तर दिया गया 119 बस्ती बसा दी। बस्ती बसाना किसको कहते हैं? वहां सड़क नहीं, नल नहीं, बिजली नहीं, गटर लाईन नहीं। टीले पर जो जहां रह रहे थे उनको छप्पर डालने के लिये कह दिया, आप छप्पर डाल लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति ने सबसे ऊपर के टीले पर छप्पर लाद दिया, उसके नीचे टीला है, उस टीले के नीचे टीला है। अगर सबसे ऊपर वाला नींव खोदेगा तो नीचे का टीला, खिसक जायगा। अगर सबसे ऊपर वाले के आग लग गई तो सारी बस्ती जल जायगी। एक कच्ची बस्ती वालों की योजना नहीं बनाई गई। कच्ची बस्तियों के निवासियों को सुख नहीं दिया गया। उनके आराम की व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि व्यवस्था करते तो पैसा लगता। कृषि भूमि में लोगों को पट्टे नहीं दिये। उन लोगों के लिए कैम्प नहीं लगाये उन लोगों को बरबाद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सी देर और कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, समय हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिलकुल समाप्त की ओर आ रही हूं। मैंने पिछली बार विधवा पेंशन की बात की थी। वह बात मान भी ली थी लेकिन आज यह कहते हैं 45 साल की विधवा को ही पेंशन देंगे। अगर 22 साल की विधवा हो जायगी तो क्या करेगी? मैं कहना चाहती हूं, यह ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी क्रियान्विति की जानी चाहिये थी। 45 साल की विधवा को पेंशन देंगे और उससे कम उम्र की विधवा को पेंशन नहीं देंगे. इनको कुछ काम करना चाहिये था।

नैतिक शिक्षा की बात बड़े जोर शोर से कही गई। नैतिक शिक्षा की किताबें नहीं छपाई गई, कोर्स में लगाई नहीं गई। महिला शिक्षा के लिए राजस्थान में योजना नहीं है। यह चाहते क्या हैं? आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, किस तरह की योजना आप लेकर आये हैं? अध्यक्ष महोदय इन्होंने फसल बीमों की बात कही थी आज तक फसल बीमा लागू नहीं हुआ। मैं कह रही थी कि गत वर्ष की घोषणा क्रियान्वित नहीं हुई। केवल यह उल्टी सीधी बातें लेकर यहां पर बजट के नाम से एक प्रगति पत्र ले आये हैं। प्रगति भी वह जो प्रगति नहीं अवगति है। पीछे की ओर सरक रहे हैं राजस्थान को विकास की ओर नहीं पीछे की ओर धकेल रहे हैं मैं कहना चाहती हूं इसका समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता। जो यह आपके यस मैन समर्थन करते हैं वह भी मन में गुस्साते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अगर नहीं कहूंगी तो मुझे दुख होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर आयुर्वेद और यूनानी के स्नातक बैठे हैं। यूनानी पद्धति और आयुर्वेद पद्धति देशी पद्धति हैं। हमारे प्रदेश के लिये ये बहुत माफिक हैं। अंग्रेजी पद्धति इतनी महंगी है कि कोई उसको ज्यादा उपलब्ध नहीं कर सकता। इन्होंने बेरी कमीशन की बात कही थी। पूरे प्रदेश का राज्य कर्मचारी उद्वेलित है। गये साल 20 तारीख को यह अक्षम आदमी भाग गये थे। साल भर में इन्होंने कुछ नहीं किया, आज तारीख हो गयी 7 मार्च, 20 मार्च आने वाली है, यह बीस तारीख को भागे थे। एक वर्ष हो चला, मान्यवर, इन्होंने बेरी कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। जो आयुर्वेद के कर्मचारी हैं वे दुःखी हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं वे दुखी हैं। इन्होंने किया क्या? बेरी कमीशन की रिपोर्ट ऊपर एक कमेटी बैठा दी। ऐसी कमेटी बनाई जिसने बेरी कमीशन की भावना को बदल दिया। मान्यवर, जो बीमे की कटौती की दरें हैं, उनको नहीं बदलने से कर्मचारियों को दस रुपये से तीस रुपये तक जमा कराने पड़ेंगे। उन्हें मिला क्या? उन्हें कुछ नहीं मिला। मान्यवर, इनको समझाइये, इनको ताड़ना दीजिये, इस तरह का बजट लाने पर इनको कहिये कि यह राजस्थान का विकास करें। इस तरह के पोथो से काम नहीं चलने वाला है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है मैं तो इसको मानूंगा सिर्फ यह आंकड़ों का जाल है। राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता का

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो पैसा टैक्स के रूप में लेती है उसका और आज जो खनिज सम्पदा है या अन्य जो साधन हैं उनका सही सदुपयोग करती, आपने पिछले बजट भाषण में जो अपनी बातें रखी थीं, उनका नतीजा सामने लाती तो कुछ बात समझ में आती। सिर्फ आंकड़े रख दिये जाते हैं, इस साल का यह खर्चा, यह आय, यह व्यय।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान राजस्थान नहर की ओर दिलाना चाहता हूं। आप राजस्थान नहर पर साढे चार सौ करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे योजना निर्माण कर्ताओं ने सोचा था कि इससे राजस्थान का जल्दी विकास होगा, पेयजल समस्या हल होगी, हमारी उपज बढ़ेगी, धन, आबादी हर क्षेत्र में विकास होगा। परन्तु अध्यक्ष महोदय, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। मैं इसका उदाहरण दूं। अध्यक्ष महोदय, लूणकरण सर मुख्य कैनाल पर आप देखिये। यह सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी जवाब है, जिसमें आपने बताया है कि 1979-80 में जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी का सिस्टम पूरा हो गया। उसके अन्दर आपने टोटल सिंचित क्षेत्र बताया है 15109 एकड़। उसके अन्दर आपने रबी 1981-82 में सिंचाई बतायी है, 464 एकड़, उसके अन्दर खरीफ 1982 की फसल की जो बीजाई हुई है वह 251 एकड़ में हुई है। अध्यक्ष महोदय, मात्र 251 एकड़। अब 15 हजार एकड़ में से 251 एकड़ में सिंचाई होती है तो आप कल्पना कीजिये इस पर लगे पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। किसानों को आपने जमीन आबंटित कर दी। उस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं हो रहा है। आपने जमीन वहां आबंटित तो कर दी लेकिन वह आज आपके पानी के भरोसे वहां प्यासे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खींचया माइनर है। इन्होंने बताया कि 1976-77 में वह पूर्ण हो गयी, पूरा सिस्टम कम्पलीट हो गया। उसका क्षेत्र करीबन चार हजार एकड़ है। उसको खरीफ की 1982 की सिंचाई, अध्यक्ष महोदय, मात्र 17 एकड़ है। इसी प्रकार घोडेरा माइनर है।

(5.05 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

इस घोडेरा माइनर के बारे में आपने बताया कि 1977-78 में इस सिस्टम को पूर्ण कर दिया, पानी छोड़ दिया। इसमें आपने सी.सी.ए. क्षेत्र बताया है 1772 एकड़। आपने खुद आपके उत्तर में इसकी सिंचाई निल बताई है। खरीफ में निल, रबी में निल। यह आपकी हालत है। इसका कारण, वित्त मंत्री महोदय, अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। आपको जो उत्तर मिला विभाग के द्वारा, जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी पर आपने 15 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित बताया था उसके अन्दर सिंचाई तो हुई मात्र 251 एकड़ में लेकिन आपने 1980-81 में उस सिस्टम की सफाई, मिट्टी निकालने के नाम पर 50 हजार रुपया खर्च करना बताया है। सिंचाई तो आपकी हो रही है 251 एकड़ में और आपने मिट्टी निकालने और सफाई के लिये 50 हजार रुपया 1980-81 में खर्च दिया। 1981-82 में 40 हजार खर्च दिया गया। सभापति महोदया, इस पैसे का दुरु

(श्री देवीसिंह भाटी)

पयोग हो रहा है। जनता के पसीने का पैसा जो टैक्स के रूप में लेते हैं, वह सारा पैसा राजस्थान नहर के ऊपर लग रहा है। अधिकारियों की जो लापरवाही है, अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर कतई यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपको कोई कोई दूसरा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ राजस्थान नहर क्षेत्र का विकास कर दीजिये, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिये, परन्तु यह सरकार उस ओर ध्यान नहीं देगी, ध्यान देगी सिर्फ टैक्स लगाने के ऊपर। इस सारे का नतीजा हमारे सामने आया है। आप पी. ए सी. की रिपोर्ट उठा कर देखें, आप एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट उठा कर देखें, आपकी ऑडिट रिपोर्ट देखें वह क्या बोलती है। आपने पूगल ब्रांच बनायी है, इसमें जो सरकारी आंकड़े हैं, वह बोलते हैं, पूंगल ब्रांच के अन्दर 564 आदमियों को मेन कैनाल के ऊपर आपने अलाटमेंट किया है उनमें से 378 आदमी अनसैटल्ड हैं। इसी प्रकार 15 डिस्ट्रीब्यूटरीज पर 933 आदमियों को अलाटमेंट किया है और आपके आंकड़े बोल रहे हैं कि उनमें से 810 अनसैटल्ड हैं। उसान वाली माइनर 531 आदमियों को हमने भूमि आवंटित कर दी वहां पानी नहीं मिलने की वजह से 357 व्यक्ति अनसैटल्ड हैं। वे वहां आबाद हो नहीं सकते, उनको पानी आप दिखा नहीं सकते। यह जो पूंगल ब्रांच का सिस्टम है उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, उसका मैं एक एक आंकड़ा खुलासा बताता हूं। वित्त मंत्री महोदय, वह आपके साथी जो बैदजी है उन्हें समझाइये अगर कुछ इस प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो आपके विभाग का आंकड़ा देखिये, इस सिस्टम के ऊपर 6601 आदमियों को जमीन आवंटित की। 6601 में से 5319 अनसैटल्ड हैं। क्यों? अलाटमेंट आज से पांच साल से दस साल पहले पूरा हो गया। आदमी आ नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय, आपने परसों भी यही उत्तर दिया कि जो किसान हैं उनको हमने भूमि आवंटित कर दी लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। जमीन ऊबड़ खाबड़ है। अरे, पानी मिलेगा तो क्यों नहीं आयेगा। वह भूमिहीन काश्तकार है, वह जरूर आयेगा, परन्तु उसे पानी आप दे नहीं सकते, यह आपकी कमजोरी है, मजबूरी है। पता नहीं किस कारण से यह यह मजबूरियां हैं, सभापति महोदया, इस सारे का नतीजा कौन भुगतता है? उस क्षेत्र का किसान उस क्षेत्र के अन्दर जहां जहां राजस्थान नहर जायगी वहां आपने कोलोनाइजेशन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसमें आपने कितने व्यक्तियों को कोलोनाइज किया, कितनी बस्तियों को कोलोनाइज किया? कितनी मंडियां विकसित कीं, कितने लोगों को फायदा हुआ? यह बता दीजिये?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हजारों, हजारों।

श्री देवीसिंह भाटी : कुछ नहीं, कुछ नहीं।

आप भी रहे हो वहां, आप तो ले डूबे हमारी इस राजस्थान नहर को, राजस्थान नहर कोलोनाइजेशन एक्ट लागू करके। जो पीढ़ियों से बैठे थे, आज से नहीं, आज तो सिर्फ वे भूमिहीन आवंटी हैं जो सात साल के बाद खातेदारी हक प्राप्त कर सकते हैं। जो पीढ़ियों से बैठे थे, वहां चार चार सौ पांच पांच सौ साल से उन टीबों में बिना पानी के लोग अकाल में

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसलिये जूझते रहे कि हमारी जमीन है हम इसमें काश्त करेंगे, इस क्षेत्र में राजस्थान नहर आयेगी इन टीबों में आज कोलोनाइजेशन एक्ट लगाया गया है। हमें बताया गया कि खातेदारी अधिकार देंगे। फिर राजस्थान नहर मंत्रीजी कहते हैं कि खातेदारी हक नहीं हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन तो आपकी है। परन्तु जब क्लेम किया गया तो एक भी व्यक्ति को क्लेम नहीं दिया गया। कह दिया, इस गैर खातेदारी जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं हैं ? पीढ़ियों से हम भुगत रहे हैं, जमीन हमारी सारी की सारी अवाप्त कर ली गई फिर खातेदारी अधिकार नहीं। जमीन है छिन जाय उसका मुआवजा नहीं। उसके एवज में कोई भूमि नहीं, और गैर खातेदारी जमीन पर भी कोई अधिकार नहीं। किस प्रकार का विकास करना चाहते हो, किस प्रकार से गरीब को ऊंचा उठाना चाहते हो ? वित्त मंत्री महोदय, आपके मन में तो यह होगा कि राजस्थान का आदमी भगवान के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाय और सारा बजट आपके पेट में चला जाय। पर जाने नहीं दूंगा, यह याद रख लो। सभापति महोदया, गैर खातेदारी हुई सो हुई, हमारे यहां समरी सेटलमेंट हुआ। जैसलमेर स्टेट में कोई राजस्व रिकार्ड नहीं था। गलती स्टेट की और भुगते वहां का किसान। सभापति महोदया, जिस वक्त समरी सैटलमेंट हुआ, वहां गिनती के गिरदावर और इंसपेक्टर लगा दिये। एक गांव में बैठ कर समरी सैटलमेंट कर दिया। जिसका नाम लिख दिया उसके नाम सौ, दो सौ बीघा जमीन चढ़ गई बाकी जो गरीब मजदूरी के लिये निकला हुआ था अगर वह उस दिन वंचित रह गया। तो आज भी उस गरीब काश्तकार की जमीन समरी सैटलमेंट में दर्ज नहीं है। इस प्रकार का अन्याय आप किसानों के साथ करोगे तो हम नहीं मान सकते कि यह राजस्थान की सरकार गरीब किसानों का भला चाहती है। आज उनके खेत में झोंपड़े पीढ़ियों के बने हुए हैं परन्तु उनके लिये बिल लाने की कोई कोशिश नहीं की कि उनके लिये बिल लाया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया हमारे एक तरफ तो आ गया पाकिस्तानी बार्डर और दूसरी तरफ आ गई राजस्थान सरकार, हम दोनों के बीच में ऐसे फंसे हैं कि न्याय मांगे ? तो किससे मांगें प्रकाश से हम जूझते हैं। यह एन.आर. ई.सी. के मंत्री, डांगी जी ऊंची बातें ठोकते हैं। बीकानेर में डेढ़ वर्ष पूर्व जो एन आर. ई. सी. के काम सरकार से सैंक्शन हुए, जिन कामों की जिलाधीश ने स्वीकृतियां निकालीं, वहां के वे काम लोगों से कराये गये। सरपंचों ने अपनी रिस्क पर अपनी जेब से पैसे लगा कर, उधार लेकर एन.आर ई. सी. के वर्क चालू किये। आज डेढ़ वर्ष हो गया, डांगी जी, सुनिये आप, हमारे बीकानेर जिले का एन. आर. ई. सी. के कामों का लाख रुपया खाये बैठे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आसन के द्वारा ही निवेदन कर रहा हूं, 80 लाख रुपये बीकानेर के एन. आर. ई. पी. वर्क्स के डेढ़

(श्री देवीसिंह भाटी)

साल से बकाया हैं। सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि मजदूरों को समय पर भुगतान किया जाय। उस गरीब को मत मारो जिसने राज्य सरकार की घोषणा के आधार पर मजदूरी दी। लेकिन इसको मजदूरी का पैसा नहीं मिला। सरपंचों ने पैसा उधार लाकर कार्य करवाया है। आज उन्हें गांव वाले खा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। पर यह गूंगी और बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है।

सभापति महोदया, बीकानेर ने पता नहीं क्या कसूर किया है, सारे क्षेत्र में अकाल घोषित कर दिया गया। उसके उपरान्त बीकानेर को इस प्रकार से नजरन्दाज कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान से लगता हुआ यह कोई पाकिस्तान का जिला हो। ऐसा क्या कारण था कि 27 जनवरी को जब तक गवर्नर महोदय का दौरा नहीं हुआ तब तक इसे अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। आखिर रिप्रजेंटेशन हुए, प्रेशर पड़ा, तब जाकर सरकार ने बीकानेर को अकाल-ग्रस्त घोषित किया। सभापति महोदया, मुझे पता नहीं नीति निर्धारक सरकार है या अधिकारी हैं, इस साल इन्होंने एक नई चाल चली कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र में अकाल घोषित किया ही नहीं जाय। अरे, आज नहर बनाने वालों से पूछो, जो नाचना से आगे मोहनगढ़ तक बैठे हैं, जिनको पीने के लिये पानी नहीं मिलता, उस क्षेत्र को आपने कोलोनाइजेशन क्षेत्र मान लिया। इस क्षेत्र में तो पानी है, सिंचाई हो रही है लेकिन जहां मात्र 40-45 बीघा में सिंचाई हो रही है। फिर भी, बीकानेर और जैसलमेर में पता नहीं किस प्रकार की नीति की घोषणा की कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र में अकाल घोषित नहीं किया जायेगा। वहां के गरीब मर रहे हैं, इस भरोसे बैठे हैं कि राज्य सरकार अवश्य अकाल ग्रस्त घोषित करेगी और जो अभाव ग्रस्त जिला है उसके अन्दर मजदूरी के लिए राहत कार्य खोले जायेंगे। उनकी गायों के बचाव के लिये पशु पोषण केन्द्र खोले जायेंगे उनको अनुदान दिया जायेगा। वह बेचारा आज भी इस आशा में बैठा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे दल का सवा घंटा है। मैं अकेला ही बोलने वाला हूं और कोई बोलने वाला नहीं है।

सभापति महोदया, वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहां खारे पानी के कुएं हैं। उनको पिवाई के लिए अनुदान नहीं मिलता। उस जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। हमारे कोलोनाइजेशन क्षेत्र में तो सरकार और अधिकारी दौड़-दौड़ कर जीपें लेकर आते हैं कि हम तो कुर्कियां करेंगे, सरकार वसूलियां करेगी। अरे, राहत कार्य खोल नहीं सकते, पिवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, पशुओं को बचा नहीं सकते और ऊपर से सरकारी कुर्कियां करते हो। उन गरीबों के चिथड़े, कपड़े, उनके बर्तन तक वहां से उठा कर ले आये। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में यह कौन सा तरीका है, यह समझाया जाय। सभापति महोदया, सरकार अभी तक अड़ी हुई है कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं करेंगे।

सभापति महोदया, कुछ दिनों पूर्व हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, पहाड़ियाजी बीकानेर

(श्री देवीसिंह भाटी)

पधारे, बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि कोलायत क्षेत्र में पिवाई की व्यवस्था नहीं है इसकी कृपया स्वीकृति दें। यहां 150 फीट से अधिक गहरे कुएं हैं और दूसरा साधन नहीं है। 4 वाई 4 के टैंकर्स जो आपके पास हैं उसके अलावा कोई साधन नहीं है। उस वक्त चीफ सैक्रेटरी ने उस मीटिंग में बीकानेर में जिलाधीश को मौखिक आदेश दिये कि पिवाई की व्यवस्था चालू करा दी जाय। पिवाई चालू करवा दी गई परन्तु आज तक एक पैसा नहीं मिला। सभापति महोदया, यह क्षेत्र बहुत पीड़ित और दलित है किन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार में बीकानेर के एक प्रतिनिधि भी बने बैठे हैं। उनके पता नहीं कितना मैल कानों में पड़ा है। आज मेरा क्षेत्र मूल रूप से पशुधन पर आधारित है। हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पशुधन है परन्तु उनको बचाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वह बीमार पड़ जाय तो कोई व्यवस्था नहीं है। चारे के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। बार-बार सरपंच लिखकर देते हैं, शिकायतें होती हैं कि गायों, भेड़ों में बीमारी है परन्तु कतई किसी को फुरसत नहीं हैं, टीबों में कौन जाय। पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा पशुधन हैं उसको बचायें तो आप देखिये दूध दही की नदियां बहेंगी, ऊन की कमी नहीं रहेगी, आपको किसी प्रकार का दूसरा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। परन्तु इस ओर ध्यान नही दे रहे हैं। जो गोदी में है उसको छोड़कर पेट वाले की आस करते हो। वित्त मन्त्री महोदय, इस प्रकार से आपके बजट को मैं तो नहीं मानता कि कसी प्रकार से सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से जन हित के लिए लाया गया हो। कतई नहीं मानता। आज मेरे क्षेत्र के दूर दराज गांवों में चिकित्सा सुविधा कतई उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को बुखार आ जाय तो दवा-दारू वाला कोई नहीं है। पिछले दो माह से हर परिवार के अन्दर एक न एक व्यक्ति को बुखार चल रहा है। कहीं-कहीं तो दो-दो व्यक्ति बुखार से पीड़ित हैं। हमारे समाज कल्याण मन्त्री, दूलारामजी पिछले दिनों कोलायत क्षेत्र में पधारे थे, उनको सरपंचों ने शिकायतें की थीं कि चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो रही है। पंचायत समिति की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को लिख लिख कर दे दिया परन्तु बुखार की गोलियां देने के लिये कोई नहीं आया। लोग दो माह से बुखार से पीड़ित हैं। आज उस क्षेत्र में, सभापति महोदया, जैसा आप जानती हैं कि वर्षा के दिन में सांप निकलते हैं। सांप के काटे का कोई इलाज नहीं है। दूर-दराज के क्षेत्र में कोई छोटी-मोटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तो कम से कम उस व्यक्ति, जिसे सांप ने काटा है, को बचाया जा सकता है। उनको सलाह देने वाला तो मिले कि उसको बीकानेर ले जाइये, कोलायत ले जाइये। परन्तु वहां पर कोई चिकित्सा की सुविधा या साधन नहीं है।

सभापति महोदया, शिक्षा के बारे में निवेदन करूं। जैसा पूर्व में भी काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, हमारे यहां भी कई गांवों में स्कूल खुले हैं। वहां एक स्कूल के अन्दर 100-150 बच्चे हैं और अध्यापक कितने हैं? एक अध्यापक है। अगर वह अध्यापक छुट्टी चला जाये तो वह स्कूल बन्द। यह कौनसी शिक्षा प्रणाली है? किस प्रकार की आप शिक्षा देना चाहते हैं? अगर अध्यापक चला

(श्री देवीसिंह भाटी)

जाता है तो 150 बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। 100-150 बच्चे खुले में बैठे रहते हैं। उनके लिए वहां कोई कमरा नहीं बना है। आपने न शिक्षा की व्यवस्था की है, न पुस्तकों की व्यवस्था की है और न ही कापी की व्यवस्था की है। केवल एक-एक अध्यापक लगा कर छोड़ दिया है। एक अध्यापक दो महीने के लिए छुट्टी चला जाय तो दो महीने स्कूल बंद हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि वह इसके बारे में सोचे। ऐसे क्षेत्र में जो दूर-दराज के गांव हैं और नजदीक में कोई स्कूल नहीं है; जहां बीस-बीस मील में एक प्राथमिक शाला है, उसके अन्दर आपने एक अध्यापक दे रखा है, तो वह दूसरी जगह जाय तो जाय कहां।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा: आपने यह घोषणा की है कि अलग से खेल मंत्रालय बनाया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि इस खेल मंत्रालय का क्या होगा? क्या मंत्री महोदय आपस में कुश्ती लड़ेंगे या लांग जम्प लगायेंगे? क्या करेंगे? खेल मंत्रालय के लिये पैसे का बजट में कोई प्रावधान नहीं है? आप चाहते हैं कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वे आगे आयें, उन्हें सुविधा दें, परन्तु इस नाम से ठन ठन गोपाल। हमारे मंत्री महोदय ने लिख तो दिया, बड़ा नाम किया है एशियाड में स्वर्ण मैडल लिये हैं। सिल्वर मैडल लिये हैं। यह उन खिलाड़ियों की अपनी खुद की क्षमता से आये हैं सरकार ने उनको कोई सहायता नहीं दी है। अगर आपने खेल मंत्रालय खोला है तो हम इसकी तारीफ करते हैं परन्तु इसके लिये जब तक आप बजट का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक खेलों का विकास नहीं होगा।

मैं पेयजल की समस्या के संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर आज अरबों रुपया लग चुका है। आप पी.ए.सी. की सारी रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये, आडिट की रिपोर्ट देख लीजिये। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, कोलायत के अन्दर एक गडियाला की स्कीम को छोड़कर कोई भी ग्रामीण जल प्रदाय योजना ऐसी नहीं है जो सुचारु रूप से पानी दे रही हो। चाहे आपका इन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर करोड़ों रुपया लग गया हो, आज सर्दियों के दिन हैं लेकिन इस वक्त भी वहां का नागरिक प्यासा है। उसको समय पर पानी नहीं मिलता है परन्तु हर महीने का बिल तैयार हो कर आ जाता है। आपने दिन में चाहे एक घंटा, दो घंटा या 15 मिनट ही पानी दिया हो परन्तु आप बिल में एक महीने का खर्चा चार्ज करेंगे। अगर वह पैसा नहीं देंगे तो कनेक्शन काट दिया जायेगा। आप सोचिये, गर्मियों में क्या हालत होती होगी कच्ची बस्तियों के अन्दर। एक-एक बूंद पानी आता है, वहां पर लोग जमीन में गड्ढे खोद कर पानी की आशा में घंटे-घंटे बैठे रहते हैं। मजदूर वर्ग और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी क्या हालत होती होगी? आप यह किस प्रकार की योजना बना रहे हैं? इस प्रकार से पैसा बेकार व्यय हो रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो निश्चित-तौर से बचत होगी। मगर सरकार कुछ करेगी इसकी आशा मुझे कम ही है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट में प्रावधान कम किया है। एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रामीण अंचलों का विकास करना

(श्री देवीसिंह भाटी)

चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, दूसरी तरफ बजट में शहरों के लिए 11 करोड़ रुपया और ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं पर मात्र 10 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। राज्य की आबादी का 80 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है, फिर यह न्याय कैसा ? इस बजट से गांव वालों को सुविधा मिलने की मुझे कोई आशा नजर नहीं आती है। आपने कुछ सोचा है ? पेयजल तो आप उपलब्ध नहीं करा सकते। परन्तु बाढ़ की स्थिति आप जरूर पैदा कर सकते हैं। जुलाई, 1981 के अन्दर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बीकानेर में बाढ़ की स्थिति बनी। बीकानेर में आज तक इतिहास में कभी भी बाढ़ नहीं आई। बार-बार शिकायत करने के उपरान्त किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीकानेर शहर ने बाढ़ की स्थिति को भुगता। बीकानेर की आबादी डूब गई, मकान डूब गये परन्तु सरकार की ओर से राहत नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक करोड़ रुपया बीकानेर शहर के लिये अलाट किया गया परन्तु बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में एक पैसा नहीं लगाया गया। वह दूसरे क्षेत्रों में लगा दिया गया। इस प्रकार दुरुपयोग होता है। आज भी बाढ़ग्रस्त लोग रो रहे हैं। उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी गई।

सभापति महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने "प्रशासन गांव की ओर" की चर्चा की। सभापति महोदया, प्रशासन गांवकी ओर जाकर किस प्रकार का न्याय देना चाहता है, इसके मेरे पास काफी आंकड़े हैं। समय इतना नहीं है कि उनको बता सकूं। सारी रिपोर्ट आप देख लीजिये, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आप देख लीजिये, गांवों में लोगों ने किस प्रकार अपनी समस्याओं को अंकित कराया है। किस प्रकार आप खातेदारी अधिकार देंगे, किस प्रकार रास्तों के लिए जगह छोड़ेंगे और किस प्रकार भूमिहीन को जमीन आवंटित करेंगे ? आप देखिये, मौके पर कुछ नहीं हुआ। आश्वासन तो जरूर दिये हैं कि शीघ्र कार्यवाही होगी और शीघ्र ही कार्यवाही कर खातेदारी दे दी जायगी, भूमि आवंटित कर दी जायगी, आपको ऋण दिलाया जायेगा परन्तु मौके पर एक भी व्यक्ति को राहत नहीं मिली है। आपके अधिकारी 20/25 की टोली बना कर गांव वालों की छाती पर आ धमकते हैं, आइये, हमारी सेवा कीजिये। हमारे लिए हलुवा तैयार कीजिये। इस प्रकार हमारा प्रशासन गांव की ओर चला है जिससे भ्रष्टाचार फैला है। मैं तो कुछ कहता नहीं परन्तु आम लोगों में यही चर्चा है।

हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय यहां पर विराज रहे हैं। आपने बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में पाकिस्तान से आये हुए करीबन तीन हजार शरणार्थियों को भूमि आवंटित की है। क्या आप बताएंगे कि वहां मौके पर कितने सैटल हुए हैं ? क्या आप बताएंगे कि आपने क्या उनको राहत दी है ? क्या आप बताएंगे कि वहां पेयजल की कोई व्यवस्था की है ? क्या आपने इस प्रकार की सहायता दी है कि जिससे वे वहां सैटल हो सकें ?

(व्यवधान)

पी.एच.ई.डी. के द्वारा आपने जितनी डिग्गियां बनायी हैं, मैं चैलेन्ज करता हूं एक में भी पानी अगर दस घण्टे रुक जाय तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। जितनी भी पी.

(श्री देवीसिंह भाटी)

एच.ई.डी. के द्वारा डिग्गियां बनाई गई हैं उनमें एक में पानी टिक नहीं सकता। इसकी लिखित में शिकायत की गयी है। आप जांच कराइये तब पता लगेगा कि किस प्रकार की सहायता आप इन शरणार्थियों को देना चाहते हैं ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कृपया बैठे बैठे बात न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर आप इनका पुनर्वास करना चाहते हैं, आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, अगर सच्चे दिल से इनको बसाना चाहते हैं तो आपको केन्द्रीय सरकार से जो पैसा मिला है उस पैसे को जो व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें। आप मौके पर जाइये, मंत्री महोदय, आप कितनी बार पधारे हैं मौके पर…

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : शरण दी है इनको…

श्री देवीसिंह भाटी : शरण दी है तो आपकी मेहरबानी से नहीं है…

(व्यवधान)

अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप इन्हें अच्छी तरह से बसाइये, मेरा तो यही निवेदन है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में काफी पशुधन है परन्तु चरागाह गोचर भूमि नहीं है। चरागाह के लिये जमीन रिजर्वेशन करने के लिए राजस्व विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। यह कहते हैं हमारे यहां प्रावधान नहीं है कि हम गोचर भूमि छोड़ें। फिर पशुधन कहां जायगा ? आप नहर नहीं ला सके, पशु को बचा नहीं सकते तो इवे कहां जायेंगे ? आपने एक तरफ सूखा संभावित क्षेत्रों में चरागाह विकसित करने के लिए कहा है। वहां घास लगायेंगे। वहां चरागाह कहां है ? कितने छोटे छोटे चरागाह बचे हैं ! आप अगर पशुधन को बचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अभी से सोचिये, पशुओं के लिए आप चरागाह विकसित कीजिये, जमीन को रिजर्वेशन कीजिये और गोचर भूमि छोड़िये। आपने एक्ट में प्रावधान कर रखा है कि एक गाय, एक भैंस और एक ऊंट के लिए आधा बीघा जमीन छोड़ी जायगी क्योंकि यह जरूरी है। परन्तु आपके आंकड़े बताते हैं कि ऐसा किसी गांव में नहीं है। तो यह प्रयास कौन करेगा ? पंचायत, पंचायत समिति, तहसील और जिलाधीश लिख कर भेजते हैं लेकिन सरकार सुनने को कतई तैयार नहीं है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वन विकास के लिए जैसा आपने बजट में प्रावधान रखा है अच्छी बात है, पेड़ लगाइये। जैसा मेरे साथी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि आप वन तो लगा नहीं पायेंगे परन्तु आप वन काटने के लिए जरूर छुट्टी दे देंगे। आज कोई माननीय सदस्य उठ कर कह दे, कोई माननीय सदस्य छाती ठोक कर कह दे कि उनके वहां पर पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। सभापति महोदया, इतनी बुरी तरह से कटाई हो रही है कि हमारा जो सूखा क्षेत्र

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

है उसमें एक केवल खेजड़ी ही होती है लेकिन उसको भी काट-काट कर भट्टों के ऊपर बाहर भेजा जा रहा है। उसको रोकने का कोई प्रयास नही कर रहा है । वन विभाग क्या कर रहा है ? वन विभाग और राजस्व विभाग क्या चाहते हैं ? क्या सरकार चाहती है कि जोधपुर में जो हुआ था. खेजड़ियों के काटने पर जिस प्रकार से लोग खेजड़ियो को बचाने के लिये उनसे चिपक गये थे, वही स्थिति आ जाय ? उस समय लोगों ने गोली खायी थी, तलवारें खायी थीं। आप चाहते हैं कि वनों का विकास हो, तो इसके लिए आप प्रयास करें। मुझे तो दुःख इस बात का है कि इनको पत्र लिखने में भी शर्म आती है। यहां से जिला प्रशासन को पत्र जाता है तो यह लिखा जाता है कि वन की स्थिति की एक महीने में जिला प्रशासन रिपोर्ट करे, उसके अन्दर पेड़ काटने से जो नहीं रोके उस पर कार्यवाही करे । परन्तु कटाई की तरफ कोई ध्यान दे रहा है। सिर्फ आंकड़े कोई मुनीम मन्त्री महोदय को बना कर दे देता है उसको लेकर ये यहां पर आंकड़े पेश कर देते हैं। और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अगर आप विकास करना चाहते है तो योजनाबद्ध तरीके से विकास करें। यह सोचना चाहिये कि हम किस प्रकार से इस अकाल की समस्या को हमेशा हमेशा के लिये समाप्त कर सकते हैं। केन्द्र की तरफ मत देखो उस भगवान की तरफ मत देखो। आपके पास सामान है, साधन हैं, आप में बुद्धि है लोगों ने आपको विश्वास दिया है। अब तो आप प्रयास करें ताकि इन सारी समस्याओं का हमेशा के लिये समाधान हो जाय। परन्तु इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल आय-व्ययक आंकड़े पेश कर देते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं तो इस बजट का विरोध करता हूं। यहां नहीं मेरे जिले में अब मन्त्रिगण और सरकार आयेगी तब अगर उसने गलत तरीका अपनाने की कोशिश की या जनता की आवाज को नहीं सुनने की कोशिश की तो एक-एक को चैलेंज देता हूं कि हम निपटेंगे और हमारी जनता आपसे निपटेगी।

श्री सभापति : श्री कनक राज मेहता ।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, राजस्थान का बजट एक तारीख को पेश हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस सरकार का जो बजट पेश किया गया है उसके लिये मैं राज्य सरकार के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस साल और पिछले चार साल से राजस्थान अकाल से जूझ रहा है। बजट के अन्दर घाटा बताया गया है और राजस्थान पर ओवर ड्राफ्ट भी का भी भार बताया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि राजस्थान में टैक्स लगेंगे और जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी लेकिन इन शंकाओं के बावजूद जो बजट पेश किया गया है और इसमे राजस्थान के गत वर्ष व इस वर्ष के विकास की जो रूपरेखा आंकी गयी है वह सराहनीय है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान उपस्थित न करें, माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री कनकराज मेहता : भविष्य में राजस्थान को जो मोड़ दिया जा रहा है उसका जो विश्लेषण किया गया है उससे मैं काफी संतुष्ट हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस बजट से राजस्थान दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहेगा।

(श्री कनकराज मेहता)

मैं अब आपका ध्यान कुछ समस्याओं और कमियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा अकाल राहत कार्य राजस्थान में शुरू किये जाते हैं और करने भी पड़ते हैं। अकाल राहत कार्य जो किये जाते हैं उनको विकास से नहीं जोड़ा जाता है। आज मेरे क्षेत्र के अन्दर गत 4–5 साल से अकाल राहत के कार्य हो रहे हैं। पिछले साल में भी कई राहत कार्य खोले गये हैं। सभापति महोदया, समस्या यह है कि जितने राहत कार्य खोले गये उनसे कोई प्रगति न होकर केवल धन का दुरुपयोग ही हुआ है, बरबादी हुई है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : धीरे धीरे बात करें। व्यवधान पड़ता है।

श्री कनकराज मेहता : 10–12 साल से सड़कें अकाल में बनी अपूर्ण हैं। जिस दृष्टि से विकास की गति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी उस दृष्टि से विकास नहीं हुआ और इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। कहने का मतलब यह है कि जो राहत कार्य खोलते हैं उनको विकास से जोड़ा जाना चाहिए। जो सड़कें बंद हैं, अपूर्ण हैं उनको प्राथमिकता देकर आगे बढ़ायें तो, मैं समझता हूं, विकास कार्य हो सकता है। इस बात का ध्यान नहीं रखने से राहत कार्य पर जो पैसा खर्च हो रहा है वह बिलकुल व्यर्थ जाता है और विकास नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि अकाल में लोगों को पेयजल पहुंचाने के लिये टैंकर भेजे जाते हैं उनसे वे पानी की व्यवस्था करते हैं। यह कागजों में तो हो जाता है लेकिन गांवों की ओर देखते हैं तो कई टैंकर बेकार पड़े रहते हैं, समय पर लोगों तक पानी नहीं पहुंचता है, उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं होती है। तो जो अकालग्रस्त एरिया है या जहां पर पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाने का मानस बनाया जाना चाहिए ताकि वहां पानी पहुंचे।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार सो रही है।

श्री कनकराज मेहता : जिस क्षेत्र के अन्दर और जिस गांव के अन्दर टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है उस क्षेत्र के अन्दर जब कभी पानी की कमी हो तो पानी पहुंचाया जाना चाहिए। वहां पर कितनी मात्रा में और कब पानी पहुंचाया जाय, इसकी डायरी मैंटेन करनी चाहिए। अभी वह मैंटेन नहीं की जाती है। अभी तो एक आध घंटे ही पानी दिया जाता है जो कि देने न देने के बराबर है, एक नाम मात्र की व्यवस्था है। हजारों लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है लेकिन कारगर रूप से जनता को कोई राहत नहीं मिलती है। टैंकर समय पर पानी नहीं पहुंचाते और अधिक समय तक खराब ही पड़े रहते हैं जिससे समस्या हल नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर भयंकर अकाल है और पीने के पानी की कई गांवों में बिलकुल व्यवस्था नहीं है, लोग प्यास से तड़फ रहे हैं। पानी की जो योजनाएं बनायी जा रही हैं उनके बारे में न तो जनता से पूछा जाता है और न जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनका विश्लेषण ही किया जाता है। उनकी जांच नहीं की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार की योजना से कोई लाभ नहीं होता है। मेरे यहां कई गांवों में पानी की समस्या

(श्री कनकराज मेहता)

भयंकर है। लोगों को पानी पांच छः किलो मीटर से लाना पड़ता है। उनकी समस्या को ध्यान में रखकर उन गांवों को योजना में ले लिया जाना चाहिये। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो इस तरह के क्षेत्र है जहां पर पानी की समस्या नहीं है वहां पैसा खर्च करने से व्यर्थ चला जाता है। दूसरी और जहां पर पानी नहीं है, या खारा पानी है उसके अलावा उस क्षेत्र में पानी नहीं है, ऐसे गांवों की पूर्णतया उपेक्षा की जाती रही है। ऐसे कई गांव हैं जो भयंकर रूप से समस्या–ग्रस्त हैं, उनको योजना के गांवों की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। आप जो अकाल राहत कार्यों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पानी पर भी भारी मात्रा में रुपया खर्च किया जा रहा है, फिर भी पीने के पानी की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाती है तो वह सरकार के लिए बड़े ही अफसोस की बात है। इसका मूल कारण यह है कि जो अधिकारी लोग हैं वे वहां पर तो चले जाते हैं जहां पर जीपें जाती हैं परन्तु जहां पर जीपें जाने का रास्ता नहीं है उन दूर–दराज क्षेत्रों में वे नहीं पहुंच पाते हैं इसलिये उन क्षेत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बड़े दुःख की बात है।

हैंड पम्प की बात कही जाती है, तो नाम मात्र के रह गये हैं। अब तो यह हैन्ड पम्प ऐसे रह गये हैं जैसे कि बिना धनी का धन रह जाता है। उनको न तो सरकार की ओर से समय पर ठीक कराने की कोई व्यवस्था है और न ही ग्राम पंचायतें उनको 400–500 रुपये में ठीक करा सकती हैं। यह आज विकट समस्या है। जो हैंड पम्प लगे हैं यदि वास्तव में वे हैंड पम्प कार्य नहीं करते हैं तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है, इस समस्या का समाधान निकालें। मेरा निवेदन है मेरे यहां पर पंचायत समिति ने यह प्रस्ताव भी किया है कि जो धनराशि हैंड पम्प को लेने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है उसके अन्दर वह हैन्ड पम्प लेने को तैयार नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिना धनी का धन होने से हैन्ड पम्प खराब पड़ा रहता है इस योजना को सरकार के पास ही रखने की व्यवस्था करें।

पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में काफी भयंकर है इसलिये वहां पर पानी की समस्या को दूर किया जाय। आपने, मन्त्री महोदय, आज ही यह जवाब दिया है कि झाब हेमा गुडा योजना का पानी पीने काबिल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप एक गिलास भी पीकर देखना चाहें तो मेरे ख्याल से आप पी नहीं पायेंगे। इस तरह की 12 गांवों की समस्या है। उनका कोई न कोई हल ढूंढना आवश्यक है। जहां कहीं भी मीठा पेयजल उपलब्ध है, तो वहां से उन 12 गांवों को राहत देने के लिए पेयजल योजना से जोड़ना बहुत आवश्यक है; अगर वह नहीं जोड़े जाते हैं तो वहां समस्या बनी रहेगी। पेयजल के लिए लाखों रुपये सरकार के द्वारा खर्च किये गये हैं किन्तु जनता को सुविधा नहीं मिल रही है यह बहुत बड़े अफसोस और खेद की बात है। राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इंसान को पानी से महरूम नहीं रखा जाय, फिर भी, फाल्टी स्कीम्स के कारण या सरकारी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण अगर कुछ लोगों को पेयजल से वंचित रखा जाता है तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जायगी।

(श्री कनकराज मेहता)

रहा बिजली का सवाल। बिजली की जो कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा काफी खर्चा किया जा रहा है, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदया, राज्य सरकार की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि इतने गांव विद्युतीकृत हो जायेंगे। विद्युतीकृत होना तो ठीक है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेन्ट हैं, दलाल हैं, जो विद्युतीकरण का काम करते हैं, वह गांवों में जाते हैं, और लोगों से बड़ी भारी लूट-मार कनेक्शन दिलाने में करते हैं। काश्तकारों से काफी पैसा छीन लेते हैं, अगर 500 रुपये का काम होता है तो 2000 रुपये काश्तकारों से छीन कर लेते हैं। उनको अपनी कम्पनी के इन्जिन व मोटरें देने के कारण अपनी मार्फत काम कराने के लिए विवश करते हैं और कहते हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिला देंगे, तो इस तरह से काश्तकारों का शोषण बिजली के नाम पर ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों, तत्वों को आगाह किया जाना चाहिए, जो डिपार्टमेन्ट के लोग हैं, जो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं या उन लोगों को ऐसे कार्य करने लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको डेप्रीकेट करना बहुत आवश्यक है ताकि काश्तकारों का जो शोषण होता है वह बंद हो सके।

सहकारिता के विषय में मैं आपसे निवेदन करूंगा। सहकारिता एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा काश्तकारों में खुशहाली लायी जा सकती है। मेरे क्षेत्र के अन्दर कम से कम 50-60 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो कि अन्डर लिक्विडेशन हैं। उनका लिक्विडेशन पिछले 3-4 सालों से पेंडिंग है। ऐसे गांव जहां पर ये सोसायटी चल रही हैं वहां पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। न तो उनको लोन मिलता है और न दूसरी सुविधाएं ऐसी पंचायतों को मिलती है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जहां पर डिफाल्टर सोसायटीज कार्यरत हैं वहां उनके स्थान पर नई सोसाईटीज कायम कर दी जाय या उन गांवों का किसी जगह से अन्य सहकारी समिति से लिंक बैठा दिया जाय ताकि उन लोगों को सोसायटी से जो फायदा मिलने वाला है, उससे वे महरूम न रहे।

सभापति महोदया, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्री जी ने प्राथमिक और मिडल स्कूलों के काफी प्रसार के प्रावधान रखे हैं। मेरा निवेदन यह है कि स्कूलों का जो एलोकेशन है वह ढंग से होना बहुत आवश्यक है। जो क्षेत्र बड़े है, जहां शिक्षा का अभाव है, और जो शिक्षा से वंचित रह गये हैं उन क्षेत्रों के अन्दर जहां तक हो सके स्कूल खोला जाना बहुत आवश्यक है तब ही यह स्कीम ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जहां स्कूलों की कमी नहीं है वहां अगर ज्यादा खोलेंगे तो जहां पर ज्यादा मांग है उन क्षेत्रों के वंचित रहने की सम्भावना रहेगी। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा, कन्या पाठशालाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र की दो-सवा दो लाख की आबादी है लेकिन कन्या शाला एक ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां कन्या शाला एक भी नहीं है या जो क्षेत्र स्त्री शिक्षा की दृष्टि से महरूम रह गये हैं, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कन्या शालाओं को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। मेरा

(श्री कनकराज मेहता)

निवेदन है, शिक्षा मन्त्री जी इस ओर ध्यान देकर इसके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करें।

सड़कों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि जो पंचायत क्षेत्र 1500–2000 की आबादी वाले गांव हैं, वह सड़कों से जोड़े जायेंगे, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राज्य के अन्दर जो सड़कें हैं वह बहुत बुरी हालत में हैं। कई सड़कें बाढ़ के कारण, कई सड़कें कटाव के कारण बरबाद हो चुकी हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास आंकड़े शुद्ध ढंग से सही तरीके से पेश नहीं किये जाने के कारण आवागमन के साधनों से जनता लाभान्वित नहीं हो पाती है। मेरा यह निवेदन है कि जो सड़कें बनाई गई है, सरकार की तरफ से उनके रख रखाव का प्रावधान नहीं है। वह किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि उनसे जनता को लाभ मिले। जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक जो सड़कें टूटी-फूटी हालत के अन्दर हैं जो कई सालों से पड़ी हैं कोई काम नहीं देंगी और काश्तकार लोग और जनता परेशान होती रहेगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर लिग्नाइट की काफी सम्भावनाएं हैं जिसका एक्सप्लायटेशन होना बहुत आवश्यक है। 5–7 ऐसे गांव हैं जहां पर इसकी काफी सम्भावनायें है। साथ ही क्षेत्र के अन्दर काफी मात्रा में नमक भी उपलब्ध है और जमीन भी नमकीन है। वहां सोडियम आदि सज्जी का उपयोगी धन्धा खोला जा सकता है। मेरे क्षेत्र के अन्दर अकाल 4 सालों से है। ऐसा क्षेत्र है जहां पर खारा पानी है, एक फसली एरिया है। वहां पर सोडियम आदि के उद्योगों को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र के विकास में काफी योगदान मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों के अन्दर यह कार्य खोला जाना बहुत आवश्यक हैं।

उद्योगों की बात रही। औद्योगिक बस्ती के लिए मेरे क्षेत्र में काफी लोगों ने सरकार के पास पैसा जमा करा दिया है। 70 आदमियों ने दरख्वास्तें भी दे दी हैं जिसको 2 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उद्योग लगाने की, प्रक्रिया में प्रगति पूर्ण न होने से लोग उद्योग लगाने से वंचित हैं। ऐसे जो पेण्डिंग काम हैं, विकास के काम हैं, उनमें ज्यादा देरी लग जाने से लोगों की आस्था सरकार के प्रति समाप्त होती है व क्षेत्र का विकास मंद हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे जो उद्यमी है, उनको अतिशीघ्र लाभ दिये जाने के लिए सरकार की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की जानी बहुत आवश्यक है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कनकराज मेहता : चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कुछ प्राथमिक सैंटर खोले जाने हैं लेकिन साथ में यह बड़े अफसोस की बात है कि काफी सब सैंटर स्टाफ के अभाव में बंद पड़े हैं। पहले देखना यह है कि जब तक स्टाफ उपलब्ध नहीं हो तब तक ऐसे संस्थान खोलना सार्थक नहीं होगा और जनता के लिये परेशानी पैदा करना हो जायगा। तो मेरा

(श्री कनकराज मेहता)

निवेदन है कि ये जो संस्थान खोले जाय उनके अन्दर स्टाफ की पूरी व्यवस्था किया जाना बहुत आवश्यक है। जब तक स्टाफ की उपलब्धि नहीं हो तब तक ऐसे संस्थान, स्कूलें, सब सेंटर और सफाखाना, आदि खोला जाना जरूरी नहीं है। जब तक कि उनको कोई राहत न दे सकें, तब तक ये खोलना आवश्यक नहीं है, मेरे क्षेत्र के अन्दर एक ही पी.एच.सी. है। सवा दो लाख की आबादी है....

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री कनकराज मेहता : एक पी.एच.सी. है। तो मेरा निवेदन है कि क्षेत्र की आबादी को मद्दे नजर रखते हुए मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 पी.एच.सी. होना आवश्यक है। कुछ दान-दाताओं ने बिल्डिंग बनाने व उन बिल्डिंगों के अन्दर सफाखाना खोलने की व्यवस्था की है। उन्हें लागत प्रमाण-पत्र देने में भारी असुविधाएं आती हैं, उन्हें समाप्त कर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कनकराज मेहता : अंत में निवेदन करना चाहता हूं। जो बजट पेश किया गया है वह बहुत प्रगतिशील है। राज्य की प्रगति का सूचक है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगी लाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, समय रह जायगा पार्टी का...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी का एक मिनट का समय...

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : एक मिनट तो दें इनकी पार्टी को।

श्री सभापति : एक मिनट आप ले चुके हैं, माननीय सदस्य, अपनी बात कहने में।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : एक मार्च को वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण पेश किया वह प्रशंसनीय है। लगातार 4-5 साल से अकाल पड़ने के बावजूद जो बजट पेश किया है वह हर पहलू से, हर दृष्टि से प्रगतिशील है। इसमें मैंने देखा, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कहीं कोई कटौती नहीं हुई है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में ध्यान में जो आया है, वह मंत्री महोदय के सामने आपके माध्यम से मैं पेश करना चाहता हूं। डूंगरपुर जिला एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहां हर साल अकाल पड़ता है। वहां पर छोटी छोटी नदियां हैं उन नदियों का पानी बह कर चला जाता है। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण डूंगरपुर जिले को अकाल का सामना हर साल करना पड़ रहा है। वहां पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय तो कोई कारण नहीं है कि अकाल का सामना नहीं करना पड़े। हर साल एक दो महीने बरसात होती है उसका पानी सोने की तरह समुद्र में चला जाता है। मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर उस पानी को रोका जाय और उस पानी का उपयोग

(श्री नाथू राम)

किया जाय। साथ ही आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल के लिये जितना रुपया खर्च होता है वह बड़ी योजनाओं में खर्च न होकर सीधे काश्तकारों का फायदा हो, इस तरह की कोई योजना हो, उस योजना में उस रुपये को खर्च किया जाय। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां पर कई ऐसे कुएं हैं जिन पर सरकार ने पूर्व में काफी पैसा लगाया है लेकिन ब्लास्टिंग नहीं होने के खातिर ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। इस ओर ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा कुओं में ब्लास्टिंग करवाया जाय, तो किसान को हर साल जो अकाल का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा।

इस बजट में पशु चिकित्सा के बारे में भी 10 पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। मैं यहां यह सुझाव देना चाहता हूं कि पहाड़ी एरिया और ट्राइबल एरिया में 20-20 किलो मीटर तक कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं होता है, ऐसे एरियाज में पशु चिकित्सालय खोलने की कोई गुंजाइश की जाय तो करोड़ों रुपये का जो पशुधन समाप्त हो रहा है उसको बचाया जा सकेगा।

वन के बारे में बजट में दिया गया है कि पूर्व में जो साढ़े तीन सौ लाख का लक्ष्य था उसके मुकाबले 415 लाख पौधे रोपित किये गये। इस वर्ष 450 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वह कार्य भी प्रगति पर है। मैं वन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खातेदारी की जमीन पर जो पेड़-पौधे होते हैं, इमारती लकड़ी होती है उसको काटने के लिए वन विभाग को पहले पटवारी सिफारिश करता है उसके बाद तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर किसी किसान का हल टूट जाय तो पहले वह पटवारी के पास जायगा, फिर पटवारी तहसीलदार को लिखेगा तब तक तो उसका खेत ही सूख जायेगा। इसके लिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिनके खातेदारी की जमीन पर पेड़-पौधे हैं उन पेड़ों को काटने का अधिकार सरपंच और पटवारी को दिया जाय। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

शिक्षा के बारे में कई प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल्स क्रमोन्नत करने के जो आंकड़े दिये गये हैं वह अच्छे ही दिये हैं लेकिन माध्यमिक स्कूल्स के बारे में आंकड़े नहीं दिये हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल्स का जो सुझाव दिया है उसमें मैं स्वयं को सम्मिलित करता हूं और राज्य सरकार से यह निवेदन करता हूं कि कम से कम दो सौ माध्यमिक स्कूल्स खोले जायं ताकि हमारे ट्राइबल एरिया को भी फायदा करवाया जा सके।

चिकित्सा सुविधा के बारे में हमारे एरिया में इतनी कमी है, इतनी खामी है कि लगातार 20 साल तक भी इसी गति से चलें तो मेरे खयाल से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 13 ग्रामीण डिस्पेन्सरीज खोलने का प्रावधान रखा गया है उसे बढ़ा कर दो-दो सौ किया जाय जिससे कम से कम एरिया में लोगों को फायदा दिलाया जा सके।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक

(श्री यदुनाथ सिंह)

घण्टे और बढ़ाया जाय। और भी बोलने वाले हैं। कल तो बोलने का हमें समय नहीं दिया जायगा।

श्री नाथूराम : इसके साथ ही सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे क्षेत्र में 100 किलोमीटर सड़क पक्की करने का प्रावधान किया गया है। यह बहुत कम है। कम से कम ट्राइबल एरिया में 20-30 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने का प्रावधान हो तो मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्दी उस एरिया को कवर किया जा सकेगा।

बिजली के बारे में मेरा निवेदन है कि बिजली की काफी कटौती की गई है। यह तो संकट वैसे प्राकृतिक है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जो मिनिमम चार्जेज हैं, जहां पर्याप्त पानी नहीं दें वहां पर वह नहीं लगाया जाय और जहां पर्याप्त पानी दें वहां पर लगाया जाय, अपर्याप्त पानी किसानों को काफी नुकसान देता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाय। सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है वह प्रशंसा योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं।

जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 1983-84 का बजट एक मार्च को प्रस्तुत किया। इस बजट की पुस्तक में जो इकसठ कॉलम लिखे गये हैं, उनके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। यह बजट गरीब तबके के लोगों के लिए लाभदायक है।

माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट में 216.38 करोड़ रुपये का सिंचाई और विद्युतीकरण का प्रावधान रखा गया है। हमारा प्रदेश हमेशा अकाल का सामना करता है, अकाल की चपेट में आता है। एक साल अकाल पड़ता है और एक साल मामूली फसलें पकती हैं। यह लगातार मैं भी 20 साल से देखता आ रहा हूं। सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे मेवाड़ के अन्दर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां ढालू जमीन है। नदी और नाले बहते हैं।...

सदन की कार्यवाही :

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : क्या सदन की सलाह है कि समय बढ़ाया जाय माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक...

(व्यवधान)

क्या सदन की सलाह है कि माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय एक घन्टा बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : माननीय सभापति महोदया, काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए एक घन्टा बढ़ा दिया जाय।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कमला भाई : माननीय सभापति महोदया, हमारे प्रदेश के अन्दर पिछड़ापन है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री कमला भाई : उदयपुर डिवीजन के अन्दर अधिकतर ट्राइबल एरिया है । वहां पिछड़ापन और गरीबी है । गरीबी का मूल कारण वहां की भौगोलिक स्थिति है। वह क्षेत्र 50 पर्सेन्ट पहाड़ी है जब कि दूसरे डिवीजन में नाम मात्र की पहाड़ियां हैं । हमारे उदयपुर डिवीजन के अन्दर पहाड़ियां हर जगह छाई हुई हैं और खेती के लिए जमीन कम मात्रा में है ।

माननीय सभापति महोदया, आज उदयपुर संभाग के अन्दर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मैं लगातार देखता आ रहा हूं वह गरीबी रेखा से नीचे हैं । आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए एनीकट्स, तालाब और कुए बनाए जायं और लिफ्ट इरिगेशन योजना लागू की जाय तभी उस क्षेत्र में सिंचाई के साधन हो सकते हैं । यह सिंचाई के साधन वहां किये जायं तो गरीब लोगों की माली हालत सुधर सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा के अन्दर 200 सदस्य चुन कर आते हैं और बोलते हैं । जो उदयपुर संभाग से सवर्ण और ट्राइबल्स के माननीय सदस्य विधान सभा में आये हैं वे सभी उदयपुर के लिए कोशिश करते हैं । माननीय सभापति महोदया, उदयपुर संभाग के अन्दर अधिकतर आदिवासी रहते हैं । मेरा निवेदन है, जहां पचास परिवार रहते हैं उस जगह प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए । आज हर पंचायत में कम से कम 25 परिवार तो रहते ही हैं इसलिये हर पंचायत में मिडल स्कूल होना अनिवार्य है तब वह गरीब आदमी पढ़ सकते हैं । आज ट्राइबल एरिया में सड़कों का अभाव है । सौ-सौ मील पैदल चलकर अपने सिर पर वजन उठाकर अपनी तहसील तक ले जाते हैं । वे लोग पहाड़ों में पड़े हुए हैं । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां हर गांव को पंचायत से जोड़ा जाय और पंचायत को मेन रोड से कनेक्ट किया जाय तभी जो दूर दराज गांवों में जो लोग पड़े हुए हैं उनको सुविधा मिल सकती है ।

श्री नन्दलाल मीणा : दारू पीयेंगे सब ।

श्री कमला भाई : दारू आप पीओगे तो आपको पकड़ेंगे, हमको तो पकड़ेंगे नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, बैठे-बैठे न बोलें ।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई : माननीय सभापति महोदया, आज आजादी मिले 35 वर्ष हो चुके हैं लेकिन हमारे गांवों की जो जनता है उनके लिए वही तानाशाह हुक्म आता है, आज उनके सामने वही जमाना है । वे आज यह कहते हैं कि हमें आजादी मिली है हम क्या करें । आज तक वे लोग पिछड़ेपन में हैं । आज तक वे दबे हुए हैं ।

(व्यवधान)

मूल कारण इसका यह है...

श्री नन्दलाल मीणा : कौन जिम्मेदार है इसके लिए।

श्री कमला भाई : आप लोगों ने किया। जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार ने बनियों की जो पुराने बहियां थी वह भी वहां पर खोल दीं···

श्री नन्दलाल मीणा : ढाई साल में ही?

श्री कमला भाई : हां अढ़ाई साल में।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अपने सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री कमला भाई : माननीय सभापति महोदया, आज जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए ट्राइबल कमिश्नर का आफिस उदयपुर में खोला गया है उसका 54 करोड़ 78 लाख रुपया का साल भर का बजट है। जो आफिस जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए खोला गया है उसका सालाना बजट है, ट्राइब्स के 17 एम. एल.ए. हैं। अगर इस बजट को बांटें तो एक एम. एल. ए. के क्षेत्र के विकास के लिए 3.51 करोड़ रुपया हिस्से में आता है। इस प्रकार पांच साल के अन्दर उनका पिछड़ापन, गरीबी दूर हो सकती है? आपका कहना तो है पिछड़े को प्राथमिकता, देने का लेकिन जिस मायने में प्राथमिकता देनी चाहिए उस ढंग से नहीं दे रहे है। माननीय सभापति महोदय, बजट कागजों मे नजर आता है। अगर मौके पर देखें तो कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सही बात कह दी।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा : आपके जमाने में यही हुआ। आपके जमाने में यह जरूर हुआ कि हमने लेवी का गेहूं इकट्ठा किया और आपने नदी में बहा दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्राइबल प्लान के लिये जितना दिया जा रहा है वह बजट बराबर उस ट्राइबल क्षेत्र में यूटिलाइज न होना चाहिये। यह नहीं हो रहा है। यह बार बार सुनने में आता है कि वह बजट लेप्स हो गया। यह लेप्स होने का क्या कारण है? माननीय सभापति महोदया, जिस मद में जो बजट दिया जाता है उसी मद में सुचारु रूप से उसको व्यय किया जाय तभी पिछड़े हुए लोगों का सुधार हो सकता है। खास करके मेरे क्षेत्र··

(व्यवधान)

समाप्त क्यों करें, बोलने तो दो। आपने तो अपने क्षेत्र की मांगें रख दीं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें। थोड़ा सिस्टेमेटिकली··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज,

श्री कमला भाई मीणा : माननीय सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वहां पर जाखम प्रोजेक्ट और सोम कामला अम्बा बांध का कार्य चल रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ठीक चल रहा है सोम कामला अम्बा का काम?

श्री कमला भाई मीणा : नहीं चल रहा है।

(व्यवधान)

इनका विरोध का काम है, विरोध करेंगे। कोई बात नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपका बिगड़ा हुआ काम सुधार रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कमला भाई मीणा: सभापति महोदया, सिंचाई के लिये जाखम प्रोजेक्ट और सोम कामला अम्बा पर काम चलते-चलते आज दस साल हो गये हैं। कभी बजट दिया जाता है और कभी बजट नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से धीमी गति से कार्य चल रहा है। उनके लिये अधिक से अधिक बजट दिया जाय और उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय।

दूसरा, मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में एनीकट और डैम बनाने के काम हाथ में लिये जाय। आज मेरे क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं उनमें से सिर्फ एक पंचायत सवर्णों की है दूसरी सब आदिवासी लोगों की है। बाजना का सर्वे हो चुका है और संजेला का सर्वे हो चुका है भूगापाणा, बामरिया भाटा और बोर का पानी की योजना सरकार हाथ में ले तो वह सारा एरिया सिंचित हो सकता है।

माननीय सभापति महोदया, मेरे मुद्दे का विषय रह गया है। मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज दो काम चल रहे हैं एक बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा वृक्षारोपण। अब क्या हो रहा है? इधर तो जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और उधर आबादी बढ़ती जा रही है। इस आबादी को कम करो, कहां खड़ा करेंगे, कहां रखेंगे। तो यह दो कार्यक्रम हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज आप इतने वृक्ष लगा रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में जो जंगल हैं वह नष्ट होता जा रहा है। आज आपने व्यापार मण्डल कायम कर दिया है वह व्यापार मण्डल नहीं, धूतक मण्डल है।

श्री नंदलाल मीणा : यह बात सही कही आपने।

श्री कमला भाई मीणा : तो जो धूतक मण्डल है उसी प्रकार से आपने व्यापार मण्डल रखा है। आपको चन्द रोज में ये पहाड़ियां नंगी नजर आयेंगी। आपके जयपुर और अजमेर के पास जिस प्रकार पहाड़ियां नंगी नजर आती हैं उसी प्रकार से वहां पर भी नजर आयेंगी। जंगल बचाने लिए यह किया जाय कि जिन-जिन गांवों के मौजे की जमीन है उन लोगों को कुछ जमीन दी जाय और उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाय, तब आपके ये जंगल रह सकते हैं वरना आपके वन विभाग के अधिकारियों के भरोसे जंगल रखना चाहेंगे तो ये जंगल कभी नहीं रहेंगे। इसके साथ मेरे क्षेत्र की यह समस्या है कि मेरे क्षेत्र से हटा कर आसपुर जाकर के, बादगी जाकर के डिपो लगाया। क्यों लगाया? उन अधिकारियों को चोरी करने के लिये लगाया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह तो बहुत ही गम्भीर बात है।

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, अब आप जल्दी समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, एक मिनट में।

श्री कमला भाई मीणा : अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अच्छा ठीक है, आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री कमला भाई मीणा : सभापति महोदय, आज बीस साल से वन विभाग की जमीन पर आदिवासी लोगों ने कुएं बना लिये हैं, मकान बना लिये हैं। वह लोग उस जमीन का जुर्माना, पैनल्टी भरते भरते मर गये हैं और हैरान हो गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फोरेस्ट की जमीन पर जो आदिवासी किसान बैठे हुए हैं उस जमीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन में कन्वर्ट कर, परिवर्तित कर उन लोगों के खाते में दर्ज करवाने की कार्यवाही करावें।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा : इसके साथ ही, सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने वर्ष 1983-84 का जो बजट सदन में पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 8-3-83 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 6.12 बजे मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1983 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(174)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची

परिशिष्ट "अ"

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि
1	2	3
1	मैसर्स केशरी मिल्स प्रेमचन्द	6- 3-76
2	,, हेमकाम टेक्स टाइल मिल्स	26- 6-79
3	,, मांगीलाल मुलतानमल	5- 6-76
4	,, रामनिवास टेक्स मिल्स	23-11-76
5	,, मिश्रीमल भेरूलाल	7-12-76
6	,, कनकराज बी. जैन	11- 1-77
7	,, बाबूलाल हस्तीमल	2- 2-77
8	,, महाकौशल टेक्सटाइल	2- 5-77
9	,, पदमश्री टेक्सटाइल्स	29-12-79
10	,, धनराज नथमल कांकरिया	22- 2-78
11	,, एम्परर डाइंग कम्पनी	22- 2-78
12	,, कान्तीलाल धनराज कांकरिया	22- 2-78
13	,, शाह लिछमनदास खेमराज	4- 3-78
14	,, बूबना डाइंग मिल्स	15- 3-78
15	,, हीरालाल जोरावाला	18- 5-78
16	,, सोहनराज महावीर चन्द	21- 3-78
17	,, मदनलाल लक्ष्मीनारायण एण्ड कं.	15- 5-78
18	,, जोहरीलाल एण्ड कं	17- 5-78
19	,, कुशलराज थेकचन्द	16- 6-78
20	,, मुन्ना टेक्सटाइल्स	29- 7-78
21	, मिथिलेस टेक्सटाइल्स	25- 8-78
22	,, महा जगदीश टेक्सटाइल्स	4- 9-78
23	,, पुखराज कुन्दनमल	5-10-78
24	,, मान्दना फेब्रिक्स	7-11-78
25	,, मोहन अलोक मिल्स	7-11-78
26	,, सालेछा टेक्सटाइल्स	1-12-78
27	,, चम्पालाल पुखराज	22- 1-79
28	,, हुण्डिया टेक्सटाइल्स	22- 1-79
29	,, सोहनराज अशोककुमार	7- 5-79

Page No 175

1	2	3
30	मैसर्स एम.आर. टेक्सटाइल्स	22- 5-79
31	,, महबूब टेक्सटाइल्स	15- 5-79
32	,, हनुमानचन्द रतनलाल	21- 6-79
33	,, मौलाना डाइंग वर्क्स	30- 6-79
34	,, पेराडाइज टेक्स. मिल्स	3- 7-79
35	,, हरि टेक्सटाइल्स	12- 7-79
36	,, मूलचन्द चन्दनमल	19- 7-79
37	,, हुलास टेक्स मिल्स	9- 8-79
38	,, मुकेश डाइंग मिल्स	4-10-79
39	,, महाकान्ती टेक्सटाइल्स	4-10-79
40	,, निलेश टेक्स मिल्स	4-10-79
41	,, महादेव डाइंग मिल्स	16-10-79
42	,, मानशमपि टेक्सटाइल्स	29-10-79
43	,, महादेव इन्जी. वर्क्स	31-10-79
44	,, नेमीचन्द टेक्सटाइल्स मिल	14-11-79
45	,, मानसरोवर डाइंग कं.	14-11-79
46	,, बगरेचा टेक्सटाइल मिल	21-11-79
47	,, हिमालया टेक्सटाइल्स	27-11-79
48	,, राजेश टेक्स मिल	27-11-79
49	,, मेघराज इन्जी वर्क्स	27-11-79
50	,, भरतकुमार अग्रवाल	13-12-79
51	,, महा बजरंग प्रोसेसर्स	13-12-79
52	,, शक्ति टेक्स मिल्स	13-12-79
53	,, मोतीलाल बाबूलाल	9- 1-80
54	,, परसराम टेक्स मिल	16- 1-80
55	,, महा प्रभु मिल्स	19- 2-80
56	,, रामेश्वर टेक्सटाइल्स	24- 7-80
57	,, मोहन फेब्रिक्स	29- 7 80
58	,, ओम पारस एण्ड डाइंग वर्क्स	23- 9-80
59	,, हनुमान टेक्सटाइल्स	15-10-80
60	,, देवरचन्द पारीक	29-10-80
61	,, प्रेम ज्योति टेक्स मिल्स	29-10-80
62	,, मुकेश डाइंग मिल्स	29-10-80
63	,, मनोहर टेक्स. मिल्स	30-10-80

(176)

1	2	3	
64.	मैसर्स हजारीमल रामगोपाल मिल्स	1-11-80	
65.	,, मुकुट बिहारी टेक्स.	1-11-80	
66.	,, राजेन्द्र टेक्स. मिल्स	3-11-80	
67.	,, मानकलाल मीठालाल	4-11-80	
68.	,, महाधन लक्ष्मी टेक्स मिल्स	4-11-80	
69.	,, ओम टेक्स. मिल्स	24-12-80	
70.	,, वन्दना टेक्स मिल्स	24-12-80	
71.	,, गोतम केमिकल इण्ड.	24-12-80	
72.	,, खेमराज देवीचन्द	27- 3-81	
73.	,, पारस बारूपाल एण्ड क.	13- 5-81	अनु. जाति
74.	,, एच. के. इण्ड.	7- 7-81	
75.	,, मयूर टेक्सटाइल्स	13- 7-81	
76.	,, पंकज इण्ड.	15- 7-81	
77.	,, कमल इण्ड.	16- 7-81	
78.	,, महेन्द्रा टेक्स. सर्विसेज	28- 7-81	
79.	,, बच्छराज देवीचन्द	28- 7-81	
80.	,, कोहिनूर टेक्स मिल्स	17- 8-81	
81.	,, महाराज मिल्स	20- 8-81	
82.	,, बसन्त टेक्स. मिल्स	10- 9-81	
83.	,, पी. डूंगरचन्द	20-10-81	
84.	,, उत्तम टेक्स. मिल्स	16-11-81	
85.	,, सी. एन- टेक्स.	1- 1-82	
86.	,, वेस्टर्न इण्स्ट्रीज	21- 1-82	
87.	,, हिन्दुस्तान इण्ड.	21- 1-82	
88.	,, रामदेव डाईंग मिल्स	6- 2-82	अनु. जाति
89.	,, रूप डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स	6- 2-82	
90.	,, महामाया वाशिंग वर्क्स	20- 2-82	
91.	,, विधुजा टेक्स. मिल्स	24- 2-82	अनु. जाति
92.	,, रामदेव टेक्स. मिल्स	24- 2-82	
93.	,, अरविन्द डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स	26- 2-82	
94.	,, माधो इण्ड.	12- 3-82	अनु जाति
95.	,, संजय टेक्स.	30- 3-82	
96.	,, पदमपुरा टेक्सटाइल्स	30- 3-82	
97.	,, मुकुट बिहारी टेक्स	24- 4-82	
98.	,, मुरली मुरारी इण्ड.	24- 4-82	

(177)

1	2	3	4
99.	मैसर्स मेहता ग्रुप ग्राफ मिल्स	19- 5-82	
100.	,, नीलकमल इण्ड.	14- 7-82	
101.	,, भारत इण्ड,	17- 7-82	
102.	,, राजतिलक डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स	16- 7-82	
103.	,, महेश ग्रायल मिल	17- 7-82	
104.	,, महेन्द्रा इण्ड.	17- 7-82	
105.	,, पुरी टेक्स.	5- 7-82	
106.	,, महाजन टेक्स. मिल्स	9- 7-82	
107.	,, एम पटवारी ट्रेडर्स प्रा. लि.	9- 8-82	
108.	,, भगत टेक्स. मिल्स	31- 3-82	
109.	,, डागा टेक्स. मिल्स	27- 1-78	
110.	,, मोनिका टेक्सटाईल्स	13- 3-80	
111.	,, हाजी सैयद ग्रली ग्रकबर शाह	13- 7-79	
112.	,, मगनीराम टेक्स. मिल्स	13- 7-79	
113.	,, ग्रानन्द डाईकेम इण्ड.	7-12-79	
114.	,, लूनचन्द ग्रग्रवाल	29-10-80	
115.	,, श्यामलाल गुप्ता	29-10-80	
116.	,, जुगल किशोर	29-10-80	
117.	,, सालेछा डाईकेम	30-10-80	
118.	,, मानकलाल मीठालाल	4-11-80	
119.	,, केशरी टेक्स.	13-11-80	
120.	,, ग्रार. एस. केमिकल	13-11-80	
121.	,, वेद मूथा टेक्स. मिल्स	11-12-80	
122.	,, महा गायत्री टेक्स.	10-12-81	ग्रनु. जाति
123.	,, महा सन्तोषी डाईंग वर्क्स	10-12-81	,,
124.	,, शकुन्तला परिधान	10-12-81	,,
125.	,, मदनमोहन टेक्स. मिल्स	31- 3-82	
126.	,, महालक्ष्मी स्टील प्रोडक्ट	31- 3-82	
127.	,, मरूधर स्टील वर्क्स	31- 3-82	
128.	,, हिमालय फैल्ट इण्ड.	16- 7-82	
129.	,, मदनलाल धनराज एण्ड. कं.	16- 7-82	
130.	,, महा पारस प्रोसेसिंग कं.	16- 7-82	
131.	,, महादीप टेक्सटाईल्स	16- 7 82	
132.	,, शंकर टेक्स. मिल्स	17- 7-82	

(130)

1	2	3	
133.	मैसर्स गनपत मैटल्स	22- 4-82	
134.	,, अशोक टेक्स. मिल्स	17- 7-82	
135.	,, हैमा प्रिंटिंग वर्क्स	17- 7 82	
136.	,, मोरारजी कोटन मिल्स	17- 7-82	
137.	,, सन्त कंवर राम	17- 7-82	
138.	,, राजाराम कोटन मिल्स	17- 7-82	
139.	,, धन्नाराम पुत्र रामाराम	17- 7-82	
140.	,, श्रीमती सुन्दर देवी	17- 7-82	
141.	,, महादेव इनि. वर्क्स	17- 7 82	
142.	,, रामराघव वर्क्स. मिल्स	21- 7-77	
143.	,, हैरम्भ टेक्स.	13- 7-79	
144.	,, वर्धमान केमिकल इण्डी.	10- 9-79	
145.	,, महावेदव प्रोसेसिंग हाउस	13- 3-80	
146.	,, मोदी स्क्रीन आर्ट	24- 4-80	
147.	,, महारंग टेक्स	29-10-80	
148.	,, महाभवानी टेक्स. मिल्स	29-10-80	
149.	,, परमानन्द टेक्स.	29-10-80	
150.	,, मोनोग्राम टेक्स.	13-11-80	
151.	,, मांगीलाल एण्ड सन्स	14- 7-78	अनु. जाति
152.	,, विजय इण्ड.	14- 7-81	
153.	,, मारवाड़ी टेक्सटाइल्स	14- 7-81	
154.	,, शिवशंकर टेक्स	14- 7-81	अनु. जाति
155.	,, अरविन्द टेक्स.	14- 7-81	,,
156.	,, गोपाल टेक्स. मिल्स	29-10-80	
157.	,, महेन्द्रा टेक्स. इण्ड	14- 7-81	
158.	,, उम्मेद काटन मिल्स	10- 8-81	
159.	,, एन. आर. टेक्स.	10- 8-81	
160.	,, पारसमल जैन	20-10-81	
161.	,, माया पुष्प इण्ड.	24-11-81	अनु. जाति
162.	,, बांठिया प्रिंटिंग वर्क्स	19-12-81	
163.	,, रामदेव टेक्स. मिल्स	11- 1-82	अनु. जाति
164.	,, हीरा टेक्स मिल्स	30- 6-82	
165.	,, नवज्योति टेक्स. मिल्स	30- 6-82	
166.	,, मोनिका टेक्स. मिल्स	13- 3-83	

परिशिष्ट 'ब'

औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा द्वितीय चरण के आवंटियों की सूची

क्र.सं.	पार्टी का नाम	इकाई का प्रकार	आवंटित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्लॉट नं.
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स केशरीमल प्रेमचन्द	टेक्सटाइल	4,000	ई. 129
2.	„ हेमकम टेक्सटाइल मिल्स	„	„	ई. 130
3.	„ मांगीलाल मुलतानमल	„	„	ई. 136
4.	„ रामनिवास टेक्सटाइल मिल्स	„	„	ई. 207
5.	„ मिसरीमल भेरूमल	„	„	ई. 233
6.	„ कनकराज बी. जैन	„	„	ई. 234
7.	„ बाबूलाल हस्तीमल कांकरिया	„	„	ई. 209
8.	„ महाकुशल टेक्सटाइल	„	„	ई. 223
9.	„ पदमश्री टेक्सटाइल	„	„	ई. 226
10.	„ धनराज नथमल कांकरिया	„	„	ई. 132
11.	„ ऐम्पोरियर डाइंग कम्पनी	„	„	ई. 225
12.	„ कांतीलाल धनराज कांकरिया	„	„	ई. 131
13.	„ शाह लक्ष्मनदास खेमराज	„	„	ई. 135
14.	„ वूवना डाइंग मिल्स	„	„	ई. 219
15.	„ हीरालाल जोरावाला	„	„	ई. 218
16.	„ सोहनराज महावीरचन्द्र	„	„	ई. 235
17.	„ मदनलाल लक्ष्मीनारायण एण्ड कं.	„	„	ई. 227
18.	„ जावेरीलाल कम्पनी	„	„	ई. 133
19.	„ कुशलराज जेकचन्द	„	„	ई. 236
20.	„ मुन्नीलाल टेक्सटाइल	„	„	ई. 210
21.	„ मिथलेषनन्दनी टेक्सटाइल	„	„	ई. 237
22.	„ महा जगदीश टेक्सटाइल	„	„	ई. 128
23.	„ पुखराज कुन्दनमल	„	„	ई. 208
24.	„ मघाना फेब्रिक्स	„	„	ई. 231
25.	„ मोहन आलोक मिल्स	„	„	ई. 232
26.	„ सलेचा टेक्सटाइल	„	„	ई. 206
27.	„ चम्पालाल पुखराज	„	„	ई. 224
28.	„ इण्डिया टेक्सटाइल	„	„	ई. 205

Page No 180

1		2	3	4	5
29.	मेसर्स	मनोहर डाइंग मिल्स	,,	2,000	ई. 204
30.	,,	मोहनराज अशोककुमार	,,	4,000	ई. 203
31.	,,	एम.आर. टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 230
32.	,,	महबूब टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 202
33.	,,	हनुमानचन्द रतनलाल	,,	,,	ई. 200
34.	,,	मोलाना डाइंग वर्क्स	,,	,,	ई. 139
35.	,,	पेराडाइज टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 140
36.	,,	हरि टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 229
37.	,,	मूलचन्द धनमल	,,	,,	ई. 141
38.	,,	हुलास टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 142
39.	,,	मुकेश डाइंग मिल्स	,,	,,	ई. 238
40.	,,	महाकान्ति टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 241
41.	,,	नीलेश टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 242
42.	,,	महादेव डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल	,,	,,	ई. 134
43.	,,	मानसमनी टेक्सटाइल्स	,,	,,	ई. 243
44.	,,	महादेव इंजीनियरिंग वर्क्स	,,	,,	ई. 244
45.	,,	नेमीचन्द टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 245
46.	,,	मानसरोवर डाइंग कं.	,,	,,	ई. 246
47.	,,	बगरेचा टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 239
48.	,,	हिमालया टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 240
49.	,,	राजेश टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 247
50.	,,	मेघराज इंजी. वर्क्स	,,	,,	ई. 215
51.	,,	भरतकुमार अग्रवाल	,,	,,	ई. 216
52.	,,	महा बजरंग प्रोसेसर्स	,,	,,	ई. 145
53.	,,	शक्ति टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 146
54.	,,	मोतीलाल बाबूलाल	,,	,,	ई. 147
55.	,,	परसराम टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई 148
56.	,,	महाप्रभु मिल्स	,,	,,	ई. 149
57.	,,	भंवर टेक्सटाइल्स	,,	,,	ई. 150
58.	,,	मोहन फेब्रिक्स	,,	,,	ई. 228
59.	,,	ओम पारस डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स	,,	,,	ई. 151
60.	,,	हनुमान टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 152
61.	,,	घेवरचन्द पारीक	,,	,,	ई. 248
62.	,,	प्रेम ज्योति टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 212

1	2	3	4	5
63.	मैसर्स पारस बारूपाल एण्ड कं.	टेक्स.	4000	ई. 143(एस/सी)
64.	,, रामदेव डाइंग मिल्स	,,	,,	ई. 144(एस/टी)
65.	,, वितुसा टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 199(एस/टी)
66.	,, माघो इण्डस्ट्रीज	,,	,,	ई. 201(एस/टी)
67.	,, संजय टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 137
68.	,, पदमपुरा टेक्सटाइल	,,	,,	ई. 138
69.	,, नील कमल इण्डस्ट्रीज	,,	,,	ई. 217
70.	,, राजतिलक डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स	,,	,,	ई. 213
71.	,, महेश आयल एण्ड फ्लोर मिल्स	आयल मिल	,,	ई. 211
72.	,, महेन्द्र इण्डस्ट्रीज	इंजीनियरिंग	,,	ई. 214
73.	,, पारो टेक्सटाइल मिल्स	टेक्सटाइल	1500	जी. 153
74.	,, महाजन टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	जी. 163
75.	,, पटवारी ट्रेडर्स प्रा. लि.	,,	4000	ई. 221
76.	,, भगत टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 222
77.	,, डागा टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	ई. 220
78.	,, हाजी सैयदअली अकबरशाह	,,	1000	जी. 176
79.	,, मांगीराम टेक्सटाइल	,,	,,	जी. 175
80.	,, आनन्द डाइ केम	केमिकल	,,	जी. 171
81	,, लूनचन्द अग्रवाल	टेक्सटाइल	,,	जी. 173
82.	,, श्यामलाल गुप्ता	,,	,,	जी. 172
83.	,, जुगलकिशोर	,,	,,	जी. 174
84.	,, सलेचा डाइ केम	,,	,,	जी. 170
85.	,, मानकलाल पुत्र श्री मीठालाल	,,	,,	जी. 169
86.	,, केशरी टेक्सटाइल्स	,,	,,	जी. 168
87.	,, आर.एस. केमिकल	केमिकल	,,	जी. 167
88.	,, वैद्य मूथा टेक्सटाइल	टेक्सटाइल	,,	जी. 166
89.	,, महागायत्री टेक्सटाइल	,,	,,	जी. 165(एस/सी)
90.	,, महा संतोषी डाई वर्क्स	टेक्सटाइल	1000	जी. 164(एस/सी)
91.	,, शकुन्तला परिधान	,,	,,	जी. 162(एस/सी)
92.	,, मदनमोहन टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	जी. 161
93.	,, महालक्ष्मी स्टील प्रोडक्ट	स्टील	,,	जी. 160
94.	,, मरुधन स्टील वर्क्स	,,	,,	जी. 159
95.	,, हिमालया फेल्ट इण्डस्ट्रीज	टेक्सटाइल	,,	जी. 158
96.	,, मदनलाल धनराज एण्ड कं.	,,	,,	जी. 157

182

1355 परिशिष्ट—7 मार्च, 1983—परिशिष्ट

1		2	3	4	5
97.	मैसर्स	महा पारस प्रोसेसिंग कं.	टैक्स.	1000	जी. 156
98.	,,	महादीप टेक्सटाइल	,,	,,	जी. 155
99.	,,	शंकर टेक्सटाइल मिल्स	,,	2000	जी. 154
100.	,,	रामराघव टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 198
101.	,,	हीराम्ब टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 197
102.	,,	वर्धमान केमिकल्स इण्डस्ट्रीज	,,	,,	एफ. 187
103.	,,	महादेव प्रोसेसिंग हाउस	,,	,,	एफ. 196
104.	,,	मोदी स्क्रीन आर्ट	,,	,,	एफ. 195
105.	,,	महारंग टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 194
106.	,,	गोपाल टेक्सटाइल मिल्स	,,	,,	एफ. 193
107.	,,	महाभवानी टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 192
108.	,,	परमानन्द टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 191
109.	,,	मोनोग्राम टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 190
110.	,,	मांगीलाल एण्ड संस	,,	,,	एफ. 189(एस/सी)
111.	,,	विजय इण्डस्ट्रीज	,,	,,	एफ. 188
112.	,,	मारवाड़ी टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 186(एस.सी
113.	,,	शिवशंकर टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 185(एस.सी.)
114.	,,	अरविन्द टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 184(एस/सी)
115.	,,	महेन्द्र टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज	,,	,,	एफ. 183(एस/सी,
116.	,,	उमेद कोटन मिल	,,	,,	एफ. 182
117.	,,	एन.आर. टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 181
118.	,,	पारसमल जैन	,,	,,	एफ. 180
119.	,,	माया पुष्प इण्डस्ट्रीज	,,	,,	एफ 179(एस/सी)
120.	,,	बन्टीया प्रिंटिंग मिल्स	,,	,,	एफ. 177
121.	,,	मोनिका टेक्सटाइल	,,	,,	एफ. 178

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची

वर्ष 1980-81

क्र.सं.	नाम शाला भवन	व्यय राशि का विवरण
1	2	3
1.	उच्च प्रा० वि० वोरी	4078.01
2.	प्राथमिक विद्यालय कालीघाटी	18680.81
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोंकर	31777.19
4.	प्राथमिक विद्यालय पीपलाभाटड़ा	17447.85
5.	प्राथमिक विद्यालय, ढाकरड़ा	11768.45
6.	प्रा० वि० उदयपुरिया	5192.80
7.	बरामदा उ० प्रा० वि० सगतड़ा	25064.26
8.	प्रा० वि० उदयपुरिया	20034.47
9.	प्राथमिक विद्यालय ढाकरड़ा	23516.44
10.	प्रा० वि० निवलागुड़ा	3794.45
11.	प्रा० वि० श्यामपुरा	6909.94
12.	प्रा० वि० लिम्बड़ी	2616.75
13.	प्रा० वि० कुराड़िया	11133.67
14.	प्रा० वि० दर्जनपुरा	14730.80
15.	प्रा० वि० सेमारी	52930.05
16.	प्रा० वि० कौलर	10259.34
17.	उ. प्रा. वि. सुरखाण्ड खोड़ा	10420.32
18.	प्राथमिक विद्यालय वेजपुर	5200.00
19.	माध्यमिक विद्यालय भाड़ोल	46086.59
20.	प्रा० वि० पहाड़ी	4862.36
21.	प्रा० वि० श्यामपुरा	18426.00
22.	प्रा० वि० परशाद	4213.60
23.	उ० प्रा० वि० खरबर	37928.05
24.	प्राथमिक विद्यालय पाराई	5379.61
25.	प्रा० वि० सगतड़ी	9396.42
26.	सैकेन्ड्री स्कूल बरामदा देवपुरा	15788.00
27.	मिडिल स्कूल नवा तलाई	10429.00

1	2	3
28.	प्राथमिक शाला सराड़ा	31377.61
29.	प्राथमिक विद्यालय फलोदड़ा	4982.48
30.	उ० प्रा० वि० पलोदड़ा II	21088.93
31.	,, ,, III	4230 00
32.	,, बरामदा	17861.80
33.	प्राथमिक विद्यालय ससिया	7637.93
		515243.98

वर्ष 1981-82

1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय बलुआ	8548.95
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरी	11991.05
3	उच्च प्राथमिक वि० कुण्डा	3601.09
4.	सैकेन्ड्री स्कूल बरामदा पोराई	6257.31
5.	प्रा० वि० पलोदड़ा	12389.30
6.	उच्च प्रा० वि० महुवाडा	11920.57
7.	प्रा० वि० चावण्ड	10933.01
8.	प्राथमिक विद्यालय सिंघटवाड़ा	996.81
9.	सैकेन्ड्री स्कूल बरामदा देवपुरा	5000.00
10.	प्राथमिक विद्यालय धनकाबाड़ा	6879.82
11.	प्राथमिक वि० पलोदड़ा II	12414 20
12.	प्राथमिक विद्यालय फातनवाड़ा	14781.21
13.	उच्च प्रा० वि० सगतड़ी	16299.48
14.	प्राथमिक विद्यालय निमोदा	8992.18
		131004.98

तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (2) से संबंधित सूचना की सूची

क.सं.	नाम गांव व स्कूल	रुपये जो खर्च किये गये हैं
1	2	3
1	उ०प्रा०वि० जावद	20240.45
2	प्रा०वि० बेलवडी	34465.38
3	उ०प्रा०वि० बोरी	16069.06
4	प्रा०वि० कालीघाटी	18680.81
5	प्रा०वि० टांकर	31777.19
6	प्रा०वि० पीपलाभाटड़ा	14447.85
7	प्रा०वि० उदयपुरिया	26027.27
8	प्रा०वि० निंचलागुड़ा	3794.45
9	प्रा०वि० गलोड़ा	751.98
10	प्रा०वि० श्यामपुरा	6909.64
11	प्रा०वि० निमड़ी	2616.75
12	प्रा०वि० कुराडिया	11333.67
13	प्रा०वि० नारायणपुर	127.59
14	प्रा०वि० खांखला	4745.41
15	मा०वि० झाड़ोल	46086.59
16	प्रा०वि० गामड़ी	4778.60
17	प्रा०वि० पहाड़ी	4662.36
18	प्रा०वि० श्यामपुरा	18426.00
19	प्रा०वि० कन्तोड़ा	3236.51
20	प्रा०वि० करोड़िया	617.58
21	उ०प्रा०वि० वीरपुरा	9212.86
22	प्रा०वि० रेटभुरिया	1207.54
23	उ०प्रा०वि० बलुआ	11907.75
24	प्रा०वि० परशाद	8548.95
25	उ०प्रा०वि० खरबर	37928.05

Page No 186

1	2	3
26	प्रा०वि० पाराई	5379.61
27	प्रा०वि० कातनवाड़ा	23,775.39
28	प्रा०वि० खैरकी	3321.00
29	उ०प्रा०वि० सगतड़ी	25,996.90
30	मा०वि० देवपुरा	20,788.03
31	प्रा०वि० चावण्ड	10,933.01
32	प्रा०वि० केवड़ा	4762.10
33	उ० प्रा०वि० नैवातलाई	20,535.99
34	प्रा०वि० वि० मोड़ा	6958.30
35	प्रा०वि० भोराई	62,796.65
36	प्रा०वि० बेजपुर	5200.00
37	प्रा०वि० पालिनकोदा	5510.81
38	प्रा०वि० पालसपुर	3394.40
39	प्रा०वि० वाणा	22,096.83
40	प्रा०वि० संपुर	6959.40
41	कन्या शाला सराड़ा	25,416.61
42	उ०प्रा०वि० थाणा	25,435.03
43	उ०प्रा०वि० डिंगरी	27,846.91
44	प्रा०वि० खोखी महुड़ी	3297.80
45	प्रा०वि मलातफला	3268.80
46	प्रा०वि० मोकतफला	3129.60
47	उ०प्रा० वि० नठारा	66'802.10
48	प्रा०वि० करमा०	6043.58
49	प्रा०वि० पलूणा	6367.15
50	उ०प्रा०वि० पलोदड़ा	69,984.23
51	उ०प्रा०वि० धांवडिया	4825.93
52	प्रा०वि० अमरपुरा	4755.65
53	प्रा०वि० मूण्डला	9588 85

Page No 187

1	2	3
54	प्रा०वि० ससिया	6137.93
55	प्रा०वि० मायर	4909.93
56	प्रा०वि० निपच	21,312.25
57	प्रा०वि० केजड़	18,453.54
58	उ०प्रा०वि० महुवाड़ा	11,920.57
59	उ०प्रा०वि सेमाल	5405.04
60	प्रा०वि० सेमारी	52,930.05
61	उ०प्रा०वि० कुण्डा	3601.09
62	प्रा०वि० चावण्ड	10,933.01
63	प्रा०वि० लेडवास	3000.00
64	प्रा०वि० धनकावाड़ा	8679.82
65	प्रा०वि० निमोदा	14,656.18
66	उ०प्रा०वि० सिघटवाड़ा	10,087.09
67	प्रा०वि० गुडीवाड़ा	3496.50
68	उ०प्रा०वि० पीलादर	27,305.44
		10,26,5,99.59

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 313 का विवरण

(रुपये लाखों मे)

क्र.सं.	वर्ष	वेतन भत्ते	किराया	वाहनों पर खर्च
1.	1969-70	2.27	0.07	0.14
2.	1970-71	24.97	0.38	0.32
3.	1971-72	34.89	0.49	1.01
4.	1972-73	39.64	0.63	1.87
5.	1973-74	43.86	0.56	1.72
6.	1974-75	51.74	0.87	2.69
7.	1975-76	52.88	0.86	3.38
8.	1976-77	63.49	1.09	3.98
9.	1977-78	75.57	1.05	3.99
10.	1978-79	82.63	1.12	4.23
11.	1979-80	87.53	1.08	4.24
12.	1980-81	100.55	1.38	6.15
13.	1981-82	114.10	1.76	5.72

(अंकेक्षण के बिना)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल व्यापार	लाभ एवं हानि विशेष विवरण
1.	1969-70	57.33	(+) 1.33
2.	1970-71	343.40	(—) 3.35
3.	1971-72	191.19	(+) 5.31
4.	1972-73	307.21	(—) 16.78
5.	1973-74	295.88	(—) 8.40
6.	1974-75	420.23	(+) 6.55
7.	1975-76	553.61	(+) 9.57
8.	1976-77	415.33	(—) 21.23
9.	1977-78	629.54	(—) 10.47
10.	1978-79	923.28	(—) 8.37
11.	1979-80	854.02	(+) 9.36
12.	1980-81	928.09	(—) 47.97
13.	1981-82	852.41	(—) 69.43

(अंकेक्षण के बिना)

Page No 189

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची

उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि , बीकानेर द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982—83 में माहवार संकलित दूध का विवरण :—

जुलाई, 81 से जून, 82

क्र. सं.	माह	कुल दुग्ध संकलन कि ग्रा.	औसत दुग्ध/प्रतिदिन कि. ग्रा.
1.	जुलाई, 81	9,11,849	29,414
2.	अगस्त, 81	11,93,252	30,492
3.	सितम्बर, 81	18,47,855	28,186
4.	अक्टूबर, 81	6,00.803	19,381
5.	नवम्बर, 81	7,24,906	24,163
6.	दिसम्बर, 81	12,57,740	40,572
7.	जनवरी, 82	16,32,937	52 675
8.	फरवरी, 82	15,61,099	55,754
9.	मार्च, 82	20,91,201	67,458
10.	अप्रेल, 82	22,55,455	75,182
11.	मई, 84	29,00,961	93,579
12.	जून, 82	25,41,854	84,702
	योग :—	1,85,19,112	50,737 औसत

जुलाई, 82 से फरवरी, 83

क्र सं.	माह	कुल दुग्ध संकलन कि. ग्रा.	औसत दुग्ध/प्रतिदिन कि. ग्रा.
1.	जुलाई, 82	26,95,569	86,953
2.	अगस्त, 82	25,76,522	83,114
3.	सितम्बर, 82	19,44,434	64,814
4.	अक्टूबर, 82	17,36,360	56,012
5.	नवम्बर, 82	17,69,787	58,993
6.	दिसम्बर, 82	23,76,133	76,650
7.	जनवरी, 83	29,50,611	95,181
8.	फरवरी, 83	31,75,477	1,13,410
	योग :—	1,92,24,893	79,115 औसत

उत्तरी राज. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बीकानेर द्वारा वर्ष 1981–82 व 1982–83 में दुग्ध परिवहन ट्रक ठेकेदारों को माहवार ट्रक का किराया दिया गया व प्रति लीटर दुग्ध पर औसत परिवहन व्यय का विवरण

जुलाई, 81 से जून, 82

क्र.सं	माह		दुग्ध परिवहन ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	औसत दुग्ध परिवहन खर्च प्र. लीटर
1.	जुलाई;	81	1,80,085.00	20 पैसे
2	अगस्त,	81	2,24,782.54	10 ,,
3.	सितम्बर,	81	2,00,485.51	24 ,,
4.	अक्टूबर,	81	1,88,331.16	31 ,,
5.	नवम्बर,	81	1,98,773.04	27 ,,
6.	दिसम्बर;	81	2,19,519.36	17 ,,
7.	जनवरी,	82	2,35,409.49	14 ,,
8.	फरवरी,	82	2,57;584.08	16 ,,
9.	मार्च,	82	2,912,18.71	14 ,,
10.	अप्रेल,	82	2,97,174.16	13 ,,
11.	मई,	82	3,51,448.16	12 ,,
12.	जून,	82	3,82,489.57	15 ,,
		योग :--	30,27,300.57	213

जुलाई, 82 से जनवरी 83

क्र सं	माह		दुग्ध परिवहन ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	औसत दुग्ध परिवहन खर्च प्र. लीटर
1.	जुलाई,	82	4,03,124.52	15 पैसे
2.	अगस्त,	82	4,27,652.79	17 ,,
3.	सितम्बर,	82	4,40,206.75	23 ,,
4.	अक्टूबर,	82	4,33,613.67	25 ,,
5.	नवम्बर,	82	3,87,114.69	22 ,,
6.	दिसम्बर,	82	4,13,697.41	17 ,,
7	जनवरी,	83	4,19,458,77	14 ,,
		योग :--	29,26,868.50	133

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 295 की सूची

अलवर नगर परिषद की सीमा में देशी शराब की दुकानों की सूची

दुकान का नाम		स्थिति	विशेष विवरण
1	लाल गेट अलवर	मेहताबसिंह के नोहरे के पीछे	राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत निरापद स्थान पर
2.	माला खेडा गेट अलवर	माला खेडा गेट बाहर	,, ,, ,,
3.	मोटर स्टेण्ड अलवर	पुराना बस स्टेण्ड	,, ,, ,,
4.	दिल्ली गेट अलवर	विकास पथ के पीछे	,, ,, ,,
5.	रेलवे स्टेशन, अलवर	मुगसका के पास	,, ,, ,,
6.	दाऊदपुर, अलवर	दाऊदपुर फाटक के पास	,, ,, ,,
7	नयावास, अलवर	मनुमार्ग, काला कुआ रोड़ पर	,, ,, ,,
8.	अखेपुरा, अलवर	अखेपुरा में	,, ,, ,,

Page No 192

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 298 की सूचना

1.	झूंझुनूं	विकास अधिकारी का पद दिनांक 7-9-81 से रिक्त है। इस पद पर श्री जगनसिंह शिक्षा प्रसार अधिकारी दिनांक 7-9-81 से कार्यरत है।
2.	अलसीसर	विकास अधिकारी का पद दिनांक 13-6-82 से रिक्त है। इस पद पर श्री सांवलराम शिक्षा प्रसार अधिकारी दिनांक 19-10-82 से कार्यरत है।
3.	चिड़ावा	विकास अधिकारी का पद दिनांक 27-1-82 से रिक्त है। इस पद पर श्री रामेश्वरलाल शिक्षा प्रसार अधिकारी दिनांक 27-1-82 से कार्यरत है।
4.	खेतड़ी	विकास अधिकारी का पद दिनांक 17-9-81 से रिक्त है। इस पद पर श्री बुद्धिधर यादव शिक्षा प्रसार अधिकारी दिनांक 27-1-83 से कार्यरत हैं।
5.	सूरजगढ़	विकास अधिकारी का पद दिनांक 4-3-81 से रिक्त है। इस पद पर श्री सत्यनारायण जोशी पशुपालन प्रसार अधिकारी दिनांक 4-3-81 से कार्यरत हैं।
6.	बुहाना	विकास अधिकारी का पद फरवरी, 81 से रिक्त है। इस पद पर वर्तमान में श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत शिक्षा प्रसार अधिकारी दिनांक 8-9-92 से कार्यरत है।

परिशिष्ट-7

तारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

परिशिष्ट 1

जिला मुख्यालय पर स्थित औषधालयों/चिकित्सालयों का विवरण

जिला	औषधालय/चिकित्सालय पद्धतिवार				योग
	आयुर्वेद	होमियोपैथी	यूनानी	प्राकृतिक	
1. अजमेर	3	1	2	–	6
2. अलवर	2	2	–	–	4
3 बांसवाड़ा	1	–	–	–	1
4. बाड़मेर	1	1	–	–	2
5. भरतपुर	2	1	–	–	3
6. भीलवाड़ा	3	1	–	–	4
7. बीकानेर	5	2	2	–	9
8. बून्दी	1	1	–	–	2
9. चित्तौड़गढ़	2	1	–	–	3
10. चूरू	1	1	1	–	3
11. धौलपुर	1	–	1	–	2
12. डूंगरपुर	3	–	1	–	4
13. श्रीगंगानगर	2	1	–	–	3
14. जयपुर	13	5	4	–	22
15. जैसलमेर	1	1	–	–	2
16. जालौर	1	1	–	–	2
17. झालावाड़	1	1	–	–	2
18. झुन्झुनू	1	1	–	–	2
19. जोधपुर	4	1	3	–	8
20. कोटा	2	2	1	–	5
21. नागौर	1	1	1	–	3
22. पाली	1	1	–	–	2
23. सवाई माधोपुर	2	1	–	–	3
24. सीकर	1	1	–	–	2
25. सिरोही	1	1	–	–	2
26. टौंक	1	1	1	–	3
27. उदयपुर	7	1	1	1	10
योग :	64	31	18	1	114

परिशिष्ट--2

उन तहसील मुख्यालयों की सूची जहां विभागीय औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं

(अ) आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय

जिला 1	तहसील मुख्यालय 2
1 अजमेर	1 अजमेर
	2 ब्यावर
	3 किशनगढ़
2. अलवर	4 अलवर
	5 तिजारा
3. बांसवाड़ा	6 बांसवाड़ा
4. बाड़मेर	7 बाड़मेर
	8 चौहटन
	9 सिवाना
	10 पचपदरा
5. भरतपुर	11 वैर
	12 भरतपुर
	13 नदबई
	14 डीग
6. भीलवाड़ा	15 भीलवाड़ा
	16 माण्डल
	17 जहाजपुर
	18 शाहपुरा
	19 बनेड़ा
7. बीकानेर	20 कोटड़ी
	21 बीकानेर
8. बूंदी	22 बूंदी
	23 नैनवा
9. चित्तौड़गढ़	24 चित्तौड़गढ़

1	2
	25 प्रतापगढ़
	26 बड़ी सादड़ी
	27 गंगरार
10. चूरू	28 चूरू
	29 रतनगढ़
	30 सुजानगढ़
	31 तारानगर
11. धौलपुर	32 बाड़ी
	33 बसेड़ी
	34 धौलपुर
	35 राजाखेड़ा
12. डूंगरपुर	36 डूंगरपुर
	37 सागवाड़ा
	38 आसपुर
13. श्रीगंगानगर	39 श्रीगंगानगर
	40 शार्दुलशहर
14. जयपुर	41 जयपुर
	42 कोटपुतली
	43 दौसा
	44 दूदू
	45 चाकसू
15. जैसलमेर	46 जैसलमेर
	47 पोकरन
16. जालोर	48 जालोर
	49 आहोर
	50 जसवन्तपुरा
17. झालावाड़	51 पिड़ावा
18. झुन्झुनूं	52 झुन्झुनूं
	53 खेतड़ी

Page No 196

(961)

1	2
19. जोधपुर	54 जोधपुर
	55 फलोदी
	56 ओसिया
20. कोटा	57 लाडपुरा
	58 छबड़ा
	59 बांरा
	60 रामगंज मन्डी
	61 छीपा बड़ोद
21. नागौर	62 नागौर
	63 लाडनू
	64 नावां
	65 परबतसर
	66 मेड़ता
	67 डेगाना
	68 जायल
22. पाली	69 पाली
	70 सोजत
	71 जैतारन
	72 मारवाड़ जंक्शन (खारची)
23. सवाई माधोपुर	73 सवाई माधोपुर
	74 करौली
	75 गंगापुर
	76 म्लारना चौड़
	77 वामनवास
	78 नादौती
24. सीकर	79 सीकर
	80 फतेहपुर
25. सिरोही	81 सिरोही
	82 शिवगंज
	83 रेवदर

195

1	2
26. टोंक	84 टोंक
	85 मालपुरा
27. उदयपुर	86 उदयपुर (गिरवा)
	87 नाथद्वारा
	88 मावली
	89 आमेट
	90 देवगढ़
	91 राजसमंद (कांकरोली)
	92 रेलमगरा
	93 फलासिया

————

परिशिष्ट 8

तारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची

वृक्षों की लेवी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 से 1982–83 तक कृषकों को अनुदान दी गई राशि की सूची :—

नाम जिला	नाम रेन्ज	कृषकों को वितरित की गई राशि रु. में
सिरोही	आबू रोड	70,780
डूंगरपुर	डूंगरपुर	85,330
	सागवाड़ा	1,30,129,50
	आसरी	1,13,001
	सिगलवाड़ा	92,292
चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़ वन मण्डल	1,89,022
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	54,632
	बागीदोरा व डुंगरा	1,12,453
	कुशलगढ़	25,054
	गढ़ी	43,720
	भाटोड़	39,652
	बीसलपुर	14,445
उदयपुर	उदयपुर (प.)	44,065
	परसाद	48,182
	खेरवाड़ा	54,997
	कोटड़ा	38,379
	सलूम्बर	32,550
	घाटोल	75,981,50
	धरियागढ़	19,612,50

वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक फार्म फारेस्ट्री योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान दी गई राशि की सूची :—

नाम जिला	नाम रेंज	कृषकों को वितरित की गई राशि रुपये में
बीकानेर	कोलायत	22,847
	डी.डी.पी. बीकानेर	47,975
	लूनकरणसर	46,547
	नोखा	300
	वेरियावाली	25,640
	365 आर.डी.	46,903
	61 आर.डी.	14,525
	112 आर.डी.	12,425
	6 बी.एल.डी.	10,950
श्रीगंगानगर	12 डी.ओ.एल.	6,219
	भादरा	1,31,266
	नोहर	50,826
सीकर	श्री माधोपुर	46,415
	शेल्टर बेल्ट सीकर	1,25,814
	दांता	76,058
	नीम का थाना	31,422
	फतेहपुर	2,410
झुन्झुनू	झुन्झुनू	42,276
	उदयपुरवाटी	58,656
	खेतड़ी	49,852
	चिड़ावा	1,08,476
नागौर	नागौर	84,316
	कुचामनसिटी	5,600
	मेड़ता सिटी	1,58,450
	लाडनूं	1,65,450
	परबतसर	1,34,658
चुरू	चुरू	34,[illegible]77
	राजगढ़	28,5[illegible]
	सरदारशहर	16,17[illegible]
	श्रीडूंगरगढ़	37,89[illegible]

मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 79–80 से 82–83 तक फार्म फोरेस्ट्री योजना में कृषकों को अनुदान में दी गई राशि का जिलेवार एवं रेंजवार मानचित्र।

क्र.सं.	नाम जिला	नाम रेंज	किसानों को वितरित की गई राशि रुपये में				योग
			79–80	80–81	81–82	82–83	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जोधपुर	1. रेंज जोधपुर	39843	56661	26542	8896	131942
		2. बिलाड़ा	20580	30210	17020	1288	69098
		3. बालेसर	–	7275	4373	–	11648
		4. ओसियाँ	–	8544	8925	–	17449
		5. फलौदी	6000	–	–	–	6000
		योग जोधपुरः–	66423	102690	56860	10184	236157
2.	पाली	1. पाली	11489	24260	5406	4211	45366
		2. बाली	30336	46117	5253	–	81706
		3. देसूरी	22442	47479	2053	–	71974
		4. नेवरा	–	6004	13534	8323	27861
		5. सेन्दड़ा	12126	52698	–	10501	75325

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. बींजाजी गुड़ा	6497	16851	–	–	23348
		7. बीन्जवा	–	9747	–	13313	23060
		8. जैतारण	–	3648	4202	6000	13850
		9. जोजावर	–	–	3375	5135	8510
		योग पाली:–	82890	206804	33823	47483	371000
3.	जैसलमेर	1. जैसलमेर	415	9547	निल	निल	9962
		2. पोकरण	–	–	–	–	–
		योग जैसलमेर:–	415	9547	–	–	9962
4.	बाड़मेर	1. बाड़मेर	4768	4983	–	2964	12715
		2. घोरीमन्ना	5180	20382	9078	5750	40390
		3. सिणधरी	–	–	10259	–	10259
		4. चोहटन	3100	9398	10155	–	22653
		5. सिवाणा	26496	31359	28375	15801	102031
		6. बालोतरा	7174	8337	13377	3160	38048
		योग बाड़मेर:–	46718	74459	71244	33675	226096

(१९५)

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	जालोर	1. जालोर	40180	20545	22233	—	82958
		2. जसवन्तपुरा	16143	15409	13816	—	45368
		3. भीनमाल	21750	10815	10303	—	42868
		4. सायला	—	11768	6095	—	17863
		5. रानीवाड़ा	—	550	3659	—	4209
		6. आहोर	—	—	5492	—	5492
		7. सांचोर	—	—	—	—	—
		8. रामसीन	—	—	2760	—	2760
		योग जालोर:—	78073	59087	64358	—	201518

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूचना

सूची

दूषित शराब बेचने वाले अपराधी व्यक्तियों के नाम पते मय जिले के निम्न प्रकार हैं:—

मनोहरपुर में देशी शराब का ठेकेदार

(1) श्री लल्लूलाल पुत्र देवूमीणा नि. हुरमाड़ा

(2) श्री रामसहाय पुत्र चन्दाराम मीणा मचरोल

(3) श्री जगदीश पुत्र रामधन गुजर नि. मचरोल

इस दुकान पर सेल्समैन के नाम

(1) सर्वश्री घासीराम पुत्र कालूराम गुजर नि. जोगियों का बास शाहपुरा।

(2) श्री मदनलाल पुत्र गंगादास गुजर नि. मनोहरपुरा

(3) श्री सोनिया पुत्र कालूराम निवासी जोगियों का बारा शाहपुरा।

श्री सोहनदास पुत्र लाबन दास जालोर के द्वारा थीनर का विक्रय किया गया।

परिशिष्ट 10

तारांकित प्रश्न संख्या 323 की सूची का विवरण

जोधपुर सिंचाई वृत में वर्ष 1979 में क्षतिग्रस्त हुए कार्यों की सूची एवं विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति एवं मरम्मत पूर्ण होने की संभाव्य तिथि
1	2	3
	जिला जोधपुर	
1.	सुरपुरा बांध	मरम्मत कर दी गई है।
2.	बराई बांध	,,
3.	नाहरसागर बांध	,,
4.	गोलजोर बांध	,,
5.	सालोरी बांध	,,
6.	पोफोवास बांध	,,
7.	जसवन्तसागर बांध एवं केनाल	,,
8.	पीपाड़ सिटी टैंक	,,
9.	हिरादेसर बांध	,,
10.	वासनी बांध	,,
11.	चोपड़ा फीडर	,,
12.	मादरिया बांध	,,
13.	नान्दीया कलां	,,
14.	कास्ती बांध	,,
15.	कुरी फिडर	,,
16.	ताम्बरियां बांध	,,
17.	बसलपुर बांध	बांध के मुआवजे का निर्णय नहीं होने के कारण मुख्य बांध की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका है।
18	बोल्दा बांध	आवश्यक धनराशि के अभाव में मरम्मत पूरी नहीं की जा सकी है। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 2039 में कार्य प्रगति पर है।

Page No 205

1	2	3
19.	बेनन बांध	नदी के बहाव में परिवर्तन तथा तटबन्धों के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी मरम्मत लाभप्रद नहीं है।
	जिला नागौर	
1.	मालियों का धोरा	मरम्मत कर दी गई है।
2.	सातलास टैंक	"
3.	गगराना बांध	"
4.	भटसिया बांध	"
5.	धनापा बांध	"
6.	भैरूंदा बांध	"
7.	पचरन्डा बांध	"
8.	तागाली का वाला	"
9.	हरसौर बांध एवं केनाल	"
10.	डान्सरियों का नाका	"
11.	डोडीयाना बांध	"
12.	पुण्डलू बांध	मरम्मत कार्य प्रगति पर है। जून 83 तक पूर्ण होने की संभावना है।
	जिला पाली	
1.	खारड़ा बांध	मरम्मत कर दी गयी है।
2.	सरदार संमद बांध	"
3.	गिरोलिया बांध	"
4.	नायद बांध	"
5.	मिन्वली बांध	"
6	सान्डो बांध	"
7.	बोमदड़ा पिक अपवियर	"
8.	बालियावास बांध	"
9.	जोगड़ावास बांध	"
10.	भूम्बलिया फटिया बांध	"

Page No 206

(२०५)

1	2	3
11.	मामावास बांध	मरम्मत कर दी गई है।
12.	बोरीनाडा बांध	,,
13.	टूटिया बांध	,,
14.	गोविन्दसागर बांध	,,
15.	लोनिया बांध	,,
	जिला जालौर	
1.	चितलवाना बांध	मरम्मत कर दी गयी है।
2.	रतनुपुरा बांध	,,
3.	गोमी खास बांध	,,
4.	गलीफा बांध	,,
5	पावटा भाटवास बांध	,,
6.	होनी गांव	,,
7.	टाम्पी बांध	,,
8.	सुराचन्द प्रथम बांध	,,
9.	पराचन्द्र द्वितीय बांध	,,
10.	मालासर बांध	,,
11.	बरणवा बांध	,,
12.	सुथली बांध	,,
13.	खूजडिवाली प्रथम बांध	,,
14.	खूजडियाली द्वितीय बांध	,,
15.	रिडका खास बांध	,,
16.	बडगांव केनाल	,,
17.	बाकली बांध व केनाल	,,
18.	नोसरा केनाल	,,
19.	बीठन केनाल	,,
20.	केरिया बांध	चितलवाना बांध के विस्तार में केरिया खास बांध को मिला दिये जाने के कारण, इस बांध की मरम्मत आवश्यक नहीं है।

1	2	3
21.	डाकरा बांध	बांध-स्थल पर अत्यधिक कटाव के कारण मरम्मत लाभप्रद नहीं है।
	जिला बाड़मेर	
1.	लाखोरिया क्रास बांध	मरम्मत कर दी गयी है।
2.	सिन्घरवा क्रास बांध	"
3.	मेकरना खड़ीन क्रास बांध	"
4.	सिनली क्रास बांध	"
5.	भीमरलाई क्रास बांध	"
6.	बेरिया क्रास बांध	"
7.	नाकोड़ा क्रास बांध	"
8.	तिलवाड़ा क्रास बांध	"
9.	मण्डली क्रास बांध	"
10.	मेली बांध व केनाल	"
11.	फुलन की भाखरी खड़ीन	"
12.	बालोतरा स्पर्श बांध	"
13.	बालोतरा टाउन मार्जिनल बांध	बांध स्थल पर अत्यधिक कटाव के कारण
14.	बांजरा बांध	मरम्मत लाभप्रद नहीं है।

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

माननीय मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रीगणों द्वारा राजकीय वायुयान से की गयी यात्रा का विवरण।

क्र. सं.	नाम मंत्री	यात्रा का दिनांक	यात्रा का स्थान	उड़ान का समय	खर्चा
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्यमंत्री महोदय	12- 3-82	जयपुर-देहली	01.00	7,600
2.	,,	13- 3-82	देहली-जयपुर	01.00	7,600
3.	,,	21- 3-82	जयपुर-देहली	01.00	7,600
4.	,,	22- 3-82	देहली-जयपुर	01.00	7,600
5.	,,	30- 3-82	जयपुर-देहली	01.05	8,233
6	,,	31- 3-82	देहली-जयपुर	01.00	7,600
7.	,,	9- 4-82	जयपुर-देहली	00.50	6,334
8.	,,	12- 4-82	देहली-जयपुर	01.00	7,600
9.	,,	14- 4-82	जयपुर-उदयपुर	01.10	8,866
10.	,,	14- 4-82	उदयपुर-जयपुर	01.05	8,233
11.	,,	15- 4-82	जयपुर-आगरा	00.50	6,334
12.	,,	16- 4-82	आगरा-जयपुर	01.00	7,600
13.	,,	16- 4-82	जयपुर-देहली	01.15	9,499

1	2	3	4		5	6
14.	मुख्य मंत्री महोदय	18– 4–82	देहली–जयपुर		01.05	8,233
15.	,,	23– 4–82	जयपुर–उदयपुर		01.15	9,499
16.	,,	23– 4–82	उदयपुर–जयपुर		01.05	8,233
17.	,,	24– 4–82	जयपुर–देहली		01.15	9,499
18.	,,	24– 4–82	देहली–जयपुर		01.00	7,600
19.	,,	29– 4–82	जयपुर–जोधपुर		01.15	9,499
20.	,,	30– 4–82	जोधपुर–जयपुर		01.10	8,866
21.	,,	19– 5–82	कोटा–उदयपुर		00.50	6,334
22.		19– 5–82	उदयपुर–जयपुर		01.05	8,233
23.		29– 5–82	जयपुर–देहली		01.00	7,600
24.	,,	29– 5–82	देहली–जयपुर		01.00	7,600
25.	,,	6– 6–82	जयपुर–देहली		01.00	7,600
26.	,,	7–10–82	जयपुर–जोधपुर		01.10	8,866
27.	,,	8–10–82	जोधपुर–जयपुर		01.00	7,600
				योग–	28.25	2,15,961
28.	श्री परसराम मदेरणा	12– 4–82	जयपुर–जोधपुर		01.15	9,499
29.	,,	13– 4–82	जोधपुर–जैसलमेर		00.50	6,334
30.	,,	13– 4–82	जैसलमेर–बाड़मेर		00.35	4,435
31.	,,	13– 4–82	बाड़मेर–जोधपुर		00.45	5,701

Page No 210

1	2	3	4		5	6
32.	,,	14- 4-82	जोधपुर-जयपुर		01.10	8,866
33.	,,	22- 6-82	जयपुर-जोधपुर		01.05	8,233
34.	श्री परसराम मदेरणा	23- 6-82	जोधपुर-जयपुर		01.05	8,233
35	,,	30- 9-82	जयपुर-जोधपुर		01.15	9,499
36.	,,	1-10-82	जोधपुर-जयपुर		01.00	7,600
				योग-	09.00	68,400
37	श्री छोगालाल कांवरिया	1- 6-82	जयपुर-जैसलमेर		01.45	13,301
38.	(भू०पू० चिकित्सा एवं	2- 6-82	जैसलमेर-उत्तरलाई		00.35	4,435
39	स्वास्थ्य मंत्री)	2- 6-82	उत्तरलाई-जयपुर		01.35	12,035
				योग-	03.55	29,771
40.	श्रीमती कमला	5- 7-82	जयपुर-कोटा		00.55	6,967
41	,,	5- 7-82	कोटा-जयपुर		00.50	6,334
				योग-	01.45	13,301
				कुल योग-	43.05	रु० 3,27,433
				अर्थात		रु० 3,27,000

परिशिष्ट 12

तारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूचना व विवरण

क्र०सं० पंचायत समिति का नाम	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई है ?	राशि
1. माण्डल	130	97500/-रु.
2. जहाजपुर	215	161250/-रु.
3. हुरड़ा	100	75000/-रु.
4. माण्डलगढ़	144	108000/-रु.
5. कोटड़ी	100	75000/-रु.
6. सहाड़ा	95	71250/-रु.
7. सुवाणा	81	60750/-रु.
8. आसिन्द	130	97500/-रु.
9. बनेड़ा	85	63750/-रु.
10. शाहपुरा	104	78000/-रु.
11. रायपुर	100	75000/-रु.
योगः–	1284	963000/-रु.

Page No 212

210

विवरण

1. पंचायत समिति माण्डल :—

12 व्यक्तियों को पक्के घर बनाने हेतु कर्ज दिया गया है। इस राशि से काम सामीर हुआ है जिसकी मौके पर जाकर जांच करली गई है।

2. पंचायत समिति सहाड़ा :—

44 व्यक्तियों को पक्के घर बनाने के लिए कर्ज स्वीकृत किया गया है सभी व्यक्तियों ने कार्य करवा लिया है एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर कार्य का अवलोकन किया है। कार्य सन्तोषप्रद रहा है।

3. पंचायत समिति जहाजपुर:—

पक्के घर बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं दिया गया है।

4. पंचायत समिति सुवाना :—

24 व्यक्तियों को पक्के घर बनाने के लिए कर्ज दिया गया। लगभग सभी व्यक्तियों ने काम पूर्ण कर लिया है।

5. पंचायत समिति हुरड़ा :—

35 व्यक्तियों को पक्के घर बनाने के लिए कर्ज दिया गया है एवं मौके पर जाकर काम की जांच करली गई है।

6. पंचायत समिति आसिन्द :—

14 व्यक्तियों को पक्के घर बनाने के लिए कर्ज दिया एवं मौके पर जाकर कार्य की जांच करली गई है।

7. पंचायत समिति माण्डलगढ़ :

17 व्यक्तियों को पक्के मकान बनाने के लिए कर्ज दिया एवं सभी ने मकान बना लिए हैं एवं मौके पर जांच कर ली गई है।

8. पंचायत समिति कोटड़ी :—

15 व्यक्तियों को पक्के मकान बनाने के लिए ऋण दिया गया एवं मौके पर जाकर जांच करली गई है।

9. पंचायत समिति शाहपुरा :—

16 व्यक्तियों को पक्के मकान बनाने के लिए कर्ज दिया गया एवं मौके पर जाकर कार्य की जांच करली गई है।

10. पंचायत समिति बनेड़ा :—

किसी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं दिया गया है।

11. पंचायत समिति रायपुर :—

15 व्यक्तियों को पक्के मकान बनाने के लिए कर्ज दिया गया एवं मौके पर जाकर जांच करली गई है।

परिशिष्ट 13

तारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूचना

विगत दो वर्षों (1981 व 1982) में अलवर जिले में घटित अपराधों की तालिका

क्र.सं.	जुर्म	पंजिबद्ध हुए अपराधों की संख्या	अन्वेषण पर			धारा (157वीं) के अन्तर्गत कार्यवाही	चालान	जेर तफ.	चोरी गई सम्पत्ति	बरामद हुई सम्पत्ति
			अदम पता	अदम सबूत	अदम वक.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	डकैती	17	8	–	–	–	4	5	3,38,175.00	1,77,200.00
2.	चोरी	1699	678	16	477	11	507	10	18,43,128.00	15,31,008.00
3.	नकबजनी	663	432	2	63	1	154	11	13,12,254.00	2,79,760.00

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची

क्र.सं	अभियोग नं. दिनांक जुर्म धारा	थाना	जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या	घटनास्थल जहां पर मृत्यु हुई	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	55 दि. 16-11-82 धारा 302/307/ता.हि.	कैलवाड़ा (कोटा)	3	केदारकुई	—
2.	259 दि. 23-12-82 धारा 304/120 बी/201 ता.हि. एवं 16/54 एक्साइज एक्ट	शाहपुरा (जयपुर)	9	मनोहरपुर	7
3.	260 दि. 23-12-82 धारा 304 ता.हि. एवं 16/54 एक्साइज एक्ट	,,	यह अभियोग भी उपरोक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज किया गया है।	निठारा	1

(213)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 310 की सूची

मुल्जिमों को स्वदेशी व पाकिस्तानी तस्करी के मामलों में वर्ष 81-82, 82-83 में पकड़े गये

क्र.सं.	तस्कर का नाम व पूरा पता	विशेष विवरण
1	2	3
	जिला बाड़मेर	
1.	हमीरा पुत्र मोती जोगी सा. अमरकोट, (पाकिस्तानी)	मु. नं. 28/82 धारा 14 फोरेनर्स एक्ट व 13 (2)
2.	होथो पुत्र पनल मुसलमान सा. (पाकि.)	फाएक्ट थाना बिजराड़ में कायम कर चालान किया।
	जिला जैसलमेर	
3.	ममरा सा. (पाकिस्तानी)	प्रमि. सं. 35/81 धारा 14 फोरेनर्स, 110 कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई।
4.	दीनिया सा. (पाकिस्तानी)	प्र. भि. सं. 4/82 धारा 379,411 ता. हि. 110 कस्टम एक्ट, 13/14 फोरेनर्स एक्ट में मुकदमा कायम कर चालान किया।
5.	गवरअली सा (पाकिस्तानी)	13/14 फोरेनर्स एक्ट, 110 कस्टम एक्ट में मुकदमा कायम किया व चालान किया।
1.	रहीम पुत्र शेरखान मुस. सा. सरूपकातला, बाड़मेर (स्वदेशी)	धारा 110 कस्टम एक्ट 102 जा. फौ. में कार्यवाही की गयी।
2.	भगवान्या जाट सा. सोमला	,, ,,
3.	मीरा पुत्र इस्माईल मु. सा. कन्नेकी बेरी	,, ,,
4.	नवरतन सिंह पुत्र तेजमल राजपूत, सा. मारुडी	,, ,,
5.	सुमार मुस. सा. सिवणीदार	,, ,,
6.	स्वरूपसिंह पुत्र अमलसिंह सा. बावड़ी	,, ,,

Page No 216

(216)

1	2		3
7.	हमीरा पुत्र केसा मेघवाल सा जालूकी (स्वदेशी) बावड़ी	,,	धारा 110 कस्टम एक्ट 102 जा. फौ. में कार्यवाही की गई।
8.	इस्माईल पुत्र अदरीम मुस. सा. रहमान कागफन	,,	,,
9.	अम्म पुत्र कर्यमअली मुस.	,,	,,
10.	आमीन पुत्र सोटा मुस. सा. स्वरूपक तला	,,	,,
11.	जाला पुत्र मीका जाट सा. सारला	,,	,,
12	बाबला पुत्र धर्माराम वजीर सा. धारमीण, थाना सखाला जालौर	,,	,,
13.	बजादीन पुत्र मियाजल मुस. सा. बीजासर	,,	,,
14.	हेमा पुत्र माला सुथार सा. भुवार	,,	,,
15.	मीरा पुत्र अजजद मुस. सा. रहमान कागफन	,,	,,
16.	नरसिंह पुत्र गैमरसिंह राज. सा. भूरगी की ढाणी	,,	,,
17.	कयरा पुत्र महासिगा मेघवाल सा. चौहटम	,,	,,
18.	सद्दीक पुत्र हाजी पीनज मुस. सा. सालारिया	,,	,,
19.	ओमप्रकाश पुत्र हरिराम सेवक सा	,,	,,
20.	रामदान पुत्र मेगाराम जाट सा. अरटा, बाड़मेर	,,	,,
21.	हेमा पुत्र पुरखा जाट, सा. बीजराड	,,	,,
22.	सिमरथा पुत्र फेजू मुस.	,,	,,
23.	आई पुत्र अलीगा मुसलमान	,,	,,
24	प्रहलाद पुत्र भंवरा मेघवाल सा. जैसीन्दर	,,	,,
25.	खेमराज पुत्र धर्मदास महेश्वरी सा. डेढसर	,,	,,
26.	हैजम पुत्र बलम मुस. सा. तलबकापार	,,	,,
27.	हाजी पुत्र होपु मुस. सा. पीरे का पार	,,	,,
28.	भंवरा पुत्र अजीबा गवारिया सा.	,,	,,
29.	करीमखां मुस. सा. बिसासर	,,	,,

Page No 217

215

(1)	(2)	(3)	
30.	नेमीचन्द पुत्र जेठमल महाजन सा. देवडा	(स्वदेशी) धारा 110 कस्टम एक्ट 102 जा. फौ. में कार्यवाही की गई	
31.	जमाल पुत्र सफी मुस. सा. खुडाल	,,	,,
32.	आरब पुत्र डीनूखां मुस. सा. खुडाल	,,	,,
33.	अलीचा पुत्र अर्स मुस. सा. आलमसर	,,	,,
34.	लिछमन पुत्र सुखतल सुमना जाट सा. रतासर	,,	,,
35.	गिरधारी पुत्र वादरा मेघवाल सा. सावा	,,	,,
36.	अनवर पुत्र सद्दीक सा. फिटकारिया	,,	,,
37.	मानसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत सा. कैलनोर हाल लिडियासर	,,	,,
38.	देरा पुत्र रुकमणा जाट सा. रतनपुरा	,,	,,
39.	लालू पुत्र लालेखां मुस. सा. जाडोला	,,	,,
40.	रावता पुत्र काना मेघवाल सा. बीजासर	,,	,,
41.	नसीर पुत्र अमर मुस. सा. बीजासर	,,	,,
42.	कुर्बान पुत्र अमाअली मुस. सा. बीजासर	,,	,,
43.	बच्चू पुत्र हरीस मुस. सा. खोखा (जालोर)	,,	,,
44.	चेना पुत्र मूला जाट सा. बाघा	,,	,,
45.	सरादीन पुत्र हाजी महेन्दा मुस. सा. चांदी का पार	,,	,,
46.	इस्माल पुत्र हाजी महन्दा मुस. सा. चांदी का पार	,,	,,
47.	मोहब पुत्र अरबाब सा. सज्जन का पार	,,	,,
48.	मोतीलाल पुत्र मौजमल महेश्वरी सा. सज्जन का पार	,,	,,
49.	लखसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत सा. तामलेर	,,	,,
50.	शेरखा पुत्र मलूल मुस. सा. कोनरा	,,	,,
51.	हासिया मुस. सा. जाने की बेरी	,,	,,
52.	मोहम्मद पुत्र अब्दुल मुस. सा. देतीणी	,,	,,
53.	अरबाब पुत्र अमर मुस. सा. भासमेर	,,	,,

(1)	(2)	(3)
54.	हाजी सादमु पुत्र सालखां स० सा० (स्वदेशी) दुधिया	110 कस्टम एक्ट, 102अा. फो. कार्यवाही में की गयी ।
55.	मुसा मुस० सा० दुधिया ,,	,,
56.	सकिया पुत्र घोधा मुस० सा० कुरमड ,,	,,
57.	हाजी रुखन पुत्र मोचार मुस० सा० सेलाउ ,,	,,
58.	मीरा पुत्र इस्माइल मुस० सा० बनेकी बेरी ,,	,,
59.	हेमसिंह पुत्र खेमसिंह राजपूत सा० अके का पार ,,	,,
60.	सीता आचार मुस० सा० गरडिया ,,	,,
61.	ऐलियास फीदर मुस० सा० साबूआणी ,,	,,
62.	हासिया मुस० सा० जाने की बेरी ,,	,,
63	गोबरसिंह पुत्र हरिसिंह सोढ़ा सा० खिसाला ,,	,,
64.	शेरखां पुत्र हुसैन खां मुस० सा० कुकड ,,	,,
65.	लालखां पुत्र तोडखां मुस० सा. बागावास ,,	,,
66.	काला पुत्र अहमद मुस० सा० इटादो ,,	,,
67.	तेरब पुत्र कालू मुस० सा० साजय ,,	,,
68.	ऐरिया पुत्र आचार मुस० सा० गरडिया ,,	,,
69.	दोनु पुत्र अली मुस० सा० आडेल ,,	,,
70.	राणा पुत्र सोमा भील सा० मते का तला ,,	,,
71.	हुकमसिंह पुत्र भरतसिंह राजपूत सा०. चौहटन ,,	,,
72.	रहमत पुत्र हबीब मुस० सा० माणक की ढाणी ,,	,,
73.	सादी पुत्र सेहदा मुस० सा० लाखेराली ,,	,,
74.	मक्खन पुत्र लाला मुस० सा० फलसूण्ड ,,	,,
75.	मुखराज सोनी सा० इयदा ,,	,,

जैसलमेर के तस्करों की सूची

क्र. सं.	तस्कर का नाम व पूरा पता		विशेष विवरण
1	2		3
1.	शेरखां सा. चौधरिया, स्वदेशी		मु. नं. 110 कस्टम एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।
2.	सहदेव	,,	,,
3.	रमनलाल	,,	,,
4.	अमरदीन	,,	,,
5.	खब्बू	,,	सी. आर नं. 4/82, 379, 411 ता. हि. में चालान किया गया।
6.	इस्माइल	,,	,,
7.	अली	,,	,,
8.	बागा	,,	,,
9.	पूजा सा. बांधा	,,	सी. आर. नं. 14/81, 14 (2) एफ एक्ट, 110 कस्टम एक्ट में चालान किया गया।
10.	ठाकरा भील सा. बांधा	,,	,,
11.	बचाया सा. कुछड़ी	,,	सी. आर. नं. 19/81, 110 कस्टम एक्ट, 3/79 पी पी एक्ट में चालान किया गया।
12.	कासम सा. कुछड़ी	,,	,,
13.	सानुराम मेघवाल	,,	110 कस्टम एक्ट में कार्यवाही की गयी।
14.	दुमाजु	,,	सी. आर. नं. 4/82 धारा 379, 411 ता. हि. 110 कस्टम एक्ट में चालान किया गया।

(220)

1	2		3
15.	महेन्द्र	स्वदेशी	सी आर नं. 4/82 धारा 379,411 ता. हि. 110 कस्टम एक्ट में चालान किया गया।
16.	हनीफ	,,	,,
17.	कादर	,,	,,
18.	बगडूराम सा. धोलिया	,,	110 कस्टम एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।
19.	मेहरदीन सा. बाप	,,	,,
20.	भगवानाराम सा. गिनार	,,	,,
21.	नवरतमल सा. जैसलमेर	,,	,,
22.	मोहनलाल	,,	,,
23.	चनिया	,,	,,
24.	अलायना सा. फलोदी	,,	,,
25.	अलावक्स	,,	,,
26.	रामानन्द बिश्नोई	,,	,,

219

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची

नागौर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किये गये अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण की वर्षवार सूची :-

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	वर्ष
1.	डीडवाना	1970
2.	मेड़ता	1972
3.	डेगाना	1973
4	परबतसर	1973
5.	कुचामन	1974
6.	मूण्डवा	1974
7.	नागौर	1974
8.	जायल	1977
9.	लाडनूं	1977
10.	मकराणा	1977
11.	रियां	1977

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 318 का विवरण

बाड़मेर जिले के बाड़मेर डिविजन के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण :-

क.सं.	पद का नाम	रिक्त पद	दिनांक से
1.	कार्यालय सहायक	1	5-9-80
2.	कनिष्ठ लेखाकार	5	5-2-81 से एक, खण्ड सृजन से चार
3.	भण्डार पाल	1	7-10-78
4.	वरिष्ठ लिपिक	3	खण्ड सृजन से एक, 79-80-दो
5.	कनिष्ठ लिपिक	2	23-9-81
6.	कनिष्ठ प्रारूपकार	1	8-9-79
7.	संगणक	1	2/82
8.	कनिष्ठ अभियन्ता	5	12/82
9.	फोरमैन-II	2	1 पद 6/81 1 पद 6/82
10.	पम्प चालक-III	2	1 पद 6/81 1 पद 4/82
11.	पम्प चालक-III	7	1/82
12.	विद्युतकार	1	1-1-73
13.	सहायक	6	4/82
14.	क्लीनर	1	4/79
15.	पम्प चालक-द्वितीय	12	1-3-82
16.	पम्प चालक-तृतीय	12	1-3-82
17.	फीटर-प्रथम	1	1-3-82
18.	फीटर-द्वितीय	18	1-3-82
19.	हेल्पर-प्रथम	1	1-3-82
20.	विद्युतकार द्वितीय	2	31-3-80
21.	वाचमैन/की मैन	6	31-3-80
22.	ऊंट सवार	7	31-3-80
23.	वाहन चालक	2	31-3-80

221

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

वर्ष 82–83 में जिला बांसवाड़ा में प्रस्तावित हैण्ड पम्पों की सूची

सिरियल नं.	क०सं०	गांव का नाम	कोडनं०	कुल जन-संख्या
1	2	3	4	5
तहसील — घाटोल				
1	1	आमली खेड़ा	248	133
2	2	गड़लिया	80	288
3	3	बकतपुरा	224	53
4	4	बावड़ी	253	371
5	5	बरड़ी खेड़ा	309	368
6	6	भीमा का खेड़ा	205	24
7	7	भीमजोर	88	293
8	8	भोजल	240	64
9	9	बिलड़िया	258	159
10	10	बोरी	239	303
11	11	बुली	234	33
12	12	दांता	201	208
13	13	गणेशपुरा	266	102
14	14	मोटा मगरी	218	15
15	15	हमीरगढ़	101	69
16	16	हूरबर रिमोसा	241	98
17	17	हड़मतिया	104	6
18	18	हिमोतों का भे	215	25
19	19	सामली	314	555
20	20	पराली	243	209
21	21	काइयों का खेड़ा	64	118
22	22	करमोड़ा	252	245

1	2	3	4	5
23	23	करवी	250	111
24	24	कुटारों भैं	230	135
25	25	खड़ीयावानी	307	277
26	26	खाखरी खेड़ा	232	19
27	27	खेरवेड़ा	308	159
28	28	कांफा की नाल	196	47
29	29	कुण्डल हिमोता	229	62
30	30	कुनी का आरा	103	31
31	31	कुशाली तलाब	156	58
32	32	लिमोदा	246	399
33	33	लोड़	98	50
34	34	माण्ड़ली	303	246
35	35	महुवाल	244	479
36	36	माण्ड़वी	300	381
37	37	माता का बड़ा	225	53
38	38	भऊ	316	144
39	39	बलदा	262	30
40	40	नरा का खेड़ा	208	118
41	41	पिपलदा	310	398
42	42	पटरा	25	49
43	43	रागपुर	301	200
44	44	रेगनिया	14	121
45	45	रेला	212	9
46	46	रोहनिया	302	603
47	47	सालिया	298	146
48	48	सावा का वारड़ा	129	522
49	49	सिदड़ी महुड़ी वी एस बी	237	38
50	50	सिदड़ी महुड़ी (वी)	238	109
51	51	ठेवला	264	249
52	52	ठोकरिया	233	157
53	53	उंडा लोरा	288	5
तहसील —गढ़ी				
54	1	अड़ाई	112	1

223

1	2	3	4	5
55	2	अडोर	89	2099
56	3	भगतपुरा	123	104
57	4	घाजी	116	38
58	5	फिराना ढाणी	73	44
59	6	कुगा	167	289
60	7	कुंवाड़िया	166	356
61	8	माखिया खुर्द	50	45
62	9	मलाना	107	675
63	10	नवागांव	139	151
64	11	मोड़ा	46	405
65	12	पनासी बड़ी	91	174
66	13	उम्बाड़ा	29	795

तहसील-बांसवाड़ा

1	2	3	4	5
67	1	अमरगुन	137	96
68	2	अम्बावजा	162	81
69	3	अमरपुरा	220	288
70	4	बागपुरा	181	156
71	5	बागड़ा	33	216
72	6	बाग तलाव	173	167
73	7	बाक	123	93
74	8	बाड़ी छायन	149	272
75	9	बरोड़ा	215	132
76	10	बिलाडयां	127	346
77	11	भोगीडोरा	158	155
78	12	भरतलिया	299	188
79	13	भातीया	190	94
80	14	भवान	273	28
81	15	भीमगढ़	52	238
82	16	भोजिया	259	84
83	17	भोजिया कला	249	183
84	18	बिलाबों	49	134
85	19	बोदला	102	613

1	2	3	4	5
86	20	बोरखेड़ा	204	130
87	21	बाचा कोटा	51	921
88	22	चादा डूंगरी	315	105
89	23	छानी महुडी	277	11
90	24	छापरिया	129	124
91	25	छोटी छायन	160	20
92	26	छोटी माला	120	211
93	27	चिताब	199	102
94	28	डामर वांसा	235	83
95	29	दौलतपुरा	148	96
96	30	डेडकिया	167	
97	31	धावण दरा	306	82
98	32	फतेहपुरा	256	44
99	33	गागरवा	41	472
100	34	गामदा	258	658
101	35	गोपालपुरी	178	149
102	36	गोडी	42	494
103	37	गोट का महुड़ा	169	105
104	38	हरनाथपुरा	163	220
105	39	हाटखेड़ा	57	122
106	40	हिम्मतपुरा	314	57
107	41	जगपुरा	212	203
108	42	जीवा का पारड़ा	122	62
109	43	जेत	311	235
110	44	झरमलिया	37	138
111	45	झालियापाल	172	12
112	46	झुवा	180	70
113	47	जोड़मीया	145	57
114	48	कंटवाली	151	245
115	49	कांकण सेजा	54	711
116	50	कागवा	159	68
117	51	कानपुरी	45	199
118	52	करंछी	166	179
119	53	केलवानी	144	62

1	2	3	4	5
120	54	खालदा	35	266
121	55	खानपुरा	139	338
122	56	खरवाली	231	150
123	57	खेरड़ी	34	145
124	58	खेड़ी कचरिया	322	105
125	59	खटडिया	176	254
126	60	कोकापाड़ा	197	91
127	61	कुलर खेड़ी	213	528
128	62	कुण्डली पाड़ा	179	74
129	63	कुबाबारी	39	516
130	64	लालुपाड़ा	211	80
131	65	लोनखोरां	160	13
132	66	महुड़ी खेड़ा	175	155
133	67	महुड़ी पाड़ा	125	133
134	68	मानपुरा	221	77
135	69	मारा	200	164
136	70	मरगली	177	68
137	71	माता मुला	40	533
138	72	मेदीया डीडोर	265	176
139	73	मेदिया महुड़ा	263	50
140	74	मोकमपुरा	165	65
141	75	मुलियो	135	508
142	76	मुनदीपाड़ा	126	212
143	77	नामाखाली	133	127
144	78	नंलदा	266	649
145	79	नाथपुरा	321	488
146	80	नवाखेड़ा	157	180
147	81	नेगड़िया	154	79
148	82	पाड़ा	32	204
149	83	पागड़ी	223	48
150	84	पांबल बासा	118	686
151	85	रामगड़	31	280
152	86	रामगढ़	301	364
153	87	रतनपुरा गसिया	276	31

1	2	3	4	5
154	88	रेन	195	200
155	89	रेटिया	150	74
156	90	रुजड़ीपाड़ा	185	131
157	91	संकरवट	302	268
158	92	सगेसरी	307	102
159	93	सरसी खेड़ा	155	52
160	94	सांतरूड़िया	156	47
161	95	सेमलिया	203	622
162	96	सेमलाबोरा	317	179
163	97	सियारी	36	87
164	98	सूरजपुरा	152	137
165	99	सूरजपाड़ा	251	54
166	100	सुरवानिया	292	161
167	101	तलाब	198	256
168	102	टामटीया	186	101
169	103	ठोकरीया	46	350
170	104	उबापान	141	151
171	105	उमरीपाड़ा	174	174
172	106	वाड़ा	146	209
तहसील—बागीदौरा				
173	1	आमला	102	274
174	2	बागदौरा	155	105
175	3	बन्ड़ा	2	779
176	4	बावड़ी दुदा	137	218
177	5	भमरिया	60	346
178	6	भवानपुरा	23	150
179	7	भुरा टेम्बा बड़ा	153	256
180	8	भुरा टेम्बा छोटा	154	177
181	9	भुरासेर	237	302
182	10	भलेर डामर	143	276
183	11	बोरा खान्डी	113	142
184	12	बोर खन्डी	232	325
185	13	बोर भाटोंड़	32	20

229

1	2	3	4	5
186	14	चिता थला	258	159
187	15	छायना	20	259
188	16	चोरड़ी	82	1007
189	17	डागल	188	198
190	18	दलपुरा	139	173
191	19	डिकोर	94	395
192	20	डूंगरी	219	59
193	21	गमीरपुरा हमीरा	78	159
194	22	गड़ली	234	827
195	23	हड़मतिया	243	130
196	24	हाथियापुर	26	7
197	25	जलदा	119	661
198	26	कटारों का तालाव	70	192
199	27	खरोड़ी	228	34
200	28	खटवा	104	391
201	29	खुटा नगारात	144	269
202	30	खुंटा चंदाना	90	143
203	31	खुंटादल जोमाधा	246	120
204	32	खुंटा फारकी	13	168
205	33	खुंटा झाल मिया	186	175
206	34	कुवां	7	128
207	35	कुण्डाला	238	34
208	36	कुपड़ा	221	61
209	37	कुपड़ी	227	128
210	38	महुड़ी खुंटा	44	71
211	39	मेंहदी खेड़ा	259	113
212	40	नारायनीया	14	60
213	41	नरमाली	138	332
214	42	पीपलाईजोगड़ा	223	183
215	43	पछीयावाड़ा	21	255
216	44	रायपुरा	223	199
217	45	रानीतलाई	22	16
218	46	रातापान	111	139

1	2	3	4	5
219	47	कुआखेड़ा	162	55
220	48	तलावडी उर्फ रतनपुरा	18	46
221	49	बेडी	66	31
222	50	उदयपुर छोटा	72	108
तहसील–कुशलगढ़				
223	1	बरखीपाडा	190	350
224	2	बालदिया	87	110
225	3	बावली पाडी	141	202
226	4	बेडा उथलियां	46	312
227	5	बिलीपाड़ा	254	365
228	6	भमडी	77	79
229	7	भाड़ालिया	194	44
230	8	भवानी की टोड़ी	357	24
231	9	भवरदा	349	216
232	10	भोजलपुर	221	216
233	11	भोरिया	238	133
234	12	भोरखेडी	186	249
235	13	घेराकला	330	315
236	14	चितिड़खलसा	136	56
237	15	चनाखांन	73	39
238	16	चोरवड़ा	375	281
239	17	चलीपाड़ा	241	261
240	18	ढोलकानवी	373	264
241	19	गलवानी	310	165
242	20	गणेशपुरा	49	39
243	21	गोरेवाडा	322	189
244	22	गोकलपाड़ा	387	202
245	23	गोरणबाठड़ा	274	172
246	24	गुवाड़ी	276	152
247	25	हूल्दपाड़ा	364	297
248	26	हमीरपुरा	201	113
249	27	हुरकापाड़ा	234	131
250	28	हिण्डोलियां	306	165

229

1	2	3	4	5
251	29	जालमपुरा	151	635
252	30	जसपुरा	92	11
253	31	जापामहुजी	258	72
254	32	जोगडीमाता	76	20
255	33	जोड़	260	144
256	34	कब्बा की छायन	339	108
257	35	कुदवालीकला	385	145
258	36	ककुदवाली खुर्द	384	66
259	37	काजलगाड़ा	204	46
260	38	कांकनिया	210	342
261	39	कांकराडगरी	185	4
262	40	काला खेत	228	217
263	41	खाण्डीडेरी	79	9
264	42	खाखरीया	344	220
265	43	खेडा	178	113
266	44	खुटा	217	173
267	45	खटाचतरा	58	298
268	46	खटारत्ना	57	102
269	47	कोटडा	111	143
270	48	कोटडी	343	148
271	49	कुराली पाडा	158	249
272	50	लाडेला	75	34
273	51	मईया वठ	34	216
274	52	माटी मीटा	30	180
275	53	मारखेमजी	53	32
276	54	मतवाला बावरा	386	43
277	55	मिर्च घाटी	286	138
278	56	नमोलन	71	48
279	57	मोरजरी	377	348
280	58	मुनिया का खुटा	324	918
281	59	नलवाई	359	215
282				
283	60	नाथुपुरा	284	58

1	2	3	4	5
284	61	ओड़वा	351	50
285	62	पाड़ला बड़किया	78	151
286	63	पड़थाल लजा	147	132
287	64	पेरनीयादेन	281	126
288	65	फुलपुरी	236	34
289	66	पाटलिया	213	386
290	67	रतनमाल	225	92
291	68	रूपगढ़	160	205
292	69	सानीडूंगरी	68	70
293	70	सारन	206	739
294	71	सारेल	269	79
295	72	सरोना	389	267
296	73	सरकोटा	282	156
297	74	सगीसागड़ा	279	90
298	75	सेमलावाड़ी	394	59
299	76	शंभुपुरा	59	115
300	77	शिकारबाड़ी	231	21
301	78	शिमला कुण्डी	378	51
302	79	सोडलिया	227	95
303	80	सुलियां	341	235
304	81	सुन्दरीपाड़ा	347	194
305	82	सुरजकुण्ड	224	122
306	83	सुनारिया	98	123
307	84	तलाईमाड़ा	202	119
308	85	तलाईपाड़ा	249	95
309	86	तलेटी	272	70
310	87	बन्डीखुर्द	246	249
311	88	भेड़ी	316	174
312	89	टांडी	115	46
313	90	उदयगढ़वाला खेत	230	127
314	91	उदयगढ़ भिसनावस	268	35
315	92	मरझोंका	222	131
316	93	खजुरा	256	481

231

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

सिंचाई विभाग द्वारा टोंक जिले में नई योजनाओं के सर्वेक्षण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	अनुमानित सिंचाई क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	ठिकरिया	53.00	453 हैक्टेयर	आंकलन तैयार कर लिया गया है एवं स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
2.	रूपवास	20.00	170 हैक्टेयर	सर्वेपूर्ण कर लिया गया है। आकलन एवं लाभ लागत अनुपात तैयार किये जा रहे है।
3.	मोटूंडा	36.50	240 हैक्टेयर	सर्वे पूर्ण कर लिया गया हैं। आंकलन एवं लाभ लागत अनुपात तैयार किये जा रहे हैं।
4.	कुमारिया	45.00	310 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
5.	भानुपुरा	30.00	260 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
6.	आकोडिया	15.00	94 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
7.	तुर्किया	8.00	20 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
8.	सरदारपुरा	20.00	48 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
9.	बिसलपुर	9160.00	60,000 हैक्टेयर	योजना स्वीकृति हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित है।
10.	ईसरदा	—	—	सर्वे कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न-संख्या 321 की सूची

सांचोर क्षेत्र में राहत कार्यों में बने अधूरे बांधों की सूची

1. डूगवा प्रथम क्लास बांध
2. धींगपुरा बांध
3. कपूरीया क्लास बांध
4. साकेरिया क्लास बांध
5. बोमल क्लास बांध
6. टेड़ोल क्लास बांध — गांव वाले बनाना नहीं चाहते है, इसलिए नहीं बनाया जा रहा है।

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 323 की सूचियां

उदयपुर जिले में गोगुन्दा/कोटड़ा तहसील में माह जनवरी, 83 तक विभिन्न गांवों में स्थापित किये गये हैण्ड पम्पों की सूचना

क्र.सं.	गांव का नाम।	कोड नं.	स्थापित हैण्ड पम्पों की सं.
1	2	3	4
1	भानपुरा	4	5
2	जसवन्तगढ़	92	4
3	तरपाल	68	4
4	सामेर	24	3
5	बड़गांव	42	1
6	बाटेरी	18	2
7	बोरावाली मादड़ी	28	1
8	भादवो गुड़ा	148	2
9	बाटिया खेड़ी	104	3
10	देवरे का खेड़ा	124	3
11	घाटा	119	3
12	डुम्बर	149	3
13	भाडोली	83	3
14	ओरमा	6	2
15	आंसियों की भागल	95	2
16	बाखदी	109	2
17	माधा	1	2
18	माहुरों का गुड़ा	71	2
19	भोमाखियों की मादड़ी	85	2
20	उमरना	25	2
21	उमीद	44	1
22	ढोल	43	2

1	2	3	4
23	रावच	56	1
24	रावलिया खुर्द	82	4
25	बागड़	3	3
26	ब्राह्मणों का कलवाणा	12	4
27	डोडिया	108	5
28	धिकोरा	5	5
29	डियान	14	2
30	भीलों का कलवाणा	11	3
31	कछवाह्	118	5
32	काम्बा	2	2
33	मेजावाड़ी	107	5
34	ओबरा कला	98	3
35	मोड़ी	101	6
36	ओबरा खुर्द	97	4
37	पालडिया	62	2
38	पेनर	39	2
39	पुनावली	60	4
40	रेयाना	117	4
41	सेन्थाल	99	3
42	सिगारा	7	3
43	वानी	100	3
44	उन्डीथल	128	3
45	बोकड़ा	8	5
46	जोगियों का गुड़ा	142	2
47	डिगरी	74	2
48	भजावद	136	4
49	अजयपुरा	110	1
50	अबानी	77	1
51	बड़न्दीया	134	1
52	सेमल	46	2
53	बडवाड़ा	34	3
54	भाद मादड़ा	86	2
55	बिसमा	48	1
56	गुडाली	30	3

235

1	2	3	4
57	मावा	133	4
58	माजम	141	3
59	मोखल	125	4
60	मोकी	120	1
61	सादड़ा	33	4
62	सुरान	111	2
63	चारबोरी	145	1
64	मोरखा	123	3
65	सुरजगढ़	126	2
66	जीराई	139	1
67	करदा	32	4
68	ढूंढा	35	1
69	गागाफल	19	1
70	जेमली	20	2
71	सुदावतों का गुडा	63	1
72	मवारड़ा	147	4
73	बायरा	9	4

कुल योग:—199 हैण्ड पम्प

तहसील कोटड़ा

1	वेकरिया	56	1
2	लोहारखा	57	2
3	मेर	167	4
4	सामोली	147	1

कुल योग 8 हैण्ड पम्प

Page No 238

(२३८)

वर्ष 1981–82 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	हैण्ड पम्पों की सं.
1	2	3	4	5
1	अवानी	77	गोगुन्दा	2
2	बड़ दिया	134	,,	2
3	बागदा	76	,,	2
4	बागुन्दा	140	,,	7
5	भारोड़ी	139	,,	3
6	छानी	130	,,	4
7	छिपाला	78	,,	4
8	चोर बावड़ी	145	,,	2
9	डूंडी	35	,,	3
10	डिगरी	74	,,	2
11	हान्यला	50	,,	2
12	जिराई	135	,,	2
13	जोलावास	137	,,	2
14	कांजी का गुड़ा	21	,,	2
15	खाखरों का गुड़ा	37	,,	2
16	कुरलाउ	135	,,	2
17	मदार	22	,,	2
18	मलारिया कला	131	,,	2
19	ओरन का गुड़ा	75	,,	2
20	पालन	55	,,	2
21	गोगड़ा	29	,,	5
22	सिवरिया	113	,,	3
23	सूरन	111	,,	2
24	उन्दरी	114	,,	2
25	अम्बादे	268	कोटड़ा	2
26	अम्बावा	80	,,	2
27	बागावत	230	,,	2
28	बालीवारनी	272	,,	2
29	बयाना	93	,,	2
30	बैरागढ़	297	,,	1

1	2	3	4	5
31	मियाता	192	कोटड़ा	2
32	भूतवर	12	,,	2
33	चम्पा की नाल	1	,,	2
34	छापर	184	,,	2
35	धानोदर	205	,,	1
36	विमारिया	241	,,	2
37	दोत्तर	295	,,	2
38	डूंगरिया	248	,,	2
39	छती गुहा	152	,,	2
40	जोगीवर	221	,,	6
41	काला खेतर	190	,,	2
42	कोरा	134	,,	2
43	कलथदा	99	,,	3
44	खानवा	170	,,	2
45	खेड़ा	107	,,	1
46	लेखरा	293	,,	1
47	खुना	150	,,	2
48	कयारा	151	,,	2
49	लबक	270	,,	2
50	मालवीया	130	,,	2
51	मेही	283	,,	2
52	मेरपुर	131	,,	2
53	मेवाड़ों का मठ	9	,,	4
54	मोर छूछा	290	,,	2
55	नाकोला	286	,,	1
56	नाल	262	,,	2
57	पालसा	51	,,	2
58	पालेसर	216	,,	2
59	पडावली खुर्द	93	,,	2
60	पायर पारी	246	,,	3
61	राजपुर	271	,,	2
62	राशेषजी	20	,,	2
63	सडिया खुणा	189	,,	2
64	सलरीया	13	,,	1

1	2	3	4	6
65	सामोली	147	कोटड़ा	2
66	सेमला फला	43	,,	2
67	सोन्दारमा	233	,,	2
68	तालाव	258	,,	1
69	तीलोई	132	,,	3
70	तोरणा	154	,,	2
71	कखालियत	22	,,	2
72	ऊमरी पादर	202	,,	2
73	उपलाबास	26	,,	2
74	ऊपरी सुबरी	237	,,	3
75	वास	188	,,	3

(239)

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 324 का विवरण

पेयजल योजनाओं से लाभान्वित/ निर्माणाधीन/स्वीकृत गांवों की सूची:—

क्र.स.	गांव का नाम	कोड नं.	विवरण
1	2	3	4
1	7 एस	21	पेयजल योजनाओं से लाभान्वित
2	8 एस	22	,,
3	1 बीस	45	,,
4	2 बीए	48	,,
5	19 एफ	58	,,
6	20 एफ	96	,,
7	9 एस बी	5	,,
8	10 एच	11	,,
9	12 एच	16	,,
10	11 एच	17	,,
11	4 एस	19	,,
12	20 एच	44	,,
13	18 एच	49	,,
14	16/17 एच	50	,,
15	13 एच	51	,,
16	12 एफ (मिर्जावाला)	97	,,
17	9 एच	1	,,
18	5 एच	6	,,
19	2 सी	29	,,
20	1 सी	34	,,
21	1 एच	54	,,
22	9 पी	83	,,
23	7 एफ	85	,,
24	5 बी छोटी	119	,,
25	3 बी छोटी	136	,,
26	9 जैड	137	,,

1	2	3	4
27	3 जैड	142	पेयजल योजनाओं से लाभान्वित
28	12 जैड	162	
29	13 जैड	163	,,
30	16 जैड	165	,,
31	18 जैड	166	,,
32	19 जैड	168	,,
33	23 जैड	170	,,
34	20 जैड	175	,,
35	17 जैड	176	,,
36	15 जैड	177	,,
37	2 पी (गोहिड़ावाली)	56	,,
38	15 एफ-1 (पटीलीराठान)	125	,,
39	8 एच	2	,,
40	7 डी	10	,,
41	9 क्यू	64	,,
42	10 एफ	90	,,
43	14 क्यू	93	,,
44	1 जैड	115	,,
45	3 सी	133	,,
46	3 एफ	172	,,
47	8 ए छोटी	179	,,
48	3 एफ	183	,,
49	12 जी	214	,,
50	7 जी छोटी	221	,,
51	5 जी छोटी	224	,,
52	6 वाई	82	,,
53	11 वाई	86	,,
54	13 क्यू	94	,,
55	7 जेड	138	,,
56	3 ई छोटी	158	,,
57	4 एच छोटा	208	,,
58	3 डी	42	,,
59	500 एल एन पी	45	,,

रघु।

1	2	3	4
60	8 क्यू	61	पेयजल योजनाओं से लाभान्वित
61	5 वाई	104	
62	1 वाई	106	,,
63	3 के	120	,,
64	6 ए छोटी	180	,,
65	9 ए छोटी	205	,,
66	6 वा (बनूर)	36	निर्माणाधीन योजनायें
67	2 एम	99	,,
68	7 बी (सलावलपुर)	14	,,
69	2 बी (कोठा)	22	,,
70	4 पी (पक्का)	26	,,
71	4 सी (मोडकी)	33	,,
72	1 एफ (फतुही)	49	,,
73	2 एफ (खाटा)	50	,,
74	3 क्यू (दौलतपुरा)	60	,,
75	5 पी (कोनी)	70	,,
76	3 जी (कालिया)-	77	,,
77	8 वाई (मोहनपुरा)	102	,,
78	1 डी (साधुवाली)	107	,,
79	30 जीजी (चूनावढ)	259	,,
80	31 जीजी (ततारसर)	261	,,
81	4 एचएच (मैयावाली)	275	,,
82	3 यू (फरीदसर)	63	स्वीकृत योजनायें
83	2 एक्स	27	,,
84	2 टी	55	,,
85	3 आर	15	,,
86	1 एक्स	26	,,
87	28 एच	33	,,
88	4 एक्स	34	,,
89	3 एक्स	35	,,
90	7 बी	37	,,
91	26 एच	38	,,
92	8 बी	39	,,

1	2	3	4
93	4 बी	41	स्वीकृत योजनाए
94	3 बी	42	,,
95	14 एच	52	,,
96	3 टी	57	,,
97	19 एच	64	,,
98	5 डी	30	,,
99	18 एफ	128	,,
100	11 जी छोटी	215	,,
101	18 जी जी छोटी	228	,,
102	3 एनएच	241	,,
103	2 एलएल	243	,,
104	21 जी.जी. छोटी	245	,,
105	28 जी.जी.	252	,,
106	7 सी-I	13	,,
107	3 ए	15	,,
108	1 ए	17	,,
109	2 ए	18	,,
110	3 सी	30	,,
111	2 डी	43	,,
112	4 जी	78	,,
113	मम्दा रकबा गजवाल	79	,,
114	11 क्यू	91	,,
115	12 क्यू	92	,,
116	16 एफ	95	,,
117	13 एफ	96	,,
118	11 एफ	98	,,
119	2 के	100	,,
120	7 वाई	103	,,
121	3 एम	108	,,
122	4 डी	112	,,
123	4 सी	132	,,
124	2 सी	144	,,
125	1 ई छोटी	143	,,

1	2	3	4
126	10 जैड	161	स्वीकृत योजनाए
127	1 सी	164	,,
128	5 सी	167	,,
129	22 जैड	174	,,
130	5 ए छोटी	181	,,
131	4 ए छोटी	182	,,
132	2 जी छोटी II	200	,,
133	2 जी छोटी I	201	,,
134	3 जी छोटी	202	,,
135	7 ए छोटी I	204	,,
136	10 ए छोटी	206	,,
137	4 एच छोटा	209	,,
138	6 एच छोटा	211	,,
139	14 जी छोटी	212	,,
140	13 जी छोटी	213	,,
141	10 जी छोटी	216	,,
142	9 जी छोटी	217	,,
143	2 एच छोटा-II	218	,,
144	8 जी छोटी	220	,,
145	6 जी-I	222	,,
146	6 जी II	223	,,
147	4 जी छोटी	225	,,
148	22 जी.जी. छोटी	226	,,
149	23 जी.जी. छोटी	247	,,
150	27 जी.जी. छोटी	251	,,
151	16 जी. छोटी	254	,,
152	36 जी. जी. I	256	,,
153	34 जी. जी. छोटी	258	,,
154	10 एल .एल	260	,,
155	8 एल.एल.	265	,
156	7 एल.एल.	266	,,
157	3 एल.एल.	268	,,
158	5 एल.एल.	269	,,

1	2	3	4
159	8 एच. एच.	293	स्वीकृत योजनाएं
160	9 एच. एच.	294	,,
161	11 एच. एच.	295	,,
162	1 बी. बी.	296	,,
163	25 एम. एल.	297	,,
164	24 एम. एल.	298	,,
165	11 एम. एल.	299	,,
166	12 एच. एच.	300	,,
167	9 एम. एल.	302	,,
168	23 एम. एल.	304	,,

Page No 247

245

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र में सिचाई विभाग द्वारा निर्मित तालाबों का विवरण

क. स.	तालाब का नाम	प्रस्तावित सामान्य सिचाई (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	मन्देश्वर तालाव	51	
2.	भगरदा तालाब	60	
3.	बियापाडा तालाब	882	
4.	मटका तालाब	195	
5.	छोटी टाण्डी तालाब	600	
6.	मुराकुआ तालाब	130	
7.	रोहनिया तालाब	51	
8.	रसोडी तालाब	61	
9.	झाकरिया तालाब	78	
10.	गोडदरा तालाव	357	
11.	अखेपुरा तालाब	102	
12.	खेरिया पाडा तालाब	86	
13.	धानदा तालाब	421	
14.	बड़ी संख तालाब	63	
15.	बड़बास तालाव	72	
16.	झीकली तालाव	162	
17.	सारन घटेल का नाका तालाब	190	नहर का कार्य चालू है।
18.	चतर खुटा तालाब	378	"
19.	गोयका प्रसाद तालाब	669	"
20.	नागदा तालाब	419	"
21.	खानापाड़ा तालाब	155	"
		योग:—5182	

(246)

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची

नगर पालिकाओं में अधिशाषी अधिकारियों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम पालिका	दिनांक जब से अ. अ. का पद रिक्त है	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	जालौर	1-1-1983	
2.	बांरा	17-6-1983	
3.	गंगापुर सिटी	14-10-1982	
4.	डीग	27-8-1982	
5.	आसीन्द	28-1-1983	
6.	राजगढ़ (अलवर)	20-1-1983	
7.	नदबई		स्थानान्तरण के कारण रिक्त परन्तु अधिशासी अधिकारी कार्यमुक्त होने की सूचना नहीं
8.	केशवरायपाटन		,, ,,
9.	छबड़ा		,, ,,
10.	गुलाबपुरा		,, ,,
11.	नगर		,, ,,
12.	लालसोट		,, ,,
13.	परबतसर	1-2-1983	
14.	मनोहरपुर	24-2-1983	
15.	राजा खेड़ा	24-10-1933	
16.	छोटी सादड़ी	25-1-1983	
17.	चिड़ावा	21-12-1982	
18.	मण्डावा	2-7-1982	
19.	किशनगढ़ रेनवाल	6-2-1983	
20.	बसवा	18-8-1982	
21.	टोडाभीम	22-1-1983	
22.	पिलानी	20-2-1983	
23.	हिण्डोन	25-2-1983	

(249)

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की प्रति

MEASURES TO ARREST UNWARRANTED INCREASE IN URBAN LAND PRICES

The following measures could be considered by the State Governments as elements of urban land policy and for controlling land prices:

(a) Increase in the supply of developed land and dwellings at affordable prices, with special reference to the needs of poorer sections.

(b) Efforts of individuals and groups to provide shelter for themselves should be encouraged by :—

(1) Liberalisation of building byelaws and land use controls to ensure greater densities consistent with services to permit smaller plots and lesser setback restrictions, provide group open spaces and economy in use of land etc., on the lines of the suggestions made by the ISI and a study group headed by C & M D HUDCO, land use planning should promote the city's economic function, locate residences near jobs and encourage mixed land use. It should be recognised as one of the many inputs for city planning.

(2) review terms of land tenure, especially leasehold, in order to promote easy transfer, inheritance and mortgage of land and dwellings, and promote orderly operation of the land market. Early action to adopt Apartment Ownership Act on the pattern of Maharashtra and West Bengal would enable members of Group Housing Schemes to possess individual titles to apartments.

(3) Access to finance at easy terms from commercial banks, HUDCO, HDFC etc. to construction materials and technical assistance for construction, as also allotment of land by public agencies at pre-determined rates to group housing.

(4) where squatter settlements are situated since long on lands not required urgently for a public purpose, security of tenure may be given on long term lease on the Madras or Hyderabad pattern, supplemented by assistance for upgradation of dwellings.

5) Mobilise local enterprise, especially of the poor, through the development of community self help and self managing institutions such as housing cooperatives, and through urban community development programmes on the Hyderabad model. Government should introduce facilitating precedences for improving the community's access to finance, materials and the public agencies.

(c) Review the Rent Control Act and Urban Land Ceiling and Regulation Act in order to remove perceived impediments to legitimate construction activity and maintenance of old houses. The Economic Reforms Commission is seized of various suggestions for the amendment of the Rent Control Act. The Central Government is actively considering amendments to the Urban Land Ceiling Act in the light of difficulties in the operation of the Act brought to the Government's notice.

(d) Take steps to bring into the market large parcels of vacant land held by the Government and local agencies, institutions and private individuals, and encourage construction of dwellings on this land. The Government and local agencies should take the lead in releasing for re-development land and buildings not required

249

for immediate operational purposes. The property tax, supplemented by other fiscal measures, should be used for penal taxation of private vacant land to increase the rate of construction and to curb speculat on.

(e) Take early decisions on fiscal and institutional aspects of promoting private housing activity on the lines recommended by the Working Group on Private Housing. These include

(1) Tax benefits to promote investments in housing;

(2) Steps to introduce a housing mortgage market;

(3) Establishment of a three tier set up for a specialised financial institution exclusively for housing and the creation of a long term fund for housing.

(4) Investment of provident fund and group insurance funds for housing

(f) Implement a definite plan for the production of building materials, like cement, bricks and steel after working out the physical and financial dimensions of the housing effort, and earmark a portion of the available materials for low income housing. Simultaneously the use of substitute building materials like lime and pazzolone and the adoption of low cost techniques should be encouraged, aided by necessary amendment of local building bye-laws and change in attitudes of the implementing agencies.

(g) implement steps to reduce speculation in land and urban properties, to control activities of private developers, and to mobilse resources. These may include :

(1) Urban land tax on vacant land as well as tax on land with buildings where such land is in excess of ceiling limits;

(2) Tax on built up area in excess of specified limits;

(3) Development charge and conversion charge for the development of land;

(4) Restriction on premature conversion of agricultural land in urban agglomerations for non-agricultural use;

(5) regulation of activities of private developers on the lines of the Maharashtra legislation or the licensing provisions in Haryana;

(6) Co-ordinated levy of central, State and Local taxation of urban land and property.

———

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची

संस्था के पदाधिकारियों की सूची

(1) अध्यक्ष : श्री गोविन्द नारायण

(2) उपाध्यक्ष : नगरपालिका नागौर के अध्यक्ष

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, जयपुर

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान, जयपुर के वर्ष 1982-83 के सदस्यों की सूची

अजमेर

1 किशनगढ़
2 केकड़ी
3 ब्यावर
4 बिजयनगर
5 सरवाड़

अलवर

6 अलवर
7 बहरोड़
8 खेड़ली
9 बैरथल

बाड़मेर

10 बाड़मेर
11 बालोतरा

भरतपुर

12 कामा
13 डीग
14 भुसावर
15 नगर
16 कुम्हेर
17 बयाना

भीलवाड़ा

18 भीलवाड़ा
19 आसिन्द
20 गुलाबपुरा
21 गंगापुर

बीकानेर

22 बीकानेर
23 नोखा

बून्दी

24 बून्दी
25 कापरेन

चित्तौड़गढ़

26 चित्तौड़गढ़
27 कपासन
28 बड़ीसादड़ी
29 निम्बाहेड़ा

चूरू

30 डूंगरगढ़
31 राजलदेसर

धौलपुर

32 बाड़ी

Page No 254

(252)

डूंगरपुर

33 सागवाड़ा

जयपुर

34 जयपुर
35 कोटपूतली
36 दौसा
37 नरायना
38 आमेर
39 चौमू
40 विराटनगर
41 लालसोट
42 फुलेरा
43 साम्भर
44 बगरू
45 शाहपुरा

जैसलमेर

46 जैसलमेर

जालौर

47 सांचोर
48 भीनमाल

झालावाड़

49 भवानी मण्डी

झुंझुनू

50 झुंझुनू
51 विद्याविहार
52 मंडावा
53 मुकन्दगढ़
54 पिलानी
55 उदयपुरवाटी
56 बिसाऊ
57 सूरजगढ़

जोधपुर

58 बिलाड़ा
59 फलोदी

कोटा

60 कोटा
61 मन्ता
62 बारां
63 रामगंजमण्डी
64 मांगरोल

नागौर

65 नागौर
66 कुचेरा
67 कुचामनसिटी

पाली

68 निमाज
69 तखतगढ़
70 जैतारण
71 रायपुर
72 सोजत

सवाईमाधोपुर

73 हिण्डौन
74 गंगापुर सिटी

श्री गंगानगर

75 श्री गंगानगर
76 हनुमानगढ़
77 गजसिंहपुर
78 पदमपुर
79 करनपुर
80 सादुलशहर
81 सांगरिया
82 नोहर
83 श्री बिजयनगर

Page No 255

सीकर

84 रींगस
85 खण्डेला
86 श्री माधोपुर
87 फतेहपुर
88 लोसल

सिरोही

89 आबूरोड
90 माउण्ट आबू

टोंक

91 देवली

उदयपुर

92 उदयपुर
93 सलुम्बर
94 फतेहनगर
95 राजसमन्द
96 आमेट

व्यक्तिगत सदस्य

97 श्री गोविन्द नारायणजी
98 श्री कन्हैयालालजी (स्वर्गवास हो गया)
99 श्री सत्यनारायणजी

पदेन सदस्य

100 सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।

101 निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान

102 अध्यक्ष, राजस्थान नगरपालिका सेवा परिषद्।

103 सचिव, राजस्थान नगरपालिका सेवा परिषद्।

———

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची

परिशिष्ट—1

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

श्री माणिक्यलाल जी वर्मा की समाधी पर वर्ष 1972-73 से 28-2-1983 तक किये गये व्यय का ब्यौरा

क्र सं	वर्ष	व्यय का ब्यौरा	विशेष विवरण
1.	1972-73	816)48	
2.	1973-74	6,946)94	
3.	1974-75	–	कार्य नहीं हुआ।
4.	1975-76	–	,,
5.	1976-77	13,959)51	
6.	1977-78	–	,,
7.	1978-79	–	
8.	1979-80	–	,,
9.	1980-81	–	,,
10.	1981-82	49,737)88	,,
11.	1982-83 (28-2-83 तक)	1.47,836)05	
		2,19,296)86	

आयुक्त,
नगर परिषद उदयपुर

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 340 का विवरण

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. – अजमेर

वाहन संख्या	वर्ष						
	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79
1	2	3	4	5	6	7	8
टैंकर :—							
1 आर.जे.जेड 8860	–	–	–	–	53,318.00	56,636.00	9251.00
2. आर.जे जेड 8861	–	–	–	695.00	18,414.00	26,083.00	28,334.00
3. आर.जे.जेड 8675	–	–	–	23,574.00	1,15738.00	47,636.00	12,912.00
4. आर.जे.जेड 8674	–	–	–	9,572.00	16,278.00	45,198.00	3,118.00
5. आर.एस जी 2975	–	–	–	–	1,590.00	57,125.00	17,991.00
6. आर.एस.जी. 8866	–	–	–	–	–	183.00	–
7. आर.एस.जी. 2974	–	–	–	–	1,175.00	–	–
8. आर.एस.जी. 2971	–	–	–	–	97.00	–	–
9. आर.जे एफ. 4028	–	–	3,468.00	801.00	15.00	–	–
10. आर.जे.ए. 5429	–	–	1,092.00	3,141.00	4,787.00	–	–
11 आर.एस क्यू. 8942	–	–	–	123.00	–	–	–
12. आर.जे.जेड. 8060	–	–	–	2,787.00	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7
2. नाम जीप, पिकअप, मिलक वाहन:--							
1. आर.जे.जेड. 6433	3,144.00	–	–	–	–	–	–
2. आर.जे.जेड. 797	128.00	–	–	–	–	–	–
3. आर.जे.जेड. 1010	15.00	–	–	–	–	–	–
4. आर.जे.जेड. 299	–	–	–	–	659.00	8,221.00	15,614.00
5. आर.जे.जेड. 9331	–	–	–	557.00	–	154.00	7,657.00
6. आर.जे.जेड. 7142	.	955.00	3,009.00	7,621.00	440.00	2,244.00	5,818.00
7. आर.जे.जेड. 6433	–	5459.00	2,809.00	6,358.00	123.00	613.00	–
8. आर.जे.जेड. 9345	–	–	–	–	–	–	17,981.00
9. आर.एस.जेड. 2612	–	–	–	–	–	–	439.00

परिशिष्ट–29

अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची

पंचायत समिति का नाम 1	रिक्त पदों की संख्या 2
1. जिला बीकानेर	
1– नोखा	11
2– लूनकरणसर	6
3– बीकानेर	5
	योग:—22
2. जिला चूरू	
1– रतनगढ़	3
2– सरदारशहर	6
3– राजगढ़	12
4– तारानगर	1
5– चूरू	2
6– सुजानगढ़	7
7– डूंगरगढ़	2
	योग:— 33
3. जिला झुन्झुनू	
1– झुंझुनू	6
2– अलसीसर	3
3– बुहाना	10
5– खेतड़ी	8
5– उदयपुरवाटी	10
6– नवलगढ़	8
7– चिड़ावा	2
8– सूरजगढ़	5
	योग—52

Page No 260

(258)

1	2
4. जिला सीकर	
1– लक्ष्मणगढ़	8
2– फतेहपुर	7
3– पिपराली	8
4– धोंद	9
5– दांतारामगढ़	13
6– श्री माधोपुर	5
7– खण्डेला	10
8– नीमकाथाना	17
	योग: – 77
5. जिला जैसलमेर	
1– साँकड़ा	16
2– जैसलमेर	20
3– सम (मु. जैसलमेर)	28
	योग: 64
6. जिला बाड़मेर	
1– सिवाना	5
2– शिव	9
3– बालोतरा	7
4– चोहटन	10
5– धोरीमन्ना	13
6– बाड़मेर	9
7– सिणधरी	7
	योग:—60
7. जिला जालोर	
1– आहोर	9
2– जालोर	3
3– सायला	8
4– भीनमाल	5
5– जसवन्तपुरा	4
6– सांचोर	5
	योग:—34

Page No 261

1	2
8. जिला जोधपुर	
1– ओसियां	20
2– बिलाड़ा	6
3– भोपालगढ़	7
4– मण्डोर (मु० मण्डोर)	2
5– लूनी	7
6– शेरगढ	1
7– बालेसर	2
8– फलोदी	4
	योग:—49
9. जिला नागोर	
1– डीडवाना	13
2– कुचामन	12
3– नागोर	8
4– मूण्डवा	5
5– जायल	8
6– मकराना	7
7– परबतसर	6
8– देगाना	8
9– रियां	7
10– मेड़ता	5
	योग:—79

परिशिष्ट--30

अतारांकित प्रश्न संख्या 349 की सूची

पंचायत समिति मावली द्वारा ग्राम पंचायत डूडियां को दिया गया अनुदान व व्यय वर्ष 81-82 एवं 82-83

क्र.सं.	नाम कार्य	मद	पंचायतों को दी गयी अनुदान राशि	व्यय पंचायत की रोकड के अनुसार	
1.	प्राथमिक विद्यालय भीलाखेड़ा	एन. आर. ई. पी. शिक्षा कर	1000-00 5000-00	4090-00	
2.	प्राथमिक विद्यालय कीरखेड़ा	एन. आर. ई. पी. शिक्षा कर	1000-00 5000-00	3885-00	नोट :—अधिक व्यय राशि पंचायत के सामान्य अनुदान एवं निजी आय से व्यय की है।
3.	पंचायत भवन डूढ़िया	एन. आर. ई. पी. ,,	1000-00 2818-00	6611-25	
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय डूढ़िया	,,	6000-00	13643-25	
5.	इया मट्टी कराने हेतु	फेमीन	10980-00	14606-00	
6	निर्माण कार्यो हेतु अग्रिम 1. सार्वजनिक कुई बस स्टेण्ड डूढ़िया 2. ,, नान्दोली 3. प्रा. विद्यालय कीरखेड़ा 4. ,, भीलाखेड़ा 5. पंचायत भवन 5. उच्च प्रा. विद्यालय डूढ़िया	एन. आई. ई. पी.	10000-00 अग्रिम	10,000-00	
		योग --	42798-00	52,835 50	

परिशिष्ट 31

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत कोलिया की पंचायत बैठक दिनांक 12–2–78 के पारित प्रस्ताव संख्या 8 की प्रतिलिपि।

प्रस्ताव सं० 8

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत में जाजम, गद्दा, मसनद नये खरीदे जायें और इस पर जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति दी जाती है।